त्रयोदश माला, खंड 1, अंक 8

शुक्रवार, 29 अक्तूबर, 1999
7 कार्तिक, 1921 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 60
Date 22/9/2000

पहला सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खण्ड 1 में अंक 1 से 8 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा० अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव

हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव

प्रकाश चन्द भट्ट
मुख्य सम्पादक

केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

जे०एस० वात्स
सम्पादक

पीयूष चन्द दत्त
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 1, पहला सत्र, 1999/1921 (शक)]

अंक 8, शुक्रवार, 29 अक्तूबर, 1999/7 कार्तिक, 1921 (शक)

विषय	कॉलम
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	1
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1
सभा पटल पर रखे गए पत्र	2
राज्य सभा से संदेश	21
विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां — एक समीक्षा	21
धन-शोधन निवारण विधेयक	21
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) उत्तर प्रदेश में खुर्जा में और अधिक रेल सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री अशोक प्रधान	31
(दो) बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा और जमूई जिलों में बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत दिए जाने के लिए बिहार राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री राजो सिंह	31
(तीन) पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और मालदा जिलों में गंगा नदी के कारण हुए भूमि कटाव को रोकने के लिए राज्य सरकार को पर्याप्त धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री अबुल हसनत खां	32
(चार) आगरा-बटेश्वर रेल लाइन के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के कारण प्रभावित हुए लोगों के पुनर्वास के लिए उत्तर प्रदेश में बाह तहसील में उद्योग स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्री रामजीलाल सुमन	32
(पांच) अमरोहा (उत्तर प्रदेश) में एक और पावर स्टेशन की स्थापना करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता	
श्री राशिद अलवी	33
(छह) तमिलनाडु में तंजौर को फसल बीमा योजना में शामिल किए जाने की आवश्यकता	
श्री एस०एस० पलानीमनिक्कम	33
(सात) भारतीय उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए विदेशी कंपनियों को जूट उत्पादों पर पेटेंट अधिकारों का दावा करने से रोके जाने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री अमर राय प्रधान	34
(आठ) पृथक बोडोलैंड राज्य बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी	34
(नौ) दिल्ली-रक्सौल और अमृतसर-दरभंगा के बीच शीघ्र रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता	
डा० मदन प्रसाद जायसवाल	35

विषय कॉलम

(दस) श्रमजीवी पत्रकारों के वेतन में शीघ्र संशोधन किए जाने की आवश्यकता

श्री पी०सी० थामस 35

(ग्यारह) बिहार के मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों को "लाल कार्ड" प्रदान किए जाने की आवश्यकता

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह 36

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु 36

श्री मुलायम सिंह यादव 43

श्री मनोहर जोशी 54

श्री मणि शंकर अय्यर 65

श्री इन्द्रजीत गुप्त 78

श्री सोमनाथ चटर्जी 87

श्री विनोद खन्ना 100

श्री पूर्णो ए. संगमा 105

श्री यशवन्त सिन्हा 120

श्री राशिद अलवी 131

श्री पी०एच० पांडियन 136

श्री त्रिलोचन कानूनगो 143

श्रीमती कान्ति सिंह 148

श्री एस०एस० पलानीमनिक्कम 155

श्री जोवाकिम बखला 156

श्री सुदीप बंधोपाध्याय 158

श्री अली मोहम्मद नायक 161

श्री अमर राय प्रधान 171

श्री सिमरनजीत सिंह मान 174

श्री पी०सी० थामस 178

श्रीमती जयश्री बैनर्जी 180

श्री रामदास आठवले 182

श्री हरीभाऊ शंकर महाले 183

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी 184

श्री प्रभुनाथ सिंह 187

श्री जे०एस० बराड़ 192

श्री के० फ्रांसिस जार्ज 195

श्रीमती सोनिया गांधी 197

श्री लाल कृष्ण आडवाणी 204

विषय	कॉलम
विदेशी मुद्रा प्रबन्धन विधेयक के बारे में	152
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
उड़ीसा के समुद्रतटीय जिलों में आए भीषण तूफान के कारण हुआ नुकसान	
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	201
उड़ीसा के समुद्रतटीय जिलों में हुई जान-माल की भारी क्षति पर गहरा शोक व्यक्त करने और प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने का अनुरोध किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प	223
राष्ट्रगीत—धुन बजाई गई	224

लोक सभा

शुक्रवार, 29 अक्तूबर, 1999/7 कार्तिक, 1921 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : महासचिव अब डा० सुशील कुमार इन्दौरा को शपथ लेने के लिए बुलाएं।

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

डा० सुशील कुमार इन्दौरा (सिरसा)

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, दो लाख बीमा कर्मचारी बीमा विनियामक प्राधिकरण विधेयक के पुर:स्थापन के विरुद्ध हड़ताल पर हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये। अब निधन संबंधी उल्लेख।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मुझे सभा को हमारी भूतपूर्व सहयोगी, श्रीमती मालती देवी के निधन की दु:खद सूचना देनी है।

श्रीमती मालती देवी वर्ष 1998-99 के दौरान बारहवीं लोक सभा की सदस्य थीं और उन्होंने नवादा संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पहले, वह वर्ष 1995-98 के दौरान विधान सभा की सदस्य थीं।

एक सक्षम संसदविद् श्रीमती मालती देवी एक योग्य संसदविद् थीं और वह शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी समिति की सदस्य भी रहीं। वह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सलाहकार समिति की भी सदस्य रहीं।

श्रीमती मालती देवी पेशे से एक किसान थीं और एक प्रसिद्ध राजनैतिक और सामाजिक कार्यकर्त्ता थीं। उन्होंने मध्य और दक्षिण बिहार के भूमिहीन किसानों और आदिवासियों के उत्थान के लिए अथक कार्य किया। उन्होंने दलितों के मुद्दों को उठाने के लिए विशेष पहल की।

श्रीमती मालती देवी का निधन 31 वर्ष की आयु में 6 सितंबर, 1999 को दिल्ली में हुआ।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा दु:ख व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि यह सभा भी मेरे साथ शोक-संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करेगी।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सीमा सुरक्षा बल (समूह "ख" अराजपत्रित, युद्धक पैरा-मेडीकल कर्मचारी) भर्ती नियम, 1999 जो 2 अक्तूबर, 1999 के भारत के राजपत्र में सा०का०नि० 315 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सीमा सुरक्षा बल (एअरविंग अराजपत्रित युद्धक समूह "ख" और "ग" पद भर्ती संशोधन) नियम, 1999 जो 16 अक्तूबर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 334 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 103/99]

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : श्री राम जेठमलानी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 169 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) चुनाव आचार (संशोधन) नियम, 1999 जो 4 अगस्त, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 628(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विधान सभा चुनाव आचार (सिक्किम) संशोधन नियम, 1999 जो 6 सितम्बर, 1999 के भारत के

राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 726(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 104/99]

(2) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 28 की उपधारा (3) के अन्तर्गत 31 मार्च, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का०आ० 207(अ) जो मतदाता पंजीकरण (संशोधन) नियम, 1999 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में है और 8 अप्रैल, 1999 की अधिसूचना संख्या का०आ० 235(अ) का शुद्धि-पत्र।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 105/99]

(3) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) परिषद् निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन (मैसूर) संशोधन आदेश, 1999 जो 2 अगस्त, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 615(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) परिषद् निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन (महाराष्ट्र) संशोधन आदेश, 1999 जो 25 मई, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 380(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 106/99]

(4) नेशनल जुडिशियल अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(5) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 107/99]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई० पोन्नुस्वामी) : श्री राम नाईक की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) एच०पी०सी०एल० विशाखा रिफाइनरी में लगी आग की जांच के बारे में न्यायमूर्ति एस०सी० जैन की अध्यक्षता में जांच प्रतिवेदन (केवल अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही संबंधी ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) प्रतिवेदन के हिन्दी संस्करण को एक साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 108/99]

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा): श्री नवीन पाठक की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 109/99]

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड और रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) के बीच वर्ष 1999-2000 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 110/99]

(दो) मद्रास फर्टीलाइजर लिमिटेड और रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) के बीच वर्ष 1999-2000 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 111/99]

(2) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड के बारे में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक — संघ सरकार (वाणिज्यिक) (1999 का संख्यांक 5) —

31 मार्च, 1998 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 112/99]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनंजय कुमार) : श्री यशवंत सिन्हा की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) मार्च, 1998 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक-संघ सरकार का प्रतिवेदन (1999 का संख्यांक 2)-(सिविल)-संव्यवहार लेखा परीक्षा टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 113/99]

(दो) मार्च, 1998 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक-संघ सरकार का प्रतिवेदन (1999 का संख्यांक 1)-(सिविल)-संघ सरकार के लेखे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 114/99]

(तीन) मार्च, 1998 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक-संघ सरकार का प्रतिवेदन (1999 का संख्यांक 4)-(सिविल)-अन्य स्वायत्तशासी निकाय।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 115/99]

(चार) मार्च, 1998 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक-संघ सरकार का प्रतिवेदन (1999 का संख्यांक 5)-(वैज्ञानिक विभाग)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 116/99]

(पांच) मार्च, 1998 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक-संघ सरकार का प्रतिवेदन (1999 का संख्यांक 6)-डाक और दूरसंचार।

[ग्रन्थालय, में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 117/99]

(छ:) मार्च, 1998 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक-संघ सरकार का प्रतिवेदन (1999 का संख्यांक 9)-(रेल)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 118/99]

(सात) मार्च, 1998 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक-संघ सरकार का प्रतिवेदन (1999 का संख्यांक 10)-(अप्रत्यक्ष कर-सीमा शुल्क)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 119/99]

(आठ) मार्च, 1998 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक-संघ सरकार का प्रतिवेदन (1999 का संख्यांक 11)-(अप्रत्यक्ष कर-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 120/99]

(2) वर्ष 1997-98 के लिए संघ सरकार वित्त लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 121/99]

(3) वर्ष 1997-98 के लिए संघ सरकार विनियोग लेखाओं (सिविल) की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 122/99]

(4) वर्ष 1997-98 के लिए संघ सरकार विनियोग लेखाओं (दूरसंचार सेवाएं) की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 123/99]

(5) वर्ष 1997-98 के लिए संघ सरकार विनियोग लेखाओं (डाक सेवाएं) की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 124/99]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय प्रेस परिषद् के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजो संस्करण)।-

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 125/99]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० षणमुगम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) पोस्ट ग्रेज्युएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पोस्ट ग्रेज्युएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 1997-98 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) पोस्ट ग्रेज्यूएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजूकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 126/99]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनंजय कुमार) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा०का०नि० 299(अ) जो 29 अप्रैल, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आयात निर्यात नीति के वास्तविक प्रयोक्ता शर्त वाले वार्षिक अग्रिम लाइसेंस पर भारत में आयात की गई सामग्री को उस पर उद्ग्रहणीय पूरी मूल और अतिरिक्त सीमा शुल्क की ड्यूटी से छूट देने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा०का०नि० 300(अ) जो 29 अप्रैल, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो कतिपय अधिसूचनाओं में उनमें वर्णित कतिपय संशोधन करने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा०का०नि० 301(अ) जो 29 अप्रैल, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 1 अप्रैल, 1997 की अधिसूचना में कतिपय संख्या 32/97-सी०शु०/संशोधन करने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा०का०नि० 302(अ) जो 29 अप्रैल, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो कतिपय अधिसूचनाओं में उनमें वर्णित कतिपय संशोधन करने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा०का०नि० 303(अ) जो 3 मई, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 7 अप्रैल, 1997 की अधिसूचना संख्या 34/97- सी०शु० में कतिपय संशोधन करने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) सा०का०नि० 327(अ) जो 11 मई, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो कतिपय अधिसूचनाओं में उनमें वर्णित कतिपय संशोधन करने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) 2 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित सा०का०नि० 402(अ) और एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा 28 फरवरी, 1999 को अधिसूचना सं० 20/99-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गये थे।

(आठ) 11 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित सा०का०नि० 434(अ) जो वार्षिक अग्रिम लाइसेंस के तहत भारत में आयात की गई वस्तुओं को उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण प्रतिपाटन शुल्क से कतिपय शर्तों के अधीन छूट प्रदान करने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) 25 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित सा०का०नि० 459(अ) और एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा 1 अप्रैल, 1997 की अधिसूचना सं० 29/97-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गये थे।

(दस) 25 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित सा०का०नि० 460(अ) और एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा 7 अप्रैल, 1997 की अधिसूचना सं० 34/97-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गये थे।

(ग्यारह) 2 जुलाई, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित सा०का०नि० 486(अ) और एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा 11 अप्रैल, 1997 की अधिसूचना सं० 36/97-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गये थे।

(बारह) 6 जुलाई, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित सा०का०नि० 499(अ) और एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा 1 अप्रैल, 1997 की अधिसूचना सं० 32/97-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गये थे।

(तेरह) 6 जुलाई, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित सा०का०नि० 500(अ) और एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा 1 अप्रैल, 1999 की अधिसूचना सं० 48/99-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए।

(चौदह) 15 जुलाई, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित सा०का०नि० 522(अ) और एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 1 अप्रैल, 1997 की अधिसूचना संख्या 29/97-सीमा शुल्क में कतिपय संशोधन किए गये थे।

(पद्रह) 29 जुलाई, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित सा०का०नि० 559(अ) और एक व्याख्यात्मक

ज्ञापन, जिसके द्वारा 11 अप्रैल, 1999 की अधिसूचना संख्या 36/97-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गये थे।

(सोलह) 8 अक्तूबर, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित सा०का०नि० 687(अ) और एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 11 अप्रैल, 1997 की अधिसूचना संख्या 36/97-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गये थे।

(सत्रह) 13 अप्रैल, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित सा०का०नि० 259(अ) और एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसका आशय भारत में जाली नोटों या नकली नोटों के आयात पर पूर्ण रूप से प्रति-बंध लगाया गया था।

(अठारह) 28 अप्रैल, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 286(अ) में प्रकाशित कूरियर आयात और निर्यात (निकासी) संशोधन विनियम-1999 तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) विशेषाधिकार प्राप्त विदेशी व्यक्ति (सीमा शुल्क विशेषाधिकारों का विनियमन) संशोधन नियम, 1999 जो 8 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 415(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) विशेषाधिकार प्राप्त विदेशी व्यक्ति (सीमा शुल्क विशेषाधिकारों का विनियमन) दूसरा संशोधन नियम, 1999 जो 2 जुलाई, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 485(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) कूरियर आयात और निर्यात (समाशोधन) दूसरा संशोधन विनियम, 1999 जो 21 सितम्बर, 1999 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 645(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाइस) सा०का०नि० 288(अ) जो 28 अप्रैल, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो उसमें वर्णित तीन अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन करने के बारे में है।

(तेइस) सा०का०नि० 290(अ) जो 28 अप्रैल, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय क्रमशः डाइमंड इम्प्रेस्ट लाइसेंस धारकों और जैम रिप्लेनिशमेंट लाइसेंस धारकों द्वारा किये गये पूर्ववर्ती वित्त वर्ष के निर्यात के पोत पर्यंत निःशुल्क (एफओबी) मूल्य के 5 प्रतिशत तक तराशे हुए और पौलिश किए हुए हीरों और रत्नों का शुल्क मुक्त आयात करने की अनुमति देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) सा०का०नि० 289(अ) जो 28 अप्रैल, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय रत्न और आभूषण अथवा तराशे हुए और पौलिश किये हुए हीरों के उत्पादन में प्रयोग होने वाली विशिष्ट उपभोक्ता वस्तुओं के लिए शुल्क मुक्त आयात सुविधा उपलब्ध कराना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) सा०का०नि० 322(अ) जो 28 अप्रैल, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख योजना के अन्तर्गत साफ्टवेयर के निर्यात के लिए प्रयुक्त उपस्करों की अतिरिक्त मदों के लिए शुल्क मुक्त आयात सुविधा उपलब्ध कराना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) सा०का०नि० 369(अ) जो 19 मई, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उसमें वर्णित आठ अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन करने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्ताईस) सा०का०नि० 194(अ) जो 8 मार्च, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 1 अप्रैल, 1997 की अधिसूचना संख्या 29/97-सी०शु० में कतिपय संशोधन करने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठाईस) सा०का०नि० 200(अ) जो 11 मार्च, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन अथवा रोमानिया में उत्पन्न अथवा वहां से निर्यात किये गये कैलशियम कार्बाइड पर अधिसूचना में विनिर्दिष्ट दरों पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उनतीस) सा०का०नि० 202(अ) जो 11 मार्च, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 28 फरवरी, 1999 की अधिसूचना संख्या 20/99-सी०शु० में कतिपय संशोधन करने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीस) सा०का०नि० 211(अ) जो 17 मार्च, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन गणराज्य में उत्पन्न अथवा वहां से निर्यात किये गये तथा भारत में आयात किये गये फ्यूज्ड मैग्नीशिया पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इकतीस) सा०का०नि० 250(अ) जो 9 अप्रैल, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो

23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 49/96-सी०शु० में कतिपय संशोधन करने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बत्तीस) सा०का०नि० 287(अ) जो 28 अप्रैल, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 28 फरवरी, 1999 की अधिसूचना संख्या 20/99-सी०शु० में कतिपय संशोधन करने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तैंतीस) सा०का०नि० 348(अ) जो 13 मई, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 28 फरवरी, 1999 की अधिसूचना संख्या 20/99-सी०शु० में कतिपय संशोधन करने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौंतीस) सा०का०नि० 390(अ) जो 26 मई, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 28 फरवरी, 1999 की अधिसूचना संख्या 20/99-सी०शु० में कतिपय संशोधन करने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पैंतीस) सा०का०नि० 401(अ) जो 1 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो 11 अप्रैल, 1997 की अधिसूचना संख्या 36/97-सी०शु० में कतिपय संशोधन करने के बारे में है।

(छत्तीस) सा०का०नि० 410(अ) जो 8 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो 28 फरवरी, 1999 की अधिसूचना संख्या 20/99-सी०शु० में कतिपय संशोधन करने के बारे में है।

(सैंतीस) सा०का०नि० 411(अ) जो 8 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय रिहंद-सासाराम-बिहार शरीफ एचवीडीसी लिंक बैक टू बैक स्टेशन परियोजना की स्थापना के लिए अपेक्षित और मै० पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा आयात किये जाने वाले विशिष्ट उपस्करों को पूरे सीमा शुल्क और सीबीडी से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अड़तीस) सा०का०नि० 433(अ) जो 11 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 फरवरी, 1999 की अधिसूचना संख्या 20/99-सी०शु० में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उनतालीस) सा०का०नि० 455(अ) जो 25 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उसमें वर्णित तीन अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन करने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चालीस) 6 जुलाई, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित सा०का०नि० 495(अ) और एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा 11 नवम्बर, 1997 की अधिसूचना संख्या 84/97-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए थे।

(इकतालीस) 6 जुलाई, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित सा०का०नि० 498(अ) और एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिनका आशय उसमें उल्लिखित सात अधिसूचनाओं को रद्द करना था।

(बयालीस) 16 जुलाई, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित सा०का०नि० 526(अ) और एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 28 फरवरी, 1999 की अधिसूचना संख्या 20/99-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए थे।

(तैंतालीस) 23 जुलाई, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित सा०का०नि० 546(अ) और एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा उसमें दी गई चार अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए थे।

(चवालीस) 28 जुलाई, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित सा०का०नि० 557(अ) और एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 28 फरवरी, 1999 की अधिसूचना संख्या 20/99-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए थे।

(पैंतालीस) 17 सितम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित सा०का०नि० 642(अ) और एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 26 जून, 1998 की अधिसूचना संख्या 36/99-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए थे।

(छियालीस) 28 सितम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित सा०का०नि० 673(अ) और एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 28 फरवरी, 1999 की अधिसूचना संख्या 20/99 सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए थे।

(सैंतालीस) 30 सितम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित सा०का०नि० 679(अ) और एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 11 अप्रैल, 1997 की अधिसूचना संख्या 36/97-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 127/99]

(2) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा०का०नि० 258(अ) जो 12 अप्रैल, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिसका आशय जापान में उद्भूत या वहां से आयातित एथीलीनप्रापीलीन नॉन-कंजूगेटिड डीन (इपीडीएम) रबड़ पर अस्थायी प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा०का०नि० 285(अ) जो 26 अप्रैल, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय संयुक्त राज्य अमरीका, ताइवान, तुर्की, कोरिया और जापान में उद्भूत या वहां से आयातित विभिन्न श्रेणियों की स्ट्रीन बुटाडीन रबड़ पर अस्थाई प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा०का०नि० 291(अ) जो 29 अप्रैल, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिसका आशय चीन में उद्भूत एवं या वहां से आयातित साइट्रिक एसिड पर अधिसूचना में विनिर्दिष्ट दरों पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा०का०नि० 292(अ) जो 29 अप्रैल, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिसका आशय 24 नवम्बर, 1998 की अधिसूचना संख्या 94/98-सी०शु० को रद्द करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा०का०नि० 293(अ) जो 29 अप्रैल, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिसका आशय चीन में उद्भूत या वहां से आयातित ट्राइमेथाक्सी बेंजालीडहाइड पर अधिसूचना में विनिर्दिष्ट दरों पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) सा०का०नि० 294(अ) जो 29 अप्रैल, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिसका आशय 20 अक्तूबर, 1995 को अधिसूचना संख्या 157/95-सी०शु० को रद्द करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा०का०नि० 306(अ) जो 4 मई, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 22 जनवरी, 1999 की अधिसूचना संख्या 8/99-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा०का०नि० 307(अ) जो 4 मई, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत या उससे निर्यातित हार्ड फेरिन्ट रिंग मैग्नेट्स (एच०एफ०आर०एम०) पर 21 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से अस्थाई प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा०का०नि० 351(अ) जो 14 मई, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मैक्सिको में उद्भूत या वहां से निर्यातित "टो" एवं "टाप" समेत सभी एक्रेलिक फाइबरों पर 83.70 रुपए प्रति कि०ग्रा० तथा उसमें यथावर्णित ऐसे एक्रेलिक फाइबरों के प्रति कि०ग्रा० उतराई मूल्य के बीच के अंतर की राशि के बराबर अस्थाई प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा०का०नि० 375(अ) जो 20 मई, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जापान, कोरिया जनवादी गणराज्य और चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत या वहां से भारत में आयातित औद्योगिक सिलाई मशीन की सुईयों पर अस्थायी रूप से लगाये गये प्रतिपाटन शुल्क को वापिस लेना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा०का०नि० 391(अ) जो 26 मई, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनका आशय जापान में उद्भूत या वहां से निर्यातित एनबीआर के आयातों पर प्रतिपाटन शुल्क के रूप में मात्र 7882/- रुपए प्रति मिट्रिक टन लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा०का०नि० 392(अ) जो 26 मई, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनका आशय 14 नवम्बर, 1995 की अधिसूचना सं० 159/95-सी०शु० को रद्द करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा०का०नि० 438(अ) जो 17 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनका आशय 14 अगस्त, 1998 की अधिसूचना सं० 63/99-सी०शु० की वैधता की अवधि को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा०का०नि० 456(अ) जो 25 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनका आशय रूस और ब्राजील में उद्भूत या वहां से निर्यातित बिसफिनोल ए पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा०का०नि० 457(अ) जो 25 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनका आशय 26 दिसम्बर, 1995 की अधिसूचना सं० 169/95-सी०शु० को रद्द करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा०का०नि० 481(अ) जो 30 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनका आशय दो वर्ष की अवधि के लिए फिनाल पर रक्षोपाय शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा०का०नि० 482(अ) जो 30 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनका आशय पोलिटेट्राफ्लोरोथिलीन पर अस्थाई प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा०का०नि० 517(अ) जो 13 जुलाई, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनका आशय जापान में उद्भूत या वहां से निर्यातित एथाइलीन प्रोपाइलीन नान कंजूगेटिड डाइन रबड़ (ई०पी०डी०एम० रबड़) जिसमें पालीबुटैडाइन रबड़ शामिल नहीं है पर अंतिम रूप से प्रतिपाटन शुल्क लगाना तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा०का०नि० 527(अ) जो 16 जुलाई, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनका आशय मैक्सिको में उत्पन्न या वहां से निर्यातित सभी एक्रेलिक फाइबरों पर 83.70 रुपए प्रति कि०ग्रा० तथा उसमें यथा वर्णित ऐसे फाइबरों के प्रति कि०ग्रा० उतराई मूल्य के बीच के अंतर की राशि के बराबर प्रतिपाटन शुल्क को अंतिम रूप से लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा०का०नि० 528(अ) जो 16 जुलाई, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनका आशय 14 मई, 1999 की अधिसूचना सं० 64/99-सी०शु० को रद्द करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा०का०नि० 536(अ) जो 19 जुलाई, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनका आशय 12 अप्रैल, 1999 की अधिसूचना सं० 38/99 सी०शु० को रद्द करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाइस) सा०का०नि० 547(अ) जो 23 जुलाई, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनका आशय 11 फरवरी, 1999 की अधिसूचना सं० 19/99-सी०शु० को रद्द करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा०का०नि० 580(अ) जो 6 अगस्त, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनका आशय चीन गणराज्य में उत्पन्न या वहां से निर्यातित हार्ड फेराइट रिंग मैग्नेट्स पर अंतिम रूप से प्रति-पाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) सा०का०नि० 581(अ) जो 6 अगस्त, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनका आशय 4 मई, 1999 की अधिसूचना सं० 54/99-सी०शु० को रद्द करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) सा०का०नि० 600(अ) जो 24 जुलाई, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिनका आशय 26 अप्रैल, 1999 की अधिसूचना सं० 39/99-सी०शु० को रद्द करना है।

(छब्बीस) सा०का०नि० 601(अ) जो 24 अगस्त, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। जिनका आशय संयुक्त राज्य अमरीका, ताइवान, तुर्की, कोरिया और जापान में उद्भूत या वहां से निर्यातित स्टीरीन बुटाडीन रबड़ (एस०बी०आर०) पर अंतिम रूप से प्रतिपाटन शुल्क लगाना है।

(सत्ताइस) सा०का०नि० 625(अ) जो 8 सितम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। जिनका आशय जापान से विनिर्दिष्ट वस्तुओं के आयात पर लगे प्रतिपाटन शुल्क को वापस लेना है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 128/99]

(3) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा०का०नि० 118(अ) जो 17 फरवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय किसी वेयरहाऊस अथवा लाइसेंस-शुदा फैक्टरी अथवा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा यथानुमोदित किसी अन्य परिसर से भूटान में विनिर्दिष्ट परियोजनाओं को सभी उत्पाद शुल्क लगाये जाने योग्य वस्तुओं का निर्यात उत्पाद शुल्क संदत्त किए बिना करने की अनुमति देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा०का०नि० 192(अ) जो 3 मार्च, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जो उसमें वर्णित अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन करने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सातवां संशोधन) नियम 1999 जो 6 अप्रैल, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 247(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (आठवां संशोधन) नियम 1999 जो 3 मई, 1999 के भारत के राजपत्र में

अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 304(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (नौवां संशोधन) नियम 1999 जो 3 मई, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 305(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छ:) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (दसवां संशोधन) नियम 1999 जो 18 मई, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 353(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (ग्यारहवां संशोधन) नियम 1999 जो 26 मई, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 394(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (बारहवां संशोधन) नियम 1999 जो 4 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 407(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा०का०नि० 412(अ) जो 8 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 2 जून, 1998 की अधिसूचना सं० 16/98 उ०शु० में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा०का०नि० 413(अ) जो 8 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 फरवरी, 1999 की अधिसूचना सं० 20/99 उ०शु० (एन०टी०) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा०का०नि० 480(अ) जो 30 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 फरवरी, 1999 की अधिसूचना सं० 20/99 उ०शु० (एन०टी०) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा०का०नि० 508(अ) जो 8 जुलाई, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उसमें वर्णित विनिर्दिष्ट वस्तुओं को उन पर उद्‌गृहणीय उतने उत्पाद शुल्क अथवा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क जैसा भी मामला हो, से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (पन्द्रहवां संशोधन) नियम, 1999 जो 14 जुलाई, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 519(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा०का०नि० 549(अ) जो 27 जुलाई, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 1994 से 8 अक्तूबर, 1997 तक की अवधि के लिए टीका मशीनों के विनिर्माण के लिए समाशोधित कास्टिंगों पर लगने वाले उत्पाद शुल्क के संदाय को छोड़ना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सोलहवां संशोधन) नियम, 1999 जो 13 अगस्त, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 589(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा०का०नि० 370(अ) जो 19 मई, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उसमें वर्णित अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन करने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा०का०नि० 576(अ) जो 4 अगस्त, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 28 फरवरी, 1999 की अधिसूचना सं० 5/99-उ०शु० में कतिपय संशोधन करने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा०का०नि० 637(अ) जो 15 सितम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय गैर वाणिज्यिक शिक्षण संस्थाओं और अधिसूचनाओं में वर्णित अन्य विनिर्दिष्ट संस्थाओं को दान में दिये जाने की स्थिति में देश में ही प्राप्त किए गए कम्प्यूटरों और कम्प्यूटर पैरीफैरल पर लगने वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के संदाय से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) दिनांक 25 जून, 1999 का तदर्थ छूट आदेश संख्या 76/2/99 सी० एक्स० जिसका आशय अनुबंध में दिये गये उत्पाद शुल्क लगाये जाने योग्य समस्त विभिन्न सामानों को उन पर उद्‌गृहणीय उत्पाद शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 129/99]

(4) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (चार) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सेवा कर (दूसरा संशोधन) नियम, 1999 जो 23 अगस्त, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं०सा०का०नि० 599(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा०का०नि० 251(अ) जो 9 अप्रैल, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय किसी व्यक्ति को दी गई सेवाओं को जिनके

संबंध में संदाय भारत में किसी परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त होता है, उन पर उद्‌गृहणीय सम्पूर्ण सेवा कर से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 130/99]

(5) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 199 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित आदेशों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) दिनांक 16 जुलाई, 1999 का आदेश जो निर्धारण वर्ष 1973-74 के लिए मैसर्स होप टैक्सटाइल्स लि० इंदौर के मामले में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 40-क (सात) में अधिकथित शर्तों के शिथिलीकरण के बारे में है।

(दो) दिनांक 16 जुलाई, 1999 का आदेश जो निर्धारण वर्ष 1989-90 से 1993-94 के लिए मैसर्स स्टार टाइल वर्क्स लि० केरल के मामले में आयकर अधिनियम की धारा 43-ख में अधिकथित शर्तों के शिथिलीकरण के बारे में है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 131/99]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई० पोनुस्वामी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1999-2000 के लिये समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 132/99]

(दो) आई०बी०पी० कंपनी लिमिटेड और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1999-2000 के लिये समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 133/99]

(तीन) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1999-2000 के लिये समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 134/99]

(चार) गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1999-2000 के लिये समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 135/99]

(पांच) लूब्रीजोल इंडिया लिमिटेड और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1999-2000 के लिये समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 136/99]

(छः) बोंगाईगांव रिफायनरी एंड पेट्रो-कैमिकल्स लिमिटेड और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1999-2000 के लिये समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 137/99]

(सात) मद्रास रिफायनरीज़ लिमिटेड और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1999-2000 के लिये समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 138/99]

(आठ) तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1999-2000 के लिये समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 139/99]

(नौ) ऑयल इंडिया लिमिटेड और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1999-2000 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 140/99]

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 की धारा 24 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (संशोधन) नियम, 1999 जो अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 149(अ) में दिनांक 25 फरवरी, 1999 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

(दो) उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) संशोधन नियम, 1999 जो दिनांक 25 फरवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 150(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 141/99]

(2) उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 24 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) उच्च न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) संशोधन नियम, 1999 जो दिनांक 25 फरवरी, 1999

के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 151(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) उच्च न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) दूसरा संशोधन नियम, 1999 जो दिनांक 8 जुलाई, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 506(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन). उच्च न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) तीसरा संशोधन नियम, 1999 जो दिनांक 1 सितम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 621(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 142/99]

पूर्वाह्न 11.07 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना सभा को देनी है :—

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 28 अक्तूबर, 1999 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 27 अक्तूबर, 1999 को पारित किए गए भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसरण में संविधान (चौरासीवां संशोधन) विधेयक 1999 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

पूर्वाह्न 11.08 बजे

विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां — एक समीक्षा

[अनुवाद]

महासचिव : मैं "विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां (1998-99) — एक समीक्षा" के हिन्दी और अंग्रेजी संस्करणों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

पूर्वाह्न 11.09 बजे

धन-शोधन निवारण विधेयक*

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनंजय कुमार) : श्री यशवंत सिन्हा की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूं कि धन-शोधन के निवारण और धन-शोधन से व्युत्पन्न या उसमें अंतर्वलित सम्पत्ति के अधिहरण और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि धन-शोधन के निवारण और धन-शोधन से व्युत्पन्न या उसमें अंतर्वलित सम्पत्ति के अधिहरण और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, मैं इस विधेयक के पुर:स्थापन का दो आधारों पर विरोध करना चाहता हूं।

प्रथमत: हमने पूर्ववर्ती फेरा कानून में देखा है कि कैसे विभिन्न अवसरों पर फेरा के उल्लंघन से राष्ट्रीय राजकोष को भारी नुकसान उठाना पड़ा और कैसे राष्ट्रीय संसाधनों को देश से बाहर भेजा गया, और उन्हें विदेशी बैंकों में रखा गया। अब पुराना फेरा उदारीकरण की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में दो अलग-अलग अधिनियमों में प्रस्तुत किया जा रहा है; एक का नाम फेमा है और दूसरे का धन-शोधन निवारण विधेयक है।

मैं इसके एक पहलू का उल्लेख कर रहा हूं, जो वास्तव में राष्ट्र-विरोधी है, यह है, फेरा का उल्लंघन करने वालों, जिन्होंने फेरा का उल्लंघन किया था, को इस विशेष विधेयक, जिसको अधिनियमित करने का प्रस्ताव है, के एक उपबंध के जरिये मुक्त किया जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

दूसरे, धन-शोधन के मामले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अस्पष्ट पहलू बैलेंस-शीट में हेराफेरी है, जो उदारीकरण की प्रक्रिया के एक भाग रूप में उसमें विद्यमान है। यह विधेयक ज्ञात उल्लंघनकर्ता को मुक्त करता है, ज्ञात अपराधियों, जिनके विरुद्ध पहले से अभियोग चलाया जा रहा है, को अभियोग मुक्त किया जा रहा है। जो लोग अभी भी बैलेंस-शीट और धन-शोधन में हेराफेरी में अभी भी लिप्त हैं, उन्हें भी प्रस्तावित कानून के जरिये मुक्त किया जा रहा है। इसलिए मैं इसके पुर:स्थापन का विरोध करता हूं, क्योंकि यह राष्ट्रहित और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हितों के विरुद्ध है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, क्या आप कोई उत्तर देना चाहते हैं ?

श्री वी० धनंजय कुमार : वास्तव में, इस विधेयक के पुर:स्थापन के समय केवल सभा की विधायन क्षमता पर ही चर्चा की जा सकती है। इस सभा द्वारा इस विषय पर कानून बनाने की क्षमता के बारे में मेरे वरिष्ठ सहकर्मी श्री रूपचन्द पाल को अपने दिमाग में कोई शंका नहीं है अथवा किसी को भी कोई शंका नहीं है।

फिर भी महोदय, मैं अपने माननीय मित्र के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि ऐसा ही एक विधेयक 4 अगस्त, 1998 को पुर:-स्थापित किया गया था और आपके निर्देश पर वह विधेयक स्थायी समिति को सौंपा गया था। स्थायी समिति ने इस विधेयक के उपबंधों की विस्तार से जांच की है। समिति ने कुछ सुझाव दिए हैं और सरकार ने इस देश की अर्थव्यवस्था के वृहद् हित में सभी सुझावों को स्वीकार करने की शालीनता बरती है।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड-2 दिनांक 29.10.99 में प्रकाशित

[श्री वी० धनंजय कुमार]

वास्तव में, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि सरकार ने भी स्थायी समिति द्वारा की गई सिफारिशों में सुधार करने का प्रयत्न किया है।

अत: महोदय, मैं इस विधेयक को सभा में पुर:स्थापित करने की अनुमति चाहता हूं और एक बार यदि इस विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दे दी जाती है, तो वह सभा की सम्पत्ति हो जाएगा। तत्पश्चात् सभी सदस्य इस विधेयक पर अपनी बात कहने का अवसर प्राप्त करेंगे। इसलिए, मुझे इस विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि धन-शोधन के निवारण और धन-शोधन से व्युत्पन्न या उसमें अंतर्वलित सम्पत्ति के अधिहरण और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री वी० धनंजय कुमार : मैं विधेयक पुर:स्थापित* करता हूं *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आप सभी को अनुमति दूंगा। माननीय सदस्यों से मेरी केवल एक अपील है कि आज अंतिम दिन है और हमारे पास एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य है। सभी वरिष्ठ नेता राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। आज मैं शून्यकाल में तीन अथवा चार सदस्यों को अनुमति दूंगा। तत्पश्चात् हम नियम 377 के अधीन मामले लेंगे। उसके बाद हम राष्ट्रपति के अभिभाषण के प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करेंगे।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : जीवन बीमा निगम और सामान्य बीमा निगम के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने एक विशेषाधिकार प्रस्ताव दिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं उड़ीसा से भी एक सदस्य को अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, मैंने नियम 222 के अधीन विशेषाधिकार हनन की सूचना दी है। कल नैचुरल कैलेमिटिज पर बहस का उत्तर देते हुए माननीय कृषि राज्य मंत्री श्री सत्यनारायण राव ने सदन को नोईंग्ली, विलफुली और डैलिब्रेटली यह कह कर गुमराह किया है कि बिहार सरकार ने फ्लड के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार को कोई रिपोर्ट नहीं दी है जबकि हमने हर रोज की राज्य सरकार की रिपोर्ट की फोटोकापी जमा की है। उसके सबूत हमारे सामने हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि नियम के अधीन विशेषाधिकार हनन का मामला उठाने की इजाजत दी जाए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने प्रिवलेज मोशन दिया है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपके द्वारा दी गई विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना मेरे विचाराधीन है। मैं मंत्री महोदय से तथ्यों का पता लगा रहा हूं।

(व्यवधान)

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह प्रिवलेज का मामला है। हमने इसके लिए चुनौती भी दी लेकिन उसके बाद भी *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने नोटिस दिया है। हम उसे कंसिडर कर रहे हैं। आप इस बात को समझ लो।

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : उन्होंने जानबूझ कर सदन को गुमराह किया। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इसे विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द किया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे विचाराधीन है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं उड़ीसा के एक सदस्य को बुला रहा हूं, क्योंकि वे चक्रवात के संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण मामला उठा रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उड़ीसा के बाद आपको अवसर मिलेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री यादव आपका मुद्दा क्या है ? उड़ीसा के बाद आपको अवसर मिलेगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्वाइंट ऑफ इनफर्मेशन है। कल माननीय मंत्री जी ने बिहार के

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

सम्बन्ध में जिक्र किया। रघुवंश सिंह जी ने प्रिवलेज मोशन का जिक्र किया। मेरा इस सम्बन्ध में प्वाइंट ऑफ इनफर्मेशन यह है कि जो जानकारी माननीय कृषि राज्य मंत्री द्वारा सदन को दी गई थी (*व्यवधान*) जो प्रीविलेज मोशन दिया गया है, उसमें मेरा कोई विरोध नहीं है (*व्यवधान*) आप मेरी बात तो सुनिये। मैं केवल इन्फौर्मेशन दे रहा हूं

[अनुवाद]

श्री पी०सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, नियमों में सूचना के लिए कोई प्रावधान नहीं है (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ पाइंट आफ इन्फौर्मेशन दे रहा हूं। (*व्यवधान*) अध्यक्ष महोदय, मैं कल सदन में था और जैसा मैंने सुना, माननीय कृषि राज्य मंत्री ने कहा कि बाढ़ के कारण जो फसलों की क्षति हुई है, वह क्राप्स डैमेज रिपोर्ट बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार को नहीं दी है जिसके चलते नेचुरल कैलैमिटीज फंड्स की राशि का आवंटन नहीं किया जा रहा है।

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारे पास रिपोर्ट मौजूद है। हम कहां नहीं देते हैं ?

[अनुवाद]

श्री प्रभात सामंत राय (केन्द्रपाड़ा) : महोदय, आज उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में भयंकर चक्रवात आया है और इस समय चक्रवात की गति 220 और 240 किलोमीटर के बीच है। सदन में आने से पहले मैंने मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक से जांच पड़ताल की। उन्होंने बताया है कि मौसम विज्ञान विभाग के रिकार्ड के अनुसार इस तरह की भीषण गति वाला चक्रवात देश के किसी भी भाग में कभी नहीं आया। वे इसे 'भीषणतम चक्रवात' की संज्ञा दे रहे हैं। मैं जगतसिंह पुर, केन्द्रपाड़ा और भद्रक जिलों से सम्पर्क स्थापित नहीं कर सका। सुबह 8.00 बजे से यह क्षेत्र शेष विश्व से कटा हुआ है। मैं आपके माध्यम से इस सदन और सरकार से अनुरोध करता हूं कि उस क्षेत्र को देखने के लिए, वहां का तत्स्थानिक अध्ययन करने के लिए और उपचारात्मक उपाय हेतु सदन को रिपोर्ट करने के लिए वहां सभा की एक समिति भेजी जाये।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, मैंने सुबह 10.30 बजे प्रसारित किया जा रहा विशेष समाचार बुलेटिन टी०वी० पर सुना कि चक्रवात के किसी भी समय आने की संभावना है। शायद इतनी तीव्रता वाला चक्रवात देश में पहले कभी नहीं आया। दक्षिण बंगाल, उड़ीसा और शायद आंध्र प्रदेश के भी बहुत से भागों के प्रभावित होने की संभावना है। ऐसी आशंका है कि सम्पूर्ण पुरी शहर को पूर्ण रूप से ध्वस्त होने का जबर्दस्त खतरा है। सुन्दरबन स्थित सारे सागर द्वीप का जोकि हमारे देश के सुन्दर स्थानों में से एक है, शायद सफाया ही हो जाएगा। हमें नहीं पता, किन्तु यह चिंताजनक है। अत: मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इन क्षेत्रों में राज्य सरकारों के साथ निकटतम सम्पर्क बनाए रखे, ताकि हरसंभव कदम उठाए जा सकें। यह मानवीय और राष्ट्रीय त्रासदी होगी और मुझे विश्वास है कि यह सरकार, यह सदन और सभी इस बात को इस प्रकार गंभीरता- पूर्वक लेंगे ताकि यह पता लगाने में एक भी क्षण नहीं गंवाया जाये कि क्या हो चुका है और क्या होने जा रहा है, क्योंकि इसकी चेतावनी सुबह कम से कम तीन बजे तक दी गयी है।

एक माननीय सदस्य : पूरी रात।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सुबह तीन बजे तक मैं हाफ-एन-आवर बुलेटिन सुन रहा था। वहां गंभीर आशंका है। अत: मुझे विश्वास है कि सरकार इस बात पर उच्चतम प्राथमिकता के आधार पर विचार करेगी ताकि समय नष्ट न हो।

श्री के० येरननायडू (श्रीकाकुलम) : अध्यक्ष महोदय, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा गंभीर चेतावनी दी जा रही है कि यह 220 से 250 किलोमीटर की गति से आज किसी भी समय तटीय क्षेत्रों को पार कर सकता है। इसलिए महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध कर रहा हूं कि वह एक मंत्री को राज्य सरकार के सम्पर्क में रखे और सशस्त्र बलों को भी पैदा होने वाली किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सलाह दे। महोदय, आपके माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से केवल यही विनम्र निवेदन है।

श्री प्रियरजंन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, कल जब सभा में चर्चा चल रही थी, तो मुझे मौसम विज्ञान विभाग से एक समाचार मिला और दूरदर्शन पर भी एक घोषणा सुनी कि एक भीषणतम चक्रवात पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को तबाह कर सकता है। आगे, समाचारों में बताया गया कि तूफान की दिशा बदल गई है और यह अब दक्षिण चौबीस परगना जिले में गंगासागर की ओर बढ़ रहा है। मैं समझता हूं कि जो रिपोर्ट आई है, उससे पता चलता है कि यह चक्रवात अब तक आए चक्रवातों में से तीव्रतम गति वाला है, और उत्तरी चौबीस परगना, दक्षिण 24 चौबीस परगना, हुगली, हावड़ा और पूरे कलकत्ता शहर को इससे खतरा है।

पश्चिम बंगाल की सरकार ने पहले ही कल सेना को सतर्क कर दिया है। मैं समझता हूं कि भारत सरकार को अन्य सभी कार्यों को छोड़ कर आज अपने नियंत्रण वाले तकनीकी और अन्य संसाधनों के साथ तुरन्त इन तीन राज्य सरकारों, मुख्य मंत्रियों से सम्पर्क स्थापित करना चाहिए ...

अध्यक्ष महोदय : सभा के कार्यों सहित भी ?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मंत्रिमंडल की ओर से सरकार के किसी व्यक्ति को कोई समय गंवाये बिना इस मामले को तत्काल देखना चाहिए था। महोदय, आज की बैठक समाप्त होने से पूर्व विनाश शुरू हो जायेगा। अत: यह इतना महत्वपूर्ण मामला है कि समग्र सदन को कोई क्षण गंवाये बिना इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, मुझे बताया गया है कि ट्रक आपरेटरों द्वारा हड़ताल समाप्त किए जाने के बाद भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्गों पर कुछ आपूर्ति नेटवर्क बन्द हैं। इस संबंध में कुछ अन्य उपाय अपेक्षित हैं। अन्यथा मुझे यह डर है कि यदि कुछ गलत होता है तो आज शाम से आपूर्ति प्रभावित हो सकती है।

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सभा के वरिष्ठ सदस्यों ने इन घटनाओं के बारे में गहरी चिन्ता

[श्री लालकृष्ण आडवाणी]

जताई है। मैं सभा को केवल यह आश्वासन दे सकता हूं कि सरकार भी इस बात से चिन्तित है और राज्य सरकार के साथ लगातार सम्पर्क बनाये रखेगी ताकि इन आपदाओं का मुकाबला किया जा सके। जिस भी सहायता और सहयोग की आवश्यकता है, वह सदैव दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं अब, श्री बसुदेव आचार्य से अनुरोध करता हूं कि वह अपनी बात संक्षेप में कहें।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, आज जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम के दो लाख से अधिक कर्मचारी बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक को पुरःस्थापित करने का विरोध कर रहे हैं। कल हमने पहले ही यह बताया था कि जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम का निजीकरण करने का सरकार का प्रस्ताव बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए हमारे बीमा क्षेत्र को खोलना है। यह और कुछ नहीं है बल्कि अपने देश को संयुक्त राज्य अमरीका की बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को बेचना है ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा० विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : आप इस विषय पर कल बोल चुके हैं। जब बिल आएगा तो फिर बोलेंगे ... *(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द खण्डूड़ी, एवीएसएम (गढवाल) : कल एक घंटे का भाषण आपने इसी विषय पर दिया था। ... *(व्यवधान)*

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : कल चार घंटे इसी बात पर आपने कार्यवाही को रोके रखा था ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, हमारे घोर विरोध और इस सभा के बाहर इसके विरोध के बावजूद इस विधेयक को पुरःस्थापित किया गया है। हम यह मांग करते हैं कि इस विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिए ताकि हमारे समाज के विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जा सके। कल, हमारे समाज के विभिन्न वर्गों के 1.5 लाख से अधिक लोगों ने एक याचिका पर हस्ताक्षर किए हैं और कल यह याचिका आपको दी गयी थी। हमारे राष्ट्रीय हित की रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि हमें बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए अपने बीमा क्षेत्र को नहीं खोलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, हमें अपने राष्ट्र को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को नहीं बेचना चाहिए। यह विधेयक – जैसाकि आपने पिछली लोक सभा में देखा था – संयुक्त प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिए ताकि इस पर राष्ट्रीय बहस हो सके तथा इस विचार-विमर्श में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि भाग ले सकें और वे अपने विचार व्यक्त कर सकें तथा हमारे राष्ट्र के हित की रक्षा की जा सके ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : इसे सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाए और देश को बचाया जाए। ... *(व्यवधान)*

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं बड़े भारी मन से यह मामला उठा रहा हूं कि देश को आजाद हुए 52 वर्ष हो गए और परसों ही अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विधान सभा और संसद में आरक्षण की अवधि दस साल के लिए हमने बढ़ाई है लेकिन जो अनुसूचित जाति और जनजाति के आम आदमी हैं, उनकी बात आप छोड़ दें, अनुसूचित जाति और जनजाति के विधायकों की क्या हालत है, यह विषय मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के हरसूल से अनुसूचित जनजाति के विधायक विजय साह को वहां की पुलिस ने घेरकर बुरी तरह मारा पीटा, उनका हाथ तोड़ दिया, जूतों से, बंदूकों की बटों से, डंडों से उनको मारा। ... *(व्यवधान)* जब उन्होंने भागने की कोशिश की तो पुलिस ने फिर दौड़कर उन्हें पकड़ा और फिर इतना मारा वह बेहोश हो गये और पुलिस वाले उन्हें मरणासन्न स्थिति में छोड़कर चले गये *(व्यवधान)* उनका अपराध केवल इतना था कि वह एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति श्री किशन बसोड की पुलिस कस्टडी में हुई हत्या के विरोध में जुलूस निकाल रहे थे और शांतिपूर्वक ज्ञापन देने जा रहे थे। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री शिवराज सिंह ने जो कुछ बोला है उसके अलावा कुछ भी कार्यवाही में शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान : वह उस हत्या का विरोध कर रहे थे, जब वह जुलूस निकाल रहे थे तो उन्हें पुलिस ने घेरकर मारा। यह वही विजय सहाय हैं जो पुलिस की बर्बरता के चार मामले उठा चुके हैं। उनमें से एक मामला था कि पुलिस हिरासत में एक आदिवासी को पुलिस ने इतना मारा-पीटा और करन्ट लगाया, जिसके कारण वह नपुंसक हो गये। ... *(व्यवधान)* उन्हें साथ में लेकर श्री विजय सहाय आदिवासियों को साथ लेकर माननीय गृह मंत्री जी के पास भी आये थे, माननीय गृह मंत्री जी को यह याद होगा ... *(व्यवधान)* और पुलिस अत्याचार के खिलाफ यह मामला उठाया था। मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री दिग्विजय सिंह कुचलने की मनोवृत्ति से काम करते हैं। उनके संरक्षण में पुलिस कर्मियों ने उन्हें जान से मारने की कोशिश की। ... *(व्यवधान)* यह एक अनुसूचित जाति और जनजाति के विधायक की जिंदगी का सवाल है। क्या एक विधायक पुलिस हिरासत में अत्याचार का मामला नहीं उठा सकता। हमें मध्य प्रदेश की सरकार पर विश्वास नहीं है वहां के मुख्य मंत्री पुलिस को संरक्षण दे रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि केन्द्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और श्री विजय सहाय और उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान करे और वहां के पुलिस अधीक्षक तथा दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाने की व्यवस्था करे तथा ऐसे कदम उठाये कि फिर

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

से कोई अनुसूचित जनजाति का विधायक विजय सहाय न बन सके और सरकार इस मामले में बयान दे। ...(व्यवधान)

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर-पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, इसी तरह की एक घटना महाराष्ट्र में भी हुई है। महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायक श्री विनायक निमड़ के साथ पूना शहर में मार-पीट की गई। उन्हें विधान सभा के अधिवेशन में जाने से रोकने का प्रयत्न किया गया। महाराष्ट्र में अभी नई चुनी हुई कांग्रेस सरकार है। लेकिन किसी ने इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया है। वहां भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के विधायकों को धमकियां दी जा रही हैं। स्पीकर साहब, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी इस मामले में कार्रवाई करें ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको लोक सभा में राज्य संबंधी सभी मामलों का उल्लेख नहीं करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान एक गंभीर मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पोप जौन पॉल जो आज हिंदुस्तान आ रहे हैं, हमारी सरकार ...(व्यवधान)

श्री शिवराज सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, सरकार इस मामले में बयान दें ...(व्यवधान)

श्री मोहन रावले : सर, पोप जौन पॉल आज हिंदुस्तान आ रहे हैं और हमारी सरकार उनका स्वागत कर रही है ...(व्यवधान)

श्री शिवराज सिंह चौहान : सर, मध्य प्रदेश सरकार बरबाद हो गई है, पुलिस के द्वारा विधायकों को जान से मारने की कोशिश की जा रही है। वहां के मुख्य मंत्री कुचलने की मनोवृत्ति से काम कर रहे हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि वह इस मामले में बयान दे ...(व्यवधान)

श्री मोहन रावले : सर, पोप जौन पॉल आज हिंदुस्तान में आ रहे हैं और हमारी सरकार उनका स्वागत कर रही है ...(व्यवधान)

श्री शिवराज सिंह चौहान : मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वहां के विधायकों को मारने की कोशिश की जा रही है। यह एक अनुसूचित जाति के विधायक का मामला है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि सरकार इस मामले में बयान दे ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जायें। यह क्या है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रावले ने जो बोला है उसके अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, दो दिन पहले यहां इस मामले में बहस हुई है। पोप जॉन पॉल हिंदुस्तान आ रहे हैं और हमारी सरकार उनका स्वागत कर रही है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष जी, ईसाई धर्म गुरू भारत आ रहे हैं। इस संबंध में दो दिन पहले यहां बहस हुई और हमारी सरकार की ओर से बताया गया कि पोप जॉन पॉल हिन्दुस्तान आ रहे हैं उनका स्वागत सरकारी तौर पर किया जाएगा। पोप जॉन पॉल का स्वागत हमारी सरकार रैड कारपैट डालकर कर रही है। अमरीका के प्रैसीडेंट श्री बिल क्लिंटन भी भारत आने वाले हैं। हमारे भारत मूल के अमरीकी निवासी आठ दिन बाद अमरीका में दीपावली मनाने जा रहे हैं। एक इंटरनैशनल सदर्न बैपटिस्ट प्रोटैस्टेंट चर्च है श्री बिल क्लिंटन हैं, पूर्व प्रैसीडेंट जिमी कार्टर और रॉक फैलर आदि सभी उसके मैम्बर हैं। उन्होंने 40 हजार पुस्तिकाएं निकाली हैं जिनमें हिन्दू धर्म के बारे में बहुत गलत लिखा हुआ है। उसके आधार पर वे कह रहे हैं कि हिन्दू धर्म ठीक नहीं है, इसलिए हिन्दुओं को ईसाई धर्म स्वीकार कर लेना चाहिए। इस बारे में एक समाचार आज ''वाशिंगटन पोस्ट'' में प्रकाशित किया गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वे पश्चिमी राष्ट्र भारत में भी धर्मान्तरण करते हैं और पश्चिम में भी करते हैं। आज हमारी सरकार पोप जॉन पॉल का स्वागत करने जा रही है। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल बहुत महत्वपूर्ण और मैं एक गंभीर मामले की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि क्या हमारी सरकार उनके सरकारी स्वागत को रोकने वाली है या नहीं ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जायें, अब हम नियम 377 के अधीन आने वाले मामलों पर चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रावले, कृपया अपने स्थान पर बैठ जायें, आप अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री रावले, कृपया अपने स्थान पर बैठ जायें, श्री अशोक प्रधान के वक्तव्य के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

पूर्वाह्न 11.33 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उत्तर प्रदेश में खुर्जा में और अधिक रेल सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा) : मेरे लोक सभा क्षेत्र खुर्जा व जिला मुख्यालय बुलन्दशहर से हजारों दैनिक यात्री देहली आते जाते हैं, परन्तु खुर्जा से सीधी रेल सेवा दिल्ली के लिए नहीं है। 11वीं लोक सभा के समय भी यह बात मैंने सदन में उठाई थी और चौला, बुलन्दशहर में नई रेल बिछाने का सर्वेक्षण कार्य होना स्वीकृत हुआ था, परन्तु उस कार्य में अभी तक प्रगति नहीं हुई है। अब मैं सरकार से मांग करता हूं कि चौला से बुलन्दशहर लाइन तुरन्त बनवाई जाए तथा खुर्जा-दनकौर के मध्य पड़ने वाले खानपुर का हाल्ट स्वीकृत हो गया है, उसको तुरन्त शुरू कराया जाए और टिकिट वितरण की व्यवस्था की जाए जिससे कि वहां सरकार के सारी व्यवस्थाओं पर लगे पैसे का सही उपयोग हो सके और रेलवे को जो राजस्व की हानि हो रही वह भी बचाई जा सके। खुर्जा, बुलन्दशहर से सीधे प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए भी एक रेल सेवा शुरू कराई जाए व सभी एक्सप्रैस ट्रेनों का हाल्ट करवाया जाए जिससे हजारों यात्री, जिन्हें लखनऊ के लिए जाना है या तो अलीगढ़ से या हापुड़ से ट्रेन पकड़ते हैं, उनको लाभ मिल सके।

[अनुवाद]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमने नियम 377 के अधीन इस मामले को लिया है। यह क्या है ?

(दो) बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई जिलों में बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत दिए जाने के लिए बिहार राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा एवं जमुई जिलों में इस बार भयंकर बाढ़ आ जाने के कारण भारी तबाही हो गई है। इस बार की बाढ़ से सारे क्षेत्र में जान-माल की अधिक क्षति हुई है और किसानों का धान सड़ गया है। इस क्षेत्र के किसानों को इस भारी नुकसान की वजह से भूखों मरने की नौबत आ सकती है तथा इन इलाकों में काफी लोगों के घरों का भी नुकसान हो गया है। आहर और सड़क काफी मात्रा में टूट गए हैं। इस मामले में भारत सरकार को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य बढ़ाने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र के नागरिकों के जान-माल की रक्षा तथा भावी परेशानियों को ध्यान में रखकर आर्थिक सहायता की भी जरूरत है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस क्षेत्र के नागरिकों को बाढ़ से राहत प्रदान करने के लिए तुरन्त साधन उपलब्ध कराएं और माननीय प्रधान मंत्री जी भी अपने कोष से इस क्षेत्र के नागारिकों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें भूख और तबाही से बचाने में योगदान करें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहन रावले, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं, कृपया आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

(तीन) पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और मालदा जिलों में गंगा नदी के कारण हुए भूमि कटाव को रोकने के लिए राज्य सरकार को पर्याप्त धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री अब्दुल हसनत खां (जंगीपुर) : महोदय, मुर्शिदाबाद और मालदा जिलों में पिछले कुछ दशकों से गंगा नदी में लगातार कटाव हो रहा है। शहरों और गांवों में हजारों रिहायशी घर, सार्वजनिक कार्यालय, शैक्षिक संस्थान आदि जलमग्न हो गये हैं। फरक्का बराज परियोजना के निर्माण के बाद कटाव में वृद्धि हो गयी है। अब, महान राष्ट्रीय महत्व की यह परियोजना के अ-कार्यात्मक होने का खतरा है। गंगा की मुख्य धारा राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत की ओर होती जा रही है जिससे हमारी भूमि बंगलादेश में जा रही है। इन सभी घटकों पर विचार करते हुए मैं केन्द्र सरकार से यह पुरजोर अनुरोध करता हूं कि वह इस अन्तर्राष्ट्रीय नदी में कटावरोधी उपाय करने के लिए पर्याप्त निधियों की व्यवस्था करें अन्यथा इस क्षेत्र में ऐसी आपदा की आशंका है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते।

(चार) आगरा-बटेश्वर रेल लाइन के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के कारण प्रभावित हुए लोगों के पुनर्वास के लिए उत्तर प्रदेश में बाह तहसील में उद्योग स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामजी लाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री द्वारा 6 अप्रैल 99 को जनपद आगरा (उ०प्र०) में आगरा बटेश्वर

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

रेलवे मार्ग के उद्घाटन के बाद अब भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रारम्भ हो रहा है जिससे स्थिति अत्यधिक गंभीर होगी। 108 करोड़ की लागत से बनने वाले इस रेल मार्ग से 912 गांवों के लगभग 21 लाख लोग प्रभावित होंगे तथा इस मार्ग की दूरी 110.5 कि०मी० होगी जो जनपद इटावा में 18 कि०मी० आगरा सदर तहसील में 2 कि०मी० फतेहाबाद (आगरा) में 41.5 कि०मी० तथा बाह (आगरा) तहसील में 55 कि०मी० भूमि को प्रभावित करेगी। बाह तहसील में पहले से ही एक अन्य योजना (चम्बलडाल) परियोजना में किसानों की बहुत सारी जमीन अधिग्रहित की जा चुकी है। रेल मार्ग के लिए भूमि अधिग्रहित किये जाने के बाद किसानों की रोजी-रोटी का स्थाई जरिया ही समाप्त हो जाएगा। जो मुआवजा मिलेगा उससे लाखों किसानों की भरण-पोषण की स्थाई समस्या हल नहीं होगी।

सरकार को चाहिए कि विकल्प के तौर पर बाह तहसील में एक उद्योग स्थापित करे जिससे लाखों किसानों की रोजगार की स्थाई समस्या का निराकरण हो सके।

[अनुवाद]

(पांच) अमरोहा (उत्तर प्रदेश) में एक और पावर स्टेशन की स्थापना करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री राशिद अलवी (अमरोहा) : महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र अमरोहा (जिसमें ज्योतिबा फूले नगर और जिला बिजनौर शामिल हैं) उत्तर प्रदेश में बिजली की हालत काफी लम्बे समय से बहुत खराब है जिसने न केवल छोटे उद्योगों को प्रभावित किया है बल्कि किसानों और आम जनता को भी बहुत अधिक प्रभावित किया है।

बिजली न होने के कारण स्कूल जाने वाले बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं।

मूल रूप से, यह एक अत्याधिक गरीब क्षेत्र है। किशोर लड़की, लड़के और यहां तक कि ग्रहणियां भी बीड़ी उद्योग से जुड़े हैं, जो उनकी रोजी-रोटी के लिए इस क्षेत्र का मुख्य उद्योग है। ये सभी सूर्यास्त के बाद कार्य नहीं कर सकते जिससे उनकी आय प्रभावित होती है। अमरोहा और इसके समीपवर्ती क्षेत्र में पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए तत्काल अनुदेश जारी किए जाने चाहिए।

इस क्षेत्र की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कम से कम 100 मेगावाट से अधिक बिजली उत्पादन करने वाले एक अलग विद्युत केन्द्र का निर्माण भी यथाशीघ्र किया जाना चाहिए। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस प्रयोजन के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करे।

(छह) तमिलनाडु में तंजौर को फसल बीमा योजना में शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री एस०एस० पलानीमनिक्कम (तंजावूर) : महोदय, फसल बीमा योजना कई जिलों में प्रारम्भ की गयी है। यह तमिलनाडु में विभाजन-पूर्व तंजौर जिले में प्रारम्भ की गयी थी। किन्तु यह योजना जिले के कुछ क्षेत्रों में ही लागू की गयी थी। अब यह जिला विभाजित हो गया है और इसके तीन जिले बना दिए गए हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र तंजावूर को फसल बीमा योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है।

मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के किसानों जो मुख्य रूप से धान की खेती करते हैं, की दुर्दशा की ओर केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं और यह अनुरोध करता हूं कि फसलों की सुरक्षा तथा किसानों के हितों की रक्षा के लिए मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी फसल बीमा योजना का विस्तार किया जाये।

(सात) भारतीय उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए विदेशी कंपनियों को जूट उत्पादों पर पेटेंट अधिकारों का दावा करने से रोके जाने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार) : यह खेद की बात है कि बासमती और हल्दी के बाद होसियन (जूट उत्पाद) को यूरोपियन पेटेन्ट सं० 728048 के अधीन ब्रिटिश फर्म जी०ई०ओ०एच०ई०एस०एस० द्वारा पेटेन्ट कराया गया है। जी०ई०ओ०एच०ई०एस०एस० ने भारत में होसियन के उत्पादकों से और भारतीय जूट मिलों से रॉयल्टी की मांग करना शुरू कर दिया है जिससे भारतीय जूट उत्पादकों और भारतीय जूट मिलों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

अभी तक, पिछले अनेक दशकों से भारत विश्व में जूट उत्पादन करने वाले देशों में सबसे बड़ा देश माना जा रहा था किन्तु यह आश्चर्य की बात है कि एक रात में ही ब्रिटिश फर्म को पेटेन्ट अधिकार दे दिया गया है। यदि ऐसा होता रहा तो पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम की लगभग तीन करोड़ जनता, जो कच्चे जूट और जूट उद्योग पर निर्भर हैं, पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यदि इसे नहीं रोका गया तो इसका न केवल पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा बल्कि देश में समग्र पूर्व क्षेत्र इससे प्रभावित होगा।

अत: पूर्वी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के हित में और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा असम के लगभग तीन करोड़ भारतीयों के हितों के साथ-साथ राष्ट्र के हित में मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले में तत्काल उपचारात्मक कदम उठाये।

(आठ) पृथक बोडोलैंड राज्य बनाए जाने की आवश्यकता

श्री सानसुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार) : मैं भारत सरकार द्वारा दिल्ली को राज्य का दर्जा प्रदान करने तथा पिछड़े क्षेत्रों में 3 (तीन) नये राज्यों अर्थात् 'उत्तरांचल, वनांचल और छत्तीसगढ़ का गठन करने संबंधी प्रस्ताव का हार्दिक स्वागत करता हूं तथा अन्य क्षेत्रों में भी 'छोटे राज्यों की अवधारणा' के कार्यान्वयन के संबंध में हमेशा ऐसा ही दृष्टिकोण बनाए रखूंगा।

वर्तमान भारत सरकार को व्यापक राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए पृथक् बोडोलैंड राज्य की चिरकालिक मांग के संबंध में 'उत्तरांचल, वनांचल और छत्तीसगढ़' की तरह राज्य का दर्जा प्रदान कर अत्यधिक खतरनाक बोडोलैंड संकट के स्थायी राजनीतिक समाधान के लिए ठोस नीति संबंधी निर्णय लेना चाहिए।

अत:, अत्यधिक चिर-प्रतीक्षित अलग बोडोलैंड राज्य का तुरंत गठन करना ही देश के बोडो लोगों के सर्वतोमुखी विकास का एकमात्र स्थायी राजनीतिक समाधान है और इस तरह से उनके संभावित बोडोलैंड राज्य के अंतर्गत उनकी सुरक्षा एवं संरक्षा को भी सुनिश्चित किया जा सकता है।

[श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी]

अतः, संघ सरकार से मेरा पुरजोर अनुरोध है कि वह राष्ट्रीय एकता और अखंडता तथा सुरक्षा के व्यापक हित को ध्यान में रखकर विशेष रूप से प्रस्तावित बोडोलैंड क्षेत्र के अंतर्गत और समस्त पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्याप्त स्थिति की महत्ता एवं गंभीरता पर विचार करते हुए 'उत्तरांचल, वनांचल और छत्तीसगढ़' की तरह आवश्यक संविधान (संशोधन) विधेयक के पुरःस्थापन के माध्यम से पृथक् बोडोलैंड राज्य के गठन के लिए ठोस एवं सकारात्मक नीति संबंधी निर्णय करे।

(नौ) दिल्ली - रक्सौल और अमृतसर-दरभंगा के बीच शीघ्र रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा० मदन प्रसाद जायसवाल (बेतिया) : महोदय, 12वीं लोक सभा में तत्कालीन रेल मंत्री जी ने अपने रेल बजट प्रस्तुत करते समय कुछ गाड़ियों को चलाए जाने के संबंध में घोषणा की थी। गाड़ी संख्या 4048 एवं 4047 दिल्ली-रक्सौल के बीच एक जुलाई, 1999 से चलाई जानी थी। उसी बजट भाषण में एक नई गाड़ी आमृतसर-दरभंगा जनसेवा एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 5212 एवं 5211 दरभंगा से नरकटियागंज होते हुए अमृतसर तक चलाई जानी थी। इस संबंध में इस मार्ग पर पड़ने वाले सभी स्टेशनों को गाड़ी के ठहराव एवं प्रस्थान का समय निर्धारित कर सूचित कर दिया गया था तथा रेल के टाइम टेबल में भी इन गाड़ियों के प्रचालन के समय की सूचना दी गई है। फिर भी ये दोनों गाड़ियाँ बजट भाषण के नौ महीने के बाद भी रेल प्रशासन के द्वारा नहीं चलाई जा सकी हैं। कारण पूछने पर पदाधिकारियों ने मुझे मौखिक रूप से सूचित किया है कि कारगिल युद्ध एवं लोक सभा के चुनाव की वजह से इन गाड़ियों को नहीं चलाया जा सका है। आज लोक सभा का चुनाव एवं कारगिल युद्ध समाप्त होने के बाद भी गाड़ियों का नहीं चलना दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे क्षेत्र के लोग रेलवे ट्रैक पर 15 नवम्बर से बैठने जा रहे हैं।

अतः मैं मांग करता हूं कि सदन रेलवे बोर्ड को निदेश दे कि 15 नवम्बर के पहले इन गाड़ियों का परिचालन अविलंब शुरू किया जाए।

(दस) श्रमजीवी पत्रकारों के वेतन में शीघ्र शोधन किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पी०सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, भारत में श्रमजीवी पत्रकारों के साथ घोर अन्याय हुआ है क्योंकि उनके वेतन में पिछले दस वर्षों से संशोधन नहीं किया गया है। इस अवधि में, जीवन-निर्वाह व्यय में अत्यधिक वृद्धि हो गयी है। कर्मचारियों का कोई ऐसा अन्य वर्ग नहीं है जिसका वेतन इतने लम्बे समय से संशोधित नहीं किया गया है। प्रेस, जैसा कि हम सब को मालूम है, लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है। श्रमजीवी पत्रकारों को भूल जाना सर्वथा अनुचित है क्योंकि उनके न रहने पर 'जानकारी' प्राप्त करने के संबंध में प्रत्येक नागरिक की स्वतंत्रता और अधिकार को बाधा पहुंचेगी। मेरा अनुरोध है कि श्रमजीवी पत्रकारों के वेतन में संशोधन के लिए तत्काल कार्यवाही की जाए।

(व्यवधान)

(ग्यारह) बिहार के मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों को "लाल कार्ड" प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, बिहार के मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले के गांवों में घूमने से पता चला कि गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों को जो लाल कार्ड देने का प्रावधान था, उसके अनुसार बहुत सारे गरीब लोगों को लाल कार्ड नहीं मिला।

इसलिए मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि जिन्हें लाल कार्ड नहीं मिला है, उन गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों को भारत सरकार लाल कार्ड देने का प्रबन्ध करे।

पूर्वाह्न 11.47 बजे

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव — *जारी*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, सदन में अगली मद — राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव — पर विचार होगा।

प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु (तेनाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सर्वप्रथम मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय को संसद के दोनों सदनों को दिए उनके गरिमामय अभिभाषण के लिए अपनी हार्दिक बधाई देता हूं। इस अभि-भाषण से आगामी एक वर्ष के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एन०डी०ए०) सरकार के सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम का स्पष्ट पता चलता है।

इस पवित्र सदन में बैठने वाले सभी माननीय सदस्यों ने हाल ही में चुनावों का सामना किया है, चुनावों में सफलता प्राप्त की है और इस ऐतिहासिक तेरहवीं लोक सभा के सदस्य बन गए हैं। मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी तेलुगु देशम की ओर से और अपने नेता श्री चंद्रबाबू नायडू की ओर से सदस्यों को बधाई देता हूं।

महोदय, मैं इस अवसर पर श्री वाजपेयी को भी तीसरी बार इस सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का प्रधान मंत्री बनने पर बधाई देता हूं। प्रसंगवश, मैं इस बात का उल्लेख कर रहा हूं कि जब वे ग्यारहवीं लोक सभा में इस देश के प्रधान मंत्री बने, तब वे तेरह दिन तक उस पद पर रहे। जब वे बारहवीं लोक सभा में दूसरी बार प्रधान मंत्री बने, तब वे तेरह महीने तक इस पद पर रहे। अब वे तीसरी पदावधि में तेरहवीं लोक सभा का नेतृत्व कर रहे हैं और मेरी यह उत्कट अभिलाषा है कि वे कम से कम तेरह वर्षों की अवधि तक अपने पद पर रहेंगे तथा हमारी पार्टी की यह कामना है कि वे एक योग्य नेता के रूप में इस देश की सेवा करते रहें।

महोदय, मैं माननीय अध्यक्ष को भी दूसरी बार इस गारिमापूर्ण पद हेतु चुने जाने पर बधाई देता हूं। मैं श्री सईद को भी दूसरी बार सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुने जाने पर बधाई देता हूं। अध्यक्ष महोदय, आन्ध्र प्रदेश के लोग तथा तेलुगु देशम पार्टी आपके इस पद पर चुने जाने पर अत्यधिक गौरवान्वित हैं। हम, आंध्र प्रदेश के लोग और विशेषकर तेलुगु देशम पार्टी आपके इस पद पर चुने जाने पर अत्यधिक गर्व महसूस कर रहे हैं।

13वीं लोक सभा की अनेक विशिष्टताएं हैं। यह लोक सभा वर्ष 1999, 2000वें दशक, 20वीं शताब्दी तथा दूसरी सहस्त्राब्दी की अंतिम लोक सभा है। मैं आशा करता हूं कि कांग्रेस पार्टी अगले दो महीनों में इस सरकार को नहीं गिराएगी। यह लोक सभा तीसरी सहस्त्राब्दी, 21वीं शताब्दी, 201वें दशक तथा वर्ष, 2000 की पहली लोक सभा बनने जा रही है। अतः, यह हम सबके लिए एक दुर्लभ और रोमांचकारी घटना है कि इस विशेष अवसर पर जब देश तीसरी सहस्त्राब्दी, 201वें दशक और 21वीं शताब्दी की ओर बढ़ रहा है, हम इस सभा के सदस्य रहेंगे। सदस्यों की यह एक बड़ी जिम्मेदारी है कि जब लोग 21वीं सदी की ओर बढ़ रहे हैं, हम सब को नयी आशाएं और वचन निभाने हैं।

यहां मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हमें अपने देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और धर्मनिरपेक्ष स्वरूप, जैसा कि हमारे महान संविधान में दिया गया है, पर गर्व है। महामहिम श्री के०आर० नारायणन ने परसों ही 78 वर्ष पूरे किए हैं और 79वें वर्ष में प्रवेश किया है। मैं इस अवसर पर माननीय राष्ट्रपति महोदय को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। *दलितों* के नेता के रूप में, वे भारत के राष्ट्रपति बन गए हैं और वे इस राष्ट्र या इस गणतंत्र को 20वीं सदी से 21वीं सदी की ओर ले जाएंगे।

प्रसंगवश, माननीय अध्यक्ष भी *दलित* समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा उपाध्यक्ष महोदय अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह हमारे लोकतंत्र की विशेषता है और इस प्रकार हम इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा कर रहे हैं। 13वीं लोक सभा इस तरह से भी विशिष्ट होगी कि यह हमारे भारतीय गणतंत्र के स्वर्ण जयंती वर्ष में है। अतः, माननीय सदस्य इस अर्थ में काफी भाग्यशाली हैं कि उन्हें 13वीं लोक सभा का सदस्य होने का सम्मान प्राप्त है। हमारे देश के समक्ष इस प्रकार की स्थिति अगले हजार वर्ष के बाद ही उत्पन्न होगी जब देश तीसरी सहस्त्राब्दी से चौथी सहस्त्राब्दी में प्रवेश करेगा। तेरहवीं लोक सभा को भारतीय शासन-व्यवस्था से जो जनादेश दिया गया है, उसकी अनेक विशेषताएं हैं। यह वो जनादेश है जो योग्य नेतृत्व के लिए दिया गया है। यह मिली-जुली स्थिर सरकार के लिए दिया गया जनादेश है। यह एक ऐसा जनादेश है, जिसने एकल परिवार शासन की बात तो दूर रही, एक पार्टी शासन को भी अस्वीकार कर दिया।

यह जनादेश संघीय शासन हेतु मजबूत क्षेत्रीय दलों को दिया गया जनादेश है; यह कार्यनिष्पादन के लिए दिया गया जनादेश है, यह जनादेश वहां की सरकार के पक्ष में दिया गया है; यह वो जनादेश है जो सत्ता के भूखे और लालची राजनीतिक नेताओं के विरुद्ध दिया गया है। अन्ततः, यह वो जनादेश है, जो भारतीय मूल के नेतृत्व को दिया गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भी यही इच्छा थी; और स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने वाले लोगों की भी यही इच्छा थी। यद्यपि तेरहवीं लोक सभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त हुआ, फिर भी लोगों का संदेश और मंतव्य तो यही रहा कि उन्हें मिली जुली सरकार के माध्यम से स्थिरता चाहिए। वस्तुतः, यही विभिन्नता में एकता है। भारत जैसे विशाल देश में जहां सौ करोड़ की जनसंख्या है, जहां विभिन्न संस्कृतियां हैं, जहां अनेक भाषाएं हैं, जहां विभिन्न भौगोलिक स्थितियां हैं, जहां विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न राज्यों की समस्याएं अलग-अलग हैं, वहां सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक प्रणालियों में अनेक विविधताएं हैं। इस प्रकार की स्थिति का प्रभावशाली ढंग से समाधान करने के लिए हमें बहु-दलीय प्रणाली की आवश्यकता है। एक दलीय शासन इस देश में असफल हो गया है और इसके परिणामस्वरूप अनेक क्षेत्रीय दलों ने जन्म ले लिया है। ये क्षेत्रीय दल विभिन्न राज्यों के हितों की रक्षा करते रहे हैं। मैं इस बात का भी उल्लेख करना चाहूंगा कि 45 वर्ष के कांग्रेसी शासन के बावजूद इन समस्त समस्याओं को हल नहीं किया जा सका और यह समाज के विभिन्न सुविधाविहीन वर्गों के लोगों को अधिकार प्रदान करने में विफल रहा है। कांग्रेस पार्टी ने कई सरकारों को गिराने का काम किया है। मैं श्री चरण सिंह और श्री चन्द्र शेखर के दिनों में वापिस नहीं जाना चाहता। अभी हाल के दिनों में, जैसा कि आप सबको विदित है, कांग्रेस पार्टी ने श्री देवेगौड़ा और श्री आई०के० गुजराल की सरकारों को गिराया है। कांग्रेस पार्टी को इससे सबक लेना चाहिए कि इन अलोकतान्त्रिक कामों की उसे क्या कीमत चुकानी पड़ी है। कांग्रेस पार्टी का विघटन 1991 से आरम्भ हुआ। 1991 में उसके पास 250 सीटें थीं। 1996 में इस सम्मानित सभा में घटकर 142 रह गई। 1998 में पुनः यह संख्या घट कर 140 पर आ गई। इस आशा में कि यह अपनी संख्या बढ़ा सकती है और अपना भविष्य सुधार सकती है, उसने फिर वाजपेयी सरकार को गिरा दिया। परन्तु आखिरकार देश की जनता ने इसके संदस्यों की संख्या घटा कर 112 कर दी। अब जबकि श्रीमती सोनिया गांधी ने बेल्लारी सीट से त्यागपत्र देने का निर्णय कर लिया है, तो यह संख्या घट कर 111 हो गई है *(व्यवधान)* भारतीय जनता पार्टी कम-से-कम अपनी सीट-संख्या बनाए रखने में तो सफल रही है, जबकि कांग्रेस की संख्या घट कर 140 से 111 रह गई है।

मध्याह्न 12.00 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

महोदय, 111 की संख्या, इन वर्षों के दौरान कांग्रेस पार्टी के लगातार छलपूर्ण रवैये का प्रतीक है। इससे केवल इसी बात का पता चलता है। इस देश की शासन व्यवस्था ने उनके प्रतिनिधित्व हेतु इस संख्या को ठीक ही चुना है। यदि इसी तरह कांग्रेस अलोकतान्त्रिक ढंग से सरकार को गिराने के काम में लगी रही, तो वह दिन दूर नहीं, जब कांग्रेस पूरे देश के राजनीतिक पटल से गायब हो जायेगी। मुझे अभी-अभी यह तथ्य ध्यान में आया है। कि 114 वर्ष पूर्व एक विदेशी, एनी बेसेंट ने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। अब, 114 वर्ष पश्चात् वही स्थिति फिर से उत्पन्न हो गई है जब शायद यह पार्टी समाप्त हो जाएगी।

चुनाव खत्म होने के पश्चात् कांग्रेस नेतृत्व अप्रसन्न हुआ था, परन्तु यही नेतृत्व, विशेष रूप से आन्ध्र-प्रदेश में, इस बात से प्रसन्न हुआ कि कांग्रेस के पुराने पड़ चुके तथा थके मांदे नेता इस चुनाव में गायब हो गए हैं। यह उनके लिए सबसे खुशी की बात है।

[प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु]

चुनाव पश्चात् किए गए विश्लेषण में आन्ध्र प्रदेश के प्रदेश कांग्रेस नेता ने इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया है कि आन्ध्र प्रदेश में मतदान कांग्रेस के विरुद्ध नहीं हुआ, श्री चन्द्रबाबू नायडू अथवा ते०दे०पा० के पक्ष में नहीं हुआ, बल्कि यह तो श्री वाजपेयी के लिए हुआ है। मैं इस वक्तव्य का प्रतिविवाद नहीं कर रहा, परन्तु जब एक बार इस बात का उल्लेख किया जा चुका है कि यह मतदान श्री वाजपेयी के लिए हुआ, तो भारत के राजनीतिक इतिहास में, आज की राजनीति में श्री वाजपेयी के महत्व को भलीभांति समझा जा सकता है।

इसके विपरीत, गलती से इस बात का उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस नेतृत्व श्री वाजपेयी के बराबर नहीं रहा। अत:, कांग्रेस को इस प्रकार के नेतृत्व की आवश्यकता पड़ी।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि केन्द्र में श्री वाजपेयी तथा आन्ध्र प्रदेश में राज्य स्तर पर श्री नायडू ने अच्छे परिणाम प्राप्त किए हैं। जब चुनाव प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई थी, तभी यह स्पष्ट हो गया था कि श्री नायडू के गतिशील नेतृत्व में ते०दे०पा० अपनी दूरदृष्टि एवं राज्य की अर्थव्यवस्था के चहुंमुखी विकास के लिए किए गए कार्यों के कारण पुन: सत्ता में आयेगी। तेलुगु देशम पार्टी ने विगत चार वर्षों के दौरान जो पहल की है, उसमें प्रजला वड्डाकु पालना है, जिसके अन्तर्गत सारे सरकारी तन्त्र को गांवों तक ले जाया गया जहां सरकारी तंत्र और ग्रामीण लोगों के बीच, मेल-जोल के लिए एक मंच तैयार किया गया और जिसने वास्तव में अच्छा काम किया। इसमें श्रमदानम जन्मभूमो शामिल है, स्व-सहायता समूह शामिल है जिसके अन्तर्गत वाटर यूज़र्स एसोसिएशन बनाया, स्कूल शिक्षा कमेटी, वन संरक्षण समिति, वाटरशेड प्रोग्राम, मदर्स कमेटी, डी०डब्ल्यू०ए०सी०आर०ए० और डी०डब्ल्यू०ए०सी०डब्ल्यू०ए०, सी०एम०ई०वाई० जैसे अन्य कार्यक्रम युवाओं के लिए तैयार किए जिनके द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों को प्रेरित किया गया। इन सभी कार्यक्रमों में मुख्य रूप से जोर लोगों की भागीदारी पर दिया गया।

यही वह विशिष्ट पहलू रहा जिसने लोगों में आत्म-विश्वास पैदा किया और लोगों के मन में हमारी पार्टी के प्रति विश्वसनीयता का माहौल तैयार किया। इससे राज्य में पूर्णत: सरकार विरोधी होने से बचाव हुआ। राजनीतिक रूप से सरकार-समर्थक माहौल पैदा हुआ जिससे तेलुगु देशम पार्टी फिर से सत्ता में आने में सफल हुई।

महोदय, भ्रष्टाचार और अपराधिकरण के विरुद्ध उनके संघर्ष ने राज्य के विभिन्न वर्गों में असीम आत्म-विश्वास जगाया। उन्होंने जो अन्य कार्य किए उसमें मुख्य मंत्री द्वारा गांवों का अचानक दौरा किया जाना, फाईल क्लीयरेंस सप्ताह, 'अपने मुख्य मंत्री से बात करें' (डायल इयोर चीफ मिनिस्टर) आदि शामिल थे। मुख्यमंत्री द्वारा दिन में अठारह घण्टे तक कार्य करना आदि से लोगों में आशाएं जागृत हुईं। अन्य अनेक वर्गों को शक्तिसम्पन्न बनाने के लिए कुछ विशेष कार्यक्रमों का प्रस्ताव किया गया जिसमें अनुसूचित जातियों के लिए मुण्डाडुगु कार्यक्रम, अनुसूचित जनजातियों के लिए चैतन्यम्, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आदरना, अल्पसंख्यकों के लिए तत्काल और रोशनी कार्यक्रम शामिल हैं और महिलाओं को रसोई गैस के कनेक्शन देने हेतु दीपम् कार्यक्रम बनाए गए। वास्तव में, इन सब कार्यक्रमों ने श्री चन्द्रबाबू नायडू के नेतृत्व में नई आशा पैदा की, जो अब राज्य के निर्विवाद नेता बन गए हैं। पूरे देश ने चुनाव के परिणाम देखे हैं। वे पथ-प्रदर्शक बन गए हैं और यह सिद्ध कर दिया है कि आपराधिक प्रवृत्ति को नहीं, अपितु कार्य-संस्कृति को स्वीकार किया जाएगा, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में।

वास्तव में, डी०डब्ल्यू०ए०सी०आर०ए० के माध्यम से महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने के अभियान ने आन्ध्रा प्रदेश की महिलाओं में क्रांति ला दी है। हाल के चुनावों में 33 सीटें विधान-सभा में तथा 5 सीटें संसद् में देकर महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाए जाने के कारण तेलुगु देशम पार्टी को महिलाओं का मौन समर्थन मिला है। महोदय, हम उन महिलाओं के प्रति, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश की महिलाओं के प्रति, अपना आभार व्यक्त करते हैं। जिन्होंने हमें अपना समर्थन दिया। महोदय, यह तेलुगु देशम पार्टी और चन्द्रबाबू नायडू का कार्यनिष्पादन और विश्वसनीयता ही थी जिसके कारण हाल के चुनावों में इस पार्टी को महान विजयश्री मिली, चाहे राज्य में कांग्रेस नेतृत्व ने हमारे मुख्य मंत्री के विरुद्ध विद्वेषपूर्ण प्रचार किया और गलत अभियान चलाए। महोदय, राज्य के कांग्रेस नेतृत्व ने ऐसे अनेक अव्यावहारिक वायदे किए, जिन पर राज्य के लोगों ने विश्वास नहीं किया। अत:, ये परिणाम सारे देश के लिए युगान्तरकारी सिद्ध हुए हैं।

महोदय, अब मैं कारगिल युद्ध और उसके घटनाक्रमों का जिक्र करना चाहता हूं। इस अवसर पर मैं उन सभी सशस्त्र बलों का अभिवादन करता हूं जिन्होंने हमारी सीमाओं की रक्षा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार भगाया। हमें श्री वाजपेयी और उनकी सरकार को बधाई देनी चाहिए, जिन्होंने सही समय पर सही कदम उठाए। सरकार को इस बात के लिए भी बधाई दी जानी चाहिए कि उन्होंने सभी देशों का समर्थन जुटाने में कूटनीतिक सफलता हासिल की जिससे सशस्त्र बलों का मनोबल बढ़ा। साथ ही, कारगिल युद्ध के दौरान कई प्रकार की बातें भी की गईं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उन्होंने संकटकाल के दौरान भी राजनीतिक लाभ प्राप्त करने की कोशिश की।

इस संबंध में जांच के आदेश देने तथा मामले पर चर्चा के लिए राज्य सभा की बैठक बुलाने की उनकी मांग नहीं मानी जा सकी।

मैं यहां यह बताना चाहता हूं कि जब हैदराबाद में आंध्र प्रदेश सरकार ने भारत सरकार और उसके प्रयासों तथा सशस्त्र सेनाओं द्वारा सीमा पर संघर्ष के प्रति एकात्मता प्रदर्शित करने के लिए एक रैली आयोजित की तो कांग्रेस ही ऐसा दल था जिसने घोषणा की कि किसी को भी रैली में भाग नहीं लेना चाहिए और वह रैली से अलग रहा। आंध्र प्रदेश में अन्य सभी वर्गों के लोगों ने रैली में भाग लिया। कांग्रेस को छोड़कर जिसने रैली से अलग रहने का आह्वान किया, 25000 से अधिक लोगों ने रैली में भाग लिया जिसमें बच्चे भी शामिल थे। हम इस संबंध में उनका दृष्टिकोण नहीं समझ सकते क्योंकि वह रैली आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित की गई थी न कि तेलुगु देशम पार्टी अथवा श्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा। मुझे ऐसा कोई कारण समझ नहीं आ रहा कि सशस्त्र सेनाओं के साथ एकात्मता प्रदर्शित करने में कांग्रेस को रैली के विरुद्ध आह्वान करके रैली से अलग क्यों रहना चाहिए। हम इस मुद्दे पर कांग्रेस का दृष्टिकोण समझ नहीं पा रहे हैं।

[प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु]

राष्ट्रपति के अभिभाषण में महिलाओं के आरक्षण का ठीक ही उल्लेख किया गया है। तेलुगू देशम पार्टी सभी विधायी मंचों पर महिलाओं के लिए निश्चित रूप से 33 प्रतिशत आरक्षण का समर्थन करती है। बहुत पहले 1987 में श्री एन०टी० रामा राव तत्कालीन मुख्य मंत्री और पार्टी के अध्यक्ष ने आंध्र प्रदेश में सभी स्थानीय निकायों के चुनावों 9 प्रतिशत तक आरक्षण दिया था। संभवत: किसी अन्य राज्य की तुलना में सबसे पहले महिलाओं के लिए स्थानीय निकायों के चुनावों में आरक्षण दिया गया था। आंध्र प्रदेश ने राज्य विधान सभा में एक संकल्प भी पारित किया था और इसे कानून बनाने तथा सभी चुनावों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने के लिए एक विधान लाने के लिए भारत सरकार के पास भेजा था। अब यह किसी विशेष राजनीतिक दल का मामला नहीं है। लगभग सभी दल सुस्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए सभी सांविधिक निकायों में चुनाव में 33 प्रतिशत राजनीति आरक्षण होना चाहिए। महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण देना अब एक राष्ट्रीय मामला बन गया है और अब यह किसी विशेष राजनीतिक दल का मामला नहीं रहा। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय राष्ट्रपति द्वारा अपने भाषण में इसके बारे में अलग से उल्लेख किया गया है।

मैं पोप जॉन पॉल की भारत यात्रा के बारे में भी कहना चाहता हूं जो कि अब देश में एक प्रमुख विषय बन गया है। तेलुगू देशम पार्टी इस देश के धर्म-निरपेक्ष स्वरूप में तथा धर्म-निरपेक्ष पहचान को बनाए रखने में विश्वास करती है। तेलुगू देशम पार्टी धार्मिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में भी विश्वास करती है। परन्तु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वि०हि०प० तथा कुछ अन्य संगठन पोप जॉन पॉल की इस वर्ष नवम्बर में होने वाली यात्रा के बारे में कुछ विवाद उत्पन्न कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार मैत्रीपूर्ण और अनुकूल वातावरण बनाने के लिए पहल करे जिससे कि विश्व में इस महान देश की प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। हमारे मुख्य मंत्री श्री चन्द्रबाबू नायडू ने इस विषय में पहल करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री को एक पत्र भेजा है।

मैं यहां कहना चाहता हूं कि चार सौ वर्ष पहले पुर्तगाली शासन के दौरान घटित किसी घटना के लिए पोप जॉन पॉल से क्षमा-याचना की मांग करते हुए हमें ईसाई मिशनरियों द्वारा पहली बार यहां आने पर पश्चिम बंगाल के सेरामपुर क्षेत्र में औषध तथा शिक्षा के क्षेत्र में की गई सेवाओं को नहीं भूलना चाहिए। इस विषय में पं० जवाहर लाल नेहरू द्वारा लिखित पुस्तक "दि डिस्कवरी और इंडिया" में पर्याप्त उल्लेख किया गया है। अत: जब उस समय ऐसा सौहार्दपूर्ण माहौल बनाया गया था तो इसे अब भी जारी रखना चाहिए।

महोदय, अब मैं राष्ट्रीय कृषि नीति के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। यह देश में बहु-प्रतीक्षित नीति है। हम इस विशेष पहलू के संबंध में राग अलाप रहे हैं कि देश में एक राष्ट्रीय कृषि नीति होनी चाहिए। ऐसा देश जिसमें बहुत पहले 1977 में राष्ट्रीय औद्योगिक नीति बन गयी थी और इतना बड़ा देश जिसमें 70 प्रतिशत आबादी मात्र कृषि पर निर्भर है उसमें राष्ट्रीय कृषि नीति नहीं बनी है। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के समय में राष्ट्रीय कृषि नीति बनाने के लिए भानु प्रताप सिंह समिति और हनुमंतराव समिति नाम की दो समितियों का गठन जांच करने तथा विशेष सिफारिशें करने के लिए किया गया था। लगभग बारह वर्ष बीत गये हैं।

अभी तक सिफारिशों की जांच नहीं की गयी है। अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। इस देश में अब यह बहुत आवश्यक हो गया है कि एक राष्ट्रीय कृषि नीति लाई जाए। जब उस नीति में प्रतिभूतियां प्रदान की जाएं तो खेतिहरों को महत्व और वरीयता दी जानी चाहिए। हनुमंतराव समिति ने सुस्पष्ट रूप से सिफारिश की थी कि कृषि को उद्योग के बराबर दर्जा दिया जाना चाहिए। यह भी नहीं किया गया।

हम उर्वरकों के मूल्यों के बारे में सुनते आ रहे हैं। हम समाचार पत्र देखते रहे हैं जो बताते हैं कि खाद्य और उर्वरकों पर जो आर्थिक सहायता उपलब्ध हैं उन्हें वापिस लिए जाने की संभावना है। यदि उर्वरक पर आर्थिक सहायता को छूते हैं तो यह अनर्थकारी हो सकता है। यदि कृषि फसलों को ठीक प्रकार से नहीं रखा जाता और उन्हें उर्वरक नहीं दिए जाते तो यह आत्मघाती साबित होगा। हमारा एक ऐसा देश है जहां उर्वरकों का प्रयोग जापान, अमेरिका, जर्मनी इत्यादि को एक तरफ छोड़ भी दें तो पड़ोसी देश पाकिस्तान और बंगलादेश की तुलना में सबसे कम है। जापान में हमसे चार गुना अधिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। हम औसतन प्रति हैक्टेयर 140 किलोग्राम उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं जबकि जापान में प्रति हैक्टेयर 560 किलोग्राम प्रयोग कर रहे हैं। यहां तक की जब उत्पादकता के क्षेत्र की बात आती है हम जापान के 6000 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर के मुकाबले में 1400 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर प्राप्त करते हैं। उर्वरक के उपयोग तथा फसलों की उत्पादकता के बीच सीधा संबंध है। यदि उर्वरकों के उपयोग को उचित प्रोत्साहन नहीं दिया गया तो स्वाभाविक रूप से उर्वरकों के उपयोग में बहुत असंतुलन पैदा हो जाएगा जोकि विनाशकारी साबित होगा। यदि अधिकांश भूमि पर असंतुलन दूर नहीं किया जाता तो इसके अनर्थकारी प्रभाव होंगे।

मैं कृषि मूल्य आयोग के विषय में भी कहना चाहता हूं जिसमें कि खेतिहरों को उचित रूप से प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। इसकी समीक्षा होनी चाहिए और इसे वास्तविक बनाने के लिए खेतिहरों को और अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए जिससे कि वास्तविक तस्वीर प्रतिबिंबित हो सके।

जहां तक केन्द्र और राज्यों के संबंधों का प्रश्न है हमें सिर्फ सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर ध्यान देना चाहिए जोकि अभी तक देश में लागू नहीं की गई। यही बात गाडगिल फॉर्मूला तथा लाकड़ावाला की सिफारिशों के विषय में है जिनकी समीक्षा की आवश्यकता है। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने बहुत पहले चावल योजना में आर्थिक सहायता प्रारंभ की थी। दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों को कानूनी रूप नहीं दिया गया जिसमें कहा गया है कि सकल आय का 29 प्रतिशत राज्यों को जाना चाहिए। सरकार को उन पर समुचित कार्रवाई करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रेड्डी, आपने लगभग 35 मिनट ले लिए हैं। यह बहस सायं 5.00 बजे तक संपन्न होनी है और माननीय नेताओं को अभी इसमें भाग लेना है। मैं आपको ऐसे अनुमति नहीं दे सकता।

प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : महोदय, यह मेरा अंतिम प्रश्न है। तिहत्तरवें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज प्रणाली को आरंभ किया गया था। परंतु *मण्डल परिषद्* प्रादेशिक समिति तथा *जिला परिषद्* प्रादेशिक समिति के गठन के बाद इसमें बहुत भ्रम हो गया है। वर्तमान पंचायत राज और म०प०प्रा०स० तथा जि०प०प्रा०स० तीन प्रकार

[प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलू]

की व्यवस्थाओं के कार्य क्षेत्र अधिकांशत: एक जैसे हैं इसलिए इसकी समीक्षा की आवश्यकता है। यदि आवश्यक हो तो पुन: एक संशोधन लाया जाए जिससे कि पंचायती राज प्रणाली में थ्री-टियर प्रणाली को बहाल किया जा सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं। मैं पुन: उपाध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने बड़ी कृपा की कि बहुत जल्दी ही मुझे बोलने का समय दे दिया और हम यही चाहते थे। जहां तक नई सरकार का सवाल है, इसे हम नई सरकार नहीं मानते, वही प्रधान मंत्री, वही गृह मंत्री, वही विदेश मंत्री, वही रक्षा मंत्री, वही वित्त मंत्री, उनके विभाग तक नहीं बदले। यह वही पुरानी सरकार है *(व्यवधान)* इस पर जो कहा जाता है, वह कहावत तो पुरानी हो गई है कि नई बोतल में पुरानी शराब। लेकिन यह वही पुरानी सरकार है और वही सरकार है जिस सरकार पर कारगिल की लड़ाई का अपराध है और जिस कारगिल की लड़ाई के कारण हमारे निर्दोष जवान शहीद हुए। इसकी लापरवाही, अनभिज्ञता, अदूरदर्शिता, विदेश नीति या कूटनीति की असफलता के सब जगह प्रमाण हैं। हमने इसलिए इस मुद्दे को पहले उठाया क्योंकि इस चुनाव में मुख्य तौर पर आपके दो ही मुद्दे थे — एक कारगिल की जीत— आपरेशन विजय और दूसरा स्थाई सरकार। लेकिन अफसोस यह है कि हमारे इधर के कुछ मित्रों की भी यही मांग थी। हमारे कांग्रेस के मित्र भी स्थायी सरकार मांग रहे थे और आप भी स्थायी सरकार मांग रहे थे। लेकिन हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा कि हमें सिर्फ एक वोट चाहिए, सिर्फ एक वोट *(व्यवधान)* क्या बी०जे०पी० के लोग अब भी मुझे टोकेंगे, हमने अपनी नीतियों और उसूलों के आधार पर काम किया और हमारी वजह से जिन्होंने फायदा उठाना था, उठा लिया। मुझे शांति से सुनिये। उन्होंने पूरे देश में कहा कि एक वोट चाहिए। हिंदुस्तान बड़ा विचित्र और संवेदनशील है। उपाध्यक्ष महोदय, जब एक वोट कहा तो एक वोट की भीख हिन्दुस्तान की जनता ने दे दी और भारतीय जनता पार्टी की 181 के स्थान पर 182 सीटें हो गईं। एक वोट की आखिर भीख दया पर मिल गई, जो कटोरा लेकर चारों तरफ घूमें कि कटोरे में डाल दो, वह मिल गई। लेकिन इनका बहुमत नहीं है। यह पूरा दिखावा है। अभी तेलुगु देशम के माननीय सदस्य बोल रहे थे कि यह स्थायी सरकार नहीं है। चूंकि आज अकाली दल सरकार में शामिल नहीं है, राष्ट्रीय लोकदल शामिल नहीं हैं, तेलुगु देशम शामिल नहीं हैं। इसलिए यह एक बालू की भीत है, कभी भी बिखर सकती है और यह बिखरेगी, यह सरकार नहीं चलेगी। हम कोई ज्योतिषी नहीं हैं, हम भविष्यवाणी नहीं करते, लेकिन ऐसे राजनीतिक विश्लेषण हैं, जिसके चलते यह सरकार नहीं चलेगी। लेकिन कारगिल के मुद्दे पर हम जरूर कहना चाहते हैं, जिसे आपने मुद्दा बनाया था, आप आपरेशन विजय जीत गये और दूसरी बात आपने कही और भाषण में भी कहा गया कि इस लड़ाई के कृष्ण प्रधान मंत्री हैं। आज प्रधान मंत्री जी अस्वस्थ हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि वे जल्दी स्वस्थ हो जाएं और इसी के साथ महामहिम राष्ट्रपति जी की लम्बी उम्र की भी हम कामना करते हैं। हम चाहते थे कि हमारे प्रधान मंत्री जी इतने स्वस्थ हो जाएं कि शाम को वे जवाब दे सकें, लेकिन हमें लगता है कि वे ऐसा नहीं कर पाएंगे और शायद गृह मंत्री जी इस बहस का जवाब देंगे। इस प्रकार जब कृष्ण बना लिया प्रधान मंत्री जी को, तो फिर यह भी पता होना चाहिए कि अर्जुन कौन था, फिर यह भी बताया जाना चाहिए कि गोपिकाएं कौन थी ? यह हंसी की बात नहीं है। मैं गंभीरता से बोल रहा हूं। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं। ऐसा महाभारत हुआ लेकिन सरकार की गलती से, सरकार की लापरवाही से हमारे निर्दोष जवान शहीद हुए और कहते हैं कि हमारी जीत हुई। यदि जीत हुई, तो बताया जाए कि पाकिस्तान की कितनी जमीन पर कब्जा किया। आपको बताना होगा कि हमारे जवान हमारी अपनी जमीन पर, हमारी अपनी मिट्टी में शहीद हुए या पाकिस्तान की जमीन पर शहीद हुए। और फिर आपको खबर कब मिली, खबर मिलने के बाद आपने कब कार्रवाई की। अगर मार्च महीने में आपको पता चल गया, या किसी एजेंसी के माध्यम से पता चल गया था कि लेह और कारगिल के इलाके में पाकिस्तान की घुसपैठ हो रही है, तो फिर आपने कब कार्रवाई शुरू की। हालांकि मेरी राय में यह घुसपैठ नहीं है, पहले 100, फिर 200, फिर 500 और 700 तथा अन्त में पता चला कि 5000 की संख्या में पाकिस्तान की सेना पहुंच गई और उसने एक साल का खाने का इंतजाम किया, लड़ाई का सामान ले गए, फिर आप घुसपैठियों की बात क्यों कर रहे हैं। यह तो पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाओं का हमला आपके देश के ऊपर हुआ और हम लोगों की जानकारी होते हुए भी माननीय रक्षा मंत्री ने अगस्त के प्रथम सप्ताह में कहा था कि कारगिल या लेह के आसपास कुछ गतिविधियां हुई हैं और पाकिस्तानी फौजों का प्रवेश हो रहा है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपने कार्रवाई की ?

उपाध्यक्ष महोदय, हम आपको बताना चाहते हैं कि पोखरण परमाणु विस्फोट के बाद, जो थल सेना की पेट्रोलिंग हर महीने होती थी, उसको तीन महीने के बाद करने का काम क्यों किया ? मैं रक्षा मंत्री रहा हूं। इसलिए मेरी जानकारी है कि थल सेना की पैट्रोलिंग पहले हर महीने होती थी, लेकिन एक महीने के बजाय उसे तीन महीने कर दिया गया। क्या उन्हें भारत की सीमा में प्रवेश करने का मौका दिया गया ? इस सरकार के ऊपर हमारे जवानों के शहीद होने का कलंक पूरी तरह से आता है। आपकी अनभिज्ञता और जानकारी के बिना युद्ध हो गया। उस युद्ध में नवाज शरीफ हटे, फौजी शासन आया, लोकतंत्र खत्म हुआ। यदि दुनिया में लोक तंत्र खत्म हुआ, तो उसकी जिम्मेदारी इस सरकार की है। मुझे इस का बड़ा अफसोस होता है कि हमारे रक्षा मंत्री, जब हम लोग उनके साथ थे, दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र पर हमला होता था तो हम सब लोग, समाजवादी लोग, एक साथ लोक तंत्र के पक्ष में टूट पड़ते थे क्योंकि हम लोकतंत्र के हामी हैं। *(व्यवधान)* आप जानते हैं कि जब मैं बोलता हूं, तो बी०जे०पी० में बेचैनी होती है और रहेगी। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें अब बुरा भी नहीं लगता है। इस प्रकार से पाकिस्तान में लोकतंत्र खत्म हुआ, लेकिन रक्षा मंत्री महोदय ने पहले बयान दिया कि यह पाकिस्तान का आन्तरिक मामला है। यदि रक्षा मंत्री की जगह और कोई कहता, गृह मंत्री कह देते, तो मुझे कोई अफसोस नहीं होता, लेकिन रक्षा मंत्री का बयान पढ़ा कि यह पाकिस्तान का आन्तरिक मामला है, उससे बड़ा अफसोस हुआ। महोदय, दुनिया के किसी भी मुल्क में लोक तंत्र की हत्या होगी, तो उसके पक्ष में भारत खड़ा होता रहा है, होता रहेगा, यह उसकी नीति है।

कभी-कभी इसका खंडन होता है, कुछ और बात कही जाती है या तोड़ा मरोड़ा जाता है, वह अलग बात है। पहली प्रतिक्रिया रक्षा मंत्री जी आपको नहीं देनी चाहिए थी। आप वही समाजवादी हैं जिसने डा० लोहिया के नेतृत्व में काम किया है। उनकी सात क्रांतियों को आपने बोला व पढ़ा है और आप आज भी उनके शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हम आज कहना चाहते हैं कि कारगिल की लड़ाई की जिम्मेदारी इस सरकार पर है। इस लड़ाई में अगर कोई जीता है तो हमारी बहादुर सेना जीती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हारी है। अगर आप जीते हैं तो आपने पाकिस्तान की फौज को वापस जाने का मौका क्यों दिया। पाकिस्तान के अंदर कहा गया कि हम खदेड़कर आये हैं और आरोप आपने नवाज शरीफ़ पर लगा दिया। पाकिस्तान की फौज की जो वापसी हुई है, वह आपकी वजह से नहीं हुई है। वह अमरीका के राष्ट्रपति श्री क्लिंटन की धमकी से हुई है। उनसे नवाज शरीफ वायदा करके आये थे इसलिए उनकी फौज की वापसी हुई।

हम कहना चाहते हैं कि जब हमारे जवान शहीद हो रहे थे तब आपने क्यों कह दिया कि पाकिस्तान की सेना सुरक्षित वापिस जा सकती है। हमारी बिल्कुल पक्की राय है कि जब हमारे जवान शहीद हो रहे थे तो पाकिस्तान की सेना को सुरक्षित वापिस नहीं जाने देना चाहिए था। हमारे जवान शहीद हों और पाकिस्तान की सेना सुरक्षित वापिस चली जाये – यह ठीक नहीं है। आप कहते हैं कि पाकिस्तान के एजेंट मुलायम सिंह हैं तब आप सोचिए कि पाकिस्तान का एजेंट कौन है, जिन्होंने पाकिस्तान की सेना को सुरक्षित वापस जाने का मौका दिया और ऐसा बयान दिया। उस वक्त हमने बयान दिया था कि फौज का मनोबल नहीं गिराना चाहिए।

आज यह सही है कि हमारे भारत की बहादुर सेना दुनिया की सबसे बहादुर सेना है। वह पाकिस्तान की सेना को खदेड़ देती। मुझे मालूम है कि जिस तरह की लड़ाई हो रही थी, उसके चलते हमारे जवान ज्यादा शहीद होते लेकिन हमारी सेना के माथे पर चार चांद लग जाते कि इसने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा है लेकिन आपकी गलत नीतियों के कारण, सरकार की कायरता के कारण, सरकार के निकम्मेपन के कारण हमारी बहादुर सेना को जो श्रेय मिलना था, वह नहीं मिल सका।

जहां तक कारगिल का मुद्दा था, उससे कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ, वह अलग बात है लेकिन हम इस देश की बहादुर सेना को पूरी तरह से बधाई देते हैं और उन शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। ...*(व्यवधान)* नहीं देने देंगे। जवानों से इनको क्या वास्ता है ...*(व्यवधान)* कौन से जवान हैं इनके, यह हमसे पूछिये। हमारे लोग सीमा पर खड़े हैं, इसलिए हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। आपने सहानुभूति बटोरने और नायक बनने की कोशिश की। रक्षा मंत्री जी बैठे हैं, सदन बैठा हुआ है। मुझे लगता है कि गृह मंत्री जी आज आप ही जवाब देंगे। आप बताइये कि नायक कौन होता है? नायक वह है जिसको इस लड़ाई में परमवीर चक्र मिला है। आप बताइये कि आपके किसी मंत्री या प्रधान मंत्री को परमवीर चक्र मिला है? *(व्यवधान)* नायक बता दिया, नायक वह है जो इस मातृभूमि के लिए शहीद हुआ और दुश्मन की जमीन पर आगे बढ़ने में जिसने अपनी जान कुर्बान की, वह हमारा नायक है। सरकार का कोई मंत्री या प्रधान मंत्री नायक नहीं हो सकता है। जिसको परमवीर चक्र मिला है, वही नायक है।

जहां तक विदेश नीति का सवाल है, आपको सहानुभूति मिली है। आप कृपा करेंगे तो बहुत सारी बातें आ जायेंगी लेकिन हम यही चाहते हैं कि कारगिल के इस युद्ध के सवाल पर आपको दो दिन का विशेष सत्र बुलाकर उस पर बहस करानी चाहिए ताकि सारे तथ्य सामने आ जायें। सहानुभूति किस देश की मिली है, वह भी आपके जवाब में स्पष्ट होना चाहिए। वास्तविकता यह है कि आपको कोई सहानुभूति नहीं मिली है। जो अमरीका की सहानुभूति की बात करते थे, अब तो पता चल गया है कि जनरल मुशर्रफ को सहानुभूति मिली है। आज पाकिस्तान में लोकतंत्र खत्म हुआ है। आपको सावधान होना चाहिए था। जब प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान गए थे तो वहां की तीनों सेना के अध्यक्षों ने सीमा पर हमारे प्रधानमंत्री का स्वागत करने से मना कर दिया था। तब ही आपको सावधान हो जाना चाहिए था कि हिन्दुस्तान के बारे में पाकिस्तान की सेना की नीयत क्या है। आपने सहानुभूति खोई है। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भी कश्मीर का सवाल उठाया, सारे मुस्लिम देश के लोग हिन्दुस्तान के साथ खड़े हो जाते थे। क्या आज वे आपक साथ खड़े हैं? क्या पाकिस्तान के पास पैसा इकट्ठा नहीं हो रहा है? बताइए, अब आपके साथ कौन खड़ा है और यदि खड़ा है तो पाकिस्तान के पास पैसा इकट्ठा क्यों हो रहा है? आपको किसी की सहानुभूति नहीं मिली है।

जहां तक बहुमत का सवाल है, यह बहुमत आपका नहीं है, एक वोट की वजह से मिल गया है। इसका एक कारण यह रहा कि आपने लोकतंत्र की सारी मान्यताओं को तिलांजलि दी। जब चुनाव आयोग ने प्रतिबंध लगाया तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और ऐग्ज़िट पोल को स्वतंत्रता के नाम पर छूट दी। ऐग्ज़िट पोल का लाभ आपने और कांग्रेस पार्टी ने उठाया। इसका सबसे ज्यादा खामियाज़ा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा। ...*(व्यवधान)* जब प्रथम चक्र हुआ तो कहने लगे कि समाजवादी पार्टी को एक सीट और कांग्रेस पार्टी को 13 सीट। लड़ाई कांग्रेस और बी०जे०पी० के बीच रह गई है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और बी०जे०पी० पार्टी एक-दूसरे के खिलाफ थे। दोनों ने यह साबित किया कि यह लड़ाई हम दोनों के बीच है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथ और कांग्रेस बी०जे०पी० के साथ, दोनों मिले-जुले और दोनों के पक्ष में ऐग्ज़िट पोल। यह जरूर है कि हमें कम से कम पन्द्रह सीटों का नुकसान हुआ, प्रथम चक्र में एक और दूसरे चक्र में एक या दो और कुल मिलाकर पांच-छः सीट, समाजवादी पार्टी पर लगातार यह हमला। क्या ऐग्ज़िट पोल में कभी यह कहा गया कि टी०डी०पी० हार रही है या जीत रही है? ...*(व्यवधान)* आपके खिलाफ क्या था, आप तो इनके साथ थे। मुझे खुशी हुई कि कम से कम हमारे दादा सोमनाथ चटर्जी ने कल यह कहा कि यह सरकार जो यहां बैठी है, यह देश का दुर्भाग्य है। ...*(व्यवधान)* दुर्भाग्य है तो आप मंथन कीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि किसी ने बनवाई है तो वह कांग्रेस पार्टी है और उसके साथ आप जुड़े हुए थे। ...*(व्यवधान)* बी०जे०पी० और कांग्रेस पार्टी, दोनों की नीति एक है। कल बीमा बिल में देखा की दोनों एक हैं, हिन्दुत्व के प्रस्ताव पर दोनों एक हैं, कितने गिनाऊं, समय कम है, दोनों की विचारधारा, चिन्तन, राजनैतिक चरित्र एक है। इसलिए बेहतर यह है कि जितने सैकुलर हैं, वे निकलकर इधर आ जाएं और बी०जे०पी० और कांग्रेस की मिलकर सरकार बने। तब देश में सैकुलरिज्म की लड़ाई हो सकती है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ...*(व्यवधान)* नहीं, देश के अन्दर प्रधान मंत्री तो वही रहेंगे। प्रधान मंत्री वही रहेंगे, आप आइये, मंत्री बनिये। ...*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : ये बसपा वाले क्या करेंगे, दूसरे क्या करेंगे ? ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : दोनों एक हों, हम यह चाहते हैं। जार्ज साहब, आज आप वहां बैठे हो, हो लिए रक्षा मंत्री, हो लिए रेल मंत्री ...*(व्यवधान)* आदरणीय शुक्ला जी, आप क्या कहना चाहते हैं, ...*(व्यवधान)*

श्री श्यामा चरण शुक्ला (महासमुन्द) : भारतीय जनता पार्टी को कायम करने का सबसे ज्यादा श्रेय इतिहास किसी को देगा, आज का भारत दे रहा है मुलायम सिंह जी को, और किसी को नहीं। ...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : मुलायम सिंह जी ने तो अच्छा काम किया है, विदेशी के हाथ में शासन नहीं जाने दिया। ...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरी) : मुम्बई में एक कहावत है कि भेड़ को अंगूर खट्टे लगते हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कहावत नहीं कहें। आप कहिये न। आप यील्ड करेंगे तभी वे बात करेंगे। टाइम बिल्कुल नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : मैं उसके लिए तैयार नहीं हूं। इतिहास कांग्रेस को कलंकित करेगा। अगर आदरणीय शुक्ला जी यह कहना चाहते हैं कि इतिहास लिखा जायेगा तो 1949 में मूर्तियां रखवाने वाला कौन था, ताला खुलवाने वाला कौन था, शिलान्यास करवाने वाला कौन प्रधान मंत्री था, मस्जिद गिरी, तब कौन प्रधान मंत्री थी। इस तरह आपकी गलत नीतियों के कारण भारतीय जनता पार्टी लाभ उठा रही है। हिन्दुस्तान के अन्दर कोई कलंकित है तो कांग्रेस पार्टी है, आप इस पर बहस मत करिये। सारे देश के अन्दर अगर किसी ने भारतीय जनता पार्टी को ताकत दी है तो कांग्रेस पार्टी की गलत नीतियों के कारण दी है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री श्यामा चरण शुक्ल, वह अपनी बात खत्म नहीं कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : आप यह कहते रहिये, लेकिन जनता ने बता दिया कि कौन है। आपने तो एग्जिट पोल में कहा कि सारे मुसलमान भाग गये, सारे बैकवर्ड क्लास के लोग भाग गये। समाजवादी पार्टी किसी धर्म और जाति के नाम पर राजनीति नहीं करती है, उसूल के नाम पर करती है। हमारी नीति सही थी, इसलिए हम चुनकर आये और आपको जिसने छू लिया, वह बर्बाद हो गया। ...*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : ये बसपा वाले भी आपके खिलाफ ही करा रहे थे।

श्री मुलायम सिंह यादव : जिसने कांग्रेस को छू लिया, वह बर्बाद हो गया, आप यह कहलवाना चाहते हैं ? आपकी नीतियां सही थीं तो बेचारे लालू प्रसाद जी आपको छूकर चले गये। आपको छूकर हमारे मित्रों की ताकत घट गई। ...*(व्यवधान)* आपकी नहीं तो हमारे इन्द्रजीत गुप्त जी की तो घट गई। ...*(व्यवधान)* आप कहते थे तो बेचारे लालू प्रसाद जी चले गये। ...*(व्यवधान)* उपाध्यक्ष महोदय, जवाब देने दीजिए। ये हमसे कहते थे कि कांग्रेस कैसे चली गई ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जवाब आपको नहीं देना है, आप इसमें अपना दृष्टिकोण रखिये। आप यहां जवाब मत दीजिए। टाइम बिल्कुल नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : और बढ़ा दी सीटें, लालू प्रसाद जी की सीटें आपके कारण घट गई। अगर लालू जी आपके साथ नहीं मिले होते और अगर बी०जे०पी० और कांग्रेस दोनों के समान दूरी रखी होती, जैसी समाजवादी पार्टी की आज भी दूरी है उनकी यह स्थिति नहीं होती। कांग्रेस व बी०जे०पी० दोनों ने मिलकर तीसरी ताकत को नष्ट करने की कोशिश की है, यह देश के अन्दर दो दलीय प्रणाली बनाने का षड्यंत्र है। नायडू साहब, सावधान हो जाइये। चुनाव के अन्दर भी ये दो ही दल चाहते थे, बी०जे०पी० और कांग्रेस। तीसरी ताकत हमारे हिन्दुस्तान की आज गरीबों की है, किसानों की है, मजदूरों की है, बेरोजगार नौजवानों की है, हमारी महिलाओं की है। इस मामले में इस ताकत को नष्ट करने का बी०जे०पी० और कांग्रेस दोनों का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसलिए हमने यह रास्ता देश के सामने सीधे-सीधे रखा था कि तीसरा मोर्चा, तीसरी ताकत देश के अन्दर होनी चाहिए। वही तीसरी ताकत असली ताकत है और देश के अन्दर स्थाई सरकार तभी बनेगी, जब तीसरी ताकत की सरकार बनेगी। आज हम तीसरी ताकत का, तीसरी शक्ति का आह्वान करते हैं कि जितने लोग हैं, वे तीसरी ताकत में आयें और बी०जे०पी० और कांग्रेस दोनों को इकट्ठा करें। इनकी गलत नीतियों के कारण बी०जे०पी० लाभ उठा ले गई और बात मुलायम सिंह की करते हो। मुलायम सिंह और समाजवादी पार्टी के जो विरोधी हैं, वे सैकुलर कभी नहीं हो सकते हैं। ...*(व्यवधान)* चुनाव लड़े हो कभी ? ...*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : आपने भी तो कांग्रेस को सहयोग दिया था। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : वह आप पढ़िये। अब अनावश्यक बातें बहुत होने लग गई।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आपस में बात न करें। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : लेकिन मुझे अफसोस है कि आप सुप्रीम कोर्ट में गये तो फैसला मिल गया तो कैसे पहुंचे। अगर चुनाव आयोग को अधिकार नहीं है एग्जिट पोल पर रोक लगाने का तो

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

इस सदन के माध्यम से हमारी अपील है कि चुनाव आयोग को अधिकार देना चाहिए। इन्हीं एग्जिट पोल के गलत तथ्यों के आधार पर, धोखाधड़ी के नाम पर लोग भ्रमित हो जाते हैं।

सरकार ने अपनी विदेश नीति के बारे में कहा है कि हमें विदेशों से सहानुभूति मिली है। आप बताएं कि कहां से मिली और वे कौन से देश हैं, जिनसे सहानुभूति मिलने की बात हो रही है। आपकी सरकार कामचलाऊ थी, उस समय आपने ऐसे फैसले लिए, जो नहीं लेने चाहिए थे। कभी प्रसार भारती का फैसला लिया जा रहा था तो कभी चीनी के बारे में फैसला लिया जा रहा था, लेकिन किसान के बारे में आपने कोई फैसला नहीं लिया। आपने विदेशी कम्पनीज और विदेशी शक्तियों के दबाव में आकर अपनी सरकार की पहली ही मीटिंग में बीमा नीति के बारे में फैसला ले लिया। इससे लगता नहीं है कि यह भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन की सरकार चल रही है। अगर यह सरकार नहीं होती तो पहली मीटिंग में बीमा नीति के ऊपर फैसला नहीं होता। आज किसान को खाद, बीज, बिजली, पानी ट्रैक्टर और उसके पार्ट्स महंगे दामों पर मिलते हैं, लेकिन उसकी पैदावार सस्ती होती है। इसका नतीजा यह हो रहा है कि किसान सबसे ज्यादा गरीब है। इस कारण आज हिन्दुस्तान दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। देश की जनसंख्या का 76 फीसदी हिस्सा खेती पर निर्भर है, लेकिन उसकी उपेक्षा हो रही है। आपको अपनी कैबिनेट की पहली मीटिंग में उसके लिए निर्णय लेना चाहिए था। लेकिन आपने बीमा क्षेत्र में 26 फीसदी की भागीदारी निजी क्षेत्र को और विदेशी कम्पनीज को देने का निर्णय उस मीटिंग में किया।

1956 में 20 कम्पनीज का राष्ट्रीयकरण किया गया, तब 500 करोड़ रुपए की इनकी पूंजी थी। अभी तक उन्होंने 1763 करोड़ रुपए का मुनाफा दिया है। पिछले वर्ष 250 करोड़ रुपए का मुनाफा बीमा कम्पनीज ने दिया है। इसके अलावा 700 करोड़ रुपए के टैक्स दिए हैं। महलों से, बड़े घरानों से निकलकर बीमा योजना का प्रचार गरीब की झुग्गी-झोंपड़ी तक पहुंचा है, जिनकी अंशभागिता 45 प्रतिशत है। बीमा योजना में किसान, देहात के लोग भी शामिल हैं। इसलिए आप बताएं कि बीमा कम्पनीज ने कौन सा अपराध किया है जो आप उसका निजीकरण कर रहे हैं और क्यों विदेशी कम्पनीज को इसमें आने देना चाह रहे हैं ? ये कह रहे हैं कि 26 फीसदी निजी क्षेत्र और विदेशी कम्पनीज को दिया जाएगा। मैंने कल वित्त मंत्री जी से पूछा था कि कांग्रेस पार्टी कितना चाहती है, ये तो चाहते हैं कि निजी क्षेत्र के लिए और विदेशी कम्पनीज के लिए 40 से 49 फीसदी तक भागदारी हो जाए। आप दोनों की नीतियां एक समान हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मुलायम जी, समाप्त करें। आपकी पार्टी के लिए 21 मिनट अलाट किए गए हैं, सिर्फ तीन मिनट बचे हैं। आज शाम पांच बजे तक बहस समाप्त करनी है।

श्री मुलायम सिंह यादव : मैं जल्दी खत्म कर दूंगा। मंडल आयोग की सिफारिशों पर हमला न बोलें। हम पिछड़ी जातियों के आरक्षण के विरोधी नहीं हैं लेकिन 27 फीसदी के आरक्षण में उनको शामिल न किया जाए। हम देश की जनता के सामने जाएंगे और कहेंगे कि पिछड़ी जातियों को 27 फीसदी के बजाय 54 फीसदी आरक्षण होना चाहिए। सदन के बाहर हम पूरे देश में जाएंगे और बैकवर्ड क्लासेज को इकट्ठा करेंगे। हम किसी भी जाति के विरोधी नहीं हैं। आप इस सम्बन्ध में संविधान संशोधन करें। हमने एक प्रस्ताव भी दिया था कि दस फीसदी आरक्षण ऊंची जाति में आर्थिक आधार पर होना चाहिए। लेकिन 27 फीसदी में किसी को शामिल करने की कोशिश की तो हिन्दुस्तान में हम लोगों को कहेंगे कि हमारी जनसंख्या 54 प्रतिशत है इसलिए हमें 54 प्रतिशत आरक्षण दो। आप इसके लिए संविधान में संशोधन करें और जिन जातियों को आरक्षण देना है, उसमें शामिल करें, हम आपका समर्थन करेंगे। ऊंची जाति को आर्थिक आधार पर दस प्रतिशत आरक्षण दें, हमें कोई आपत्ति नहीं है।

हम महिलाओं के आरक्षण के विरोधी नहीं हैं, लेकिन देश की जनता को इस तरह के विवाद में न फंसाएं। दुनिया में सिर्फ दक्षिण अफ्रीका में महिलाओं को आरक्षण है, दस फीसदी आरक्षण उन्हें मिला हुआ है, लेकिन वह भी पार्टियों में आरक्षण किया गया है। हम किसी बहन के खिलाफ नहीं हैं। हम चाहते हैं कि अगर करना ही है तो अनुसूचित जाति, बैकवर्ड और मुस्लिम वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए, वह भी दस फीसदी होना चाहिए, यह हमारी नीति है। हम इनको लेकर जनता के बीच जाएंगे। यहां आप और ये दोनों बहुमत के बल पर जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन फिर जनता का बहुमत आप लोगों को नहीं मिलेगा। अगर गरीबों के हितों पर हमला किया जाएगा तो हम हिन्दुस्तान के अंदर 54 फीसदी पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए 54 फीसदी आरक्षण की मांग करेंगे। पूरे देश में सब मिलाकर, आन्ध्र प्रदेश से लेकर, तमिलनाडु से लेकर सारे लोगों को इकट्ठा करेंगे और देश के अन्दर सम्मेलन करेंगे। इस सदन की कार्यवाही के बाद हम उत्तर प्रदेश से शुरू करेंगे। इसलिए इन सवालों को मत उठाइए, अगर इन सवालों को उठायेंगे, तो बहुत से मामले उठेंगे।

जहां तक लोक सभा की पांच वर्ष की स्थायी अवधि का सवाल है, तो मैं कहना चाहता हूं कि पांच साल की अवधि लोक सभा की क्यों रहेगी। सरकार किसी की हो और पांच साल की अवधि, इसमें आपकी तानाशाही की बू आती है। इसका हम समर्थन करने वाले नहीं हैं, लोक सभा पांच साल नहीं चलेगी।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज) : रहनी चाहिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : नहीं रहनी चाहिए। क्यों रहनी चाहिए ? ... *(व्यवधान)* हमें भी चुनाव लड़ना पड़ता है, आपको भी चुनाव लड़ना पड़ता है। चुनाव में जीतकर आयें या न आयें, लेकिन पांच साल के लिए लोक सभा ... *(व्यवधान)*

श्रीमती जयाबहन बी० ठक्कर (वडोदरा) : पांच साल लोक सभा क्यों नहीं चलेगी ? ... *(व्यवधान)* आपके लिए तो हर साल इलैक्शन होते रहें। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : महोदया, अब आप व्यवधान न डालें। कृपया बाधा मत डालिए। महोदया, आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये। माननीय सदस्य अपनी बात समाप्त नहीं कर रहे हैं। महोदया, आप कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती जयाबहन बी० ठक्कर : तकलीफ मैम्बरों को होती है, आपका क्या जाता है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करेंगे ? कृपया अपने स्थान पर बैठ जायें। यह सब क्या है ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बार फिर अपनी बात दोहराना चाहता हूं। अफ्रीका की तरह आरक्षण दस फीसदी पार्टियों का आरक्षित किया जाए। मुसलमान, पिछड़े और शेड्यूल्ड कास्ट्स ही सबसे ज्यादा पिछड़े हैं। हम चाहते हैं कि समाज में जो सबसे ज्यादा पिछड़े हैं, उनका किया जाए। इसलिए, मैं कहना चाहता हूं, इन मुद्दों को उठायेंगे, तो और काम्प्लिकेशन्स पैदा होंगे। माननीय गृह मंत्री जो से व्यावहारिक रूप में इस बारे में बात की जाएगी। आपने तो अपने चुनाव घोषणा पत्र में शामिल कर लिया, हमने नहीं किया है।

जहां तक उड़ीसा का सवाल है, आपको निर्णय लेना चाहिए था और आपने निर्णय ले लिया है। समय कम है, नहीं तो मैं इस पर भी बोलना चाहता था। इसी प्रकार आपने बेरोजगार लोगों को रोजगार देने की बात कही है। आपने कहा है कि दस करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। सौ करोड़ जनसंख्या है। पांच व्यक्तियों के एक परिवार में एक व्यक्ति बेरोजगार है, तो बीस करोड़ लोग हिन्दुस्तान के अन्दर बेरोजगार हैं। आपने यह असत्य ब्यान दे दिया कि एक करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे और दस साल के अन्दर बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी। अगर आपकी बात मान भी ली जाए, तो इन दस सालों में जो और बेरोजगार पैदा होंगे उनके लिए क्या करेंगे ? *(व्यवधान)* यह

अपराह्न 12.54 बजे

[**श्री सोमनाथ चटर्जी** *पीठासीन हुये*]

झूठब्यानो, असत्यब्यानी, धोखाधड़ी है कि देश के अन्दर कि दस करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। ये दस करोड़ लोग पढ़े-लिखे और समझदार होंगे, जिनके नाम रोज़गार दफ्तरों में दर्ज होंगे। लेकिन जो खेतिहर मजदूर है, किसान है, परिवारों में बेरोजगार हैं, जिनकी संख्या इन दस सालों में बढ़ेगी, उनके लिए क्या इलाज करेंगे ? मेरे विचार से उन लोगों को आप रोजगार नहीं दे सकेंगे। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान मत डालें। कृपया बाधा मत डालें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती फूलन देवी (मिर्जापुर) : राम का नाम लेते हैं, और कत्ल-ए-आम करवाते हैं। हिन्दू-हिन्दू बोलते हैं। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मुलायम सिंह जी, अब आप अपनी बात खत्म कीजिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : महोदय, हम पालन करेंगे। संविधान संशोधन किस-किस पर करेंगे। हम संविधान संशोधन में आपके इरादे जानते हैं और सावधान कर रहे हैं। यही लोकतंत्र का पूरा का पूरा जामा पहन कर जर्मनी में तानाशाही आई थी। उसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार थे यह बताएंगे तो हमारे बहुत से मित्र नाराज हो जाएंगे। यही काम आप कर रहे हैं। आप कहते हैं कि जब हमारे अकेले का बहुमत आएगा तो हमारे सारे मुद्दे होंगे, अभी सरकार चलाने के इनके मुद्दे अलग हैं। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, चाहे कोई भी संगठन हो, सब एक साथ हैं। हमने जरूर कहा था कि अगर देश में वास्तव में सच्चाई से भारतीय जनता पार्टी एक वातावरण बनाना चाहती है, तो हमारी चार बातें मानो और आज भी हम उसी बात को दोहरा रहे हैं। आप अयोध्या मसला और काशी के सारे विवाद खत्म करो। धारा 370 की बात बंद करो। सन् 2001 में पता लगाना कि हिन्दुओं और मुसलमानों की संख्या कितनी बढ़ी। आप केवल मुसलमानों पर अंगुली क्यों उठाते हैं ? *(व्यवधान)* आप पता लगा लीजिए, हमें तो पता है कि मुसलमानों और हिन्दुओं की कितनी संख्या बढ़ रही है। इसलिए आपसे कहना चाहता हैं कि मुसलमानों की बात बंद कीजिए, उनके बारे में राय बदल दीजिए, हमारी और आपकी दूरी कम हो जाएगी। *(व्यवधान)* इन्होंने हम पर हमला किया है और आपको फायदा पहुंचाया है। *(व्यवधान)* आपने जानबूझ कर चुनाव में और चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को बदनाम किया था आपने ज्योति बसु जी को प्रधान मंत्री नहीं माना था। आप भी यहां बैठे हैं, कोई भी कहे कि बसु जी का नाम नहीं रखा गया था। कांग्रेस पार्टी ने इनके नाम को अस्वीकार कर दिया था और कह दिया कि न थर्ड फोर्स, न फोर्थ फोर्स, हमें चुनाव चाहिए। सारे बम चला दिए, एटम बम भी चल गया, अब क्या रह गया। आप तो खत्म होंगे ही और इन नीतियों के चलते खत्म होंगे, कोई रोक नहीं सकता। अब आप चाहे लालू जी को गली दें। हमें भी कुछ दिन गाली दी थी।

हम जानते हैं कि हमने 1990 में मस्जिद की हिफाजत की थी तो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, जो आज हमारे बीच नहीं हैं, उन्होंने अयोध्या में जाकर मुलायम सिंह को गाली दी थी क्योंकि हमने हिफाजत की थी। इसीलिए आप बार-बार कहते हैं कि मुलायम सिंह जिम्मेदार हैं। हमने मस्जिद की हिफाज़त करके कसूर किया था इसलिए हम जिम्मेदार हैं और आपने शिलान्यास रखा कर, ताला खुलवा कर केवल मस्जिद तोड़ने का सवाल पैदा नहीं किया था बल्कि हिन्दुस्तान को तोड़ने का अपराध कांग्रेस पार्टी ने किया था। *(व्यवधान)*

श्री श्यामा चरण शुक्ल (महासमुंद) : आपको बाद में कांग्रेस पार्टी ने मुख्य मंत्री भी बनाया था। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया उन्हें बोलने दीजिए। मुलायम सिंह जी, कृपया अपनी बात समाप्त करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : मैंने न किसी का समर्थन मांगा था और न ही हमें समर्थन चाहिए। हम धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई लड़ रहे

हैं, जिसको समर्थन देना हो वह दें। हमारे आदरणीय पंडित नारायण दत्त तिवारी, अपोजिशन के लीडर बैठे हुए थे। उन्होंने उस समय असेम्बली की कार्यवाही में खड़े हो कर कहा। आप लाइब्रेरी में जाकर पढ़ लो, उन्होंने कहा कि मेरा एक दिन का समर्थन है। मैंने समर्थन नहीं मांगा था। *(व्यवधान)* संविधान संशोधन को मत छेड़ो, संविधान संशोधन को कैसे छेड़ा जाएगा। डा० भीमराव अम्बेडकर जी से लेकर हमारे जो इतने बड़े-बड़े नेता थे उनसे ज्यादा विद्वान अब इस देश में लोग नहीं हैं। उन्होंने बड़े सोच-समझ कर संविधान बनाया था और सारे देश की परिस्थितियों का अध्ययन किया था, और सब ने मिल कर संविधान बनाया था। आप इस पर विचार करो। क्या आप उनसे भी ज्यादा काबिल हो गए, जो संविधान सभा में थे। इसलिए हमारी अपील है कि आप इन मुद्दों को छोड़ कर इस देश में आज जो समस्याएं हैं और जो चारों तरफ देश की ऐसी विदेश नीति तथा कूट नीति असफल हुई है उस पर विचार करने की आवश्यकता है। देश की पूरी की पूरी सीमा पर इतना बड़ा खतरा है। इतना बड़ा खतरा पैदा हुआ है आपकी गलत नीतियों के कारण आज एटम बम पाकिस्तान की सेना के हाथों में है, जब एटम बम पाकिस्तान की सेना के हाथों में है तो पाकिस्तान की सेना की नीयत क्या है वह भी समझने व विचार करने की आवश्यकता है।

अपराह्न 1.00 बजे

इसे देखते हुए देश के सामने बहुत बड़े खतरे हैं। इन मुद्दों को छोड़िए। आप देश की रक्षा और हिफाजत कीजिए। पड़ोसी देशों से कैसे मित्रता कायम हो और अपना देश कैसे खुशहाल बने, इस संकल्प के साथ आप यहां अपने इस विश्वास का फैसला कीजिए। माननीय गृह मंत्री जी, आप ही सब कुछ हैं। प्रधान मंत्री कोई बने, कुछ करे, आप अगर मजबूती के साथ खड़े हो जाएंगे तो बात बन जाएगी। आप अगर प्रधान मंत्री अटल जी के साथ पाकिस्तान चले गए होते तो हो सकता था कि मामला सुलझ जाता। इसलिए हम अपील करते हैं कि विवादास्पद मामले, जैसे कहीं सूबे का बंटवारा, कहीं किसी का बंटवारा, ऐसा बंटवारा मत करिए। इससे जनता में नफरत पैदा होती है। आप क्षेत्रीय आधार पर बंटवारा मत करिए। क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर आदमी-आदमी के बीच में मतभेद मत कराइए। समाजवादी पार्टी हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी को साथ लेकर चलना चाहती है। आप अपना घोषणा पत्र भी पढ़िए और हमारी पार्टी का भी घोषणा-पत्र पढ़िए। हम इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं। आज पाकिस्तान की सेना जिस तरह से तैयारी कर रही है और उसके हाथ में जो एटम बम आ गया है, उसे देखते हुए हम आपसे अपील करते हैं कि आप गम्भीरता से विचार करके इस बारे में कुछ कीजिए। देश को मजबूत करने का काम सब मिल कर करेंगे तो समाजवादी पार्टी सहयोग करेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय मंत्री, श्री मनोहर जोशी बोलेंगे।

श्री मोहले रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : महोदय, यह उनका पहला भाषण है।

सभापति महोदय : उनका स्वागत है।

अपराह्न 1.01 बजे

***भारी उद्योग और सरकारी उपक्रम मंत्री** (श्री मनोहर जोशी): महोदय, मैं छत्रपति शिवाजी और संत ध्यानेश्वर की भूमि से आया हूं और मुझे यहां अपना भाषण देते हुये बहुत प्रसन्नता हो रही है।

[हिन्दी]

*माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन के सभी सभासदों की सुविधा के लिए हिन्दी में भाषण करना चाहता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि राष्ट्रपति अभिभाषण पर इस सदन में चर्चा हो रही है। मुझे इस चर्चा में भाग लेते हुए बड़ी खुशी हो रही है। मैं अपने भाषण की शुरूआत में लोक सभा में जो सांसद चुन कर आए हैं, उन्हें अपनी पार्टी की तरफ से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।

मैं जानता हूं कि हिन्दुस्तान का सर्वोच्च सभागृह होने के कारण देश के 100 करोड़ लोग इस सभागृह की तरफ देखते हैं कि हम लोगों के बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं और उनके प्रश्नों के बारे में क्या सोचते हैं ? राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जो मुद्दे उठाए गए, मैं उन पर अपने विचार रखना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मैं जानता हूं कि सभागृह का भाषण और पब्लिक मीटिंग का भाषण अलग होता है। जैसा पब्लिक मीटिंग में भाषण होता है, मैं वैसा भाषण यहां नहीं करना चाहता हूं। मैं कारगिल के प्रश्न पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। इस बात पर पूरे देश को अभिमान है कि हम माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में कारगिल की लड़ाई जीत गए। हम सब को इस बात का गर्व है और इसीलिये आज देश में श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई है। देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और उसके मित्र पक्षों को भारी बहुमत देकर यहां भेजा है।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के 3 पैराज में कारगिल के बारे में देखा और इसे बार-बार पढ़ा लेकिन इसमें कहीं भी कारगिल लड़ाई का श्रेय सरकार को देने की कोशिश नहीं की गई है बल्कि इसका सारा श्रेय हमारे बहादुर जवानों को दिया है। मैं सोचता हूं कि यह हमारे प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का बड़प्पन है कि उन्होंने इसका श्रेय खुद को न देकर बहादुर सैनिकों को दिया है। यदि आप लोग राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के ये तीनों पैराज पढ़ेंगे तो मालूम होगा। माननीय गृह मंत्री जी अपने भाषण में इसका जवाब देंगे। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि यहां आने के बाद और इस सभागृह में जो चर्चा होती है, उसे देखने के बाद मेरे मन में यह ख्याल आया कि यहां जिन प्रश्नों के बारे में विवाद होता है, उन प्रश्नों को ठीक तरीके से समझने की जरूरत है।

सभापति महोदय, जो प्रश्न माननीय राष्ट्रपति जी ने रखे हैं, वे सारे के सारे एन०डी०ए० के मैनिफैस्टो में थे और उसका रूप राष्ट्रपति जी के भाषण में मुझे दिखाई देता है। यद्यपि, मैं यहां सारे प्रश्न नहीं उठा सकता लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जो महत्व के मुद्दे यहां लिये जायेंगे, उनमें गरीबों के लिये बुनियादी सुविधायें उपलब्ध कराना, निरक्षरता के अभिशाप से देश को मुक्त कराना, पांच वर्ष में सभी गांवों में पेयजल देना

*मूलत: मराठी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : जोशी जी, कृपया थोड़ी देर रुक जायें।

यदि किसी माननीय सदस्य के पास चैम्बर में सेल्यूलर फोन है तो उससे तत्काल यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि इसे बाहर अथवा बंद करके रखें। यह इस सभा के लिए अत्यधिक अपमानजनक बात है।

[हिन्दी]

श्री मनोहर जोशी : लोकतंत्र का सुदृढ़ीकरण करके ऐसा कानून बनाना चाहिये जिससे लोकसभा और विधानसभा अपना कार्यकाल पूरा कर सके। पाकिस्तान का आतंकवाद बंद होना चाहिये, देश को रक्षा करने वाले जवानों को शस्त्रों से सुसज्जित किया जाये, अनुसूचित जाति एवं अनुसूतिच जनजातियों के लिये आरक्षण दस साल तक और बढ़ाया जाना आदि कई ऐसे मुद्दे माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में दिखाई दिये।

सभापति महोदय, मैं यह जानता हूं कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जितने मुद्दे हैं, वे सब महत्वपूर्ण हैं लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि माननीय राष्ट्रपति जी के हर भाषण में शायद यही महत्व के मुद्दे बार-बार आते होंगे। सन् 1950 में राष्ट्रपति जी ने जो भाषण दिया था, उसे मैंने देखा है। उस भाषण में राष्ट्रपति जी ने कहा था :

[अनुवाद]

"देश की आर्थिक स्थिति हमारी सरकार के लिए अत्यधिक चिंता का विषय रहा है।"

उसमें यह भी कहा गया है :

"मेरी सरकार का लक्ष्य है मुद्रास्फीति को रोकना और मूल्यों में धीरे-धीरे कमी लाना। इन सभी अतिरिक्त भार तथा कतिपय गड़बड़ियों, जो हमारी अर्थव्यवस्था में समय-समय पर हुई है, ने राष्ट्रनिर्माण के कई महत्वपूर्ण पहलुओं में हमारी प्रगति में विलंब किया है जिनमें शिक्षा और स्वास्थ्य भी शामिल है जिसे मेरी सरकार ने काफी महत्व दिया है।"

सन् 1951 में भी राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में यही मुद्दे उठाते हुये कहा था :

[अनुवाद]

"हमारे सामने अनेक समस्याएं आई। हमारी आर्थिक प्रगति के लिए योजना बनाने से महत्वपूर्ण कुछ नहीं है ताकि लाखों लोग बेहतर जीवन बिता सकें (अब यह करोड़ लोग हैं) जिन्होंने पीढ़ियों तक कठिनाईयां झेली हैं।"

[हिन्दी]

सभापति महोदय, मैं यह समझने की कोशिश कर रहा हूं कि भारत को स्वतंत्र हुये 50 वर्ष से अधिक हो गये हैं लेकिन हर साल राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में वही मुद्दे बार-बार आ रहे हैं। जब-जब इस सदन में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा हुई, मैं उसे देखता रहा हूं। गरीबी के बारे में हर सभासद को बात कहते हुये सुन रहा हूं और मुझे लगता है कि यही समय है जब हम सब लोग साथ मिलकर इस विषय पर सोचने की कोशिश करें कि आखिर हम कामयाब क्यों नहीं हो रहे हैं। इस देश को स्वतंत्रता मिले 52 साल हो गये हैं लेकिन जो प्रश्न उस समय रहे थे, वही आज भी बने हुये हैं— इसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

श्री श्यामा चरण शुक्ल : सभापति महोदय, जोशी जी बताने की कृपा करें कि 1950 में गरीबी की रेखा के नीचे कितने प्रतिशत लोग थे और आज कितने हैं ?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : वह अपनी बात समाप्त नहीं कर रहे हैं। यह उनका पहला भाषण है, कृपया उन्हें परेशान मत कीजिए।

[हिन्दी]

श्री मनोहर जोशी : सभापति महोदय, यह बात सच है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इस बारे में सोचना जरूरी है। मैंने यह कभी नहीं कहा कि जिन्होंने यहां राज किया, वे लोग जिम्मेदार हैं। सम्माननीय सभासद को यह प्रश्न उठाने की जरूरत क्यों पड़ी, यह मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि प्रश्न पहले जैसे थे, वैसे ही प्रश्न आज नहीं हैं। क्योंकि इस सभागृह में जो चर्चा होती है, वह चर्चा और अच्छी होनी जरूरी है, एक-एक विषय महत्व का होना जरूरी है और इसीलिए हमारी सरकार भी पांच साल में जो विषय इस राष्ट्रपति के भाषण में आए हैं, उसमें से ही यदि दो-चार ऐसे विषय पूरे करने की कोशिश करेगी तो यह काम और अच्छा होगा, ऐसा मैं समझता हूं।

मैं यह कभी नहीं सोचता हूं कि इस देश की गरीबी कोई ईश्वर निर्मित गरीबी है। कितने लोग आज गरीब हैं, कितने लोगों को खाने को नहीं मिलता है, कितने लोगों को रहने के लिए जगह नहीं है। निरक्षरता के बारे में राष्ट्रपति जी ने कहा है कि यह एक अभिशाप है। कितने लोग निरक्षर हैं, इस विषय में जाने के लिए मेरे पास पूरा समय नहीं है, लेकिन एक बात मैं जरूर जानता हूं कि यदि यह सभागृह निश्चय करे तो हर समस्या का इलाज है और उसको खोजने का प्रयत्न हमें करना चाहिए।

[अनुवाद]

इस देश की गरीबी का कारण भगवान नहीं है।

[हिन्दी]

इस देश की गरीबी हमारी गलतियों से हुई है और वह गलतियां दूर करने की कोशिश करने का हमारा इरादा होना चाहिए और इसी रास्ते पर जाने के लिए क्या करना चाहिए इस विषय में बहुत गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। मैं नही सोचता हूं कि यहां हमें भेजा गया है तो केवल पोलिटिकल बात करने के लिए भेजा है। यह भी मैं जानता हूं कि थोड़ी सी बात पोलिटिक्स की तो जरूर होगी लेकिन केवल पोलिटिक्स लेकर हम सदन में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो गरीबों के प्रश्न हैं, वह उठाकर हमें आगे जाना पड़ेगा। मुझे याद आ रहा है कि महात्मा गांधी जी ने एक समय कहा था

कि चुनकर आने वाला हर आदमी, चाहे वह पंचायत का चुनाव हो या लोक सभा का चुनाव हो, पहले सोचें तो गरीब लोगों की सोचे। गांधी जी ने कहा था कि सोचते समय यह ध्यान रखना चाहिए की सीढ़ी की आखिरी पौड़ी पर जो आदमी खड़ा है, उसका विचार पहले होना चाहिए और बाद में दूसरों का विचार करना चाहिए। लेकिन आजकल ऐसा होता नहीं है और इसलिए मैंने सोचा कि क्या इस विषय में कोई रास्ता नहीं मिकल सकता है। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति जी ने जो विषय लिये हैं, उनमें से कई महत्वपूर्ण विषय मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कोई कहेगा कि इस देश में तरक्की हुई है तो मैं इतना ही कहूंगा कि जितनी तरक्की होनी चाहिए थी, उतनी तरक्की पचास सालों में नहीं हुई है। आप उन देशों का उदाहरण ले सकते हैं। जिन्हें हमारे बाद में स्वतंत्रता मिली, जैसे इस्राइल, जो हमारे देश से बहुत छोटा देश है, उसे 1948 में स्वतंत्रता मिली, लेकिन उनकी प्रति व्यक्ति आय 15940 डॉलर है। साउथ कोरिया छोटा सा देश है, 1948 में उसे स्वतंत्रता मिली, उनकी प्रति व्यक्ति आय 7940 डॉलर है। सिंगापुर एक ऐसा देश है, मैं जानता हूं कि पहले से ही वह एक छोटा किंतु समृद्धिशाली देश है, 1962 में उसे स्वतंत्रता मिली, उनकी प्रति व्यक्ति आय 30060 डॉलर है। मैं चीन की बात कहूंगा तो कोई कहेगा कि वहां तो ईसाई नहीं हैं, 1950 में उसे स्वतंत्रता मिली, लेकिन वहां की प्रति व्यक्ति आय 750 डॉलर है। भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिली और हमारी प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 430 डॉलर है। यदि दूसरे आसपास के देशों से तुलना करें तो मैं नहीं सोचता हूं कि यह तरक्की है। उनके मुकाबले में हमारे देश ने जितनी प्रगति करनी चाहिए थी, उतनी प्रगति यहां हुई है, ऐसा मैं कभी नहीं कहूंगा।

सभापति महोदय, मैं सोचता हूं कि हर समय हम कई बातें अच्छी करना चाहते हैं, लेकिन वे बातें हम पूरी नहीं कर पाते हैं। उसके अनेक कारण हो सकते हैं। गरीबी पर विचार करने के बारे में मैंने कहा, दलितों के आरक्षण की बात की गई, लेकिन बार-बार दस साल के बाद गरीबों के लिए आरक्षण बढ़ाने का प्रस्ताव आता है, क्योंकि हम सोचते हैं, लोक सभा सोचती है कि आरक्षण की सुविधा दस साल में पूरी होनी चाहिए थी, लेकिन वह पूरी नहीं हुई है। बल्कि हम बार-बार वही बात करते हैं। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इस बारे में जिक्र किया था और आप सब लोग जानते हैं कि हमारी सरकार इसी अधिवेशन में यह कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट लाई और उसे पास कराया।

सभापति महोदय, लेकिन यह कैसा देश है कि जिस देश में पीने का पानी भी नहीं मिलता है। यहां बहुत बड़ी-बड़ी बातें की जाती हैं। हम दूसरी बातों पर कह सकते हैं, लेकिन यह कैसा देश है कि जिसमें महिलाओं को 4, 5 तथा 6 किलोमीटर तक पीने का पानी लाने के लिए पैदल चलकर जाना पड़ता है। क्या यह परिस्थिति हम बदल नहीं सकते हैं ? मैं किसी को दोष देने के लिए यहां खड़ा नहीं हुआ हूं, लेकिन ये छोटी-छोटी बातें हैं, जिनको पीने का पानी नहीं मिलता है, उनके लिए यह बहुत बड़ी बात है।

मैं महाराष्ट्र का मुख्य मंत्री था, मैं वहां चार साल मुख्य मंत्री रहा और चार साल में मैंने तय किया कि महाराष्ट्र के हर देहात को पीने का पानी मिलना चाहिए। उसके लिए सात हजार करोड़ रुपये की योजना थी और आज मैं अभिमान के साथ कह सकता हूं कि लगभग 80 प्रतिशत लोगों को आज वहां पीने का पानी पाइपों के द्वारा दिया जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि यदि काम करने की इच्छा हो, यदि एक स्टेट में ऐसा हो सकता है तो यह काम हर स्टेट में और पूरे देश में भी हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जैसा काम महाराष्ट्र में हुआ, वैसा ही काम पूरे देश में करना जरूरी है और इस काम को हमें महत्व देना चाहिए।

यहां निरक्षरता की बात हुई। यह एक अभिशाप है। मैं जानता हूं कि आजकल लोग लोकसंख्या के बारे में ज्यादा नहीं बोलते हैं।

सभापति महोदय, जब तक लोक संख्या में कमी नहीं होगी, तब तक मैं समझता हूं कि कोई प्रश्न नहीं सुलझेगा। दुर्भाग्य से यहां लोक संख्या में कमी करने के सवाल पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। इस देश में 50 प्रतिशत से ज्यादा लोग निरक्षर हैं। उनमें भी महिलाएं ज्यादा हैं। क्या इस परिस्थिति में सुधार नहीं हो सकता ? हो सकता है। हमने महाराष्ट्र में किया है। हम सोचते हैं कि यह सुधार पूरे देश में भी हो सकता है, लेकिन यहां की अफसरशाही, इस देश की अफसरशाही क्या ऐसा करने देगी, यह सवाल है।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यदि लोगों के छोटे-छोटे प्रश्न सालों तक अनसुलझे पड़े रहेंगे, तो देश की जनता का इस देश की लोकशाही से विश्वास उठ जाएगा। महाराष्ट्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा पर बसे मराठी लोगों को महाराष्ट्र में शामिल करना। जैसी भाषा वैसी स्टेट होनी चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र के लगभग 10 लाख लोग आज भी बेलगाम में हैं और वे महाराष्ट्र में आना चाहते हैं। इस देश के गृह मंत्री जी के अधिकार क्षेत्र का यह प्रश्न है। मेरी उनसे अपील है कि दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों को वे बुलाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपने नेता के भाषण में व्यवधान मत डालें। वह काफी अच्छी बातें कर रहे हैं। मनोहर जोशी जी केवल दो बातें और कहना चाहेंगे।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : सर, हम उनकी बात का समर्थन कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप अपने नेता के भाषण में व्यवधान क्यों डाल रहे हैं ? मैंने उन्हें दस मिनट और दिए हैं और वह दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर देंगे। आप उनका समय क्यों ले रहे हैं ?

[हिन्दी]

श्री मनोहर जोशी : सभापति महोदय, 40 साल से यह प्रश्न उलझा हुआ है और अभी तक नहीं सुलझा है। इसलिए मैं शिव सेना की तरफ से यह मांग कर रहा हूं कि गृह मंत्री महोदय, दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों को बुलाएं और इस प्रश्न को सुलझाएं। यदि ऐसा नहीं हुआ, तो इस देश की लोकशाही से इस देश के लोगों का विश्वास उठ जाएगा। इसलिए मैंने यह प्रश्न इस सदन में रखा है।

[श्री मनोहर जोशी]

सभापित महोदय, मुम्बई जैसा शहर, इस देश का बहुत बड़ा शहर है। *(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते : सर, इनसे पहले वाला भाषण 45 मिनट का हुआ है। जब हमारे नेता शिव सेना पार्टी की ओर से बोल रहे हैं तब आप उन्हें क्यों बैठने के लिए कह रहे हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया पीठासीन अधिकारी पर कोई आरोप न लगायें।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : सर, हम आपकी सलाह का सम्मान करते हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया माननीय सदस्य के भाषण में व्यवधान मत डालें। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे कृपया अपनी बात समाप्त करें। वह काफी अच्छी बातें कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि सरकार उन बातों को नोट कर रही है।

[हिन्दी]

श्री मनोहर जोशी : सभापति महोदय, मुम्बई इस देश का बहुत बड़ा शहर है। हम सब देहात और रूरल की बातें करते हैं, लेकिन मुम्बई शहर का प्रश्न भी उतना ही बड़ा है जितना देहात का है। मैं स्वयं मुम्बई शहर से चुनकर आया हूं। वहां के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। वहां से सबसे ज्यादा टैक्स देश को मिलता है, सरकार को सबसे ज्यादा धन टैक्सों के रूप में मिलता है, लेकिन वह शहर आज झुग्गी-झोंपड़ियों का शहर बनता जा रहा है, उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है। इसके लिए मैंने बार-बार कहा और आज फिर कहता हूं कि ऐसे शहरों के प्रश्नों को समझने के लिए कोई खास उपाय करने की जरूरत है। यह बात मैं केवल मुम्बई शहर के बारे में ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि इस देश के जितने बड़े शहर हैं, उन सबके बारे में कह रहा हूं। जो बड़े शहर होते हैं, उनमें ला एंड आर्डर के प्रश्न आते हैं और ऐसे शहरों के लिए ज्यादा निधि की जरूरत होती है, ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। ऐसे शहरों में गरीब लोगों को ज्यादा सुविधाएं देने की जरूरत होती है।

सभापति महोदय, मेरा जो आखिरी प्रश्न है, वह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं उसे बड़ी गंभीरता से इस सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूं। इस सभा को मालूम होगा कि माननीय शिव सेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के मतदान का अधिकार छीन लिया गया है। जब पूरे देश के सभी लोगों को मतदान का अधिकार है, तो बाला साहब ठाकरे जी का मतदान का अधिकार क्यों छीना गया ? क्योंकि उन्होंने इस देश में हिन्दुत्व का प्रचार किया, क्या इसलिए उनका मताधिकार छीन लिया गया ? जिस देश में ज्यादा हिन्दू रहते हैं, वहां हिन्दुत्व का प्रचार करना क्या गुनाह हो सकता है ? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या गुनाह किया है। जिसके कारण ऐसा अधिकार छीना जा सकता है ? *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये। आप अपने नेता को बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं ?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मनोहर जोशी जी, मैं आपको पहले ही दुगुना समय दे चुका हूं।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, उन्होंने निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया है जोकि एक संवैधानिक प्राधिकरण है ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त करने की कोशिश कीजिए। मैं काफी सहयोग दे चुका हूं।

सभापति महोदय : आपके नेता बोल रहे हैं और आप अपने नेता को ही नहीं बोलने दे रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : सभापति जी, बाला साहब ठाकरे को मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। ... *(व्यवधान)* उनका मतदान देने का अधिकार छीना गया है। ... यह कैसी लोकशाही है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री जोशी के भाषण को छोड़कर कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मोहन रावले जी, क्या आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करेंगे ?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : जोशी जी, क्या मैं आपसे अपनी बात समाप्त करने का अनुरोध कर सकता हूं ? मैंने आपका दुगुने से भी ज्यादा समय दे दिया है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। आप अपने ही नेता को बोलने नहीं दे रहे हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों, क्या मैं आपसे अपने स्थान पर बैठने का अनुरोध कर सकता हूं ? अन्यथा, यदि आप उन्हें इसी

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

तरह बोलने नहीं देंगे तो मुझे अगले माननीय सदस्य को बोलने के लिए बुलाना पड़ेगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मनोहर जोशी : सभापति महोदय, यह बड़े अन्याय की बात हुई है इसलिए लोगों को गुस्सा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : जोशी जी, आप पहले ही अपनी बात कह चुके हैं।

श्री मनोहर जोशी : महोदय, मैंने अपनी बात समाप्त नहीं की है।

सभापित महोदय : किसी संवैधानिक प्राधिकरण के संबंध में कोई टिप्पणी न करें।

[हिन्दी]

श्री मनोहर जोशी : इस देश में मतदान का अधिकार स्मगलर्स को होता है। इस देश में मतदान का अधिकार गुण्डों को होता है। वह चुनकर भी आ सकते हैं। दाऊद इब्राहिम को अधिकार होता है, अरूण गावली को अधिकार होता है। ...*(व्यवधान)* हिन्दुत्व का प्रचार किया इसलिए किसी को अधिकार नहीं मिलेगा तो यह बात गलत है। ...*(व्यवधान)* मैं यह कह रहा हूं कि बंगलादेश से जो लोग आते हैं, उनको मतदान का अधिकार रहता है। ...*(व्यवधान)* मैं इस सदन के माध्यम से आपसे मांग करूंगा कि बाला साहब ठाकरे को मतदान देने का अधिकार तुरंत देना चाहिए, यही हमारी मांग है। मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री जी इस पर ध्यान दें और बाला साहब ठाकरे को मतदान देने का अधिकार तुरंत वापिस दिलायें। ...*(व्यवधान)* इतनी मांग करके मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे ? मैंने श्री मणिशंकर अय्यर को आमंत्रित किया है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप जानते हैं कि वाद-विवाद आज समाप्त करना है। कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : वह पहले ही बोल चुके हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जायें। आपके नेता यह बात पहले ही कह चुके हैं।

(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : श्री अय्यर के भाषण को छोड़कर कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मनोहर जोशी जी का भाषण कार्यवाही वृत्तांत में शामिल किया गया है और बाकी कुछ भी इसमें शामिल नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। श्री मणि शंकर अय्यर ने अपनी बात समाप्त नहीं की है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर सर्वराज सिंह (आंवला) : यह बड़ा गंभीर मामला है कि जिसको जेल में होना चाहिए ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया गया है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जा रहा है। आप अपने स्थान पर क्यों नहीं बैठ रहे हैं ?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे ? कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये। अब कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप अपने नेता के साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[कुंवर सर्वराज सिंह]

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जायें। मैंने किसी को भी नहीं बुलाया है। मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे ?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप अपने स्थान पर बैठते क्यों नहीं हैं ? आपके नेता बोल चुके हैं। उन्होंने काफी प्रभावशाली ढंग से अपनी बात कही है। आप दूसरों से परेशान क्यों हो रहे हैं ? क्या आप अपनी सीटों पर बैठेंगे ?

[हिन्दी]

श्री राज बब्बर (आगरा) : माननीय सदस्य की बात को शायद समझने में इनको गलतफहमी हो रही है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : बब्बर जी, आप अपने स्थान पर बैठ जाइये। मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। अय्यर जी, आप अपना भाषण आरंभ कर सकते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं आपसे अपनी-अपनी सीटों पर बैठने के लिए अंतिम बार अनुरोध कर रहा हूं। इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : सभापति महोदय, इस सदन के सदस्य को आरोपी कहना सदन का अपमान है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : हम इस की जांच करेंगे। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया गया है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : हम उसकी जांच करेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : सभापति महोदय, सीमा से बाहर जाने की इजाजत मत दीजिए। ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : रावले जी, कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जा रहा है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं ? राज बब्बर जी, आप कृपया बैठ जायें। मैंने किसी को अनुमति नहीं दी। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया गया है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : वह अपनी बात कह चुके हैं। उन्होंने भी वही बात कही है। आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं ? वह किसी बात का निर्णय नहीं ले रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : लेकिन ये हमारे नेता का अनादर करेंगे ...*(व्यवधान)* मुलायम सिंह जी, हम आपका आदर करते हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं आपसे अंतिम बार अनुरोध कर रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : सभापति जी, कोई सवाल नहीं था। सवाल यह है कि आरोप चुनाव आयोग ने लगाया, यह कहा। मंत्री जी पर कोई आरोप नहीं है और आपने सुना नहीं है। हम इतने धैर्य से सुनते रहे कि आप पर इतने आरोप हैं, इतने आरोप हैं। क्या मुझे किसी अदालत ने आरोपी ठहराया है ? ...*(व्यवधान)* आप बैठे रहिये, इस तरह से नहीं चल सकता। आप बैठिए ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं। आपके नेता अपने और आपकी पार्टी के विचार काफी प्रभावशाली ढंग से व्यक्त कर चुके हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : हमने आपके खिलाफ आरोप नहीं लगाया, हमने यह कहा ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : आपको तो चुनाव आयोग ने आरोपी मान लिया है। हमें किसी अदालत ने कभी आरोपी माना है ? आप सब बात करते हो। यह तो इनकी सरकार है, हमारी सरकार होती तो आज ठाकरे साहब को जेल होती ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप तभी बोलिए जब आपकी बारी आए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : महोदय, धन्यवाद। ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपको मुझे धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

श्री मणि शंकर अय्यर (मयिलादुतुरई) : महोदय, पूर्व वक्ताओं की तरह मैं भी दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को सम्बोधित करने के लिए राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देता हूं। विशेष रूप से मैं अभिभाषण के पैरा 41 का स्वागत करता हूं जिसमें सरकार ने कहा है कि भ्रष्टाचार का जहर हमारे राष्ट्र की सभी संस्थाओं को नष्ट करता जा रहा है और सरकार सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए दृढसंकल्प है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि भ्रष्टाचार का मुकाबला किया जाना चाहिए और मेरा विश्वास है कि सरकार भ्रष्टाचार का मुकाबला करेगी। यहां बैठकर माननीय सदस्य जिन्होंने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उनकी यह टिप्पणी सुनकर मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं कि भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं किया जायेगा। परन्तु यह पूछे जाने पर कि भ्रष्टाचार क्या है जिसके साथ कोई समझौता नहीं किया जायेगा। तो प्रस्ताव के प्रस्तुतकर्ता के पास भ्रष्टाचार का केवल एक ही मुद्दा था और वह था बोफोर्स का मुद्दा। इसमें उन अन्य अधिकांश भ्रष्टाचार के मामलों का कोई जिक्र नहीं था जिन पर इस सभा में उत्तेजना रहती थी। और जो अभी भी सदस्यों की उत्तेजना का कारण हैं। इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया कि पाकिस्तान से युद्ध के दौरान चीनी का आयात किया गया। इसका भी कोई जिक्र नहीं किया गया कि गोदामों में पर्याप्त भंडार होने के बावजूद गेहूं का आयात किया गया। इसमें इस बात का भी उल्लेख नहीं किया गया कि दूरसंचार नीति, ऐसे समय पर जबकि इसके लिए उत्तरदायी सभा का गठन भी नहीं हुआ था ऐसी सरकार द्वारा बदली जा रही थी जिसे प्रतिनिधित्व भी प्राप्त नहीं था; और न ही बाबरी मस्जिद को गिराने के संबंध में इतने सालों तक लंबित पड़े मामले के बारे में कोई उल्लेख आया। इस प्रस्ताव के प्रस्तुतकर्ता द्वारा इस बात को सिद्ध करने के लिए कि यह सरकार भ्रष्टाचार से मुकाबला करने के लिए वचनबद्ध है तथा जिसके बारे में राष्ट्रपति ने भी कहा है वह बोफोर्स का मामला है। उन्होंने क्या कहा ? उन्होंने कहा :—

[हिन्दी]

> "मुझे आश्चर्य हुआ जब माधवराव सिंधिया तथा दूसरे अन्य लोगों ने यह कहा कि इसमें से राजीव गांधी का नाम इसलिए निकाल दिया जाये क्योंकि वे प्रधान मंत्री रहे।" न तो आपने यह कहा न हमने यह कहा।

[अनुवाद]

हममें से किसी ने भी कभी यह नहीं कहा कि राजीव गांधी का नाम बोफोर्स आरोप पत्र से हटा दिया जाए क्योंकि वह प्रधान मंत्री थे। मैं श्री माधवराव सिंधिया द्वारा इस सभा में कही गयी बात की याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि हमें इस बात पर आपत्ति है कि इस मामले में राजीव जी का नाम बिना किसी सबूत के घसीटा जा रहा है।

यहां साक्ष्य की कमी थी। यह सच है कि चूंकि उनका निधन हो चुका है अतः वह स्वयं का बचाव भी नहीं कर सकते हैं और न ही अपने बारे में कुछ कह सकते हैं। इसी आधार पर हमने आरोप पत्र से श्री राजीव गांधी का नाम हटाने के लिए कहा था।

जहां तक मेरा संबंध है, मुझे आखिरकार इस बारे में कुछ शब्द कहने का अवसर दिया गया, मैंने कहा था अपनी बात को उद्धृत करना अनैतिक होगा परन्तु महोदय, इस प्रस्ताव के प्रस्तुतकर्ता द्वारा कही गई बात के मद्देनजर रिकार्ड को सही करने की दिशा में यह आवश्यक है और मैंने कहा था :

> हमने सरकार से कालम 2 से श्री राजीव गांधी का नाम हटाये जाने की मांग की है क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है जिसके आधार पर उनका नाम इसमें सम्मिलित करने को न्यायोचित ठहराया जा सके।
>
> मैंने आगे कहा था :
>
> "आरोप पत्र के पाठ में ऐसा कुछ नहीं है जिससे यह स्थापित हो सके कि जो भी भुगतान हुआ उसमें श्री राजीव गांधी किसी प्रकार से लाभार्थी रहे हों।"

चूंकि लगता है कि सरकार इस बात को नहीं समझ पायी है कि मुद्दा क्या है अतः महोदय, मेरे पास इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है कि मैं माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण के पैरा 41 के सन्दर्भ में इस मुद्दे पर अपना ध्यान केन्द्रित करूं।

ऐसा करते हुए मैं सर्वप्रथम सरकार द्वारा अपनी ओर से नियुक्त मंत्री जी की टिप्पणियों पर कहना चाहूंगा। उन्होंने कहा था :

> "यदि किसी को कोई परेशानी है तो उसका उपाय यह है कि वह न्यायालय में जाए। वह न्यायालय में इसे चुनौती दे सकता है। वह न्यायालय के समक्ष उचित कानूनी कार्यवाही कर सकता है।"

महोदय, श्री राजीव गांधी का नाम आरोप पत्र के कालम 2 में शामिल किया गया है। कालम 2 में उन अभियुक्तों की सूची दी गयी है जिन्हें सुनवाई के लिए नहीं भेजा जायेगा। चूंकि श्री राजीव गांधी के मामले को सुनवाई के लिए नहीं भेजा जा रहा है अतः श्री राजीव गांधी को न्यायालय द्वारा स्वयं का प्रतिनिधित्व करने के लिए बुलाने का सवाल ही नहीं है। वे वहां न तो स्वयं उपस्थित होंगे न

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री मणि शंकर अय्यर]

ही उनकी ओर से कोई वकील ही उपस्थित होगा, न ही वे अपने गवाहों को बुला पायेंगे, न ही उन्हें सरकारी वकील और शासन की ओर से पेश किये गये गवाहों से जिरह करने तथा दस्तावेजों की जांच करने का अवसर मिलेगा। यहां एक ऐसे व्यक्ति का नाम आरोप पत्र में शामिल किया गया जिसे स्वयं का बचाव करने का अवसर भले ही न मिले लेकिन उसे अभियुक्त बना कर नीचा दिखाया जाये। मुझे बताया गया है कि सरकार न्यायालय के समक्ष 213 दस्तावेज प्रस्तुत करेगी अथवा बुलाये जाने वाले 83 गवाहों में से किसी एक का जवाब देना होगा। क्या यह उचित है ? क्या यह न्यायोचित है ?

जब यह प्रश्न उठाया गया तो सरकार की ओर से उसी माननीय मंत्री ने उपहास किया और कहा, ''यदि श्री राजीव गांधी के हत्यारे धनु का नाम कालम 2 में शामिल किया जा सकता है और श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के पश्चात् उनके हत्यारे श्री बेअंत सिंह का नाम आरोप पत्र में शामिल किया जा सकता है, तो श्री राजीव गांधी का नाम कालम 2 में शामिल करने में क्या समस्या है। मैं, श्री राजीव गांधी, जो एक शहीद थे, को उनके हत्यारे धनु तथा उनकी माता के हत्यारे श्री बेअंत सिंह के समान एक साथ रखने में बरती गई कोताही के बारे में कुछ कहूंगा। श्री बेअंत सिंह और धनु स्वघोषित हत्यारे थे। उन्हें की गई हत्याओं पर नाज था। वे अपने अपराध का दण्ड भुगतने के लिए तैयार थे। मैंने कहा था कि उनके दिमाग में कभी यह सन्देह नहीं रहा कि वे उन दोनों प्रधानमंत्रियों की हत्या के अपराधी हैं।

किसी ने भी यह सुझाव नहीं दिया कि ये वे नहीं थे। इन दोनों मामलों में जो आरोप पत्र दर्ज किया गया उसमें यही सारा विवरण तथा उन परिस्थितियों के तहत असंदिग्धता की स्थिति कही गयी है तथा कहा गया है कि धनु और बेअंत सिंह अपराधी थे और ये कि उनके अपराधी न होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। यदि ऐसा कोई प्रश्न किया गया होता, तो उन्हें यह कहने पर फख्र हुआ होता कि इस मामले विशेष में वे अपराधी हैं ? ऐसे मामले की बोफोर्स आरोप पत्र से कैसे तुलना की जा सकती है। जिसमें ऐसे व्यक्ति को निस्सन्दिग्ध रूप से दोषी कहे जाने का कोई आधार ही स्थापित नहीं हुआ, जो स्वयं का बचाव करने की स्थिति में नहीं है ?

महोदय, यह एक आपराधिक मुकदमा है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसमें कोई नागरिक अथवा श्री माधवराव सिंधिया हस्तक्षेप कर सकें। हम अदालत में नहीं जा सकते हैं। हम यह तर्क भी नहीं कर सकते हैं जो शायद स्वर्गीय राजीव गांधी यदि हमारे बीच जीवित होते तो प्रस्तुत करते। जब वे प्रधान मंत्री ही नहीं रहे स्वर्गीय राजीव गांधी हममे से एक थे और वे अठारह महीने तक विपक्ष के नेता रहे। इन अठारह महीनों के दौरान एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी उसमें स्वर्गीय राजीव गांधी का कोई उल्लेख नहीं किया गया। उसमें केवल इतना ही कहा गया ''अन्य सरकारी कर्मचारी'' यदि वास्तव में सी०बी०आई० ने स्वर्गीय राजीव गांधी को ''अन्य सरकारी कर्मचारी'' की श्रेणी में रखा था, तो भी उनकी शहादत से पूर्व उसके पास अठारह महीने थे जिनमें वे प्रश्न कर सकते थे और कोई ऐसा मजबूत आधार बनाते जिसके ऊपर आगे मुकदमा चलाया जा सकता, प्राथमिकी दर्ज होने के इन अठारह महीनों के दौरान उनसे पूछताछ नहीं की गई और न ही कोई ऐसा आधार तैयार किया गया ताकि सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही कर सके।

महोदय, मेरे पास एक ऐसी पुस्तक है। जो सी०बी०आई० के भूतपूर्व निदेशक ने लिखी है, जिसमें 20 पृष्ठों का एक पूरा अध्याय है तथा जो पृष्ठ 83 से शुरू होकर 183 पृष्ठ तक है जिसमें विस्तार से बोफोर्स मामले का जिक्र किया गया है। 'इनसाईड सी०बी०आई०' नामक इस पुस्तक के लेखक हैं श्री जोगिन्दर सिंह। यह आश्चर्य की बात है कि बोफोर्स मामले की भाषा इस पुस्तक की भाषा से कितनी मिलती-जुलती है। सी०बी०आई० के निदेशक के रूप में इस मामले की जांच करने के पश्चात् जो कुछ उन्होंने देखा वह बोफोर्स मामले से मेल नहीं खाता है। श्री जोगिन्दर सिंह ने अपनी पुस्तिका में कहीं भी यह नहीं कहा कि श्री राजीव गांधी अभियुक्त थे या उन्हें ऐसा कहा जाता था। हम यह जानते हैं कि सी०बी०आई० के निदेशक, श्री जोगिन्दर सिंह ने जो दस्तावेज एकत्रित किये, जो कालम एक में उल्लिखित अभियुक्तों श्री क्वात्रोच्चि, श्री विन चड्ढा तथा श्री मार्टिन आर्डबो को अपराधी बनाने का आधार बना, ताकि वे न्यायालय में आकर अपने बचाव पक्ष प्रस्तुत कर सके। ये श्री जोगिन्दर सिंह ही हैं जिन्होंने सार्वजनिक रूप से यह कहा है कि स्विस् सरकार से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर जनवरी 1997 में उन्होंने इस मामले की जांच पूरी कर ली थी। इस पुस्तक से हमें यह पता चलता है कि मई 1997 में प्राप्त स्विस दस्तावेजों के आधार पर जांच-पड़ताल पूरी कर ली गयी थी, और आरोप पत्र का प्रारूप तैयार कर लिया गया और स्वर्गीय राजीव गांधी का नाम उस आरोप पत्र में नहीं था। परन्तु इसके पश्चात् क्या हुआ ?

महोदय, मेरे पास ऐसे दस्तावेज हैं जिनसे संकेत मिलता है कि यद्यपि मैं इसे स्थापित नहीं कर सकता कि श्री जोगिन्दर सिंह के निदेशक न रहने के बाद पूर्ववती सरकार और जैसा कि अभी-अभी श्री मुलायम सिंह यादव ने याद दिलाया है – इसी प्रकार की सरकार पुनः सत्ता में आई। मैं उनके द्वारा मार्च 1998 में उनके सत्ता की बागडोर सम्भालने की बात कर रहा हूं।

मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि उस वक्त सी०बी०आई० के प्रभारी डा० टी०एन० मिश्रा ने क्या कहा था, मेरे पास समाचार पत्रों की कतरनें हैं जिनमें कहा गया है :–

> ''जुलाई-अगस्त 1998 में पूर्व सी०बी०आई० निदेशक डा० टी०एन० मिश्रा सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारियों ने एक आन्तरिक नोट में कहा था कि इस एजेंसी को बोफोर्स मामले में आरोप पत्र दर्ज नहीं करना चाहिए अथवा मुकदमें चलाने के लिए मंजूरी हेतु दबाव नहीं डालना चाहिए जब तक कि इसमें घूसखोरी और सरकारी कर्मचारियों के लिप्त होने के सबूत न मिलें।''

अतः श्री अटल बिहारी वाजपेयी की नई सरकार को सत्ता में आते ही सबसे पहले यही सलाह मिली थी। मैं इस दूसरी सरकार की बात कह रहा हूं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक ने स्वयं एक आन्तिरक नोट में कहा कि उनके पास इस बात का साक्ष्य नहीं है। यह सब सी०बी०आई० द्वारा स्विजटरलैंड से प्राप्त दस्तावेजों पर कार्यवाही पूरी किये जाने के एक वर्ष बाद हुआ। उन्होंने कहा है कि उनके पास इसे स्थापित करने हेतु साक्ष्य नहीं है और उन्होंने कहा कि मामले

को आगे नहीं बढ़ाया जाये और इस मामले को और मजबूत करने के लिए अधिक साक्ष्य जुटाये जा सकते हैं।

इसके पश्चात् अगला कदम आता है। सी०बी०आई० के वरिष्ठ कानूनी सलाहकार को पद से हटा दिया गया। क्यों ? मैं पुन: 6 मई, 1999 के समाचार रिपोर्ट को उद्धृत करता हूं :—

"इस मामले को देख रहे सी०बी०आई० के वरिष्ठ कानूनी सलाहकार ने तर्क दिया था कि एकत्र किया गया साक्ष्य आरोप-पत्र दायर करने के लिए पर्याप्त नहीं है।"

अत:, उसे इस मामले की जांच करने वाली टीम से अलग कर दिया गया था। कानूनी सलाहकार का यह मत था कि भारतीय दंड संहिता या भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के अंतर्गत साक्ष्य जालसाजी या आपराधिक कदाचार, किसी भी मामले में मजबूत नहीं था। यह उनके वरिष्ठ कानूनी सलाहकार की सलाह है। उन्होंने यह सलाह प्राप्त की और फिर क्या किया ? उन्होंने उसे बरखास्त कर दिया। उसे बरखास्त करने के बाद टीम अब भी बनी हुई है तथा टीम का कहना है, "हम जांच कर रहे हैं कि क्या हो रहा है।" मेरे पास दिनांक 21 मई, 1999 की एक अन्य समाचारपत्र रिपोर्ट है जो इस प्रकार है :

"सी०बी०आई० के उप निदेशक श्री नवनीत राजन वासन, जो पिछले कई वर्षों से बोफोर्स मामले से संबंधित सी०बी०आई० जांच के सम्पूर्ण प्रभारी रहे थे तथा जो कई वर्षों से मामले को देख रहे थे, उन्हें सी०बी०आई० से स्थानांतरित कर दिया गया है।"

आरोप-पत्र दायर करने से कुछ दिन पहले उनका स्थानांतरण कर दिया गया। ऐसा क्यों ? ऐसा इसलिए किया गया कि उन्होंने विमत टिप्पण दिया था। मैं उप-निदेशक की बात कर रहा हूं जो वर्षों से मामले की जांच कर रहे थे। उन्होंने कहा :

"पूर्व रक्षा सचिव, श्री एस०के० भटनागर तथा अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध मामले में आरोप पत्र दायर करने संबंधी सी०बी०आई० के प्रस्ताव का महत्व नहीं रहा।"

उन्होंने प्रस्तावित आरोप पत्र में श्री गांधी का नाम शामिल किए जाने के विचार को भी पसंद नहीं किया। श्री जोगिन्दर सिंह और डा० टी०एन० मिश्र द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को देखने के बाद, इस मामले की जांच कर रहे सी०बी०आई० के उप-निदेशक ने यह निष्कर्ष निकाला कि श्री राजीव गांधी के विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई आधार नहीं है। उन्होंने जो कार्यवाही की वह यह थी कि उन्हें तमिलनाडु वापस भेज दिया गया जहां के कैडर से वे आए थे तथा उनका इस बात पर जोर था कि यदि आप इस मामले में आगे कार्यवाही कर रहे हैं, तो इस संबंध में श्री राजीव गांधी के विरुद्ध कार्यवाही करना ही एकमात्र उपाय है।

तत्पश्चात्, हम अगले चरण को देखते हैं जहां विशेष जांच दल के वरिष्ठ अपर निदेशक श्री पी०सी० मिश्र का कहना है कि चूंकि वे स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, अत: उन्हें बोफोर्स दलाली के संबंध में हिन्दुजा बंधुओं से पूछताछ करनी चाहिए। उनके अनुसार, पहले से उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट होता है कि हिन्दुजा बंधुओं ने लगभग 81 मिलियन सेक (एस०ई०के०) प्राप्त किया था जो श्री क्वात्रोच्ची द्वारा प्राप्त की गई रकम से 31 मिलियन अधिक है। उन्होंने यह दलाली प्राप्त की। वे उनसे पूछताछ करना चाहते हैं। उन्होंने इसकी अनुमति नहीं दी। चूंकि उन्होंने अनुमति देने से इंकार किया, जबकि कार्यवाही पूरी होने वाली है, हिन्दुजा बंधुओं ने एक काम किया *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, मुझे अत्यधिक खेद है। मैं मुख्य सचेतक से बात करता हूं कि यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण मामला है और इसके लिए मुझे और अधिक समय की आवश्यकता है। कृपया मुझे अवसर दीजिए।

सभापति महोदय : कृपया पांच मिनट का समय लीजिए। पांच बजे तक अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री मणि शंकर अय्यर : हम आपके साथ सहयोग करेंगे। अब जबकि हिन्दुजा बंधुओं पर दबाव बढ़ रहा है, उन्होंने इन सभी वर्षों में ऐसी सभी गतिविधियों में शामिल होते हुए भी अपनी भारतीय नागरिकता को बनाए रखा। अब जबकि सी०बी०आई० उनसे पूछताछ करने को तैयार हो रही है, उन्होंने ब्रिटिश नागरिकता इस आशा के साथ ग्रहण कर ली है कि ब्रिटिश नागरिक के रूप में उन्हें कानून के मजबूत शिकंजे का सामना करने के लिए इस देश में नहीं लाया जाएगा। क्या यही सरकार है जो दुर्भावनापूर्ण इरादे के अलावा किसी भी तरह की ईमानदारी, सत्यनिष्ठा या किसी दुर्भावना से इस मामले की जांच कर रही है ? उन्हें उनके अपने अधिकारियों द्वारा यह सलाह दी जा रही है कि श्री राजीव गांधी को एक अभियुक्त के रूप में शामिल करने का कोई मामला नहीं बनता है। हिन्दुजा बंधुओं को अभियुक्त के रूप में शामिल करने का मामला बनता है। वे क्या कर रहे हैं ? वे निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही शुरू कर रहे हैं जिसका परिणाम होगा दोषी व्यक्ति को निर्दोष सिद्ध करना। हम किस प्रकार इस सरकार पर उस वचनबद्धता का पालन करने का भरोसा कर सकते हैं जो उसने राष्ट्रपति के अभिभाषण के पैरा 41 में व्यक्त किया था ?

यह स्थिति और भी अधिक कष्टपूर्ण हो गई है क्योंकि प्रधानमंत्री ने 16 अगस्त, 1999 को एक बात कही। मैं उस समय की बात कर रहा हूं जो उस स्थिति के अत्यधिक समीप है जहां हम इस वक्त हैं। 16 अगस्त, 1999 को दो महीने पूर्व ही प्रधान मंत्री दिल्ली में एक प्रेस सम्मेलन का आयोजित करते हैं। चुनावों की घोषणा कर दी गई है। चुनावों की प्रक्रिया चल रही है। उसी दिन मैं वस्तुत: अपना नामांकन दाखिल करना चाहता था। मैंने ज्योतिष सलाह पर यह कार्य दो दिन तक स्थगित कर दिया, यद्यपि मैं उस पर विश्वास नहीं करता हूं। परंतु 16 अगस्त को प्रधान मंत्री दिल्ली में एक प्रेस सम्मेलन आयोजित करते हैं और ऐसा कहते हैं। यह समाचारपत्र में प्रकाशित हुआ है। मैं उद्‌धृत कर रहा हूं :—

"प्रधान मंत्री ने आज कहा कि सरकार बोफोर्स दस्तावेज का अंतिम सेट लाए जाने की प्रतीक्षा कर रही है और दस्तावेज के यहां पहुंचते ही सी०बी०आई० को न्यायालय में आरोप पत्र दायर करने का निर्देश देगी।"

16 अगस्त को, प्रधान मंत्री कहते हैं कि इससे पहले कि आप आरोप पत्र दायर करने की कार्यवाही करें, उन्हें स्विट्जरलैंड से दस्तावेज प्राप्त करने की प्रतीक्षा करनी है और जैसे ही इन्हें प्राप्त किया जाता है,

[श्री मणि शंकर अय्यर]

जिन्हें स्विट्ज़रलैंड से दस्तावेजों के वास्तव में प्राप्त करने के काफी पहले प्राप्त किया जाता है, यह सरकार क्या कर रही है ? यह सरकार केवल एक उद्देश्य के साथ न्यायालय में अधूरा, पक्षपातपूर्ण और अपूर्ण मामला दायर करने का आदेश देती है। मुझे एक क्षण के लिए यह विश्वास नहीं होता कि श्री आडवाणी और उनके सहयोगी मिस्टर क्वात्रोच्ची के पीछे पड़े हैं। मुझे यह विश्वास नहीं होता कि वे मिस्टर आर्बडो के पीछे पड़े हैं। मुझे यह विश्वास नहीं होता कि वे श्री भटनागर के भी पीछे पड़े हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य एक मृत व्यक्ति को अभियुक्त बनाना है ताकि उसे अपना बचाव करने का मौका न मिल सके और वह मृत व्यक्ति भारत रत्न था। मैंने इस तथ्य का उल्लेख किया कि वह एक भारत रत्न था और इस पर भी, उनके मुख्य प्रवक्ता, जिसने यह प्रस्ताव रखा, हमारे किसी भी तर्क को समझ नहीं सकते। मैं केवल इस तथ्य को स्पष्ट कर सकता हूं कि श्री राजीव गांधी एक प्रधान मंत्री थे।

अपराह्न 2.00 बजे

इसके अलावा, हम उस तर्क पर आते हैं जिसे निरंतर उनकी तरफ से प्रस्तुत किया गया है। श्री अरूण जेटली द्वारा इसी सदन में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि कानून के अनुसार यह जांच एजेंसी के ऊपर है कि कानून के संबंध में किस पर आरोप लगाना है और किस प्रकार आरोप लगाया जाना है, इसे निर्धारित करने के लिए सरकार की ओर से किसी बाधा का सामना किए बिना उसे अपनी जांच पूरी करनी होती है, अत: सी०बी०आई० यह निर्णय करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है कि किस पर आरोप लगाया जाना है और क्या अभियुक्त के रूप में उसे कॉलम एक या कॉलम दो में सूचीबद्ध किया जाना है *(व्यवधान)* मैं श्री राजीव गांधी का नाम हटाने के लिए पर्याप्त समय लूंगा। ऐसा करने का कोई दूसरा अवसर भी नहीं है।

मेरा यह कहना है कि क्या सरकार को इस नाम को हटाने के लिए अपने पब्लिक प्रोसिक्यूटर को निर्देश देने का अधिकार है। मैं इस मामले में गृह मंत्री के विचार जानना चाहता हूं। किसी अभियुक्त का नाम न्यायालय में दायर करने और आरोप तैयार करने के बाद वापस लेने का अधिकार सरकार को है या नहीं, इससे संबंधित न्यायिक फैसला राजेन्द्र कुमार जैन *बनाम* अन्य अनेक के मामले में हुआ है। यह फैसला 1980 में हुआ है। यह वह मामला था जो जार्ज मैथ्यू फर्नान्डीज, जो आज भारत के रक्षा मंत्री हैं, के विरुद्ध आपराधिक आरोप दर्ज करने के समय सामने आया था। यह एक ऐसा मामला है जो भारत के रक्षा मंत्री से संबंधित है। यह मामला 1976 में श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार के समय दर्ज किया गया था। 1977 के चुनाव के पश्चात्, नयी सरकार ने 22 मार्च, 1977 को सत्ता संभाली। ठीक चार दिन बाद 26 मार्च, 1977 को सरकार ने विशेष पब्लिक प्रोसिक्यूटर को श्री जार्ज फर्नान्डीज और उनके सभी सहयोगियों के विरुद्ध आरोपों को वापस लेने का निर्देश दिया। जब इस मामले में उच्चतम न्यायालय में अपील की गई, तो न्यायपीठ में स्वतंत्र भारत के दो सर्वाधिक सम्मानित न्यायाधीश इस मामले को देख रहे थे। उनमें से एक न्यायाधीश वी०आर० कृष्णा अय्यर थे। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वे एक अय्यर थे। दूसरे न्यायाधीश श्री ओ० चिन्नप्पा रेड्डी थे। न्यायाधीश ओ० चिन्नप्पा रेड्डी द्वारा इस मामले में निर्णय दिया गया। वह वकील कौन थे जिन्होंने अधिकतर प्रतिवादियों का पक्ष लिया वह भी उनकी सरकार में मंत्री हैं। उनका नाम है श्री राम जेठमलानी और उन्हें जिसका सहयोग प्राप्त हुआ, उसका नाम श्रीमती सुषमा स्वराज है और जो सर्वाधिक प्रतिष्ठित एवं आकर्षक महिला वकील हैं तथा जो इस सदन में हमारे साथ नहीं हैं। यह ऐसा मामला है जिसमें रक्षा मंत्री शामिल रहे हैं। इसमें विधि मंत्री शामिल रहे हैं जो उस समय उनके वकील थे तथा श्रीमती सुषमा स्वराज शामिल हैं, जो उग्र स्वभाव की रही हैं और जिन्हें बेल्लारी में श्रीमती सोनिया गांधी के विरुद्ध खड़ा किया गया। उस मामले में, निर्णय पूरी तरह स्पष्ट है। सर्वप्रथम, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 321 के अंतर्गत अपना आवेदन दर्ज किया। उस आवेदन में, उन्होंने जो कहा, उसे मैं उद्धृत कर रहा हूं :—

> "केन्द्रीय सरकार ने सभी अभियुक्तों के अभियोजन से हटने की इच्छा व्यक्त की है।"

मैं पुन: इसे दोहराता हूं। केन्द्रीय सरकार ने सभी अभियुक्तों के अभियोजन से हटने की इच्छा व्यक्त की है। जब आप उस मामले में अभियोजन वापस ले सकते थे, तो आप पुन: ऐसा कर सकते हैं। इस मामले में और भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब निर्णय दिया गया, तो निर्णय में सुस्पष्ट रूप से इसका उल्लेख था। उस संबंध में मेरे पास दो उद्धरण हैं जिनमें से एक है :

> "सरकार पब्लिक प्रोसिक्यूटर को यह सुझाव अवश्य दे कि वह अभियोजन से हट जाए।"

अत:, इस मामले में पूर्व दृष्टांत पहले से है। यह पूर्व दृष्टांत एक ऐसे मामले में है जिसमें इस सरकार के रक्षा मंत्री शामिल रहे हैं। इसके अनुसार, उच्चतम न्यायालय के स्तर पर न्यायाधीश ओ० चिन्नप्पा रेड्डी ने सुस्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार को पब्लिक प्रोसिक्यूटर को यह सुझाव देने का अधिकार है कि वह अभियोजन से हट जाएं। इस मामले में आगे यह बात है कि न्यायाधीश ओ० चिन्नप्पा रेड्डी ने आगे यह कहा। मैं उनके निर्णय के पैरा 17 का उल्लेख कर रहा हूं। मैं नम्बर का जिक्र इसलिए कर रहा हूं ताकि श्री लाल कृष्ण आडवाणी उसी सावधानी के साथ इस मामले की जांच करा सकें जिस सावधानी के साथ श्री जसवंत सिंह ने दूसरे सदन में इस मामले की जांच कराने का वचन दिया है। न्यायाधीश रेड्डी के निर्णय के पैरा 17 में, उन्होंने यह कहा है :

> "आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अभियोजन से हटना पड़ता है और न्यायालय को इस तरह के हटने के मामले में अपनी सहमति देनी पड़ती है।"

उन्होंने आगे कहा :

> "जहां लोक नीति के विस्तृत और संवेदनशील मामले शामिल हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नीति निर्माताओं की सलाह और मार्गदर्शन लेना चाहिए।"

अपराह्न 2.06 बजे

[श्री माधवराव सिंधिया पीठासीन हुए]

आपके लिए यह सर्वथा उचित है कि आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर को यह सुझाव दें कि राजीव जी का नाम हटाया जाए और पब्लिक

प्रोसिक्यूटर के लिए यह पूर्णतः उपयुक्त है कि वे उन मामलों के संबंध में आपके विचारों पर ध्यान दें जो बड़े एवं संवेदनशील हैं। यदि नीति निर्माता स्वयं पहली बार में मामले को पेश करते हैं और यदि वे पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अभियोजन से हटने की सलाह देते हैं, तो न्यायालय के लिए यह कहना जरूरी नहीं कि इस मामले में सरकार पहल करे। अतः, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए यह नहीं कहा जा सकता कि वह इस मामले में स्वतंत्र रूप से सोचे। उनका कहना है कि यदि आप उसे बड़े नीति महत्व के मामलों के संबंध में निर्देश देते हैं और जब वह उसे हटा लेता है, तो ऐसा करना सर्वथा न्यायोचित है। वस्तुतः, पैरा 17 जिस महत्वपूर्ण वाक्य के साथ पूरा होता है, वह इस प्रकार है :—

> "ऐसी स्थिति में, न्यायालय को मामला हटा लेने के कारणों को स्पष्ट करने का प्रयास करना है और इस रूप में संतुष्ट होना है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी संतुष्ट था कि उसे अच्छे एवं सुसंगत कारणों से अभियोजन से हट जाना चाहिए।"

माननीय सभापति महोदय, अच्छे और सुसंगत कारण इस सदन में कांग्रेस सदस्यों के हस्तक्षेप से सामने नहीं आते; अच्छे और सुसंगत कारण सी०बी०आई० के निदेशक श्री जोगिन्दर सिंह से मालूम हो रहे हैं; ये कारण सी०बी०आई० के निदेशक श्री टी०एन० मिश्र से मालूम हो रहे हैं; ये कारण सी०बी०आई० के उप निदेशक श्री एन०आर० वासन से ज्ञात हो रहे हैं; ये कारण इस मामले में सी०बी०आई० के कानूनी सलाहकार से ज्ञात होते हैं। यदि इसे सामने लाया ही गया है, तो हमें सीधा-सादा समझकर यह कल्पना करने को कहा गया है कि आरोप दायर करने के संबंध में श्री वाजपेयी की सरकार को कोई लेना-देना नहीं है और अब वे इन मामलों में कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं सरकार को यह याद दिला रहा हूं कि वे पिछले 52 वर्षों में से केवल सात वर्ष उन बेंचों (सत्ता पक्ष) पर रहे हैं, जबकि हम पिछले 52 वर्षों में से 45 वर्षों तक सत्ता में रहे हैं। हम शासन को समझते हैं; हमें सरकार और सी०बी०आई० के बीच के संबंध का स्वरूप मालूम है और, इसलिए, हम जानते हैं कि यदि श्री राजीव गांधी का नाम कॉलम दो में अभियुक्त के रूप में शामिल किया गया है, तो ऐसा आपकी सरकार द्वारा किए गए सुविचारित राजनीतिक निर्णय के कारण हुआ है जो आपके प्रधानमंत्री के कुछ सप्ताह पूर्व दिए गए वक्तव्य का उल्लंघन है। यही कारण है कि हम अपनी तरफ से इस बात पर जोर दे रहे हैं कि यह राजनीति से प्रेरित है, कि यह बदले की कार्रवाई है, कि इसका उद्देश्य दुर्भावपूर्ण है, कि आपका दिल साफ नहीं है और दिमाग साफ नहीं है।

मुझे यह देखकर प्रसन्नता हो रही है कि आपके सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री आपको सहयोग प्रदान करने के लिए सदन में आ रहे हैं। राज्य मंत्रियों की भूमिका है कि कैबिनेट मंत्रियों को उत्तर देने में सहयोग करें। वास्तव में, उन्होंने एक टेलीविजन परिचर्या में जहां मैं भी उपस्थित था, एक वक्तव्य दिया था जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया था कि श्री राजीव गांधी का नाम क्यों लाना पड़ा। उन्होंने यह कहा था और मैं इसे एक समाचार पत्र की रिपोर्ट से उद्धृत कर रहा हूं। मेरी याददाश्त अच्छी है, परन्तु इतनी नहीं कि अपने मित्र श्री अरुण जेटली द्वारा कही गयी बुद्धिमत्ता भरी एक-एक बात याद रह जाए। उन्होंने कहा था :

> "कानूनी तौर पर, आरोप-पत्र को बनाए रखने के लिए श्री राजीव गांधी का नाम वहां होना ही था।"

यह बेतुकी बात है। उनके पास एक ऐसा आरोप पत्र है जिसे वे कानूनी तौर पर कायम नहीं रख सकते थे और इसलिए इसे कायम रखने के लिए उन्होंने एक मृत व्यक्ति का नाम इसमें घसीटा। क्या इस देश में इसी प्रकार न्याय होता है ? क्या यह न्यायसंगत है ? क्या ऐसी सरकार का, जो देश में आम सहमति बनाने का दावा करती है, व्यवहार करने का यही तरीका है ? क्या जल्दी थी ? वस्तुतः, मैं श्री आडवाणी और उनकी सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या जल्दी थी ? पिछले 12 वर्षों से आप एक शव से राजनीतिक हित साध रहे हैं। यह आपको सरकार नहीं बनाता, यह आपको बनाता है *

महोदय, साढ़े सात वर्ष पूर्व, जब मैं इस प्रश्न पर सदन में बोला था, तो मैंने अपना भाषण यह कहते हुए समाप्त किया था कि आप एक मृत व्यक्ति की छवि को धूमिल कर रहे हैं।

आडवाणी जी आप मुझसे लॉबी में मिले थे और मुझे बहुत अच्छे भाषण पर बधाई दी थी परन्तु कहा था कि आपने मेरे अंतिम शब्दों को पसंद नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि इस प्रकार की भाषा का सदन में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। आप इतने वरिष्ठ हैं और मैं इतना नया सदस्य था कि वे आज भी मेरे मस्तिष्क में गूंज रहे हैं कि आपने मेरे पास लॉबी में आने की दया की और आपने राजीव गांधी के ऊपर दिये गए मेरे भाषण के लिए मुझे बधाई दी और मुझे सलाह दी कि "मृत व्यक्ति के चेहरे पर कीचड़ फेंकने" जैसी अभिव्यक्तियों का प्रयोग न करें। आज कौन मृत व्यक्ति के चेहरे पर कीचड़ फेंक रहा है ? श्री राजीव गांधी अपना बचाव कैसे कर सकते हैं ? हम में से कौन न्यायालय में जाकर उनका बचाव कर सकता है ? हम में से कोई भी राजीव गांधी का बचाव करने में समर्थ नहीं है क्योंकि आपने उन्हें वहां रखा है जहां उनका बचाव नहीं किया जा सकता। उनका नाम एक अभियुक्त के रूप में वहां है। श्री जेटली का कहना है कि ऐसे मामले को बनाए रखने के लिए जिसमें वे सरकार के सवैतनिक कर्मचारी थे, अभियोजन चलाने हेतु उनका नाम वहां रखना ही होगा। उनकी आयोग्यता मात्र इतनी थी कि वे मामले को एक झूठ के अलावा सीधे-सीधे ऐसे नहीं बना सके कि उसे कायम रखा जा सके — और वह झूठ था कि श्री राजीव गांधी एक लाभार्थी थे।

मैंने आरोप पत्र को पढ़ा है। हममें से कई लोगों ने आरोप पत्र को पढ़ा है। परन्तु आरोप पत्र में यह स्थापित करने, संकेत करने, इशारा करने और सुझाव देने के लिए एक भी शब्द नहीं है कि श्री राजीव गांधी एक लाभार्थी थे। जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं, उनसे हम इतना ही जानते हैं कि श्री क्वात्रोच्चि पर लाभार्थी होने का प्रथम-दृष्टया मामला है। यह न्यायालय में सिद्ध किया जाना है। परन्तु प्रथम-दृष्टया मामला यह है कि किसी श्री ओटावियो क्वात्रोच्चि ने ए०ई० सर्विसेज की ओर से लगभग 7 मिलियन डालर प्राप्त किये। हम जानते हैं कि वह धन ऑस्ट्रिया के रास्ते स्विट्जरलैंड में आया और विभिन्न स्थानों को चला गया। हम यह नहीं जानते कि अंतिम लाभार्थी कौन था। परंतु जो हम जानते हैं, वह यह है कि 12 वर्षों की जांच के बाद भी के०अ० ब्यूरो यह सिद्ध नहीं कर पाया कि श्री राजीव गांधी को 7 मिलियन डालर में से 1 सेन्ट का भी लाभ मिला था। आरोप पत्र के पैराग्राफ 52 के अनुसार, उसमें कहा गया है :

*अध्यक्षपीठ के आदेशनुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[श्री मणि शंकर अय्यर]

"कि न्यायिक सहायता प्राप्त करने के लिए अनुरोध पत्रों को कई विभिन्न स्थानों पर भेजा गया। सर्वप्रथम, उन्होंने स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया से इसको मांगा। परन्तु पैराग्राफ 62 के अनुसार, उन्होंने आस्ट्रिया और स्विटजरलैंड के अलावा स्वीडन, पनामा, लम्जम्बर्ग ब्रघमास, जोर्डन, लिंचेस्टाहन का भी दौरा किया।"

यह पता करने के लिए कि वह धन कहां गया तथा पत्रों को प्राप्त करने के लिए वे न्यायालय में गये। मैं नहीं जानता कि लाभार्थी कौन है ? मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं लाभार्थी हो सकता हूं। मैं केवल इतना जानता हूं कि श्री आडवाणी लाभार्थी हो सकते हैं। हम नहीं जानते कि लाभार्थी कौन हैं ? पैसा जा चुका है। यह पता करने के लिए कि वह कहां है, वे कार्रवाई कर रहे हैं। जो हमने व्यावसायिक विदेश सेवा अधिकारियों के रूप में जाना, उसे उन्होंने कटु अनुभवों के द्वारा सीखा। ऐसी जानकारी प्राप्त करना बहुत कठिन होता है। आप कागज के टुकड़े अपनी जेब में रखकर और उन्हें हवा में घुमाकर यह नहीं कह सकते," मेरे पास बैंक खाता संख्या है। मुझे प्रधान मंत्री बनाइये। मैं 15 दिनों में आपको नाम बता दूंगा। हम जानते थे कि सत्य क्या था। तब वे हमारी नहीं सुनते थे। वे अनुभवों से सीखते हैं। हमने 13 वर्षों तक प्रतीक्षा की। अब हम उस स्थिति में पहुंचे हैं जहां हम श्री क्वात्रोच्चि की ऐसे व्यक्ति के रूप में पहचान कर पाये जिसने कुछ धन प्राप्त किया। हम यह भी जानते हैं कि यह धन गिर्से आइलैंड में चला गया। यह उन सभी स्थानों पर चला गया जिनका मैंने उल्लेख किया है। परन्तु हम यह नहीं जानते कि वे किनके नाम हैं और कौन उसे प्राप्त करेगा। यह वह व्यक्ति हो सकता है जिसका नाम आपने कॉलम 2 में अभियुक्त के तौर पर डाला है। परन्तु दूसरी ओर यह नहीं भी हो सकता है। और यदि यह नहीं है, तो एक आदमी जो लाभार्थी नहीं है, वह षड्यंत्रकारी कैसे बन सकता है ? किस के हित में षडयंत्र किया गया ? किसके हित में यह हुआ। आरोप-पत्र के अनुसार, एक बड़ा अपराध श्री राजीव गांधी द्वारा किया गया। तीन स्थानों पर उन्हें श्री क्वात्रोच्चि का पारिवारिक मित्र बताया गया। चौथे स्थान पर उन्हें श्री क्वात्रोच्चि का नजदीकी पारिवारिक मित्र बताया गया। और पांचवें स्थान पर यह आरोपित किया गया है कि वे प्रधान मंत्री के सरकारी आवास पर बेरोकटोक जा सकते थे।

भा०ज०पा० के समूह में बहुत से अजनबी लोग हैं। मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि जब हम संयुक्त राष्ट्र संघ के स्वर्ण जंयती सत्र से वापस लौट रहे थे, तो लंदन में भारतीय उच्चायुक्त ने संसदीय शिष्टमंडल के लिए हिंदूजा की नाव की व्यवस्था की थी।

श्री सोमनाथ चटर्जी ने इसमें बैठने से मना कर दिया था। केवल भा०ज०पा० ही उस नाव को चलाकर प्रसन्न थी जिसे हिंदुजा चलाते हैं। आज वही उच्चायुक्त राज्य सभा के भा०ज०पा० सदस्य हैं। क्या इसके कारण आप चाहते हैं कि मैं खड़ा होकर कहूं कि भा०ज०पा० के नेताओं को अभियुक्त के रूप में कॉलम 1 में शामिल करना चाहिए क्योंकि उन्होंने हिंदुजा पर कागजात दायर कर दिए हैं। हम ऐसा कोई सुझाव नहीं दे रहे हैं। पारिवारिक मित्र होने से, और नजदीकी पारिवारिक मित्र होने से भी, यह सिद्ध नहीं होता ...*(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : हमने जो सुना और जाना वह यह है कि श्री सोमनाथ चटर्जी नाव पर चढ़े थे।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : सभापति महोदय, चर्चा अभिभाषण पर हो रही है और श्री मणि शंकर अय्यर जी बोफोर्स के विषय पर बोल रहे हैं, जबकि हमारे नेता को केवल 15-20 मिनट बोलने के लिए समय दिया गया। मैं उनका बड़ा आदर करता हूं, लेकिन हमारे नेता को बहुत कम समय दिया गया और ये बोलते ही जा रहे हैं।

सभापति महोदय : रावले जी बैठिए। ऐसी बात नहीं है। दूसरों को भी टाइम दिया गया है। वे अभी समाप्त कर रहे हैं। मणि शंकर अय्यर जी, कृपया समाप्त करें।

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर : राजीव गांधी का अपराध नजदीकी मित्र होना है। जिस अपराध के लिए उन्हें अभियुक्त बनाया जा रहा है, वह है कि उन्होंने कुछ ही दिनों में निर्णय ले लिया। कुशल सरकार चलाना एक अपराध क्यों है ? बोफोर्स तोप लाने के अपराध के वे अभियुक्त हैं। पिछली भाजपा सरकार द्वारा लिए गये निर्णयों में एक महत्वपूर्ण निर्णय था कि हमारी सारी रेजीमेंटों को उन बोफोर्स तोपों से सुसज्जित किया जाएगा। इसका मतलब है कि अगले दो वर्षों में एक हजार से अधिक बोफोर्स तोपों को शामिल किया जाएगा क्योंकि उन्होंने कारगिल में अपनी क्षमता सिद्ध कर दी है। हम इस सदन में ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानन्द मंडल (मुंगेर) : सभापति महोदय, क्या श्री मणि शंकर अय्यर कमीशन को जस्टीफाई कर रहे हैं ?

श्री मणि शंकर अय्यर : जस्टीफाई नहीं कर रहा हूं।

[अनुवाद]

भाजपा सरकार ने अगले दो वर्षों में इन तोपों को हजारों की संख्या में खरीदने का फैसला किया है। उन्होंने अपने बोफोर्स के साथ कोई सौदा न करने के समझौते को रद्द कर दिया है और ऐसा इसलिए हुआ कि इस तोप ने कारगिल युद्ध में अपना शानदार प्रदर्शन प्रस्तुत किया।

सभापति महोदय : मैं सोचता हूं कि अब आपको समाप्त करना चाहिए।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : सभापति महोदय, मेरे विद्वान मित्र को यदि मैं स्मरण दिलाऊं तो कोई गुनाह नहीं होगा कि यह राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर उनके प्रति धन्यवाद के प्रस्ताव पर बहस हो रही है। बोफोर्स के विषय पर प्रधान मंत्री जी ने आपसे आह्वान किया था कि यदि आप इस पर बहस कराना चाहते हैं, तो आप मोशन लाइए।

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, श्री पटवा देरी से आये हैं। उन्होंने मेरा भाषण नहीं सुना। यदि वे यहां होते ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय, मैं पटवा जी को याद दिलाना चाहता हूं, यदि उन्होंने मेरा भाषण गौर से सुना है, तो मैंने अपने भाषण के शुरू में ही कहा है कि मैं धारा 41 पर जो आपका प्रैसीडेंट एड्रैस है, उस पर बोलना चाहता हूं और मैं बोफोर्स का जिक्र इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि जो व्यक्ति इस मोशन को यहां लाए थे, उन्होंने बोफोर्स का जिक्र किया और वे आपके आदमी हैं।

[अनुवाद]

मेरे पास समय की कमी है परन्तु मेरे पास बहस की कमी नहीं है। मुझे और बहुत कुछ कहना है। परन्तु मुझे खेद है कि मेरे पास कहने के लिए समय नहीं है। पर मैं सोचता हूं कि मैंने यह सिद्ध करने के लिए बहुत कुछ कहा है कि श्री राजीव गांधी का नाम आरोप-पत्र के कॉलम 2 में जान-बूझकर डाला गया है ताकि उन्हें बदनाम किया जा सके और वे अपना बचाव न कर सकें। संबंधित जांचकर्ता एजेंसी ने स्वयं ऐसा न करने का परामर्श दिया था, कि वे इस मामले को बेकार ही महत्व दे रहे हैं। इसमें सबसे बुरी बात यह है कि ऐसा करते हुए वे स्विट्जरलैंड को हिंदुजा से संबंधित दस्तावेज जारी न करने के लिए रास्ता दिखा रहे हैं। यदि हिंदुजा से संबंधित दस्तावेज इस देश में नहीं आते हैं, तो उनके सबसे निकटतम मित्र के विरुद्ध कोई आरोप पत्र दाखिल नहीं होगा, इस तरह वे हमारा नाम लेंगे। इसे ही मैं राजनीति से प्रेरित कह रहा हूं। यह बदले की भावना है। मैं अपनी अंतिम दलील प्रस्तुत करता हूं।

हम अभी तक तेरहवीं लोकसभा के प्रारम्भ में ही हैं। हमारे पास अभी आगे भी समय है। हम अभी भी सौहार्दपूर्ण वातावरण बहाल करना चाहते हैं जिसमें हम चुनाव के बाद के परिदृश्य पर विचार कर सकें। अभी भी समय है। अभी तक न्यायालय में आपराधिक दंड संहिता की धारा 321 के अधीन आरोप तय नहीं किये गये हैं।

इसलिए, यदि आप अभी उनका नाम वापस लेते हैं, तो किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। बाद में भी, कोई समस्या नहीं होगी। कोई समस्या है ही नहीं। आपने श्री राजीव गांधी का नाम कॉलम-2 में शामिल करने का निर्देश दिया है। यह आपके हाथों में है। यह पूर्णतया कानून की परिधि में है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार आप अब भी आरोप लगाने से पूर्व उनका नाम वापस लेने के लिए पब्लिक प्रोसीक्यूटर को न्यायालय में जाने के निर्देश दे सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप उन करोड़ों लोगों की आजीवन कृतज्ञता प्राप्त कर सकते हैं, जिन्होंने पिछले आम चुनाव में कांग्रेस को वोट दिया है। क्या आप हमारा समर्थन चाहते हैं; क्या आप हमारा सहयोग चाहते हैं; क्या आप कार्य करने में हमारा साथ चाहते हैं अथवा आप * बने रहना चाहते हैं आपकी मर्जी है। हम आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

गृह मंत्री महोदय, इस चर्चा में हम आपसे जानना चाहते हैं, कि क्या आप नाम हटाने की हमारी मांग को मानेंगे। यदि आपके लिए चर्चा का उत्तर देने के लिए खड़े होने से पूर्व बचे कुछ घंटों में इस संबंध में निर्णय लेना संभव नहीं है, तो हम तब तक प्रतीक्षा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं जब तक आप इसकी जांच करते हैं। अगले सत्र के आरम्भ में अथवा अंतर-सत्रावधि में, हमारे पास आइये और कहिए कि आपने उनका नाम हटा दिया है। जबकि आप ऐसे आदमी का नाम उपयोग कर रहे हैं जो हम सभी को प्रिय था — भले ही वह आपको प्रिय नहीं था — इस देश का एक शहीद, एक ऐसा आदमी जो धनु द्वारा मारा गया था (वही धनु जिससे वह बात कर रहा है) तो कृपया आप हमसे अपने प्रति अच्छे बर्ताव की आशा न करें। और जब आप मेरे एक मित्र को, मेरे व्यक्तिगत मित्र को, सदन के एक नेता को, इस देश के एक प्रधान मंत्री और भारत रत्न को बदनाम करते हैं, तो हम आपके प्रति सदभावना का प्रदर्शन नहीं करते रह सकते। कृपया ऐसा न करें। इससे कुछ भला नहीं होगा। मैं नहीं समझता कि इससे आपके नाम को कोई यश मिलेगा।

धन्यवाद महोदय।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : सभापति महोदय, अन्य सदस्यों के साथ मैं भी माननीय राष्ट्रपति को उनके द्वारा संसद के दोनों एकत्रित सदनों को संबोधित करने के लिए धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही मैं इस अभिभाषण से उत्पन्न कुछ आशंकाओं को भी व्यक्त करना चाहता हूं जिनके बारे में मुझे काफी जानकारी है और जिनका मैं यहां संक्षेप में उल्लेख करना चाहता हूं।

मेरी पहली आशंका उस संबंध में है जिससे शायद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री भी सहमत हैं जो कि इस समय यहां नहीं हैं। उन्होंने अपने भाषण में देश की जनसंख्या में अबाध वृद्धि-दर के विषय में चर्चा की है और आश्चर्यजनक बात यह है कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इसका कोई जिक्र नहीं है। ... *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : एक छोटा-सा उल्लेख था *(व्यवधान)*

श्री इन्द्रजीत गुप्त : एक ऐसे मामले पर जो कि मेरी दृष्टि में, मैं गलत भी हो सकता हूं, ऐसी जगह पहुंच चुका है कि अब इस पर सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यदि वह मानते हैं, तो श्री आडवाणी, आप कृपया सभापति को संबोधित करें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त, यदि आप मानने को तैयार हैं, तो वे कुछ स्पष्ट करना चाहते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्हें स्पष्ट करने दीजिए।

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : मैं माननीय सदस्य का पैराग्राफ 15 की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा जिसमें कहा गया है :

"कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति शीघ्र प्रस्तुत की जाएगी जिसका दोहरा उद्देश्य सभी नागरिकों को पर्याप्त मूलभूत स्वास्थ्य सेवाओं का प्रावधान करना और जनसंख्या को स्थिर करना है।"

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

फिर, जनसंख्या के संबंध में भी एक अलग से पैराग्राफ है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के ये दो प्रमुख उद्देश्य हैं जिनके बारे में इस सरकार ने विचार किया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, मैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का स्वागत करता हूं, किन्तु मेरे विचार से इसके अलावा अनेक दूसरी बातें हैं जिन पर जनसंख्या नियंत्रण का प्रश्न निर्भर करता है।

मैं यह कहना चहता हूं कि मैं राष्ट्रपति महोदय से यह उम्मीद कर रहा था कि वे इस समस्या को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे, जो अब उस स्थिति में पहुंच गयी है, जहां हमारे देश के भविष्य के बारे में प्रत्येक व्यक्ति को चिन्ता होनी चाहिए, चाहे वह सत्ता पक्ष से संबंधित हो या विपक्ष से संबंधित हो। हमारे देश में विकास और इन करोड़ों लोगों, जिनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है की आवश्यकताओं को हम किस प्रकार पूरा करने जा रहे हैं, यह एक प्रश्न है, जो मेरे विचार से इस समय प्रत्येक व्यक्ति को उद्वेलित कर रहा है। हम कभी-कभी यह कहकर पीछा छुड़ा लेते हैं कि इस समस्या की गहराई में नहीं जाना चाहते क्योंकि इससे अनेक भावनायें जुड़ी हैं। महोदय, मैं विनम्रतापूर्वक कह रहा हूं कि इस समस्या का सामना करने का यह तरीका ठीक नहीं है। अन्यथा, अब से कुछ वर्षों के बाद हमारा देश इस जनसंख्या वृद्धि के कारण ऐसे संकट में आ जायेगा जिसका कोई हल नहीं निकल पायेगा। अत:, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार जनसंख्या को स्थिर रखने के अलावा, इस विषय के संबंध में कोई और विचार रखती है, जिससे इस सदन को विश्वास में लिया जा सके और इस संबंध में विस्तारपूर्वक हमें बताये कि इस राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में उनका क्या प्रस्ताव है जिससे वे इस समस्या का सामना करने का विचार कर रहे हैं जो वास्तव में चिन्ताजनक स्थिति में पहुंच गयी है।

महोदय, मेरी दूसरी आशंका कारगिल युद्ध में सरकार की भूमिका के बारे में है। हमारी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए हमारे जवानों, अधिकारियों और हमारे सैन्य बलों ने किस प्रकार अपनी जानें दी, अपना खून बहाया और वीरता का जो गौरवपूर्ण इतिहास लिखा है, इसके बारे में प्रत्येक व्यक्ति जानता है। इसलिए, स्वाभाविक है कि प्रत्येक व्यक्ति ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस बारे में कोई सन्देह नहीं है। यह ऐसी बात है जिसका इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को गर्व है। किन्तु, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे सैन्य बलों के इन युवा जवानों का जीवन खतरे में किस प्रकार पड़ा। जब सरकार कहती है कि उसे इसकी जानकारी नहीं थी, वह इस तथ्य से अनभिज्ञ थी कि पाकिस्तान के सैनिक बड़ी संख्या में हमारी सीमा-क्षेत्र में प्रवेश कर गये हैं जिनमें न केवल पाकिस्तान के नियमित सैनिक शामिल थे बल्कि मुजाहिदीन भी शामिल थे जो विभिन्न देशों से भर्ती किए गए किराये के सैनिक थे और जिन्हें नियमित पाकिस्तानी सैनिकों के सामने खड़ा कर दिया गया, यह दिखाने के लिए कि वे एक प्रकार से आजादी के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, यदि मैं ऐसा कहूं कि वहां सरकार के समक्ष दो विकल्प थे। यदि सरकार सच बोल रही है, जब वह कहती है कि उसे कोई जानकारी नहीं थी, कम से कम अनेक दिनों तक इस बात की जानकारी नहीं थी कि कारगिल क्षेत्र में हमारी सीमा के पार से हजारों लोगों द्वारा यह घुसपैठ की गयी है; यदि यह एक विकल्प है कि उसे वास्तव में ही कोई जानकारी नहीं थी, कोई सूचना नहीं थी, यदि यह सच है तो इसे माना जा सकता है।

तब, नि:संदेह, हमारी आसूचना एजेंसियों, जो केवल एक नहीं है, बल्कि अनेक हैं, को ही दोषी माना जायेगा। हमारे पास रॉ है; हमारे पास सैन्य आसूचना है; हमारे पास आसूचना ब्यूरो है; और हमारे पास अनेक आसूचना एजेंसियां हैं। यदि यह सच है कि अनेक दिनों तक सरकार को वास्तव में कोई सूचना नहीं थी, इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि यह घुसपैठ हुई है जबकि वे लोग हमारी सीमा की ओर नियंत्रण रेखा के अन्दर लगभग 12 से 15 किलोमीटर तक प्रवेश कर गये थे तथा सरकार के पास इसकी कोई सूचना उपलब्ध नहीं थीं, तो इस बात के लिए आसूचना एजेन्सियों को दोषी ठहराया जायेगा।

तब, हमारी आसूचना एजेन्सियां क्या कर रही थी ? स्वाभाविक है कि इस देश के प्रत्येक नागरिक के दिमाग में यह प्रश्न उत्पन्न हुआ है। बाद में, अनेक समाचार पत्रों, अनेक पत्रिकाओं और अनेक अन्य कागजातों में यह प्रश्न उठा है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जानना चाहता है कि सच्चाई क्या है। दूसरी ओर — यह दूसरा विकल्प है — यदि यह माना जाये कि उन्हें जानकारी नहीं थी, ऐसा नहीं है कि उन्हें जानकारी नहीं थी, कम से कम उन्हें पूर्व-चेतावनी दी गयी थी कि पाकिस्तान द्वारा ऐसी घुसपैठ की जाने वाली है, अत:, यह अति आवश्यक था कि हमें अधिक सतर्कता बरतनी चाहिए थी और कारगिल क्षेत्र में अपनी सीमा की सुरक्षा इस प्रकार करनी चाहिए थी कि हमें इस संबंध में जानकारी अचानक नहीं मिलती। यदि उन आसूचना एजेन्सियों से ऐसा संकेत या सूचना आ रही थी, तो सरकार क्या कर रही थी ? इन विकल्पों में, या तो आसूचना एजेन्सियां असफल रही हैं जिससे सरकार पर विश्वास किया जा सकता है कि उसे इसकी जानकारी नहीं थी, उसे अंधेरे में रखा गया था और दूसरी ओर यदि यह पता चलता है कि इनमें से अनेक आसूचना एजेन्सियों ने सरकार को चेतावनी दी थी तथा उन चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया गया था, तो इस समग्र मामले में सरकार की स्थिति क्या है तथा सरकार की भूमिका क्या रही है ?

अपराह्न 2.31 बजे

[*अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए*]

अब, मुझे पता नहीं है कि क्या यह सच है कि श्री वाजपेयी की विख्यात लाहौर के लिए बस यात्रा के कारण या जो बात कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तानी प्रधान मंत्री के मित्रता के प्रदर्शन से हमारी सतर्कता में कमी आ गयी तथा स्वाभाविक रूप से प्रधान मंत्री और सरकार के उनके अन्य सदस्य यह अनुमान नहीं लगा सके कि कुछ दिनों के अन्दर ऐसी घुसपैठ हो सकती है, जिसकी तैयारी स्पष्टत: काफी समय पहले से ही की गयी थी। इस प्रकार की घुसपैठ, जिसमें देश में भारी हथियार लाये गए थे, जिनमें बंकरों पर कब्जा कर लिया गया था, जिसमें इन पाकिस्तानियों द्वारा अनुकूल पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया गया था, एक ही रात में नहीं की गयी थी। स्पष्टत: यह ऐसा कार्य था जिसकी तैयारी काफी समय से चल रही थी और स्पष्ट रूप से यदि आप जांच करेंगे तो आप पायेंगे कि इस बस यात्रा की समाप्ति पर जब श्री वाजपेयी और पाकिस्तानी प्रधान मंत्री के बीच बातचीत चल रही थी, तो वही समय था जब ये तैयारियां चल रही होंगी।

खैर, मैं यह कहना चाहता हूं कि हम इसकी वजह से बहुत चिन्तित और परेशान हैं क्योंकि ऐसी बातें फिर घटित हो सकती हैं। इस सभा में क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमें यह गारंटी देने के लिए तैयार है कि ऐसी घटना दोबारा नहीं हो सकती है अब सरकार यह अज्ञानता दिखायेगी कि उन्हें अंधेरे में रखा गया तथा वह नहीं जानती है कि क्या हो रहा है और आसूचना एजेन्सियां सूचना देने में असफल रही हैं। इसका यह मतलब है या यह कह सकते हैं कि आसूचना एजेन्सियां या जो भी सूचना वे एकत्र कर सके हैं, उन्होंने सरकार को चेतावनी दी थी, किन्तु उन चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया गया, उनकी उपेक्षा की गयी, उन्हें हल्के रूप में लिया गया था उन्हें कोई महत्व नहीं दिया गया। इनमें से कौन-सा विकल्प आप पसन्द करेंगे ? मैं यह जानना चाहता हूं कि कारगिल में युद्ध के कारण इस विशेष प्रश्न पर किसी भी प्रकार की चर्चा करने के लिए कोई अवसर नहीं दिया गया। घुसपैठ किस प्रकार हुई ? क्या सरकार इसके बारे में जानती है ? उन्हें इसका कब पता चला, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी ? कारगिल युद्ध के दौरान हमें बताया गया था कि इन प्रश्नों को उठाने का यह उचित समय नहीं है। उन पर बाद में विचार किया जा सकता है। मैं जानता हूं कि कारगिल युद्ध की समीक्षा करने के लिए बाद में एक निकाय गठित किया गया है, किन्तु यह वह नहीं है जिसकी हम मांग कर रहे हैं।

हम चाहते हैं कि इस बात की उचित प्रकार से पूर्ण जांच करायी जाये कि जो कुछ भी हुआ है उसका दोषी कौन है। इसका पता पाकिस्तान द्वारा गोलाबारी किए जाने के बाद ही चला, उनका उद्देश्य श्रीनगर-लेह सड़क को तोड़ना था, जो नीचे थी जो स्पष्टतः उनका मुख्य लक्ष्य था जिसपर उन्होंने ऊपर से गोलाबारी शुरू की थी, तब सरकार जागी और उसे आश्चर्य हुआ तथा यह पूछा कि यह किस प्रकार हो रहा है और ये कहां से आये तथा हमें इनके बारे में पहले पता क्यों नहीं चला। इसीलिए मैं यह पूछ रहा हूं कि क्या इस बात की कोई गारंटी है कि इस प्रकार की घटना दोबारा नहीं होगी। सैकड़ों जवान शहीद हो गए हैं। स्वाभाविक है कि सैनिक होने के नाते, उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का पालन किया, अपनी स्वयं की सुरक्षा की परवाह किए बिना बहादुरी, दृढ़संकल्प से ऐसे कठिन भूभाग में उन्होंने युद्ध किया जहां उन्हें उन चट्टानों पर चढ़ना पड़ा जो सामान्यतया पर्वतारोहण के साहसपूर्ण कार्य की श्रेणी में आता है। वे इन ऊंचाइयों पर पहुंचे और इन हमलावारों का सामना किया। कुछ परिस्थितियों में बाद में, इन सब कार्यवाहियों में हमें कुछ जानें खोनी पड़ी। उनमें से अनेक जवान मार गये। निःसन्देह, अब हमने उनमें से अनेक को परमवीर चक्र और महाबीर चक्र से सम्मानित किया है। आपने इन उल्लेखों को पढ़ा होगा। उन सभी को अब प्रकाशित कर दिया गया है। आप इन उल्लेखों को पढ़ कर देखें कि उनमें से प्रत्येक ने किस प्रकार अपने जीवन का बलिदान किया, कैसी स्थिति थी और किन परिस्थितियों में उन्होंने पाकिस्तानी चौकियों पर हमला किया, कुछ मामलों में किसी ने अकेले ही उन पाकिस्तानी चौकी पर आक्रमण किया जिनपर दुश्मन के अनेक जवानों ने कब्जा किया हुआ था, जो हमारे सैनिकों को साफ-साफ देख पा रहे थे। मैं घायल जवानों को देखने के लिए कुछ सैनिक अस्पतालों में गया था। किसी ने अपना हाथ खो दिया था, किसी ने अपना पैर या अपनी टांग खो दी थी और किसी ने अपनी दृष्टि खो दी थी। वे सभी 22, 23 और 24 वर्ष के युवा व्यक्ति थे। जब उन्होंने हमसे बात की तो उनमें से किसी ने भी हमसे शिकायत नहीं की और न ही किसी ने लापरवाही के लिए किसी को दोषी ठहराया। इस सच्चाई के बावजूद कि इस स्थिति में वे अपना बाकी जीवन किस प्रकार बितायेंगे, वे प्रसन्नचित्त थे तथा विश्वास से पूर्णतया भरे हुए थे। यही वे महान लोग हैं जिनके दम पर दुनिया कायम है। निःसंदेह, राष्ट्र ने उदारतापूर्वक और खुले मन से अंशदान किया है, किन्तु यह सब धन के रूप में है। जीवन में प्रत्येक बात की प्रतिपूर्ति धन से नहीं की जा सकती है। मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि यह या तो हमारी आसूचना एजेन्सियों की लापरवाही है या फिर सरकार की लापरवाही है जिसे पूर्व चेतावनी दे दी गयी थी कि नियंत्रण रेखा के पार तैयारियां चल रही हैं। मुझे अब यह सब बताने की आवश्यकता नहीं है; मेरे विचार से सरकार जानती है। ब्रिगेड नम्बर 121 के कमांडर ब्रिगेडियर सुरेन्द्र सिंह कारगिल मोर्चे पर तैनात थे। उनका वक्तव्य सभी समाचार पत्रों में व्यापक रूप से प्रकाशित हुआ है। उन्होंने अपने वक्तव्य में बताया था कि उन्होंने किस प्रकार संदेश भेजे थे, ये संदेश केवल एक बार ही नहीं भेजे गए थे, बल्कि अनेक बार भेजे गए थे। उन्होंने 56 पृष्ठ लम्बा एक पत्र भी भेजा था।

निःसंदेह, उन्होंने इसे उचित प्रक्रिया के अनुसार सेनाध्यक्ष को भेजा था। सेवारत अधिकारी के रूप में वह सरकार को सीधे पत्र नहीं भेज सका। उसने अपनी रिपोर्ट सेनाध्यक्ष को भेजी थी। जिसमें स्पष्ट रूप से यह बताया गया था कि :

> "कुछ चल रहा है; हम इसे अपनी आखों से देख रहे हैं; तैयारियां चल रही हैं; हथियार एकत्र किए जा रहे हैं; विभिन्न स्थानों से लोगों को लाया जा रहा है और वे नियंत्रण रेखा की जांच-पड़ताल कर रहे हैं यह पता लगाने के लिए कि कमजोर स्थान कौन से हैं जहां से घुसपैठ संभव है तथा इसलिए अब, यह उचित समय है कि हम धोखे में न रह जायें और इसके लिए हमें विशेष उपाय करने चाहिए।"

किन्तु कुछ भी नहीं हुआ। मेरे विचार से कल या परसों सेना ने अपना पैदल सेना दिवस मनाया है। पैदल सेना दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है क्योंकि पैदल सेना सैन्य बलों की रीढ़ होती है। भारत में पैदल सेना के महानिदेशक लेफ्टीनेन्ट जनरल शंकर प्रसाद हैं और उन्होंने कुछ वक्तव्य दिया था। कृपया इसे पढ़ें। मैं इसका उल्लेख नहीं कर रहा हूं। उसमें उन्होंने यह स्वीकार किया है कि यह आसूचना की असफलता है और निःसंदेह उनके विचार से, उन्होंने रॉ-अनुसंधान और विश्लेषण स्कन्ध — को दोषी ठहराया है — जिसके बारे में उन्होंने बताया कि सीमा के पार क्या हो रहा है इस बारे में सूचना एकत्र करना और आसूचना उसका प्राथमिक उत्तरदायित्व है। यह उनका दृष्टिकोण है। मेरे पास सबूत भी है। मेरे विचार से, इन सब साक्ष्यों को आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं।

आसूचना ब्यूरो के निदेशक ने भी वक्तव्य दिया है। जिसमें उन्होंने बताया :

> "हमने उनको पूर्व चेतावनी दे दी थी कि कुछ उपद्रव करने के लिए तैयारियां चल रही हैं; ये लोग किसी अच्छे कार्य के लिए नहीं आ रहे हैं और वे हमले की योजना बना रहे हैं और हमें समय पर कुछ उपाय कर लेने चाहिए।"

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

इन सबका क्या हुआ ? अब, कोई जांच-पड़ताल नहीं की जा रही है। एक पुनरीक्षा समिति बनायी गयी है। मैं नहीं जानता कि इससे वास्तव में, क्या करने की अपेक्षा है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि इन जवानों, जिन्होंने हमारे लिए और देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया है, एक महान त्याग किया है। यह ध्यान देने वाली बात है कि पूरा युद्ध नियंत्रण रेखा के इस ओर हमारी तरफ लड़ा गया है, सभी मौतें – प्रत्येक घटना – हमारी ओर की सीमा में ही हुई है और दूसरी ओर की सीमा पर कोई घटना नहीं घटी है। समग्र घटनायें भारतीय सीमा में ही हुई हैं। इससे पता चलता है कि उन्होंने कैसे आक्रमण की योजना बनायी थी और हम कितने लापरवाह थे। मैं जानता हूं सरकार ने अंत में निर्णय लिया था जब यह प्रश्न उठा कि क्या हमें नियंत्रण रेखा पार करनी चाहिए या नहीं और दूसरी ओर सीमा पार चला जाना चाहिए, निःसंदेह जिसमें अनेक बाधायें थी, उनमें से कुछ बाधायें तो अत्यन्त गंभीर प्रकृति की हैं। उन्होंने निर्णय किया – और मेरे विचार से बिल्कुल ठीक ही था – कि हमारी सेनाओं को नियंत्रण रेखा पार नहीं करनी चाहिए, किन्तु उन लोगों को बलपूर्वक सीमा से बाहर खदेड़ देना चाहिए।

फिर भी ये प्रश्न अनुत्तरित ही रह जाते हैं। किन्तु मैं नहीं समझता की संसद, जो इस देश का सर्वोच्च निकाय संस्था है, को ऐसी बातों के बारे में अंधेरे में रखा जाये। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि किसी भी ऐसे देश में जहां संसदीय लोकतंत्र कार्य कर रहा है, कारगिल की तरह की घटना होती है और सरकार संसद को विश्वास में लेने से इंकार करती है और यह बताने से भी कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है और क्यों हुआ है। ऐसे किसी भी देश में इस बात की अनुमति नहीं दी जाएगी, जहां निर्वाचित संसद कार्य कर रही है। दुर्भाग्य से ऐसा केवल हमारे देश में ही होता है।

महोदय, मैंने जो कुछ अस्पताल में देखा, उसे देखकर मैं बहुत दुखी हुआ। एक सिपाही, जो जवान लड़का था, जिसकी केवल एक वर्ष पहले ही शादी हुई थी, वहां पड़ा हुआ था। उसका कुछ माह का एक छोटा बच्चा है। उसका परिवार उसे देखने अस्पताल आया हुआ था। जब बच्चे ने अपने पिता को एक पैर अथवा एक हाथ अथवा कुछ ऐसे ही के बिना पड़े देखा तो उसने फिर घर जाने से मना कर दिया। उसने अपने पिता के साथ रहने की इच्छा प्रकट की। उसके पिता ने उसे अपने पास रख लिया। जब हम वहां पहुंचे, वह बच्चा, वह नन्हा बालक अपने पिता के साथ उसी बिस्तर पर सो रहा था।

इसलिए, मैंने उस जवान से पूछा, ''जब तुम्हारे परिवार के लोग यहां आए और तुम्हें ऐसी हालत में देखा, तो उन्होंने क्या किया और उनकी क्या प्रतिक्रिया रही ? उसने कहा : 'महोदय, वे क्या कहेंगे ? उनमें से अधिकतर शिक्षित नहीं हैं। वे गांव के लोग हैं और वे इन फौजी समस्याओं को नहीं समझते। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा और मुझे कोई शिकायत भी नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस युद्ध में जीतने जा रहे हैं।' मेरा यह मानना है कि उन कुछ अधिकारियों की तुलना में, जिनसे हमें बातचीत का अवसर मिला था, वह जवान मुझे आत्मविश्वास से भरा दिखाई दिया। इसलिए जो कुछ मैं कह रहा हूं वह यह है कि हमें इस बात की तह में जाना चाहिये, कम से कम भविष्य के लिए क्योंकि हमारा जो पड़ोसी है उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। हम नहीं जानते वह आगे क्या करेगा।

यदि यह इस तरह बताया जा रहा है कि हमला अचानक हुआ है तो कम से कम सरकार तो यह स्वीकार करे कि यह हमला अचानक हुआ। यह हमला अचानक क्यों हुआ ? यही मेरा प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दिया जाना चाहिए। इस देश को इस तरह इस बात के बारे में अंधेरे में नहीं रखा जा सकता। उन्हें कहना चाहिए कि खुफिया एजेन्सियों का कार्य ठीक नहीं था। यह ठीक है। हम संदिग्ध व्यक्तियों को खोजने के बारे में नहीं कह रहे हैं, किन्तु उत्तरदायी एजेन्सियों को अवश्य ही जिम्मेदार ठहराना चाहिए। हमारे देश में जिम्मेदारी नाम की कोई चीज नहीं है। जो कुछ हुआ है इसके लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। या तो उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए अथवा सरकार में यह स्वीकार करने का साहस और ईमानदारी होनी चाहिए कि सभी चेतावनी-संदेशों, के बावजूद जो इन कुछ खुफिया एजेन्सियों ने उन्हें भेजी थी, उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और घुस-पैठिये देश में काफी अन्दर तक घुस आए थे, उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था और ऊंचाई पर से श्रीनगर-लेह मार्ग पर बमबारी शुरू कर दी।

इनमें कम से कम एक बात तो स्वीकार की जाए। इन बातों को स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। हमने पहले भी लड़ाईयां लड़ी थी, जहां लोगों को शव परीक्षा के लिए ले जाया गया था और इस संबंध में सामग्री प्रकाशित की गई। मुझे याद है 1941 में जब हिटलर का तूफानी हमला लंदन पर हुआ, प्रत्येक रात शहर पर बमबारी की जा रही थी। हाऊस आफ कामन्स की बैठक बुलाई गई। इसकी बैठक एक दिन के लिए भी स्थगित या टाली नहीं गई। संसद की बैठक जारी रही और मेरा विश्वास है कि हाऊस आफ कामन्स के सदस्य जो सुसंगत मुद्दे उठा रहे होंगे और उस समय विंस्टन चर्चिल जैसे व्यक्ति जो सरकार के मुखिया थे, को संसद का सामना करना पड़ रहा था और जो भी तथ्य वे जानते थे, उन्हें बताना पड़ रहा था।

हमारे मामले में, आधी संसद कार्य कर रही थी। राज्य सभा अस्तित्व में थी, लोक सभा नहीं थी। किन्तु आश्चर्य की बात तो यह है कि सरकार ने यह महसूस किया कि राज्य सभा में कोई चर्चा अथवा बहस करना खतरनाक होगा और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और उस समय बैठक नहीं बुलाई जानी चाहिए थी। जहां तक मैं जानता हूं, कानूनी अथवा संवैधानिक रूप से, भारत की संसद दो सभा में से केवल एक से नहीं बनती। दोनों सभाओं और राष्ट्रपति से संसद बनती है। जो कुछ हो रहा था, यदि उसको लेकर उस सभा के सदस्य वास्तव में उत्तेजित थे और चर्चा करना चाहते थे, तो सरकार के पास यह सोचने का कोई कारण ही नहीं था कि सदस्यों द्वारा सभी प्रकार की गैर-जिम्मेदाराना बात कही जाएगी, जो देश के हितों के विरुद्ध होगी। हमें संसद के सदस्यों पर कम से कम कुछ तो विश्वास होना ही चाहिए। खैर, उसकी भी अनुमति नहीं दी गई थी।

अब, मैं केवल एक या दो मुद्दों पर ही बात करूंगा। बहुत सी बातों पर विचार करने का समय नहीं है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बात पर ठीक ही बल दिया गया है कि देश स्थिरता के प्रश्न के बारे में बहुत ही गंभीर है, स्थिरता

के कुछ उपाय कैसे किए जाएं। अब हम अस्थिर सरकारों के आदी हो गए हैं। अवश्य ही, उस तरफ के सदस्य हमें जोर-शोर से विश्वास दिलाते रहेंगे कि वर्तमान सरकार स्थिर है क्योंकि 23 या 24 घटकों का यह मोर्चा अथवा गठबंधन उन्हें यह वचन दे चुका है कि वे उसके साथ रहेंगे, अत: अस्थिरता आने का कोई प्रश्न ही नहीं है। ठीक है समय बताएगा, मैं इस समय कुछ नहीं कहना चाहता। यदि वे स्थायी सरकार चला पाते हैं तो मुझे देश के कारण प्रसन्नता होगी। हालांकि हम उनके पूरे दर्शन, उनकी विचार-धारा, उनके सिद्धांतों अथवा उनकी नीतियां अथवा और भी कई बातों से असहमत हैं। यह इस दल अथवा उस दल अथवा अन्य किसी दल का प्रश्न नहीं है। किन्तु यदि इस तरह की अस्थिरता, लगातार अस्थिरता, जो हमें भुगतनी पड़ रही है कि कोई भी सरकार एक वर्ष अथवा दो वर्षों अथवा तीन वर्षों से अधिक नहीं टीक पा रही है; यदि यही प्रवृति जारी रहती है, तो इस देश का क्या होगा, दलों की तो बात ही छोड़ दीजिये ? देश के विकास को, देश के सामने आने वाली सभी समस्याओं को दर-किनार किया जा रहा है। मुझे बहुत शक है कि क्या मंत्री अथवा नौकरशाह अथवा अधिकारी अपने कार्य के प्रति बहुत गंभीर हो पायेंगे, यदि वे यह महसूस करते हैं कि यह सरकार अस्थाई है और यह सरकार एक या दो वर्षों के बाद बदल जायेगी। यह अच्छी बात नहीं है, यह बहुत ही गलत बात है। इसलिए इस अभिभाषण में भी कुछ सुझाव दिए गए हैं।

कुछ लोगों अथवा वर्गों का यह कहते हुए उल्लेख किया गया है कि वे उनका यह मानना है कि संविधान में संशोधन करके संसद का कार्यकाल नियत किया जाना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि यदि लोकसभा एक बार निर्वाचित होती है, तो वह पांच वर्ष तक कार्य करेगी, और कोई भी उस संसद का कार्यकाल कम नहीं कर सकता। अच्छा मैं मानता हूं, हमारे अधिकतर माननीय संसद सदस्य खुश होंगे, यदि ऐसी बात होती है, क्योंकि उनका कार्यकाल पांच वर्ष के लिए सुरक्षित हो जाएगा, कोई भी किसी संसद सदस्य को पांच वर्षों तक परेशान नहीं कर सकता, इसका विचार किए बिना कि वह क्या करता है अथवा क्या नहीं करता। किन्तु महोदय, मुझे बहुत शक है कि क्या ऐसा परिवर्तन संवैधानिक रूप से लाया जा सकता है। सरकार के लोकतंत्रीय रूप में उस सरकार को यह दिखाना पड़ता है कि उसे सभा का विश्वास प्राप्त है। इस बीच, यदि वह अल्पमत में आ जाती है, तो भी संविधान में परिवर्तन के कारण वह कार्य करती रहेगी, जबकि पांच वर्ष पूरे नहीं हो जाते, मैं नहीं समझता कि यह स्वीकार्य है अथवा उसे जरा भी स्वीकृति दी जाएगी, हालांकि हमारी सरकार की संपूर्ण अवधारणा के मूल ढांचे में इससे कोई व्यवधान नहीं पड़ता। मुझे शक है कि ऐसी बातों को उच्चतम न्यायालय द्वारा कायम रखा जाएगा, यदि कोई उच्चतम न्यायालय में चला जाता है। किन्तु इसका विचार किए बिना कि सरकार क्या करती है और क्या नहीं करती, चाहे वह बहुमत है अथवा अल्पमत में; उसके पास पांच वर्ष का नियत कार्यकाल होगा। इसलिए मैं इस विचार के पूरी तरह विरुद्ध हूं, और नियत कार्यकाल अथवा इस मामले के लिए स्थिरता अन्तत: संख्या बल पर निर्भर नहीं करता। यह केवल संख्या का प्रश्न नहीं है। यह ठीक है कि, बहुमत अथवा अल्पमत के प्रश्न में संख्या मायने रखती है किन्तु केवल संख्या की ही बात नहीं है, जो स्थिरता निश्चित करेगी। हमारे देश के इतिहास में हमें केन्द्र और राज्यों में सरकारों के बहुत से उदाहरण मिलेंगे, जब सरकार संख्या की दृष्टि से तो निश्चित रूप से ही बहुमत में थी, किन्तु वह अन्य कारणों से स्थिर नहीं रह पाई, वह एक निश्चित बिन्दु से आगे नहीं जा पाई, क्योंकि उनका पत्तन हो गया। मैं दूरगामी संवैधानिक सुधारों की तह में जाने का प्रत्यन किए बिना एक सुझाव दूंगा। एक सुझाव जो मैं देना चाहता हूं वह यह है कि हमें अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को स्वीकार करने और इसे अपनाने की सहमति बनाने का प्रयत्न करना चाहिए।

हमें एक प्रावधान पर सहमत होना चाहिए कि प्रत्येक दल जो चुनाव लड़ता है, तो सभा में सीटों के उस अनुपात को प्राप्त करने का पात्र होगा, जैसा वह निर्वाचक गण से मतों का अनुपात प्राप्त करता है, अर्थात् *अनुपात* अर्थात् मुझे अधिक प्रतिशत मतों का मिलने का अर्थ है सभा में अधिक सीट। जो उस तरीके से अधिक अच्छा होगा जो वर्तमान में जारी है, जहां लोग 25 से 30 प्रतिशत मत प्राप्त करते हैं और कई बार 40 से 50 प्रतिशत मत प्राप्त करते हैं। यह वही प्रणाली है जो हमारे पास वर्तमान में अस्तित्व में है। वह स्थिरता कैसे लाएगी ? यह अधिक अच्छा है कि दल जो मतदाताओं में विश्वास का निश्चित प्रतिशत प्राप्त करते हैं वे सभा में सीटों में अपने हिस्से से अधिक के पात्र नहीं हैं। अतः यह मेरा पहला सुझाव है।

महोदय, मेरा दूसरा सुझाव है कि इस अविश्वास का मत अथवा विश्वास का मत, जो कुछ भी आप इसे कहना चाहें, के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। श्री वाजपेयी और सत्ता दल द्वारा उसके बारे में जो वह विश्वास का मत एक मत से हारने के बारे में बहुत कुछ बोला गया है। मैं जानता हूं कि यह एक तर्क है जिसने निर्वाचन के दौरान लोगों को आकर्षित किया है। यह मेरा भी अनुभव है। लोगों ने इसे महसूस किया बहुत से लोगों ने इसे महसूस किया कि ऐसे थोड़े से अन्तर से सरकार का गिरना अथवा सरकार का गिर जाना कुछ हद तक गलत है और ठीक नहीं है। मैं सुझाव दूंगा कि यदि कुछ प्रावधान किया जाता है जो हम विचार कर सकें जहां पदस्थ सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव केवल तभी लाया जाए जब उसे सभा में दो-तिहाई बहुमत प्राप्त हो। यह विश्वास अथवा अविश्वास का प्रश्न है। यह उस सरकार का प्रश्न है कि उसे जारी रखा जाए या नहीं। विश्वास प्रस्ताव अथवा अविश्वास प्रस्ताव को पारित कराने के लिए क्या सभा में कम से कम दो-तिहाई बहुमत नहीं चाहिए ? मैं समझता हूं कि यह अनिवार्य है। इस प्रावधान से इस तरह के आने वाले अवसरों से बचा जा सकेगा, जहां किसी को भी यह शिकायत करने का अवसर नहीं मिलेगा कि उसे बहुत ही कम अंतर से अपदस्थ किया गया है। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। संपूर्ण सभा के दो-तिहाई बहुमत को निर्णय करने दें कि कोई विशेष सरकार विश्वास का मत प्राप्त करती है अथवा नहीं। एक अन्य सुझाव जर्मन मॉडल का दिया गया है, जिसमें यह प्रावधान है कि आपको एक विकल्प के लिये हमेशा ही तैयार रहना चाहिए तथा कोई भी अविश्वास प्रस्ताव तब तक प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि आप यह न बताएं कि आपके पास यह वैकल्पिक मॉडल है, एक वैकल्पिक सरकार है जो इस सरकार का स्थान ले सकती है। इस समय हमारी ऐसी ही स्थिति है। मेरा ख्याल है कि हमारे यहां ऐसा असम्भव है। यह व्यवहारिक नहीं है। यह सफल नहीं होगा। किन्तु इस तरह दो-तिहाई का मत लाना एक उचित बात है जिससे, मैं समझता हूं कि इस पर कोई एतराज नहीं करेगा। इसकी संभावना का पता लगाया जाना चाहिए। यदि इस विशेष प्रश्न पर किसी समिति अथवा आयोग अथवा अन्य कहीं पर कोई चर्चा होने जा रही है, तो मैं इस प्रस्ताव का निश्चित

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

रूप से समर्थन करूंगा। इसलिए मेरा स्थिरता के संबंध में यह ठोस सुझाव है।

महोदय, अंत में मैं कहूंगा कि बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में मैं कहना चाहूंगा, विशेषकर आर्थिक मुद्दे पर अधिक कुछ नहीं कहा गया है; इसके अतिरिक्त विश्व व्यापार संगठन का अगला सत्र, विश्व व्यापार संगठन सियटल सम्मेलन हमारे सामने है। यह बहुत ही प्रमुख है। माननीय राष्ट्रपति ने एक वाक्य में विश्वास दिलाया है कि "हमारी सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि यह सियटल सम्मेलन में पूरी तरह से तैयार होकर जायेगी कि हमारे राष्ट्रीय हित कायम रहे और इसे किसी तरह का खतरा नहीं हो।" किन्तु कुछ भी नहीं बताया गया है। जहां तक वर्तमान में मुझे दिखाई देता है, इस समय विश्व व्यापार संगठन तथा ऐसे ही कुछ अन्य बहुपक्षीय संस्थाएं हैं जिनमें विश्व के कुछ शक्तिशाली एवं सम्पन्न देशों का बोलबाला है अथवा बोलबाला होने वाला है।

अपराह्न 3.00 बजे

ये वे देश हैं, जो शर्तें लाद रहे हैं। उनकी भारी वित्तीय और आर्थिक, शक्तियों के कारण वे अन्य देशों को अपने नियम और शर्तें जबरदस्ती मनवाने की स्थिति में हैं। अत: यदि विश्व व्यापार संगठन विश्व व्यापार छोटे देशों, गरीब देशों, कथित अविकसित अथवा विकसित देशों की आवश्यकताओं और हितों को पूरा नहीं कर पाता है, तो हमारे सामने भारी खतरा है और हम बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। दुर्भाग्य से, कुछ भी स्पष्ट नहीं, किया गया है, हम नहीं जानते कि वास्तव में सरकार क्या सोच रही है और सियटल सम्मेलन में जाने के लिए भारत क्या तैयारी कर रहा है। जिससे कि वे हमारे राष्ट्रीय हितों को कायम रखने में समर्थ होंगे। इसलिए यही कुछ है, जिसकी हम आशा करते हैं कि सरकार अपने उत्तर में कुछ प्रकाश डालेगी।

यही सब मैं कहना चाहता हूं। बहुत से मुद्दे हैं, किन्तु मैं अब उनमे नहीं जा रहा हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जो अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री अस्वस्थ हैं। हम उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं।

महोदय, ऐसे दो मुद्दे रहे हैं जहां दो माननीय वक्ताओं ने मेरे नाम का उल्लेख किया है। अत: इससे पहले कि मैं उस प्रस्ताव के विषय में बात करूं, मैं संक्षेप में उन पर विचार करूंगा। मेरे आदरणीय मित्र श्री मुलायम सिंह यादव ने एक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि विगत चुनाव में हमने कांग्रेस के साथ सहयोग किया था। मुझे पूरा विश्वास है उनका कहने का मतलब यह नहीं था, वे तो मात्र कांग्रेस के विरुद्ध बहस के कुछ मुद्दे उठाना चाहते थे। हमने यह बहुत स्पष्ट कर दिया था कि हम धर्म-निर्पेक्ष उम्मीदवारों में से सबसे मजबूत उम्मीदवार का समर्थन करेंगे केवल वहीं जहां पर वामपथी दल का कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया गया था। इस आधार पर हमने उनका समर्थन किया और हमने एन०सी०पी० उम्मीदवारों का भी समर्थन किया।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : हम आपसे बहस नहीं करेंगे। आप हमारे वरिष्ठ नेता हैं और हम आपका आदर करते हैं। क्या आप सबको सेक्यूलर मानते हैं, सवाल यह है। ... *(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले : कांग्रेस के बारे में बताइए कि वह सेक्यूलर है या नहीं। आपके मुंह से हम स्पेसेफिक जवाब चाहते हैं। ... *(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : हमने कहा कि आपकी पार्टी का विरोधी सेक्यूलर कभी नहीं हो सकता। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सिमरनजीत सिंह मान (संगरूर) : महोदय, मैं ही वह संसद-सदस्य हूं जिसने कांग्रेस तथा सी०पी०आई० (एम) उम्मीदवारों को हटाया था। पंजाब में उन दोनों का गठबंधन था।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, दूसरा जि श्री मणि शंकर अय्यर ने किया था। सबका अपना एक नजरिया होता है। उनका अपना नजरिया है। उन्होंने लंदन में मेरे किसी स्टीमर ट्रिप का उल्लेख किया था। महोदय, मुझे आमंत्रित किया गया था; श्री इन्द्रजीत गुप्त को आमंत्रित किया गया था; हमारे माननीय भूतपूर्व अध्यक्ष को आमंत्रित क़िया गया था और श्री एल०एम० सिंहवी उच्चायुक्त ने व्यक्तिगत रूप से श्री अटल जी को आमंत्रित किया था। महोदय, हम नहीं जानते कि उनके हृदय में भा०जा०पा० के प्रति कोई हमदर्दी थी या वे हिन्दुजा के मित्र थे। वे वहां डा० एल०एम० सिंहवी, जो वहां के उच्चायुक्त थे, के मेहमान रहे। वास्तव में श्री गुप्त वहां के उच्चायुक्त की अनुमति से अपने भतीजे को भी साथ ले गए, जैसा कि डा० सिंहवी की अनुमति से मैं अपने मित्र श्री बनर्जी को भी साथ ले गया था जो मेरे कनिष्ठ थे अब इसे यहीं रहने दें क्योंकि इस पर सभा से बाहर पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है।

महोदय, मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी का औपचारिक रूप से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने सभा के संयुक्त सत्र क़ो सम्बोधित किया हालांकि उस भाषण में पुरानी घिसी पीटी बातें तथा शब्दाडम्बर ही है परन्तु उसमें किसी एक कार्यक्रम का जिक्र तक नहीं किया गया कि कोई कार्य कैसे जायेगा या कब किया जायेगा इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जायेगी और क्या आशाएं/अपेक्षाएं रखी जानी चाहिए।

महोदय, भाषण में सबको सब कुछ देने का वायदा किया गया है परन्तु इसे कार्यरूप में लाने का, कोई भी सुझाव नहीं बताया गया। ऐसे वायदे हालांकि अच्छे होते हैं, उनसे चुनाव के परिणाम भी अच्छे होते है, उससे चुनावी राजनीति भी अच्छी होती है परन्तु इससे अच्छा शासन चलाने में सफलता नहीं मिलती।

महोदय, मैं समय की कमी के कारण हर मुद्दे पर चर्चा नहीं करूंगा। परन्तु कई मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। उदारहरणार्थ 'सर्वसम्मति द्वारा शासन' करने का सरकार का संकेत। डीजल के मूल्य कैसे बढ़ाए गए यह हमें पता चल गया है। यहां तक कि नई सरकार सत्ता

में भी आ गई, उसके बाद एक बार भी किसी से इस बात पर चर्चा नहीं की गई। इस निर्णय की बस एकमात्र विशेषता यही रही है कि शिवसेना, टी०डी०पी० तथा जद(यू) समेत सभी सहयोगी दलों ने इसका विरोध किया। प्रत्येक दल और सरकार के प्रत्येक सहयोगी दल ने इस मूल्य-वृद्धि का विरोध किया। परन्तु अपने अड़ियल रूप के कारण वे अपने इस निर्णय पर कायम रहे और मूल्य स्थिति के विभिन्न परिणामों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। सामान्य जनता को ही कष्ट झेलने पड़े। रोजाना चलने वाले आम लोगों को ही परेशानी भुगतानी पड़ रही है। महोदय, यह आम सदस्यों का राजनीति का एक उदाहरण है। यह तो इसका मज़ाक उड़ाया जा रहा है।

महोदय, मैं अपने मित्र टी०डी०पी० के श्री के० येरननायडू की बात सुन रहा था। हम बहुत खुश हैं और आन्ध्र-प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चन्द्रबाबू नायडू पर हमें गर्व है। वह हमारे बहुत अच्छे मित्र रहे हैं। मैं इस बात की प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने बहुत सोच समझ कर एन०डी०ए० सरकार में शामिल न होने का निर्णय लिया। जब वह सरकार के कामकाज से कोई सुखी हैं, तो वे सरकार में शामिल क्यों नहीं हुए ? क्योंकि वे अपने ऊपर कोई दाग नहीं लगाना चाहते थे।

श्री के० येरननायडू (श्रीकाकुलम) : नहीं, हमने बहुत पहले सरकार में सम्मिलित न होने का निर्णय ले लिया था।

श्री सोमनाथ चटर्जी : बहुत समय पहले क्या निर्णय लिया था *(व्यवधान)* अत:, यह बड़ी बेतुकी बात है श्री येरननायडू, मुझे आशा है कि एक दिन आप सरकार में शामिल हो जाएंगे। परन्तु आप इसके बारे में सोचिए कि आप किस हद तक अपनी पार्टी को एक्सपोज करेंगे।

महोदय, मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। हमने अपनी बात कह दी थी। परन्तु जिस तरह से बोफोर्स का मामला दायर किया गया, यह देखने की बात है। आप इसका समय देखिये। पिछले-निर्वाचनों से पूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि जब सभी दस्तावेज आ जायेंगे तभी बोफोर्स का मामला दायर किया जायेगा। फिर भी यह मामला दायर कर दिया गया। इससे यह सर्वथा स्पष्ट हो जाता है कि राजनीतिक पार्टियों से विचार-विमर्श से शासन करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। यह राजनीतिक बदले का स्पष्ट उदाहरण है। निश्चित रूप से यह राजनीतिक सर्वसम्मति नहीं थी। न ही इससे सहयोग से शासन करने के स्पष्ट दृष्टिकोण दिखाई देता है जैसा कि राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में कहा है।

अभी-अभी श्री इन्द्रजीत गुप्त ने जिन्हें आपने सभा के पिता की संज्ञा दी है, अपना भाषण दिया। महोदय, हम यह जानते हैं कि उन्हें यह संज्ञा क्यों दी गई। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन में आगामी चर्चा का उल्लेख किया था। परन्तु इस विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है। विपक्ष को विश्वास में लेने का कोई प्रयास नहीं किया गया। इसका बहुत अधिक महत्व है।

महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण में राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने तथा उनकी और अधिक सुरक्षा करने के लिए अन्य देशों की सरकारों के साथ बातचीत करने के बारे में उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है :—

> सरकार आगामी सिएटल सम्मेलन की तैयारी के लिए सोची-समझी नीति तैयार कर रही है। मेरी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि विश्व व्यापार संगठन के साथ होने वाली बातचीत के नए दौर में, भारत के राष्ट्रीय हितों की पूरी सुरक्षा की जाए। परन्तु इस देश में किसी को कुछ भी पता नहीं है। यहां उसके बारे में कोई वक्तव्य है ही नहीं। विपक्ष से कोई विचार-विमर्श नहीं किया जाता। मुझे नहीं पता कि मुख्य विपक्षी दलों से कभी कोई विचार-विमर्श किया भी गया है अथवा नहीं। ऐसा एक भी प्रमुख मुद्दा नहीं है जहां किसी को भी विश्वास में लिया गया हो। वे सोचते है कि उन्हें जो कुछ चाहें, वही करने का अधिकार हासिल है।

महोदय, राष्ट्रपति के भाषण में सर्वसम्मत राजनीति का उल्लेख किया गया है। राष्ट्र को अपने सम्बोधन में प्रधान मंत्री ने सर्वसम्मत राय की बात की है परन्तु यह केवल कागजों पर हुआ है। हमने भी पिछले कार्यकाल के दौरान श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का कार्य-निष्पादन देखा है। मुझे यह कहते हुए खेद होता है, कि अब भी, जैसे-जैसे समय बीत रहा है श्री अटल बिहारी वजपेयी की छवि तेजी से एक सर्वथा भिन्न होती जा रही है वह एक राजनेता से पूरी तरह एक दलगत राजनैतिक होते जा रहे हैं।

अब हमें यही परिणाम हासिल हुए हैं। भ्रष्टाचार एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है जो ठीक ही उठाया गया है। परन्तु वे इसका मुकाबला कैसे करना चाहते हैं ? उनके सहयोगी कौन हैं ? ये वही व्यक्ति हैं, जिनके विरुद्ध उन्होंने सभा में उनके त्याग-पत्र की मांग करते हुये भारी आंदोलन किया था और अब वही उनके पक्के सहयोगी हैं राष्ट्रपति के भाषण में काले धन के विषय में और सामान्तर अर्थ-व्यवस्था के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा गया है जो देश की बड़ी अर्थ-व्यवस्था को खोखला कर रही है। देश में काले धन की समस्या का समाधान किए बिना आप भ्रष्टाचार की समस्या से कैसे निपट सकते हैं ? वास्तव में अपने भाषण में ऐसी किसी समस्या का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। पिछली सरकार जब जाने वाली थी, तब भी घोटालों में कोई कमी नहीं हुई थी। दूरसंचार घोटाले, तेल आयात, चीनी आयात, गेहूं आयात तथा और भी बहुत से घोटाले हुए। कोई जांच नहीं करवाई गई। लोग आंदोलन करते रहे हैं। परन्तु इनमें से एक का भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। चुनाव प्रचार के दौरान भी बहुत से आरोप, प्रत्यारोप लगाए गए और टिप्पणियां भी की गई।

यह सरकार यह सोचती है कि सभी मुद्दों पर लोगों की स्वीकृति मिल चुकी है। यहां तक यह भी मान लिया गया है कि सभी घोटालों पर लोगों ने ध्यान दे दिया है क्योंकि वे चुनाव जीत चुके हैं चाहे वह अल्पमत में ही क्यों न जीते हों। उनके पास पचास प्रतिशत से अधिक मत नहीं थे। कोई जांच करवाए जाने का वादा नहीं किया गया। इस सभा में कुछ भी नहीं कहा गया।

उन्होंने इस देश में धर्म-निर्पेक्षता बनाए रखने की बात की है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने धर्म-निरपेक्षता में अपना विश्वास जताया है। मैं जानता हूं कि श्री मोहन रावले और अन्य इससे एकदम परेशान हो जायेंगे। परन्तु उसका सर्वाधिक अभिन्न मित्र कौन सा रहा है—वह ऐसे सज्जन हैं जिसे मताधिकार से वंचित कर दिया गया है। हम उसके बारे में मामला उठा सकते हैं। साम्प्रदायिक प्रचार के कारण उन्हें देश के सर्वोच्च न्यायालय तथा निर्वाचन आयोग के संवैधानिक प्राधिकरण

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

से मतदान के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। वह उनके माननीय सहयोगी हैं। जब क्रिक्रेट के मैच को बीच में रोकने की धमकी दी गई तो गृह मंत्री भाग कर उनके पास गए थे। उन्होंने मुम्बई शहर को जलाने की धमकी दी थी जिसके बारे में श्री मोहन रावले और श्री मुरली मनोहर जोशी ने इतने जोर शोर से कहा था कि बहुत सी चीजें की जानी चाहिये और आप अगर न्यायिक की रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही की गई तो

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, इसमें बात ऐसी थी कि ...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मान नहीं रहे। आप कृपया इस बात को समझिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैंने मुम्बई में घटी घटना का उल्लेख किया है।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : सर, दो मिनट लेना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अभी नहीं, बाद में।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठें। उन सदस्य को मत टोकिए जो अपनी बात कह रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : सर, जिस भाषण के ऊपर उनका मताधिकार छीना गया है, उसके बारे में बताना चाहता हूं कि बी०जे०पी० शिव-सेना के साढ़े चार साल के कार्यकाल में ऐसा कोई दंगा नहीं हुआ, बल्कि वह दंगा कांग्रेस के राज में हुआ था जिसके ऊपर उनका मताधिकार छीना गया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहन रावले, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने किसी को दोष नहीं दिया है। मैंने कुछ निर्णयों का उल्लेख किया है जो सब ऐसे मामले हैं जिनका सार्वजनिक रिकार्ड है। उस समय की महाराष्ट्र सरकार द्वारा श्री कृष्ण आयोग को समाप्त कर दिया गया था, परन्तु फिर प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसमें हस्तक्षेप करके इसे पुनर्ज्जीवित किया, समाचार-पत्रों से भी यही दृष्टिगोचर होता है। उस आयोग के गठन पर, जिसके अध्यक्ष एक वर्तमान न्यायाधीश थे, अब यह कहा जाने लगा है कि यदि इसे लागू किया गया तो मुम्बई की सारी नगरी जला कर राख कर दी जाएगी क्या अल्पसंख्यकों के मन में विश्वास जगाने का यही तरीका अपनाया जाएगा ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रावले, यह अच्छी प्रक्रिया नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह कितनी अच्छी वचनबद्धता हुई। इसके बारे में एक भी शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। राष्ट्रपति जी ने इस बात पर जरा भी अप्रसन्नता व्यक्त नहीं की कि देश के एक वर्तमान न्यायाधीश के साथ ऐसा व्यवहार किया गया है। उसके बारे में कैसी भाषा का प्रयोग किया गया ? उसने जो रिपोर्ट बनाई और प्रस्तुत की उसे इस देश की एक प्रमुख राज्य की सरकार ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया ... *(व्यवधान)*

उनका सबसे नजदीकी और अभिन्न मित्र कौन है ? वे इस देश की जनता को आश्वासन देना चाहते हैं कि ऐसे सहयोगियों के माध्यम से वे धर्म-निर्पेक्षता के प्रति वचनबद्ध हैं। उनके लिए धर्म-निर्पेक्षता ऐसा शब्द है जो कुछ हद तक घृणास्पद है ... *(व्यवधान)* यदि यही तरीका है तो राष्ट्रीय एकता को कैसे बनाए रखा जा सकता है और अल्पसंख्यकों में विश्वास कैसे जागृत किया जा सकता है ?

इस देश में अल्पसंख्यकों की दशा अथवा स्थिति के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा गया। इसाइयों के साथ क्या हुआ है ? अब क्या हो रहा है ? उनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है कि वे एक विशिष्ट मेहमान को धमकी दे रहे हैं जिसके बारे में कुछ माननीय मंत्रियों ने हमें आश्वस्त किया है ? परन्तु उनके अनुयायी कैसा आचरण कर रहे हैं ? मेरा मानना है कि उन्होंने यह यात्रा केवल इसलिए रोकी क्योंकि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं थी।

हमने आज समाचार पत्र में यह देखा है। जो अधिक क्षुब्ध करने वाला है वह यह है कि इस सरकार का रवैया, रंग, संरचना और प्रतिष्ठा के कारण इस देश में असहिष्णुता का वातावरण बन गया है। अब इस देश में असहिष्णुता की अभिवृत्ति, घृणा और कट्टरतावाद का वातावरण हावी हो रहा है। यह सरकार इस जिम्मेदारी से अपने को नहीं बचा सकती और हम देख रहे हैं कि विघटनकारी शक्तियां अधिक शक्तिशाली और मुखरित हो रही हैं। वे सड़कों पर चल रही हैं और यहां तक कि इस सदन में भी हमें बोलने की अनुमति नहीं दी जाती। इस असहिष्णुता का क्या कारण है ? इस सरकार द्वारा इसे सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया गया है।

मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि राम मंदिर, अनुच्छेद 370, और इसी प्रकार के विषयों पर उनके अस्थाई निर्णय कुछ भी हों, यह संघ परिवार है जो उनका मार्गदर्शन कर रहा है। जिस दिन यह सरकार अस्तित्व में आई, जब प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों ने अपनी शपथ ली थी, उस दिन हमने देखा था कि बहुत से मंत्री उन लोगों के पांव छू रहे थे जो संघ परिवार चला रहे हैं। इस तरीके से आप इस देश में राष्ट्रीय एकता नहीं ला सकते अथवा राष्ट्रीय एकता नहीं बनाए रख सकते।

विदेशियों को बाहर खदेड़ने के नाम पर क्या हो रहा है ? दिल्ली के बंगलाभाषी लोगों के साथ क्या हो रहा है ? हिन्दु और मुस्लिम

यदि बंगला बोलते हैं तो उन्हें पशुओं की भांति खदेड़ा जा रहा है। इस बात का पता लगाने के कोई प्रयास नहीं किए जाते कि वे किस देश से सम्बन्ध रखते हैं। हमने पहले भी कहा है और हम पूरी तरह स्पष्ट कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि विदेशी बिना अनुमति तथा बिना कानूनी अधिकारों के यहां आयें और रहें। परन्तु यदि कोई बीस वर्षों से यहां रह रहा हो, तो आप उनके साथ जानवरों का सा सलूक नहीं कर सकते। वे यहां बीस वर्षों से रह रहे हैं और बच्चे पैदा हुए हैं। उन्हें जेलों में ले जाया जाता है और उन्हें जेल में बन्द किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में दो बच्चे मर गए। यह कुछ दिन पूर्व नोयडा में ऐसा हुआ है। विदेशियों को बाहर खदेड़ने के नाम पर यह अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है।

इससे पूर्व हमने महाराष्ट्र में ऐसा होते हुए देखा और जब माननीय गृह मंत्री मुम्बई में आये थे, तो हमने अनुरोध किया था। आप मानवीय रुख अपनाएं और उनका पता लगाने के लिए एक कार्यविधि तैयार करें और हम एक सही तरीके से उनको बाहर निकालेंगे। इस प्रकार की बातें इस देश के लोगों के साथ भी हो रही हैं क्योंकि वे अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्ध रखते हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता कि किस प्रकार उनके धर्म का पता लगाया जाए। इस देश में इस सरकार की नाक के नीचे सबसे अधिक अमानवीय कृत्य हो रहे हैं और इस सरकार को कोई चिन्ता नहीं है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि इस देश में अल्पसंख्यकों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है।

जिस दूसरी बात का उन्होंने उल्लेख किया है वह बहुत महत्वपूर्ण बात है और वह भारत के संविधान को परिवर्तित करने अथवा इसे बदलने के बारे में है। मुझे नहीं पता कि यह सरकार संसदीय लोकतंत्र में छेद करने के बारे में सोच सकती है। संविधान बहुत सुस्पष्ट है। संसदीय लोकतंत्र का संपूर्ण आधार है — जवाबदेही — मंत्रियों की इस देश की जनता के प्रति जवाबदेही। उसका कैसे पालन किया जाता है ? लोक सभा के प्रति इनकी जिम्मेदारी के द्वारा इसका पालन किया जाता है। इसका अर्थ है कि यदि वे सत्ता में रहना चाहते हैं तो उन्हें लोक सभा का विश्वास अवश्य ही हासिल करके रहना चाहिए। अब, जैसा कि सदस्यों ने व्यक्त किया है, वे सदन में लोगों का विश्वास हासिल किए बिना ही सत्ता में बने रहने की सोच रहे हैं।

संविधान में सदन को समय से पहले भंग किए जाने का प्रावधान है। यहां तक कि 5 वर्ष से पूर्व भी इसे भंग किया जा सकता है। अब यह संसदीय लोकतंत्र में भली प्रकार स्थापित हो चुका है कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर इसे भंग किया जा सकता है। इसलिए, प्रधानमंत्री के पास सदन को 5 वर्ष से पूर्व भंग करने की सिफारिश करने की शक्ति होगी। परंतु, इस सभा के सदस्य मंत्रालय के विरुद्ध अविश्वास व्यक्त नहीं कर सकते और सदन का विश्वास खोने के पश्चात् भी ये बने रहेंगे। किसी प्रकार सत्ता में बने रहना ही सम्पूर्ण उद्देश्य है चाहे उनके पास बहुमत हो अथवा उनके पास बहुमत न हो। हम इसका समर्थन नहीं कर सकते और यदि ऐसा कोई प्रयास किया जाता है, तो हम इसका निश्चित रूप से विरोध करेंगे।

अन्य महत्वपूर्ण बात यह है। मैं सोचता हूं कि चुनाव सुधारों का प्रश्न कम से कम श्री आडवाणी जी की पूर्ण जानकारी में है। क्या उल्लेख किया गया है ? श्री आडवाणी दिनेश गोस्वामी समिति के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे; मुझे भी वहां होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था; सभी दलों को उसमें प्रतिनिधित्व दिया गया थी। यह लगभग एक सर्वसम्मत सिफारिश थी। 13 माह में उनके पास ऐसा करने का समय नहीं था। उन्होंने श्री इन्द्रजीत गुप्त की अध्यक्षता में समिति गठित करके अच्छा ही किया जिसमें सभी दलों को प्रतिनिधित्व दिया गया था। मुझे भी उस समिति में कार्य करने का बड़ा अवसर मिला था जिसमें कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों जैसे कि राज्यों को धन दिया जाना आदि पर निर्णय लिया जाना था। हमने सर्वसम्मत रिपोर्ट दी थी। हमारे विचारों में कुछ मतभेद था, परन्तु अंत में हममें आम सहमति हो गई थी। हमने वह रिपोर्ट गृह मंत्री को दे दी थी, परन्तु इस पर पहले की ही भांति धूल चढ़ रही है।

इसलिए, वे इसे नियमित रूप से दोहरा रहे हैं कि हम चुनाव सुधारों के विषय में चिंतित हैं। यह एक मजाक बन गया है। हम देखते हैं कि सरकार ने — कांग्रेस सरकार ने भी — कोई गंभीर प्रयास नहीं किए। श्री आडवाणी ने पिछले काफी महीनों से गृह मंत्रालय का प्रमुख होते हुए भी कोई सार्थक कदम नहीं उठाए। मेरा विचार है कि राज्यों को धन दिए जाने संबंधित समिति की रिपोर्ट को एक कानून का रूप दे दिया जाना चाहिए था। परन्तु उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी और राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी इस बारे में कोई उल्लेख नहीं है। गुप्ता समिति के प्रतिवेदन पर सरकार का क्या विचार है ? यद्यपि भाजपा सदस्य और अन्य सदस्य इस प्रतिवेदन पर सहमति देने वाले दल थे, फिर भी इसके विषय में एक शब्द नहीं कहा गया।

एक और बहुत महत्वपूर्ण मामला यह है। सभी इसके बारे में बातें किया करते थे और अब भी इसके विषय में बातें हो रही हैं। यह है — 'राजनीति का अपराधीकरण'। इस विषय में कुछ नहीं कहा जा रहा है जैसे कि यह समस्या की शासन-व्यवस्था से समाप्त हो गई है और जैसे कि अब यह इस देश के वातावरण को दूषित नहीं कर रही है। हम जानते हैं कि वे भी लाभार्थी हैं।

इसलिए, हमारा मानना है कि वर्तमान प्रणाली जो कि एक दोषपूर्ण प्रणाली है, बनाये रखने में सरकार के निहित स्वार्थ हैं क्योंकि उन्होंने भी पिछले चुनाव में बाहुबल और धनबल का खुलकर प्रयोग किया था और फिर भी वे अपनी पीठ ठोंक रहे हैं। परन्तु वे भी इस प्रणाली का लाभ उठा रहे हैं।

प्रसार भारती एक अन्य बहुत महत्वपूर्ण संस्था है जिसे खत्म करने के प्रयास किए जा रहे हैं। दुर्भाग्य से, इसके बारे में भी यहां एक भी शब्द नहीं कहा गया। प्रसार भारती जो इस सदन के सर्वसम्मत विचार की उपज था, उसके बारे में अब एक भिन्न दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है; और नये मंत्री को सुख बोध है क्योंकि इस समय वे किसी के प्रति जवाबदेह नहीं हैं।

वे कहते हैं कि यह कैसे हो सकता है ? श्री प्रमोद महाजन ही थे जिन्होंने इस मुद्दे को हवा दी। उन्होंने कहा कि "सर्वाधिक महत्वपूर्ण माध्यम सरकार के नियंत्रणाधीन होना चाहिए"। हमने देखा था कि किस प्रकार चुनाव के दौरान न केवल चुनाव भविष्यवाणी (एग्जिट पोल) में आसक्त होकर अपितु प्रचार को भी ढीला छोड़कर इसका दुरूपयोग किया गया। यह सरकार का एक प्रमुख प्रचार तंत्र बन गया था। हम सब जानते हैं कि कैसे एक नेता और उनके दल को टेलीविजन पर प्रदर्शित किया गया। वास्तविक उद्देश्य वह स्वतंत्र

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

माध्यम जिसे यह सदन अपने दिमाग से आवश्यक समझता है, न प्रदान करने का है। सरकार दूरदर्शन और आकाशवाणी को अपने प्रचार-तंत्र के रूप में उपयोग करने की कोशिश कर रही है ... *(व्यवधान)*

अपराह्न 3.26 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

अब, मैं आर्थिक स्थिति की चर्चा करना चाहूंगा जो कि बहुत गंभीर है। घोर गरीबी के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। श्री मनोहर जोशी ने ठीक ही कहा है कि प्रत्येक अभिभाषण में इसका उल्लेख होता है। इस अभिभाषण में भी इस बात का उल्लेख है। परन्तु इस विषय में कुछ नहीं कहा गया कि गरीबी का उन्मूलन कैसे किया जाएगा और इसकी प्रबलता को कैसे कम किया जाएगा। प्राय: की जाने वाली अनर्गल बात कि ऐसा किया जाएगा, को दोहराया जा रहा है। कुछ आंकड़े दिए गए हैं मानो सब कुछ ठीक-ठाक है : और जैसे कि यह देश बहुत तीव्रता से उन्नति कर रहा है। उस तथाकथित उन्नति का क्या प्रभाव है जो गरीबी उन्मूलन के सम्बंध में की गई है ? मैं माननीय वित्त मंत्री से यह जानना चाहता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि वे अब यहां उपस्थित हैं। आपके सभी सिद्धांत अच्छे हैं। श्री यशवन्त सिन्हा की एक अद्वितीय विशेषता है कि वित्त मंत्री बनाने के लिए उन्हें उद्योग जगत द्वारा नामित किया गया *(व्यवधान)* श्री शरद पवार का कहना है कि श्री बजाज ने वित्त मंत्री का अभिनंदन किया है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के विषय में क्या हुआ ? मैं जानता हूं कि श्री जार्ज फर्नान्डीज अपने मन से प्रसन्न नहीं हैं। परन्तु वे क्या कर सकते हैं ? मेरे पास उनके दल के 1998 के घोषणा-पत्र की एक प्रति है। वे एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। इस बार बहुत बुद्धिमानी से न तो समता पार्टी ने और न ही जनता दल (संयुक्त) ने अपना अलग घोषणा-पत्र बनाया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वे जानते थे कि वे पकड़े जाएंगे। वे अर्थव्यवस्था के यशवन्त सिन्हा मार्के की बाजार अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े विरोधी हैं। वास्तव में, उन्होंने अपना घोषणा-पत्र फेंक दिया। मुझे याद है, किसी वित्त मंत्री ने यहां कहा था कि घोषणा-पत्र चुनावों के लिए होता है और चुनाव के बाद के समय के लिए नहीं होता। चुनाव के बाद इसका उल्लेख नहीं होता। *(व्यवधान)* अपने कार्यों के द्वारा आपने दिखाया है कि आप अपने घोषणा पत्र की परवाह नहीं करते क्योंकि आपने हर चीज को वापस लिया है। वे कहते हैं कि थोक मूल्य सूचकांक नीचे आया है। परन्तु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी०पी०आई०) का क्या हुआ ? जो आम आदमी बाजार जाता है उसका क्या अनुभव है ? क्या कोई इस बात से इन्कार कर सकता है कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं ? डीजल के मूल्यों में वृद्धि का बड़ा दुष्प्रभाव पड़ेगा। माननीय मंत्री अब एक आजाद आदमी नहीं हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब डीजल का मूल्य कम करने के विषय में उन्हें सिफारिश करने वाले प्राधिकारी के विचार प्राप्त करने पड़ते हैं। डीजल के मूल्य में वृद्धि के बहुत गम्भीर परिव्यय होंगे। इस अभिभाषण में एक भी ठोस उपाय का उल्लेख नहीं किया गया।

सरकार को वर्तमान में श्री वैको के रूप में एक नया प्रवक्ता मिल गया है। उन्हें समय-समय पर राजनीतिक वातावरण के बैरोमीटर के आधार पर नये मित्र मिल जाते हैं।

श्री वैको (शिवकाशी) : श्री सुरजीत सिंह भी ऐसा ही करेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह स्वाभाविक ही है। ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको अपना गुरू बना लिया है।

महोदय, देश के साथ एक अन्य स्थायी मजाक है प्रति वर्ष एक करोड़ अतिरिक्त नौकरियां पैदा करना। यद्यपि मुझे ऐसे शब्द प्रयोग करने के लिए खेद है। क्या 1998 में एक करोड़ रोजगार का सृजन किया गया; यदि हां, तो कि किन प्रतिष्ठानों में ये रोजगार सृजित किए गए ? मैंने "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में एक लेख पढ़ा है जिसमें दिया गया था कि हमें बेरोजगारी की समस्या को आंशिक रूप से हल करने के लिए प्रधान मंत्री को बधाई देनी चाहिए क्योंकि उन्होंने अपने मंत्रि-मंडल में 70 मंत्री नियुक्त किए हैं जिसका अर्थ है कि सत्तर सचिव, सत्तर अतिरिक्त सचिव और इसी प्रकार और सब भी होंगे। 70x10 का अर्थ है कि 700 लोगों को रोजगार मिलेगा।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : शीघ्र ही 30 और बन रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्री वैको भी लाभार्थियों में से एक होंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्हें 20 स्थान मिल सकते हैं। यदि आप कृपया दस्तावेज का पैराग्राफ 13 देखें तो इसमें कहा गया है कि इस सरकार के लक्ष्य और उद्देश्य रोजगार और समदृष्टि के साथ तीव्र विकास हैं। यदि रोजगार नहीं हैं, तो समदृष्टि का प्रश्न ही नहीं उठता। रोजगार कहां है ? सरकार कहां से रोजगार सृजित करेगी ? सरकार का कहना है कि कृषि क्षेत्र में रोजगार सृजित किए जाएंगे। मुख्यत: कृषि आधारित व्यवसाय, लघु एवं कुटीर उद्योगों, आवास, निर्माण तथा स्व-रोजगार के क्षेत्रों में रोजगार सृजित किए जाएंगे। इनमें से किसी भी क्षेत्र में सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सच्चाई यह है कि इस देश में लोग रोजगार गंवा रहे हैं। बहुत-से कारखाने और प्रतिष्ठान संकट से गुजर रहे हैं। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नाम पर लोगों को सेवानिवृत्त होने के लिए बाध्य किया जा रहा है। क्या कोई अपने दिल पर हाथ रखकर कह सकता है कि रोजगार सृजित किए जा रहे हैं अथवा पिछले वर्ष रोजगार सृजित किए गए। भाजपा 13 माह तक नियमित रूप से तथा 7 माह तक अनियमित रूप से सत्ता में थी। हम इस अवधि में सृजित किए गए रोजगारों की संख्या जानना चाहते हैं। कृषि क्षेत्र में अथवा निर्माण, लघु एवं कुटीर उद्योग, आवास और इसी प्रकार के अन्य उद्योगों में कितने रोजगार सृजित किए गए। सरकार लोगों को महत्व नहीं दे रही है। इसने प्रत्येक वर्ष एक करोड़ और नौकरियों के सृजन का पुन: भरोसा दिलाया है। मैं इतना कह सकता हूं कि यह जानबूझकर कहा गया झूठ, जानबूझकर किया गया झूठा प्रचार उनकी कथित नीति को कम से कम पठनीय बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

उदारीकरण, भूमंडलीकरण और निजीकरण पर जोर दिया जा रहा है। हम अनावश्यक नियंत्रण हटाने के विरुद्ध नहीं हैं। मुझे मालूम है कि उद्योग की लाइसेंस व्यवस्था ने पश्चिम बंगाल और संपूर्ण पूर्वी भारत

में कहर बरपाया है। इस कारण समस्त पूर्वी भारत पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पिछले चुनाव घोषणा-पत्र में उदारीकरण और भूमंडलीकरण के प्रभावों का अध्ययन करने का वायदा किया था। क्या कोई अध्ययन किया गया है? उन्होंने डा० मनमोहन सिंह की नीति की कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने श्री चिदम्बरम द्वारा अर्थव्यवस्था के संचालन की भी कड़ी आलोचना की है। तथापि, सरकार ने पुन: वचन दिया है कि इस संबंध में समुचित अध्ययन किया जाएगा और लोगों को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाएगा। मैं यह जानना चाहूंगा कि ये सुधार किसके लिए हैं ? यदि कोई कार्य हमारे देश के हित में हो रहा हो और यदि युवा लोगों को लाभ होता हो तो मैं इसका विरोध कैसे कर सकता हूं ? यदि मैं इसका विरोध भी करता हूं तो कोई मेरी बात नहीं सुनेगा। क्या कोई इस बात से इंकार कर सकता है कि इस देश में यह एक बड़ी शंका है कि ये नीतियां और कार्यक्रम किसके हित के लिए लागू किए जा रहे हैं ?

जहां तक छोटे शहरों, गांवों में रहने वाले लोगों और आम लोगों का प्रश्न है, इसका प्रत्यक्ष परिणाम क्या हुआ है ? आज, यह कहा जाता है और जैसा कि मैं सही समझता हूं, संभवत: 20 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। इन लोगों का क्या भविष्य है ? कौन उनकी देख-रेख कर रहा है ? सृजित की गई नौकरियां कहां हैं ? अब, आपकी दूसरी पीढ़ी के सुधार सामने आ रहे हैं। पहली पीढ़ी के सुधारों का क्या प्रभाव रहा है ? माननीय वित्त मंत्री जी डनलप फैक्टरी, जो अब बंद पड़ी है, इस संबंध में एक स्पष्ट उदाहरण है। श्री फर्नान्डीज ने कारगिल युद्ध के दौरान इस बात को समझ लिया था कि वायु सेना को भी अपने युद्धक विमानों के लिए टायरों का आयात करना पड़ा था। उन्हें टायरों की खरीद हेतु अपने अधिकारियों को फैक्टरी भेजना पड़ा था। इसका कोई दूसरा सप्लायर (पूर्तिकर्ता) नहीं है। चूंकि कानूनी प्राधिकार केन्द्र सरकार के पास है, अत: हमने कह दिया था कि वे उन्हें प्राप्त क्यों नहीं करते और उन्हें क्यों नहीं देते हैं ? हम संसाधनों का पता लगाने का प्रयास करेंगे। परंतु भारत सरकार ने कहा कि वह ऐसा नहीं करेगी। अब, यह किसके लाभ के लिए है ? आज, हजारों परिवार सड़क पर हैं। उनके पास नौकरियां नहीं हैं और उनके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है जिसमें उनकी कोई गलती नहीं है। इसे फिर से चालू किया जा सकता है। यह एक सक्षम इकाई है। कुछ उद्यमी आए और उन्होंने कानूनन इस पर नियंत्रण हासिल कर लिया। परंतु इसे एक औद्योगिक इकाई के रूप में चलाने में उनकी कोई वास्तविक रुचि नहीं थी। उन्होंने उस इकाई के धन का दुरुपयोग किया। अब, हम इसे चलाना चाहते थे, परंतु इसकी अनुमति नहीं दी गई।

महोदय, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी सबसे अच्छी कंपनियों में से एक है। अत:, इसे फिर से चालू करने के अनेक प्रयास किए गए हैं। किन्तु आपने क्या किया? सेल (भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड) के बारे में क्या हो रहा है ? आज, यह एक रुग्ण कंपनी है। इसे बी०आई०एफ०आर० को सौंपा जा सकता है। इस संबंध में क्या किया जा रहा है ? ये बहुत बड़ी कंपनियां हैं। क्या आज भारतीय अर्थव्यवस्था सेल (भा०इ०प्रा०लि०) के बिना टिक सकती है ? हमें इस संबंध में सरकार की नीति की जानकारी नहीं है। इस महत्वपूर्ण उपक्रम का कोई उल्लेख नहीं है। मैं नहीं जानता कि क्या इस सरकार की नीति यह है कि प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम को बंद किया जाना है। उन्हें खुले रूप से ऐसा कहना चाहिए।

वे आधारभूत ढांचा की बात कर रहे हैं। आधारभूत ढांचे के विकास के संबंध में चार-पांच पैराग्राफों में उल्लेख है। हमारे यहां दूरसंचार घोटाला भी हुआ है। प्रधानमंत्री ने सौराष्ट्र से सिलचर और काश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ने वाले बड़े राजमार्गों के संबंध में वक्तव्य दिया था। इस मामले में क्या हुआ ? धन कहां से आ रहा है ? आप किस प्रकार संसाधन जुटाने जा रहे हैं ? आप आम जनता पर बोझ डालने जा रहे हैं। अभिभाषण में किसी भी बात का उल्लेख नहीं है। कम से कम, हमें इस समय पांच वर्षीय प्रायोजनाओं के बारे में कोई रुचि नहीं है। उसका भी जिक्र नहीं किया गया है। यह अभिभाषण हर वर्ष दिया जाता है। हम यह जानना चाहेंगे कि एक वर्ष के अंदर वे क्या करना चाहते हैं, किस प्रकार करना चाहते हैं और वे किसके हित के लिए यह करने जा रहे हैं। कम से कम, हमें यह जानने का हक है, देश को यह जानने का हक है और संसद को यह जानने का हक है। पर क्या आपने कुछ भी कहा है ? कुछ भी नहीं कहा गया है। इसलिए, मुझे यह कहते हुए दु:ख हो रहा है कि यह एक ऐसा अभिभाषण है जो केवल नीरर्थकता और सामान्यता में ही प्रसन्न रहने के उद्देश्य से दिया गया है। वे भूमि सुधार के बारे में एक शब्द भी बोले बिना कृषि के विकास की बात कर रहे हैं। क्या कहीं कोई ऐसा उदाहरण रहा है जहां आप भूमि सुधार किए बिना सभी प्रकार के आदान लाकर भी वास्तव में कृषि का विकास कर सकते हैं ? भूमि सुधारों के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया है।

महोदय, कारगिल युद्ध के बारे में, मैं अपने सम्मानित सदस्य श्री इंद्रजीत गुप्त द्वारा यहां कही गई बात का पूरी तरह समर्थन करने से बेहतर और कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ कहना चाहता था, परंतु मैं पूरी तरह उनके विचारों का समर्थन करता हूं। महोदय, इस संबंध में सरकार को एक विस्तृत स्पष्टीकरण देना चाहिए। केवल यह कहना कि उन्हें जानकारी नहीं थी, उससे बात नहीं बनती है। देश को यह बात स्वीकार नहीं होगी।

मैं जानना चाहूंगा कि रॉ चीफ को गवर्नर बनाकर क्यों हटा दिया गया जबकि एक जांच समिति गठित कर दी गई थी। एक बार गवर्नर बन जाने के बाद वे इस समिति द्वारा भी पूछताछ के उत्तरदायी नहीं होंगे। क्या वे रॉ चीफ से जिरह करने की अनुमति देंगे ? जांच के अंतर्गत उनकी गतिविधियां भी शामिल होंगी। अत:, कथित जांच हेतु उन्हें उपस्थित न होने देने के लिए जानबूझकर उन्हें हटाया गया।

केन्द्र-राज्य संबंधों के बारे में, श्री उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु ने तेलुगु देशम पार्टी की ओर से बोलते हुए कुछ उल्लेख किया है। पर्याप्त संसाधनों के बारे में, प्रत्येक राज्य शिकायत कर रहा है। आज, श्री मनोहर जोशी ने भी, जो एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कहा कि राज्य की समस्या का समाधान करने के लिए कोई संसाधन नहीं हैं। प्रत्येक राज्य समस्या का सामना कर रहा है।

राज्यपालों की नियुक्ति किस प्रकार की जा रही है ? क्या इससे राज्यों और केन्द्र के बीच उचित और सौहार्दपूर्ण संबंध बन रहा है ? सरकारिया आयोग की सिफारिशों का उल्लंघन करते हुए वे सत्ता पक्ष वाली राजनीतिक पार्टी के अपने सक्रिय समर्थक सदस्यों को उन राज्यों में राज्यपाल नियुक्त कर रहे हैं जहां दूसरे दलों का शासन है। इस देश में उचित संघीय ढांचे को बनाए रखने का यह ठीक तरीका नहीं है। ऐसा दृष्टिकोण अपनाकर वे केन्द्र और राज्यों के बीच मनमुटाव के बीज बो रहे हैं।

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

दूसरा प्रश्न राहत निधियों के वितरण के संबंध में है। आज, जैसा कि प्रत्येक व्यक्ति को मालूम है, मुख्य राहत राशि केन्द्र के पास उपलब्ध है और वे निधियों का वितरण कर रहे हैं। वर्तमान सरकार के साथ निकटता के स्वरूप के अनुरूप वे टीमों को भेजे जाने की शीघ्रता और राहत कार्य हेतु दी जाने वाली धनराशि के निर्धारण में लगने वाले समय का निर्णय कर रहे हैं। इस देश में यह बात अत्यधिक स्पष्ट है। प्राकृतिक आपदा किसी व्यक्ति की अकेली जिम्मेदारी नहीं है। इसे राष्ट्रीय संकट माना जाना चाहिए और राष्ट्रीय संकट की स्थिति में कोई पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिए। मैं माननीय गृह मंत्री से अपील कर रहा हूं।

त्रिपुरा की समस्या को देखिए। उन्होंने कल भी उनसे मुलाकात की है। मुख्यमंत्री निरंतर उनसे कह रहे हैं और हम भी उनसे अनुरोध कर रहे हैं। एक छोटा सा राज्य विद्रोह की समस्या से बुरी तरह त्रस्त है तथा राज्य सरकार आदिवासियों और गैर-आदिवासियों के बीच सौहार्द बनाए रखने का हरसंभव प्रयास कर रही है। मेरा विश्वास है कि यह एक अनोखे प्रकार का मामला है। परंतु अब, सभी बलों को चुनावों या अन्यत्र स्थानों पर आतंकवाद या किसी अन्य आधार पर वहां से हटाया जा रहा है। बलों को इस प्रकार हटाए जाने से इस राज्य के लिए गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है जो इस देश के पूर्वी भाग का एक हिस्सा है। इसलिए, माननीय गृह मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वे पूरी सहानुभूति के साथ इस मामले पर विचार करें।

मेरे पास समय कम है और अभी कई अन्य मुद्दे हैं। जहां तक विदेशी मामलों का संबंध है, कई बातें हमारे लिए चिन्ताजनक हैं। मुझे नहीं मालूम कि तालबोट-जसवंत के बीच सामान्य बातचीत का अगला दौरा क्या होगा। मैं नहीं जानता कि वे किस नये देश में जाएंगे, या बातचीत के लिए इस बार वे किस शहर को प्राथमिकता देंगे। जहां तक मैं समझता हूं, वे आठ या नौ शहरों में जा चुके हैं। हमें यह नहीं मालूम कि मेरे बहुत अच्छे मित्र श्री जसवंत सिंह ने इस बातचीत से क्या हासिल किया है। मैं यह नहीं जानता कि क्यों उन्हें मिस्टर स्ट्रोब तालबोट के साथ बातचीत करनी चाहिए जबकि मिस्टर तालबोट उनकी तुलना में काफी कनिष्ठ अधिकारी हैं। वे हमारे विदेश मंत्री हैं। उन्हें किसी भी व्यक्ति या हर व्यक्ति के साथ बात नहीं करनी चाहिए। अतः, हम यह जानना चाहेंगे कि क्या हो रहा है। सी०टी०बी०टी० के प्रति सरकार का क्या दृष्टिकोण है ? ये बड़े महत्वपूर्ण मामले हैं जिन्हें स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए।

अन्य मुद्दे भी हैं जिनके लिए मेरे पास समय नहीं है। मेरा निवेदन है कि यह अभिभाषण, जो हमारे परमादरणीय राष्ट्रपति द्वारा पढ़ा गया है, यह और कुछ नहीं बल्कि इस देश के लोगों के सामने हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति, ऐसी स्थिति, जिसका हम आज सामना कर रहे हैं तथा ये जो करना चाहते हैं, उस संबंध में गलत चित्र प्रस्तुत करने का एक प्रयास है। जैसा कि मैंने कहा, सभी को सब कुछ देने का वचन देने से लोगों को सही मायने में लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। यह बात मीडिया के संबंध में ठीक है परंतु देश की जनता के लिए यह ठीक नहीं है।

अतः, मैं इस अभिभाषण का विरोध करता हूं।

श्री विनोद खन्ना (गुरदासपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों को दिए गए अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

अपने विचार व्यक्त करने के पहले मैं भारत के माननीय राष्ट्रपति को प्रमुख रूप से ध्यान दिए जाने योग्य विषयों को संबोधित करने के लिए अपना हार्दिक आभार अभिव्यक्त करता हूं।

सबसे पहले, मैं तेरहवीं लोक सभा के सभी सदस्यों को बधाई देता हूं जो आज यहां हैं।

स्वतंत्रता के बाद के 50 वर्षों की अपनी निराशाजनक स्थितियां रही हैं। स्वतंत्रता के समय भारत की जो स्थिति थी, उसमें आज शेष विश्व की तुलना में और गिरावट आई है। व्यर्थ वचनों की लंबी गाथा में से एक सफलता स्पष्ट दिखाई पड़ती है अर्थात् भारत अब भी एक लोकतांत्रिक देश है। अब जबकि तेरहवीं लोक सभा का गठन हो चुका है, पीछे मुड़कर देखने पर यह मालूम होता है कि 1970 के दशक में एक संक्षिप्त अवधि को छोड़कर भारत में सशक्त लोकतंत्र रहा है जबकि इसके अनेक पड़ोसी देशों में ऐसी स्थिति नहीं रही है। अब जबकि हम अपने गणतंत्र की 50वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं, हम गर्व कर सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने एक ऐसे लोकतंत्र की स्थापना की जो विश्व में सर्वाधिक गरीब, सबसे अधिक जनसंख्या वाला और सामाजिक रूप से सर्वाधिक विभाजित देशों में से एक है।

महोदय, जब हमारी वास्तविक और सशक्त लोकतांत्रिक प्रक्रिया के एक भाग के रूप में जब मैं 13वीं लोक सभा के चुनावों में अपनी पार्टी के प्रचार अभियान में लगा था, तब टूटे-फूटे रास्तों से भारत की सर्वाधिक गरीब जनता से मिलने के लिए मुझे अपने देश के अंदरूनी भागों में यात्रा करने का अवसर मिला जो हमारी मानवता की गतिहीन खाइयों को जोड़ते हैं।

महोदय, मुझे उत्तरी बिहार के बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में चुनाव-प्रचार के दौरान विशेष रूप से दुःख पहुंचा। यह सोचकर कि वहां रहने वाले लोगों को प्रत्येक वर्ष इस समस्या का सामना करना पड़ता है, यह बात मानवीय समझ और धैर्य से परे प्रतीत हुई। कल, मुझे इस समस्या का समाधान करने के लिए अपनी सरकार की ठोस प्रतिबद्धता के बारे में जानकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई।

हमारा राष्ट्र जिसे कई शताब्दियों तक समृद्धि एवं संपन्नता हासिल रही है को पिछले लगभग 50 वर्षों से निर्धनता के बोझ के तले झुकना पड़ा है साथ ही यहां की सरकारें निःसहाय लोगों को राहत पहुंचाने में विफल रही हैं। विश्व के एक-तिहाई सर्वाधिक गरीब लोग हमारे देश, महात्मा गांधी के देश में रहते हैं। पांच साल से कम आयु के लगभग दो तिहाई भारतीय बच्चे, कुपोषण के शिकार हैं। स्कूल जाने की उम्र वाले बच्चे लड़कों के मामले में औसतन 3.5 वर्ष और लड़कियों के मामले में 1.5 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करते हैं।

उत्तरोत्तर सरकारों ने व्यापार संरक्षण, अनुत्पादक राजसहायता और औद्योगिक आयोजना के क्षेत्र में बहुत अधिक और शिक्षा, ढांचागत सुविधाओं और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में बहुत कम कार्य किया। जब शेष विश्व ने निर्णय लिया कि मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली

स्वयं सिद्ध है तब भी भारत नियंत्रणों और लालफीताशाही से बंधा रहा। यहां भारत एक अपवाद था। अपवाद में आने से समृद्धि नहीं आती है, लेकिन भारत ने अपने लोगों के जीवन की गति को अवरुद्ध कर दिया। भारत के योजनाकारों ने तीव्र औद्योगिकीकरण पर बहुत अधिक बल दिया, जो बाजार आधारित विकास प्रणाली को अवरुद्ध करने का स्पष्ट कारण बना। फिर भी भारत में 1960 और 1990 के बीच में औद्योगिक उत्पादन में एक वर्ष में औसतन केवल छह प्रतिशत की वृद्धि हुई। इंडोनेशिया और थाईलैंड में 9 प्रतिशत और दक्षिण कोरिया में 10 प्रतिशत और ताईवान में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

भारत के आधे से अधिक व्यस्क अनपढ़ हैं। यही आकड़े चीन में 20 प्रतिशत से कम हैं और थाईलैंड में 10 प्रतिशत से कम हैं।

दुर्भाग्य से, चाहे यह संतुलित विकास, शिक्षा हो, चाहे गरीबी उन्मूलन हो, भारत की स्थिति इन एकसमान देशों की तुलना में बहुत खराब रही। 70 और 80 के दशक के दौरान दस तुलनात्मक विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के गरीबी उपशमन तथा शिशु मृत्यु को कम करने संबंधी कार्यनिष्पादन के विश्व बैंक अध्ययन से भारत गरीबी उपशमन में सातवें और शिशु मृत्यु को कम करने में दसवें स्थान पर रहा।

हमारा कृषि उत्पादन हरित क्रांति के बावजूद एशिया के बहुत से अन्य देशों की तुलना में बहुत ही धीमी गति से बढ़ा है। और इसलिए, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी काफी अधिक और व्यापक रूप से रही है।

अब तक का रिकार्ड यह रहा है कि हमने अवसरों को गंवाया है और हम चुनौतियों से भी भागे हैं। उतरोत्तर सरकारों को दशकों से जो भी सफलतायें मिली उन्हें असफलताओं ने मात दे दी।

पिछले 18 महीनों के दौरान जो नई अर्थव्यवस्था हमारे देश ने अपनाई है, उसमें बहुत सी प्रगतिरोधक नीतियों को त्याग देना पड़ा है। किन्तु 45 वर्षों के दौरान उनके कारण हुई आर्थिक विफलता और घोर दुर्दशा को भी हमें ध्यान में रखना होगा, क्योंकि उनका प्रभाव आज भी जारी है।

माननीय, उपाध्यक्ष महोदय, मैं किसी कयामत की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि तेरहवीं लोक सभा के अपने मित्रों से इसकी अत्यावश्यकता की बात कर रहा हूं। हमारे सामने करोड़ों लोग, जो आज भी गरीबी के जाल में फंसे हुए हैं, के जीवन में विश्वास जगाने और परिवर्तन लाने की भारी चुनौती और जिम्मेदारी है।

आज, अर्थव्यवस्था में सुधार आ रहा है। दशकों बाद भारत की विकास दर एक वर्ष में छह प्रतिशत या अधिक तक बढ़ रही है। लोगों की ताकत और क्षमता का इस्तेमाल करके हम विकास दर को एक वर्ष में आठ से नौ प्रतिशत तक कर सकते हैं। इससे अगले पचास वर्षों में न केवल अल्पसंख्यकों का, बल्कि अधिकांश लोगों का जीवन स्पष्ट रूप से बदल जाएगा।

आज, भारत सूचना क्रांति के क्षेत्र में आगे बढ़ने की बात कर रहा है, किंतु लगभग 3 करोड़ लोग आज भी सड़कों पर लिखे संकेत नहीं पढ़ पाते हैं।

ऐसा कोई कारण नहीं है कि भारत पूर्वी एशिया की अधिकांश सफल अर्थव्यवस्थाओं द्वारा प्राप्त विकास दर के लक्ष्य को प्राप्त क्यों नहीं कर पाये। हमारे पास उस ऊंचाई को छूने के लिए संसाधन, मानव संसाधन है और मितव्यता की आदत और कड़ी मेहनत की क्षमता है।

जब हम विदेशों की ओर देखते हैं, हमारे भारतीय वहां रह रहे हैं, वे आर्थिक बाधाओं से मुक्त हैं, वे उस स्पर्धा में शामिल हैं लेकिन वे यह समझ पाने में असमर्थ हैं कि भारत अब तक पिछड़ा क्यों है।

हम माननीय प्रधान मंत्री द्वारा की गई पहल के लिए उनका धन्यवाद करते हैं, भारत अब स्वतंत्रता प्राप्ति से किसी भी समय की तुलना में तेजी से बदल रहा है। अत: मैं माननीय प्रधान मंत्री द्वारा उठाये गए साहसपूर्ण कदमों, जिनका वर्णन राष्ट्रपति के अभिभाषण में किया गया है, की प्रशंसा करता हूं।

महोदय, मैं इस बात की भी प्रशंसा करता हूं कि महिला साक्षरता और प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता विभाग बनाया गया है।

मैं अगले पांच वर्षों में सभी गांवों को स्वच्छ पेयजल प्रदान करने संबंधी कार्यक्रम के कार्यान्वयन और सभी गांवों को बारहमासी सड़कों का निर्माण करके आपस में जोड़ने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में चलाये जा रहे कार्यक्रम के कार्यान्वयन की भी सराहना करता हूं।

मैं यह नोट करके प्रसन्न हूं कि केन्द्र विद्युत और ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य विद्युत बोर्डों के समयबद्ध निगमीकरण के लिए राज्य सरकारों के साथ निकटता से कार्य करेगा। भारत की विद्युत प्रणाली वित्तीय संकट में है। राज्य विद्युत बोर्ड विश्व में सार्वजनिक सुविधाओं के मामले में सबसे अक्षम है। साथ ही औसत 'लोड क्षमता' आधी से भी कम है और 'लीकेज' होती रहती है, तो वास्तव में एक प्रकार की चोरी ही है।

मुझे विश्वास है कि भ्रष्टाचार सहन न किये जाने संबंधी नीति के कार्यान्वयन तथा सभी के आश्रय, जल नीति, जनसंख्या का स्थिरीकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, विद्युत नीति, दूरसंचार नीति, महिलाओं और बालिकाओं को अधिकारिता, अच्छी कानून और व्यवस्था, लोक पाल जैसी परियोजनाओं की आयोजना एवं कार्यान्वयन के माध्यम से सामाजिक क्षेत्र के विकास तथा नई शहस्त्राब्दि के लिए नए दृष्टिकोण अपना कर स्थिति को पूरी तरह बदला जा सकता है। *(व्यवधान)*

श्री बलबीर सिंह (जालन्धर) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या आप उन्हें पढ़ने की अनुमति देंगे? *(व्यवधान)*

श्री विनोद खन्ना : मैं नोट से उद्धृत कर रहा हूं। कई मुद्दे हैं। मुझे नोट का संदर्भ देना है। यह मेरा पहला भाषण है। कृपया मुझे परेशान न करें। *(व्यवधान)* मैं भी पंजाब के बारे में बात करने जा रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांति बनाए रखें।

श्री विनोद खन्ना : अब मैं वहां से शुरू करता हूं, जहां मैंने छोड़ा था। इससे देश के लोगों में काफी अधिक सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक स्थिरता आएगी।

[श्री विनोद खन्ना]

महोदय, मेरा निवेदन है कि वित्तीय ईमानदारी आज की आवश्यकता है, जब तक वित्तीय घाटा कम नहीं किया जाता, हमारे सार्वजनिक ऋण बढ़ते रहेंगे, और प्रत्येक वर्ष अन्य वित्तीय संकट का जोखिम बढ़ जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : खन्ना जी, आप अपने नोट का प्रयोग कर सकते हैं किन्तु भाषण को पढ़िए नहीं।

श्री विनोद खन्ना : महोदय, मेरे पास कुछ तथ्य और आंकड़े हैं और मैं उन्हें अपने नोट से उद्धृत कर रहा हूं।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्राइटीरिया, जब विपक्षी नेता बोलें तब भी आप कृपा करके पाबंदी रखें।

[अनुवाद]

श्री विनोद खन्ना : महोदय, यह मेरा पहला भाषण है। मेरे पास बहुत से तथ्य और आंकड़े हैं। मैंने कड़ी मेहनत की है और यहां इनका उल्लेख करने की आवश्यकता है ... *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि यह उनका पहला भाषण है, उन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिए। यदि वह अपना भाषण पढ़ते हैं, तो हम उनका समर्थन करेंगे, वह अपनी बात जारी रख सकते हैं। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें परेशान न करें। कृपया बैठ जाइए।

श्री विनोद खन्ना : महोदय, मैं पंजाब विशेषत: अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में उल्लेख करने का अवसर नहीं गंवाना चाहता, क्योंकि यह अवसर मुझे मेरे क्षेत्र के लोगों के प्यार और स्नेह के कारण मिला है।

महोदय, मैं गुरदासपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं जोकि शेष पंजाब के साथ आतंकवाद की ज्वाला में झुलस चुका था। पंजाब सीमा पार के आतंकवाद से सबसे अधिक त्रस्त है और अब भाड़े के सैनिक इसमें शामिल हो गए हैं; इसे 'जेहाद' का नाम दिया गया है, जिसका अर्थ है 'पवित्र युद्ध'। मेरे पंजाब राज्य को धर्म के रूप में बहुत से भागों में पहले ही बांट दिया गया है। भारत को धर्म के नाम पर पहले ही तीन भागों में बांट दिया जा चुका है। किन्तु हम सब भारत के नागरिक हैं, मिल जुल कर रहते हैं और एक दूसरे के धर्म, भाषा, जातीयता और संस्कृति के प्रति नि:संदेह पूरी तरह से उदार दृष्टिकोण रखते हैं। ये भाड़े के सैनिक जो दशकों से बड़ी-बड़ी लड़ाइयों में लिप्त रहे हैं और हमारी सहनशीलता पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं।

महोदय, यह स्पष्ट है कि विश्व का कोई भी धर्म एक भाड़े के सैनिक को पवित्र आदमी नहीं कहेगा। इन भाड़े के सैनिकों का उपयोग अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने और विश्व के अनेक राष्ट्रों के विरुद्ध धीरे-धीरे चलने वाला युद्ध जारी रखने के लिए किया जाता है क्योंकि वे पूर्ण युद्ध में नहीं लगाए जा सकते हैं। हमारे सीमावर्ती देशों में 'ओसामा बिन लादेन' और तालिबान की उपस्थिति को राजनयिक और सैनिक दृष्टिकोण दोनों रूप से देखा जाना चाहिए। इसलिए मैं आतंकवाद के प्रति 'जीरो टालेरेंस' सिद्धांत की प्रशंसा करता हूं जिसकी सरकार ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से घोषणा की है।

महोदय, उद्यम और मेहनत करना पंजाब के लोगों की विशेषता है। पंजाब की विकास दर आठ प्रतिशत, साक्षरता 58 प्रतिशत है और देश में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो भी मेरे निर्वाचन क्षेत्र की काफी लम्बे समय से उपेक्षा की गई है, क्योंकि यह सीमांत प्रदेश है। वहां कोई निवेश नहीं किया गया है, क्योंकि लोग अपना धन वहां रखने का जोखिम नहीं लेना चाहते हैं, ये मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोग ही हैं, जो सीमा पर रहते हैं, जिन्होंने संकट के समय अपनी जान गंवाकर भी हमारी मातृभूमि को पहले बचाया है।

महोदय, मुझे यह बताने में गर्व है कि अभी हाल ही में समाप्त कारगिल युद्ध में शहीदों और घायलों की संख्या किसी भी जिले की तुलना में गुरदासपुर जिले में सबसे अधिक थी। मैं स्वयं आपरेशन विजय के दौरान गया था। मैं वहां अपने सैनिकों से मिला था। मैंने देखा था कि उनका मनोबल कितना ऊंचा है और देश की रक्षा करने के लिए वे कितने प्रतिबद्ध हैं। किन्तु उनकी भी कुछ आवश्यकताएं हैं, जो हम उन्हें प्रदान करने में असमर्थ रहे हैं। उनमें से कुछ की अपर्याप्त-कपड़े, जूते होने की शिकायत है और उन्होंने उपकरणों के उन्नयन और आधुनिकीकरण की आवश्यकता के बारे में कहा है। मुझे प्रसन्नता है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण भारतीय सेना के आधुनिकरण और उन्नयन का वायदा किया गया है।

महोदय, गुरदासपुर अपर्याप्त सड़कों और अविश्वसनीय विद्युत आपूर्ति से परेशान है। यहां के किसानों को अधिक उत्पादन वाली फसलों सहित सिंचाई और तकनीकी सहायता की आवश्यकता है। कुछ वर्षों से कृषि में सार्वजनिक निवेश में आयी निरंतर गिरावट, अब भारतीय कृषि के लिए मुसीबत पैदा कर रहा है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी, न केवल सड़क बनाने, विद्युत आपूर्ति और संचार सुविधाएं देने की आवश्यकता है, बल्कि सिंचाई की भी सख्त आवश्यकता है, जिसके बिना विकास को बनाए रखना अत्यंत कठिन है। यद्यपि कृषि संसाधन क्षेत्र को महत्वपूर्ण क्षेत्र का दर्जा दिया गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक मूलभूत ढांचा या ऐसा नहीं है अत: मैं अनुरोध करूंगा कि इस क्षेत्र पर ध्यान दिया जाना चाहिए। किन्तु मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक आवश्यकता इस बात की है कि वहां रावी और व्यास नदियों पर दो पुल बनाए जायें।

अपराह्न 4.00 बजे

इन पुलों के न होने के कारण यह निर्वाचन क्षेत्र चार भागों में विभाजित है। लोगों को एक स्थान से नदी के पार कर दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। उन्हें स्थान 'क' से स्थान 'ख' तक पहुंचने के लिए 80-90 किलोमीटर अधिक की यात्रा करनी पड़ती है। अन्यथा उन्हें केवल लगभग पांच से सात किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती। इसके कारण सामान सड़ जाता है, क्योंकि लाने ले जाने की लागत बढ़ जाती है। सामान को जम्मू और कश्मीर से होकर ले जाना पड़ता है। पंजाब पहुंचने के लिए, हमें जम्मू और कश्मीर से होकर जाना पड़ता है। उन्हें कर देना पड़ता है। दूसरी ओर उन्हें हिमाचल प्रदेश

से होकर जाना पड़ता है। वहां भी 80-90 किलोमीटर अधिक दूरी की यात्रा करनी पड़ती है। इसलिए वहां कोई भी निवेश नहीं कर रहा है। जो फैक्ट्रियां वहां चल रही थीं, वे भी अब बंद हो चुकी हैं। इसलिए मैं जल भूतल परिवहन मंत्री के भी ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि हमें वहां जरूर कुछ सहायता देनी चाहिए। अर्धरात्रि में आजादी प्राप्त करने के पश्चात्, अब भारत सूर्य के प्रकाश में आगे बढ़ रहा है और उसमें बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। भारत को अपने पर हमेशा गर्व रहा है। अब भारत के पास महत्वाकांक्षा है। अब वह नई दहलीज पर खड़ा है जहां से उसे और बड़ी सफलताएं और उपलब्धियां एक बार फिर दिखाई दे रही हैं।

मैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के शब्दों के साथ अपनी बात पूरी करनी चाहता हूं। हमारी स्वतन्त्रता की पूर्व सन्ध्या पर भारत की संविधान सभा में बोलते हुए उन्होंने कहा था :—

> ''हम अपने बुरे दिनों से विदा ले रहे हैं और भारत अपनी पहचान पुनः प्राप्त कर रहा है। जिस उपलब्धि पर हम आज जश्न मना रहे हैं वह केवल एक कदम है, बड़ी सफलताएं और उपलब्धियों को प्राप्त करने का एक अवसर है, जो हमारा इन्तजार कर रही है।'' शायद उनके शब्द आज पहले से कहीं अधिक संगत हैं। धन्यवाद।

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री को बताना चाहता हूं कि हमें नवीनतम समाचार मिला है कि चक्रवात 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। इसने पारादीप बन्दरगाह को अपनी चपेट में ले लिया है और इससे भारी नुकसान हो रहा है। अब यह उत्तर-पश्चिम दिशा में पश्चिम बंगाल की तरफ बढ़ रहा है और इससे दो सौ किलोमीटर लंबे छः तटीय जिले प्रभावित होंगे। हजारों मकान पहले ही ध्वस्त हो चुके हैं। अतः क्या माननीय मंत्री महोदय अपने उत्तर में स्थिति की अद्यतन जानकारी हमें प्रदान करने का प्रयास करेंगे और इस तथ्य से भी अवगत करायेंगे कि केन्द्र की ओर से वे क्या कर रहे हैं और हमारे बीच क्या समन्वय है ?

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या मेरा नाम लिस्ट में है ?

उपाध्यक्ष महोदय : आपका नाम लास्ट में है।

श्रीमती जयश्री बैनर्जी (जबलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या मेरा नाम भी लिस्ट में है ?

उपाध्यक्ष महोदय : सबका नाम मैंने देखा नहीं है।

[अनुवाद]

श्री पूर्णो ए० संगमा (तुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं अपने सभी पूर्व वक्ता माननीय सदस्यों की तरह भारत के माननीय राष्ट्रपति को हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक सम्बोधित करने का कष्ट उठाया। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में तेरहवीं लोक सभा को आगामी शताब्दि की पहली लोक सभा बताया है। उन्होंने हमसे देश के अतीत पर गर्व के साथ और भविष्य को आशा और विश्वास के साथ देखने के लिए कहा है। माननीय राष्ट्रपति ने पूर्व में हमारे द्वारा छोड़े गए कई अवसरों का स्मरण भी कराया है।

अंत में उन्होंने आग्रह किया है कि हमें बेहतर भविष्य के निर्माण हेतु अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगा देनी चाहिए। इन सब चीजों का स्मरण कराकर राष्ट्रपति ने वास्तव में, जैसा कि सभा के एक वरिष्ठतम सदस्य ने पहले उल्लेख किया, सरकार की स्थिरता, शासन तथा स्वयं राज्य व्यवस्था की स्थिरता के प्रति अपनी चिन्ता व्यक्त की है। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने यह संदेह व्यक्त किया है कि इस तथ्य के बावजूद शासक दल यह महसूस कर रहा है कि उन्हें शासन हेतु जनादेश प्राप्त है और मिली-जुली सरकार चलेगी।

मैं उनकी भावनाओं से सहमत हूं कि क्या वास्तव में उनके पास जनादेश है और क्या स्थिरता बनी रहेगी।

यदि आप तेरहवीं लोक सभा के लिए हुए पिछले चुनाव के परिणामों पर दृष्टिपात करें तो कोई ज्यादा परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ता जैसा कि श्री मुलायम सिंह यादव ने भी उल्लेख किया था। परन्तु मुझे लगता है कि दो तथ्यों की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। पहला तो यह कि भारत के लोग राष्ट्रीय दलों से बहुत असन्तुष्ट लग रहे हैं और अब वे क्षेत्रीय दलों की ओर झुक रहे हैं।

पिछले चुनावों में भा०ज०पा० की क्या स्थिति रही ? बारहवीं लोक सभा में भा०ज०पा० की सदस्य संख्या 182 थी और तेरहवीं लोक सभा में भी यह संख्या 182 है। यह उतनी ही है। एक भी सीट नहीं बढ़ी। बारहवीं लोक सभा में कांग्रेस पार्टी की सदस्य संख्या कितनी थी ? यह 140 थी और अब यह 112 है। हम 112 मान लेते हैं। बारहवीं लोक सभा में सी०पी०एम० की सदस्य संख्या कितनी थी ? उनकी संख्या 32 थी और तेरहवीं लोक सभा में भी यह संख्या 32 है। भा०क०पा० की सदस्य संख्या क्या थी ? मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। परन्तु यह कम हुई है। अतः बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर सातों मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों ने या तो बारहवीं लोक सभा वाली संख्या को कायम रखा है या उनकी संख्या में कमी आई है। ऐसा एक भी राष्ट्रीय दल नहीं है जो अपनी सदस्य संख्या में एक की भी वृद्धि कर पाया है। आज हमारे देश में राष्ट्रीय दलों की यही स्थिति है।

दूसरी ओर, यदि आप क्षेत्रीय दलों को देखें तो आप पाते हैं कि उन्होंने अपनी स्थिति सुधारी है। तेलगु देशम पार्टी को लें। पिछली-लोक सभा में उनकी संख्या 17 थी आज उनके 29 सदस्य हैं। पिछली लोक सभा में समाजवादी पार्टी की 20 सीटें थीं और अब यह 26 हैं। पिछली लोक सभा में शिवसेना की छः सीटें थीं और आज उनके पास 15 सीटें हैं। बीजू जनता दल के पास पिछली लोक सभा में 9 सीटें थीं, आज उनकी संख्या दस है। तृणमूल कांग्रेस के पास पिछली लोक सभा में सात सीटें थीं इस समय यह आठ है। पी०एम०के० के पास चार सीटें थी अब यह पांच है। श्री वायको के नेतृत्व वाली एम०डी०एम० के पार्टी के पास पिछली लोक सभा में तीन सीटें थीं आज यह चार हो गई हैं। मेरे पास ऐसे बहुत से आंकड़े हैं पर मैं उन सबको उद्धृत नहीं करना चाहता। मैं यह कहना चाहता हूं कि ... *(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट (दौसा) : इनमें से कुछ अभी नवजात हैं।

श्री पूर्णो ए० संगमा : इनमें से कुछ हमारी तरह नवजात हैं।

मुझे लगता है कि अब हमें इस बात पर विचार करना होगा कि यह देश के लिए एक स्वस्थ परम्परा है या नहीं। मैं किसी अन्य दृष्टिकोण से बात नहीं कर रहा। मैं केन्द्र सरकार की स्थिरता के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं। पिछली लोक सभा में 18 राजनीतिक दलों वाली सरकार थी। आज की सरकार 24-25 राजनीतिक दलों की है। 18 दलों वाली सरकार तेरह महीनों तक टिकी। मुझे नहीं पता कि पच्चीस दलों वाली सरकार कितने महीने चलेगी।

केन्द्र में स्थिर सरकार प्रदान करने की दृष्टि से केन्द्र में स्थिरता प्रदान करने के लिए ही मैं उन रूझानों की बात कर रहा हूं जो आज देश में पैदा हो रहे हैं।

पिछले आम चुनावों के परिणामों से हमें राष्ट्रीय दलों की अप्रासंगिकता का पता चला जो निश्चित रूप से एक चिन्ताजनक विषय है। राष्ट्रीय दलों की भूमिका को मान्यता दी जानी चाहिए और आज जो पहली बात मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि राष्ट्रीय दलों को इस बात की जांच करनी चाहिए कि लोग राष्ट्रीय दलों को अस्वीकार क्यों कर रहे हैं। इसके कारण तो स्पष्ट ही है। यदि राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय आशाओं की पूर्ति करने में असफल रहते हैं तो देश के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय आशाएं पनपेंगी। यही वह मुद्दा है जिस पर मैं सोचता हूं कि हमें विचार करना चाहिए।

अब यदि वर्तमान सरकार की स्थिरता के पहलू पर विचार किया जाए, तो मैं पाता हूं कि यह अल्पसंख्यक सरकार है। यह बहुमत की सरकार नहीं है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन की 304 की संख्या बहुत रोचक लगती है और जहां तक आपका सम्बन्ध है यह संतोषजनक आंकड़ा है और आप बहुत अच्छा भी महसूस कर रहे होंगे परन्तु क्या यह "सुरक्षित समझने" लायक आंकड़ा है। मैं राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबन्धन और साझा सरकार को अलग करके देख रहा हूं। मैं राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबन्धन और साझा सरकार को एक स्वीकार नहीं करूंगा।

जनता ने राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबन्धन को जनादेश दिया है। मैं इसे मानता हूं परन्तु मेरा प्रश्न यह है कि पूरा राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबन्धन आज सरकार में शामिल क्यों नहीं है ? यदि सम्पूर्ण राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबंधन आज सरकार में शामिल होता, तो शायद अधिक आशा होती — मैं स्थिरता के भाव में इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। परन्तु यह स्थिति नहीं है। 304 सदस्यों में से 29 सदस्य जो तेलुगु देशम पार्टी के हैं, साझा सरकार से बाहर हैं। इससे संख्या 275 पर आ जाती है। यदि आप पांच और सदस्यों को निकाल दें — जो एक अन्य दल श्री चौटाला के अखिल भारतीय लोक दल के हैं जो साझा सरकार से बाहर है, तो सरकार की संख्या 270 पर आ जाती है। यदि आप शिरोमणि अकाली दल के दो और सदस्यों को निकाल दें तो साझा सरकार की संख्या 268 पर पहुंच जाती है। क्या 268 की संख्या वाली साझा सरकार देश को स्थिरता दे पायेगी और राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो वायदे किए गए हैं उन्हें पूरा कर पायेगी ? यही एक प्रश्न है, जिसे मैं विचार करने के लिए सभा पर विशेष रूप से साझा सरकार के सहयोगियों पर छोड़ता हूं।

आपके ऊपर एक स्थिर सरकार देने की भारी जिम्मेदारी है। हम, एन०सी०पी० की ओर से, अस्थिरता पैदा करने के हक में नहीं हैं। मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त की तरह आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं क्योंकि राष्ट्र के हित में स्थिरता परम आवश्यक है। हम एक स्थिर सरकार चाहते हैं परन्तु अभी आत्मतुष्ट होकर मत बैठिए क्योंकि आपकी स्थिति अच्छी महसूस करने लायक तो है पर सुरक्षित स्थिति नहीं है।

जैसा कि श्री सोमनाथ चटर्जी ने जिक्र किया है, ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिनका उल्लेख किया जा सकता है परन्तु समय की कमी के कारण मैं इस सबके विस्तार में नहीं जाना चाहता।

दूसरी बात यह है कि मैं सरकार का ध्यान राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबंधन के एजेण्डा के पैरा 28 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैं पैरा 28 में से संगत वाक्या पढ़ना चाहता हूं, जिसमें कहा गया है :—

> "हम पात्रता मानदंड निर्धारित करने के लिए एक ऐसा विधान अधिनियमित करेंगे जिसमें केवल भारत की भूमि पर पैदा हुए भारत के नागरिक ही राज्य विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायापालिका के उच्च पदों पर आसीन होंगे।"

आपके राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबंधन के एजेण्डा में यही कहा गया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण से यह बात दृष्टिगोचर नहीं होती। मैं इस मामले में सरकार के विचारों से अवगत होना चाहूंगा। क्या आप इस सभा के समक्ष ऐसा कोई विधान लाने जा रहे हैं ? यदि हां, तो कब ? आपको भारत के संविधान में या नागरिकता कानून में या जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन करना पड़ेगा या बिल्कुल नया कानून बनाना पड़ेगा। इसका रूप चाहे जो भी हो मैं इस मामले पर आपका दृष्टिकोण जानना चाहूंगा।

तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो जनसंख्या का प्रश्न है जिसे श्री इन्द्रजीत गुप्त पहले ही उठा चुके हैं। गृह मंत्री ने यह जरूर उल्लेख किया था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में जनसंख्या के बारे में उल्लेख किया गया था। परन्तु मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि यह एक सरसरी तौर पर किया गया उल्लेख मात्र है।

इसमें सिर्फ यह कहा गया है कि आप जनसंख्या को स्थिर करेंगे। यह जनसंख्या का स्थिरीकरण है। वास्तव में मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि जनसंख्या के स्थिरीकरण का क्या अर्थ है। मैं जनसंख्या की समस्या के सभी पहलुओं की गहराई में नहीं जाना चाहता क्योंकि हम सभी इसके बारे में जानते हैं। लेकिन क्या मैं अपने देश में जनसंख्या की समस्या के दो पहलुओं की ओर ध्यान आकर्षित कर सकता हूं पहला पहलू है इसकी वृद्धि दर। दूसरा पहलू है जनसंख्या वृद्धि का स्वरूप।

जहां तक जनसंख्या की वृद्धि दर का संबंध है, हम सभी जानते हैं कि इस समय यह 2.1 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है और इस दर से, 2016 तक भारत की जनसंख्या 12640 लाख हो जायेगी यदि आप जनसंख्या के स्थिरीकरण द्वारा इस वर्तमान वृद्धि दर पर नियंत्रण करने की बात कर रहे हैं, तो आप इस प्रवृत्ति को सुधार नहीं रहे हैं। आप तो बस इसी को बनाये रखना चाहते हैं। क्या स्थिरीकरण का यह अर्थ है ? यदि आप 'हां' कहते हैं, तो आपका आशय यह है कि आप वर्तमान वृद्धि दर को कायम रखना चाहते हैं और इसमें बढ़ोत्तरी नहीं होने देना चाहते। तब भी, हमारी समस्या का समाधान नहीं होता।

सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है वृद्धि का स्वरूप। वृद्धि का स्वरूप वास्तव में परेशान करने वाला है। दुर्भाग्य से जनसंख्या वृद्धि का 50 प्रतिशत से भी अधिक भाग भारत के चार राज्यों की देन है। हम इसे 'बीमारु' राज्य कहते हैं जो — बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश हैं। मैं यह दस्तावेज भारत के माननीय गृह मंत्री अथवा यहां तक कि प्रधान मंत्री जी को भी प्रस्तुत कर सकता हूं — मैं दावा कर सकता हूं कि यह मेरा प्रिय विषय है — मैंने जनसंख्या वृद्धि के संबंध में कई अध्ययन और अनुसंधान किये हैं। मैं आज एक बात बताना चाहूंगा। मेरी चिंता का दूसरा कारण है वृद्धि का स्वरूप, वृद्धि का विकृत ढंग। हमारा अध्ययन दर्शाता है कि 1996 और 2016 के बीच 20 वर्षों में 2.1 प्रतिशत की दर से हमारे देश की अतिरिक्त जनसंख्या बढ़कर 3500 लाख हो जायेगी। 3500 लाख जनसंख्या का 50 प्रतिशत से अधिक भाग 'बीमारु' राज्यों की देन होगा। यह एक पहलू है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि इसका राजनैतिक प्रभाव किस प्रकार पड़ेगा। वर्ष 1977 में भारत के संविधान में संशोधन द्वारा भारत की संसद का परिसीमन 1971 की जनगणना पर स्थिर कर दिया गया है। अत: इस समय संसद का परिसीमन 1971 की जनसंख्या के आधार पर किया गया है क्योंकि हमने इसे संविधान में संशोधन द्वारा स्थिर कर दिया है।

अब, यह स्थिरता 2000 ई० तक बनी रहेगी। आपका क्या विचार है ? मेरे विचार से सरकार को इसे स्पष्ट करना होगा। क्या आप उस स्थिरता को दूर करने जा रहे हैं ? क्या आप संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का नया परिसीमन करने जा रहे हैं ? यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप संसद की सीमा की इस स्थिरता को कितने वर्षों तक बनाये रखेंगे ? मैं इसलिये यह कह रहा हूं कि यदि आप यह स्थिरता समाप्त कर देंगे और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन जनसंख्या के आधार पर करेंगे तो इसका परिणाम यह होगा कि बिहार को दो और संसदीय सीटें मिल जायेंगी, उत्तर प्रदेश को 14 और संसदीय सीटें मिल जायेंगी, मध्य प्रदेश को पांच और संसद सदस्य मिल जायेंगे, राजस्थान को चार और संसद सदस्य मिल जायेंगे और दूसरी ओर, तमिलनाडु आठ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र खो देगा। ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : लक्षद्वीप की क्या स्थिति है ?

श्री पूर्णो ए० संगमा : मैं हर राज्य के बारे में नहीं बता रहा हूं। हमें स्थिति का अध्ययन करने में काफी परेशानी उठानी पड़ी है। हमारे देश में जनसंख्या की वर्तमान वृद्धि दर और वृद्धि के वर्तमान स्वरूप के कारण तमिलनाडु को आठ संसदीय सीटों का नुकसान होगा, केरल — जोकि एक छोटा सा राज्य है — को चार संसदीय सीटों का नुकसान होगा, आंध्र प्रदेश को तीन और कर्नाटक को एक सीट का नुकसान होगा। मैं ऐसा समझता हूं कि देश की अर्थव्यवस्था संबंधी इस समस्या के अलावा, यह हमारे लिए राजनैतिक समस्या भी पैदा कर देगी और हम सभी को मिलजुलकर इस समस्या से निपटना होगा।

मेरा सरकार से आग्रह है कि हमने जनसंख्या वृद्धि के संबंध में सर्वदलीय सम्मेलन किया है। हमने इस पर चर्चा करने के लिए और अपने देश में नई जनसंख्या नीति के संबंध में मतैक्य पर पहुंचने के लिए भारत की संसद की एक विशेष बैठक की है अन्यथा हमें भविष्य में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।

मैं जल्दी-जल्दी सभी बातें कह दूंगा। चौथी बात, मैं अर्थव्यवस्था का उल्लेख करना चाहता हूं। नि:संदेह, मैं आज की अर्थव्यवस्था पर विचार नहीं करूंगा क्योंकि हमें इस पर बजट में चर्चा करने का अवसर मिलेगा। वित्त मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। हम यह उसी समय करेंगे। लेकिन मैं केवल इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में एक ओर राष्ट्रपति जी ने संशोधित व्यय प्रबन्धन के माध्यम से वित्तीय ईमानदारी का उल्लेख किया है और राष्ट्रपति जी ने एक व्यय आयोग का गठन करने का भी वायदा किया है। यह आपका विचार है। व्यय आयोग अन्य बातों के साथ-साथ सरकार के आकार को कम करने के लिए रूपरेखा तैयार करेगा। यह बहुत अच्छा है और मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा बार-बार दिए गये वक्तव्यों का स्वागत करता हूं जो यह कहते हैं कि उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता वित्तीय अनुशासन लाना और सरकारी व्यय में संयम बरतना है। वित्त मंत्री जी बार-बार यही राष्ट्र को बता रहे हैं और राष्ट्रपति जी ने हमें यह वचन दिया है कि शीघ्र ही संशोधित व्यय प्रबंधन के माध्यम से वित्तीय ईमानदारी बरती जायेगी और सरकार के आकार को कम करने के लिए व्यय आयोग की स्थापना की जायेगी। यदि यही आपकी नीति है, तो इस सरकार को इतने अधिक नये विभाग क्यों बनाने पड़े ? आपने एक नया विभाग — प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता विभाग बनाया है। भारत सरकार को प्राथमिक शिक्षा विभाग बनाने की क्या आवश्यकता है ? भारत के संविधान के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा पंचायती राज के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सत्ता का विकेन्द्रीयकरण करने की बजाय, प्रक्रिया और प्रणाली का विकेन्द्रीयकरण करने की बजाय आप ज्यादा से ज्यादा केंद्रीय स्तर पर क्यों ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं ?

मुझे इस सम्बन्ध में कुछ संदेह है। भारत सरकार अथवा भाजपा की सरकार, जिसमें ज्यादा संख्या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और विश्व हिन्दू परिषद् से संबंधित लोगों की है, को देश में प्राथमिक विद्यालयों का प्रशासन सीधे अपने हाथ में क्यों लेना चाहिए, यह एक बड़ा प्रश्न है। मुझे यह संदेह है और मैं चाहता हूं कि सरकार मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे। यदि उनकी नीति सरकारी ढांचे के आकार को छोटा करने की है तो उन्होंने पेयजल और आपूर्ति, सड़क परिवहन और राजमार्ग, नौवहन, दूरसंचार सेवायें और इसी तरह के नये विभागों का सृजन क्यों किया है ? नि:संदेह, मैं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सृजन का स्वागत करता हूं क्योंकि यही समय की मांग है। उन्होंने इस नये मंत्रालय का सृजन किया है ...*(व्यवधान)*। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि उन्हें इतने अधिक नये विभाग क्यों बनाने पड़े और राजकोष पर इतना अधिक वित्तीय भार क्यों डालना पड़ा ?

श्री मणिशंकर अय्यर : 25 दलों को समायोजित करने के लिए।

श्री पूर्णो ए० संगमा : यह सर्वविदित है कि मैंने हमेशा यह दृष्टिकोण अपनाया है कि नये मंत्रालयों और विभागों का सृजन करने की बजाय, मैंने केन्द्र में कतिपय मंत्रालय को समाप्त करने का समर्थन किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की आवश्यकता नहीं है, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की आवश्यकता नहीं है। ये सभी राज्य के विषय हैं। नई दिल्ली में बैठे लोग यह नहीं समझ सकते कि यहां से 3000

[श्री पूर्णो ए० संगमा]

किलोमीटर दूर गांवों में क्या हो रहा है। केन्द्र सरकार में ग्रामीण विकास, खेल जैसे बड़े प्रतिष्ठान का क्या तुक है और क्या नहीं ? मैं उनमें से कुछेक को बंद करने के पक्ष में हूं। उदाहरण के लिए कृषि को लीजिए। जहां तक अनुसंधान अंश का संबंध है मैं यह समझ सकता हूं कि आपने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् अपने पास क्यों रखा है, लेकिन कृषि क्यों ? ऐसा केवल राज्यों पर नियंत्रण रखने के लिए है। ऐसा केवल वित्त की सुपुर्दगी में विलंब करने के लिए है। ऐसा मैं एक केन्द्रीय मंत्री और मुख्य मंत्री के रूप में प्राप्त अपने अनुभव से कह रहा हूं। हमें केन्द्रीय मंत्रालय के आकार को छोटा करना होगा। वे सरकार के आकार को छोटा करने की सोच रहे हैं। मैं उससे काफी सहमत हूं। उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और ऐसा करना चाहिए। लेकिन इसी बीच, उन्हें कई नये विभाग नहीं बनाने चाहिए।

इतना सब कुछ कहने के बावजूद मैं अपने विचारों से हटकर, जनजातीय कल्याण हेतु एक नये मंत्रालय के सृजन का स्वागत करता हूं। मैं सरकार को बधाई देता हूं और उसके लिए सरकार को धन्यवाद भी देता हूं। मुझे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए और दस वर्षों के लिए आरक्षण बढ़ाने हेतु संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए सरकार और संसद की दोनों सभाओं—राज्य सभा और लोक सभा का भी धन्यवाद करना होगा। लेकिन जिन सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया है उन्होंने कई बातें कहीं हैं — मैंने इसमें भाग नहीं लिया क्योंकि मैं दूसरे सदस्यों को अवसर देना चाहता था। उन्होंने कहा है कि इन सबके बावजूद इन पचास वर्षों में कुछ खास नहीं हुआ है। मैं तो कहूंगा कि तब तक केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में वास्तव में गंभीर नहीं होती तब तक कुछ नहीं हो सकता। मैं पूरे विस्तार में नहीं जाऊंगा लेकिन मैं सिर्फ एक उदाहरण दूंगा। जिस पर वित्त मंत्री जी ध्यान दें। नौवीं योजना के दस्तावेजों में यह कहा गया है — कृपया इसकी जांच कर लें — कि आठवीं योजना के दौरान अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना के अंतर्गत निर्धारित 2,00,000 करोड़ रुपये से अधिक परिव्यय का उनके लाभ हेतु वास्तव में उपयोग नहीं किया गया था। मैं आपके नौवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज से यह पढ़ रहा हूं।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना के अंतर्गत निर्धारित 2,00,000 करोड़ रुपये से अधिक परिव्यय का उनके लाभ हेतु वास्तव में उपयोग नहीं किया गया था। इसी तरह, आठवीं योजनावधि के दौरान जनजातिय उप-योजना के अंतर्गत निर्धारित लगभग 2,20,000 करोड़ रुपयों का अनुसूचित जनजातियों के लाभ हेतु उपयोग नहीं किया गया था। हमने पचास वर्षों में केवल नारे ही लगाये हैं। मैं और आगे बढ़ना नहीं चाहता। मेरे विचार से नौवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज खुद ही काफी संदेश देते हैं। यदि 2,00,000 करोड़ रुपये अनुसूचित जातियों के लिए खर्च किये गये होते *(व्यवधान)*

डा० मदन प्रसाद जायसवाल (बेतिया) : उस समय किसकी सरकार थी ? *(व्यवधान)*

श्री पूर्णो ए० संगमा : यह आठवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में था। आपकी जानकारी के लिए, हम आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार में नहीं थे। मैं आठवीं पंचवर्षीय योजना की बात कर रहा हूं। हम उस समय नहीं थे ? ... *(व्यवधान)* मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हमने कोई गलती नहीं की। यदि आप सातवीं पंचवर्षीय योजना पर नजर डालें तो संभवतः स्थिति वैसी ही है। यदि आप छठी पंचवर्षीय योजना पर नजर डालें तो भी संभवतः स्थिति वैसी ही है। ... *(व्यवधान)*

डा० नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई) : जी नहीं, आप सातवीं योजना के दौरान सत्ता में मौजूद थे। यह एक सफल योजना थी। *(व्यवधान)*

श्री शरद पवार (बारामती) : आप उस समय योजना आयोग के सचिव थे। आप यह भूल गये हैं। ... *(व्यवधान)*

श्री पूर्णो ए० संगमा : महोदय, कारगिल के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मैं जानता हूं कि मुझे बहुत कम समय दिया गया है। मैं पांच मिनट में अपनी बात पूरी कर लूंगा। कारगिल के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा। श्री इन्द्रजीत गुप्त जी ने जो कुछ कहा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं कि कारगिल युद्ध के सभी पहलुओं, हमारी कतिपय असफलताओं के कारणों की जांच करने के लिए सुब्रह्मण्यम समिति का गठन किया गया है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह सुब्रह्मण्यम समिति की रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराये ताकि इसपर चर्चा की जा सके। पोखरण-दो के संबंध में हुये वाद-विवाद के दौरान, मैंने परमाणु सिद्धांत का समर्थन किया था। उस समय सत्तारूढ़ दल के सदस्य मुझे देखकर हंस रहे थे। मुझे खुशी है कि सरकार ने अब एक प्रारूप परमाणु सिद्धांत तैयार किया है। हमारे घोषणा पत्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यह कहने में एक कदम और आगे बढ़ गई है कि केवल परमाणु सिद्धांत ही क्यों, हमें राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत भी अपनाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि सरकार प्रारूप परमाणु सिद्धांत सभापटल पर रखे ताकि हमें इस पर चर्चा करने के लिए समय मिल सके।

श्री सोमनाथ चटर्जी ने सी०टी०बी०टी० का उल्लेख किया है। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कल होने वाली विश्व व्यापार संगठन की बैठक का उल्लेख किया है। मैं ये सब बातें नहीं करने जा रहा हूं। सी०टी०बी०टी० के संबंध में, मेरे विचार से, हमें दो घटनाओं का ध्यान रखना चाहिए। संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति श्री बिल क्लिंटन पहले वह व्यक्ति थे जिन्होंने सी०टी०बी०टी० पर हस्ताक्षर किये थे। लेकिन तब वह कांग्रेस द्वारा अपने प्रस्ताव का समर्थन नहीं करा सके। वह एक पहलू है। दूसरा पहलू जो हमें अपने ध्यान में रखना होगा वह यह है कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में लोकतान्त्रिक सरकार को हटा दिया गया है। इन दो घटनाओं को ध्यान में रखते हुये, मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह सी०टी०बी०टी० के संबंध में हमारे विचारों के बारे में ज्यादा सावधानी बरते।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो बातें और कहना चाहूंगा। वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात पूर्वोत्तर क्षेत्र के संबंध में है। मुझे यह नोट करके अत्यधिक निराशा हुई है कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सिर्फ यह कहा गया है कि : ''हम पूर्वोत्तर परिषद का पुनर्गठन करेंगे।'' राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में बस यही कहा गया है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। मैं इस बात पर बल नहीं देना चाहता कि विगत में हम क्या करते रहे हैं।

परंतु मेरा विचार है कि उत्तर-पूर्वी भाग पर सरकार द्वारा और अधिक ध्यान दिये जाने की निश्चित रूप से आवश्यकता है। बजाय इसके कि वह उत्तर-पूर्वी काउंसिल का पुनर्गठन करने जा रही है।

मैं माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण के संदर्भ में जो अंतिम बात कहना चाहता हूं, वह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 1931 के लेखों के संबंध में है। उन्होंने अपने सपनों के भारत को एक ऐसा भारत बताया है जिसमें सभी समुदाय के लोग सम्पूर्ण सामंजस्य के साथ रह सकेंगे। यह महात्मा गांधी का सपना था। हम इसी सपने को संजोए रख रहे हैं। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हम सब सम्पूर्ण साम्प्रदायिक सामंजस्य के साथ रहना चाहते हैं। मैं इसलिए इसका उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि हमें इन दिनों पोप की भारत यात्रा पर कुछ वर्ग के लोगों द्वारा विरोध के बारे में की जा रही बातों से संबंधित काफी समाचार सुनने को मिल रहे हैं।

मुझे इस बात में कोई कारण नजर नहीं आता कि हमें धर्म गुरू की भारत यात्रा को लेकर कोई आपत्ति क्यों होनी चाहिए। मैं यह बताना चाहता हूं कि यह धर्म गुरू की यहां की पहली यात्रा नहीं है। यह उनकी दूसरी यात्रा है। पहली यात्रा और अधिक लम्बी यात्रा थी। उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की और इस दौरान भारत के सभी महत्वपूर्ण शहरों और नगरों को देखा था। उस समय, किसी ने भी कोई आपत्ति नहीं की। कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। कोई प्रेस वक्तव्य जारी नहीं हुआ। कोई *यात्रा* आयोजित नहीं की गई। उनकी दूसरी यात्रा के समय यह सब क्यों हो रहा है ? मेरा विचार है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्हें ऐसे कार्य के लिए कहीं से कुछ बल मिल रहा है। कृपया सुनिश्चित कीजिए कि यह यात्रा सफल और शांतिपूर्ण रहे।

मेरा संबंध ईसाइ समुदाय से है और मैं आपको बता सकता हूं कि हमारा समुदाय एक अत्यधिक अल्पसंख्यक समुदाय है। इस महान देश में ईसाईयत के 2000 वर्षों के बाद भी हमारी जनसंख्या कुल जनसंख्या का दो प्रतिशत ही है। ऐसी स्थिति में आशंका का कहां स्थान है ? मैं यह नहीं समझ पाता। हमने इस देश में हरसंभव तरीके से और विशेषकर शिक्षा तथा चिकित्सा के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। मैं सोचता हूं और मुझे विश्वास है कि यहां अनेक सदस्य ऐसे हैं जो ईसाई संस्थाओं की देन हैं। हमने अपना कार्य कर दिया है।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि यह केवल धार्मिक मामला ही नहीं है। धर्म गुरू न सिर्फ एक धार्मिक संगठन के प्रधान हैं, बल्कि एक सरकार के प्रधान एवं संप्रभु देश के प्रधान भी हैं। अतः, वे यहां केवल चर्च के प्रधान के रूप में ही नहीं बल्कि एक देश के प्रधान के रूप में भी आ रहे हैं। मैं सोचता हूं कि यदि कोई अप्रिय बात होती है तो इसका प्रभाव हमारे कूटनीतिक संबंधों, विदेशी मामलों और हमारी विदेश नीति पर पड़ेगा। मैं सरकार से यह सुनिश्चित करने का आग्रह करता हूं कि हर कार्य शांतिपूर्वक निपट जाए। मैं इस देश के ईसाई समुदाय की ओर से यह कह रहा हूं क्योंकि मैं यह मानता हूं कि हम इस मामले में न सिर्फ व्यथित हुए हैं बल्कि हमें वास्तव में दुःख भी पहुंचा है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री यशवन्त सिन्हा।

(व्यवधान)

श्री सिमरनजीत सिंह मान (संगरूर) : महोदय, मैं एक सिक्ख हूं। केन्द्रीय मंत्रिमंडल में कोई सिक्ख प्रतिनिधि नहीं है और संयोगवश किसी सिक्ख को बोलने की अनुमति नहीं दी जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको बोलने का अवसर मिलेगा। आप नाराज क्यों हो रहे हैं ?

श्री जे०एस० बराड़ (फरीदकोट) : महोदय, सदन का यह विचार है कि इस सभा की अवधि बढ़ायी जानी चाहिए अथवा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को अगले सत्र तक बढ़ाया जाना चाहिए। अनेक ऐसे सदस्य हैं जो इसी प्रकार का विचार रखते हैं। पहले ही दिन, माननीय अध्यक्ष महोदय ने अपने भाषण में कहा था कि पीछे बैठने वाले सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जाएगा। कम से कम 50 सदस्य ऐसे हैं जो राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलना चाहते हैं। हमारा आपसे अनुरोध है कि चाहे इसे अगले सत्र तक ले जायें या हमें देर रात 11 बजे तक बैठने दें ताकि जो सदस्य बोलना चाहते हैं, उन्हें इसका अवसर मिल सके *(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : महोदय, इस धन्यवाद प्रस्ताव को अगले सत्र तक ले जाया जा सकता है। यह नयी सरकार का पहला दस्तावेज है और मुझे विश्वास है कि सदस्य इस चर्चा में सकारात्मक रूप से भाग लेना चाहते हैं। *(व्यवधान)*

श्री जे०एस० बराड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप इतनी अच्छी तरह पेश आ रहे हैं *(व्यवधान)* पंजाब के दस सदस्य हैं और किसी ने भी अभी तक नहीं बोला है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बता रहा हूं कि आवंटित समय के अनुसार सभी पार्टियों ने बोलने का समय पूरा कर लिया है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : चाहे इधर के या उधर के कुछ सदस्य बोलना चाहते हैं और हम उन्हें मौका दे सकते हैं। तत्पश्चात्, माननीय मंत्री महोदय उत्तर देंगे। स्थगित करने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा क्या हुआ ? *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रभुनाथ सिंह जी, अगर मैं यह बताऊंगा कि हरेक पार्टी ने कितना टाइम लिया तो एक माननीय सदस्य का टाइम उसी में बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आप बैठिए, शांत रहिए और जरा मंत्री जी को इंटरवीन करने दीजिए।

(व्यवधान)

श्रीमती जयश्री बैनर्जी (जबलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, टाइम लिमिटेशन होनी चाहिए, कोई एक घंटा बोलता है और किसी को पांच मिनट भी बोलने के लिए नहीं मिलते हैं। हम भी अपने क्षेत्र से चुन

[श्रीमती जयश्री बैनर्जी]

कर आए हैं। हमें भी बोलने की इजाजत मिलनी चाहिए। *(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : समय का पाठ पढ़ने के लिए क्या हम लोग ही हैं ? *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे कांग्रेस पार्टी के उप नेता श्री माधवराव सिंधिया, की बात सुनने दीजिए।

श्री माधवराव सिंधिया : मैं सोचता हूं कि सदन की भावनाओं को पर्याप्त रूप से अभिव्यक्त कर दिया गया है और चूंकि अनेक वक्ता, नये सदस्य हैं, वे भी बोलना चाहते हैं। मेरा विचार है कि उनके विचारों को सुनना भी अत्यंत उपयोगी होगा। हो सकता है कि सरकार इस बात पर विचार करे कि हम कल भी बैठक करें ताकि सभी सदस्यों को बोलने का अवसर मिले।

[हिन्दी]

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : इसे अगले सत्र के लिए बढ़ा दिया जाए। सभी सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : उप नेता ने एक सुझाव दिया है। अब, मुझे माननीय गृह मंत्री का विचार सुनना है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछली शहर) : उपाध्यक्ष महोदय, सभी मैम्बर्स को आज ट्रेन से जाना है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जाना है तो अभी जा सकते हैं। हम क्या करें ?

(व्यवधान)

श्री चन्द्रनाथ सिंह : जवाब सुन कर जाएंगे। *(व्यवधान)*।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सदन की बैठक आपकी ट्रेन या हवाई यात्रा बुकिंग पर निर्भर नहीं है।

[हिन्दी]

श्री जे०एस० बराड़ : अगर जाना था तो क्यों आए ? *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यही तो बात है।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : अगर आप चाहते हैं कि हम चले जाएं और जवाब न सुनें तो घंटे-डेढ़ घंटे बाद चले जाएंगे। यह क्या बात हुई ? *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्राय: सभी पार्टियों का आबंटित समय पूरा हो गया है। माननीय गृह मंत्री अब कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं। आप उनके विचार धैर्यपूर्वक क्यों नहीं सुनते हैं ? हम सब यह देखने को उत्सुक हैं कि कुछ नये सदस्यों को भी बोलने का अवसर मिले। हम बैठक की अवधि कुछ और समय के लिए बढ़ा सकते हैं और तत्पश्चात् उसे सौहार्दपूर्ण ढंग से पूरा कर सकते हैं।

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : हमने माननीय अध्यक्ष महोदय को पिछली शाम ही कह दिया था कि जहां तक सरकार का संबंध है, वह सभी विकल्पों अर्थात् आज देर तक बैठने के लिए, शनिवार को बैठने के लिए, सोमवार को बैठने के लिए तैयार है, परंतु हमारी इच्छा है कि धन्यवाद प्रस्ताव को स्थगित नहीं किया जाना चाहिए और इसे पूरा किया जाना चाहिए। हमने अध्यक्ष महोदय के समक्ष यह मूल तर्क पेश किया था। माननीय अध्यक्ष महोदय ने हमें बताया कि हमें आज देर तक बैठना चाहिए किन्तु हमें सत्र की अवधि नहीं बढ़ानी चाहिए। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें बात पूरी करने दीजिए, हस्तक्षेप मत कीजिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : हमने उन्हें यह भी बताया कि सदन के अनेक सदस्य आज शाम की उड़ान से जाना चाहते हैं। इसलिए, हमने यह बात अध्यक्ष महोदय पर ही छोड़ दी और अंतत: उन्होंने हमें बताया कि हमें सभा की अवधि बढ़ानी नहीं चाहिए और इसे आज ही समाप्त किया जाना चाहिए। अब, आप इस बात का निर्णय करें।

श्री मणि शंकर अय्यर : मैं उसी बात पर जोर देना चाहता हूं जो मैंने कल कही थी कि 1994 में सत्ता पक्ष के सदस्यों ने, जो उस समय विपक्ष में थे, धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा को कई सप्ताह तक बाधित किया था यद्यपि धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने में अंतत: कोई समस्या नहीं हुई। अत:, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उन्होंने हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार किया था तो हम भी उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस मामले में कोई बदले की भावना रखने की आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं खड़ा हूं, कृपया आप अपने स्थान पर बैठेंगे ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय गृह मंत्री ने पहले ही सुझाव दे दिया है। मैं सोचता हूं कि कुछ और सदस्य इस चर्चा में भाग लेना चाहते थे। अत:, हम चर्चा के समय को कुछ और घंटों के लिए बढ़ा देते हैं और इसे कल या सोमवार की बजाए आज ही पूरा कर लेते हैं। प्रत्येक पार्टी को आबंटित अधिकतर समय पूरा हो गया है।

मैं सदस्यों को यह सूचित करना चाहता हूं कि लगभग सभी पार्टियों ने अपना-अपना समय पूरा कर लिया है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ नये सदस्य जो इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं, उन्हें भाग लेने दीजिए तथा उत्तर देने का समय एक या दो घण्टे तक के लिए स्थगित किया जा सकता है और उसके बाद हम यह चर्चा पूरी कर सकते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब, मुझे सदन की राय मालूम करने दीजिए।

श्री शरद पवार : माननीय गृह मंत्री के द्वारा उत्तर कब तक दिया जाएगा ? *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, आपने जो सुझाव दिया है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री से निश्चित समय को छः बजे के बाद बढ़ाए जाने से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं। ताकि निश्चित समय का अभी निर्णय किया जा सके। इससे हमें यह सहायता मिलेगी कि किस पार्टी को अवसर दिया जाना है और किस रूप में यह अवसर दिया जाना है। यदि समय के बारे में कोई अनिश्चितता हो तो हम यह नहीं जान सकेंगे कि बहस कब समाप्त होगी और आडवाणी जी कब उत्तर देंगे।

मैं संसदीय कार्य मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे इस संबंध में कोई प्रस्ताव रखना चाहते हैं ताकि हम योजना बना सकें और सामूहिक रूप से कोई निर्णय कर सकें। *(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): अध्यक्ष महोदय को उत्तर देने का समय निर्धारित करने और तदनुसार पार्टियों के बीच समय का विभाजन करने दीजिए ... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि जिन दो या तीन पार्टियों ने बहस में भाग नहीं लिया है, उनके लिए समय आबंटित किए जाएंगे। इस बहस में भाग लेने के लिए बहुजन समाज पार्टी, ए०आई०ए०डी०एम०के० जैसी पार्टियों और कुछ अकले-सदस्य वाली पार्टियों के लिए समय निर्धारित करना होगा।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : माननीय गृह मंत्री द्वारा उत्तर दिए जाने का समय क्या होगा ? *(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : कृपया इस विषय को अगले सत्र तक ले जाइए *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, इसे अगले सत्र तक नहीं ले जाया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हमें बोलने के लिये टाइम दिया जाये ...

उपाध्यक्ष महोदय : आपको टाइम देने के लिये यहां चर्चा हो रही है, आप सुन रहे हैं या नहीं ?

श्री प्रभुनाथ सिंह : हम सब सुन रहे हैं। हमारी पार्टी से श्री रघुनाथ झा बोले हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी पार्टी से श्री रघुनाथ झा बोले हैं, लेकिन बी०एस०पी० से कोई नहीं बोला, ऑल इंडिया अन्ना डी०एम०के० से कोई नहीं बोला है। उन दोनों को छोड़कर क्या आपको वक्त दूं ?

श्री प्रभुनाथ सिंह : हमारी पार्टी के श्री रघुनाथ झा ढाई मिनट तक बोले हैं।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, यदि आप अभी माननीय गृह मंत्री द्वारा उत्तर दिए जाने के समय से संबंधित निर्णय करें तो मैं इस संबंध में संसदीय कार्य मंत्री के प्रस्ताव का पूरी तरह समर्थन करता हूं। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा सुझाव यह है कि यदि सभा बैठक का समय बढ़ाने तथा माननीय गृह मंत्री का उत्तर 8 बजे तक सुनने की इच्छुक हो, तो उस समय तक हमें लगभग तीन घण्टे का समय मिल जाएगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चन्द्र नाथ सिंह : हम 6 बजे के बाद नहीं रूक सकते, हमारी ट्रेन में बुकिंग है।

श्री मुलायम सिंह यादव : आप नाराज़ क्यों हो रहे हैं। हम जा रहे हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। ऐसा लगता है कि आप मुझे बोलने नहीं देना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : महोदय, तृणमूल कांग्रेस के समय के बारे में आपका क्या कहना है ? *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि हमें सलीके से व्यवहार करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि ऐसे सदस्यों तथा पार्टियों को बहस में भाग लेने का अवसर मिल सके जिन्हें बोलने का समय नहीं दिया गया है। माननीय मंत्री 8 बजे उत्तर देंगे। संसदीय कार्य मंत्री तथा सचेतक कृपया इस मामले में एक-दूसरे के साथ सहयोग करें।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, केवल नये सदस्यों को अनुमति दी जानी चाहिए ... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप उसका समाधान कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन : केवल तेरहवीं लोक सभा के नये सदस्यों को बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए तथा उन सदस्यों को इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जो ग्यारहवीं लोक सभा के सदस्य थे और इस लोक सभा के भी सदस्य हैं ... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपको इसे 'आपसी समझौते' की भावना के साथ करना है। यह आपको निर्णय करना है। आप कृपया अन्य पार्टियों के सचेतकों के साथ समन्वय कीजिए और तत्पश्चात् मुझे उसकी जानकारी दीजिए।

इसी बीच हम सदन की बैठक 8 बजे तक के लिए बढ़ा देंगे तथा माननीय मंत्री 8 बजे उत्तर देंगे।

क्या सभा का यह विचार है कि सभा का समय 8.00 बजे तक बढ़ाया जाए ?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा का समय 8.00 बजे तक बढ़ाया जाता है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं संसदीय कार्य मंत्री श्री महाजन से इस संबंध में सभी पार्टियों के व्हीप के साथ समन्वय करने का अनुरोध करता हूं।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : महोदय, आपने बहुजन समाज-पार्टी और अन्ना द्रमुक का उल्लेख किया है किन्तु तृणमूल कांग्रेस का नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : हां, तृणमूल कांग्रेस को भी बोलने का अवसर नहीं मिला है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : स्पीकर साहब ने हमको कहा था और नाम पीछे चला गया। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अभी जिन पार्टीज का एक भी स्पीकर नहीं बोला है, इसके बाद आपका नाम आएगा। मैं यहां अन्याय करने के लिए नहीं बैठा हूं। *(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : स्पीकर साहब ने कहा था।

उपाध्यक्ष महोदय : स्पीकर साहब ने कहा होगा, मगर आपकी पार्टी से रघुनाथ झा बोल चुके हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब बोलने के लिए वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा को बुलाता हूं।

[हिन्दी]

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सम्मानित सदस्य श्री विजय कुमार मल्होत्रा द्वारा राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा गया है और जिसका हमारे सम्मानित मित्र श्री वैको ने समर्थन किया है, उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सरकार की जो आर्थिक नीति है, उसकी विस्तार से चर्चा की गई है। चर्चा में भाग लेते हुए कई सदस्यों ने भी आर्थिक स्थिति पर अपने विचार और मन्तव्य रखे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों की सरकार आने के बाद यह राष्ट्रपति जी का पहला अभिभाषण है और जैसी परंपरा रही है, यह अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों प्रकार के दृष्टिकोणों को सदन और देश के सामने रखने का प्रयास करता है। इसके पहले कि मैं चर्चा में जो बातें आई हैं, उन पर आऊं, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा। हालांकि हमारे मित्र सोमनाथ चटर्जी यहां से उठकर चले गए हैं, लेकिन अगर उन्होंने आज दूसरी बार इसका उल्लेख नहीं किया होता तो शायद मैं इस बात का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं होता। मैं इस सदन में उसी प्रकार चुनकर आया हूं जैसे बाकी सब सदस्य आए हैं। हजारीबाग की जनता ने भारी बहुमत से जिताकर मुझे इस सदन में एक सदस्य के रूप में भेजा है और आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने मुझे वित्त मंत्री का दायित्व मंत्रिमंडल में दिया है।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : आपकी जीत का मार्जिन कितना है ?

श्री यशवन्त सिन्हा : मार्जिन काफी था। मैं आपको बाहर बता दूंगा कितना था।

उपाध्यक्ष महोदय, सोमनाथ चटर्जी ने दोबारा इस बात को यहां दोहराया कि मैं चंद उद्योगपतियों की सिफारिश पर वित्त मंत्री बना हूं। मैं कहना चाहूंगा कि यह बात सरासर गलत है, हालांकि इसमें मुझे तनिक भी शर्म का अनुभव नहीं होता है। यदि उद्योगपति और उनके संगठन जो इसी देश के बाशिन्दे हैं, किसी दूसरे देश के नहीं हैं, अगर उन्होंने अपनी राय रखी जैसे कि हर तबका, हर सेक्शन अपनी राय रखता है तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें इतनी आपत्ति की कौन सी बात श्री सोमनाथ चटर्जी को नजर आती है।

उपाध्यक्ष महोदय, जो आज के दिन आर्थिक स्थिति है, वह हमारे लिए संतोष का विषय है। इस सरकार में भी उसी तरह आंकड़े बन रहे हैं, जैसे आंकड़े पिछली सरकारों में बनते रहे हैं। हमने आंकड़ों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया है और इसीलिए जब राष्ट्रपति महोदय पैराग्राफ-11 में बहुत संक्षेप में भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा करते हैं और होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेन्ट की बात करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करते हैं तो ये आंकड़े उसी प्रकार संकलित किये गये हैं, जिस प्रकार पूर्व में ये आंकड़े संकलित किये जाते रहे हैं इसमें किसी हेरा-फेरी की संभावना नहीं है। आज अगर 33 बिलियन डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है तो 33 बिलियन डॉलर का हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है और अगर पहले ऐसा नहीं था तो यह भी उतना ही सत्य है। अगर आज इंफ्लेशन का दर, होलसेल प्राइस इंडेक्स दो प्रतिशत के नीचे

रहा तो रहा — यह भी सत्य है। हमारे कुछ मित्र यहां चर्चा करते हैं कि होलसेल प्राइस इंडेक्स का दर कुछ भी रहा हो, कंजूमर प्राइस इंडेक्स क्या रहा है — मैं कहना चाहता हूं कि कंजूमर प्राइस इंडेक्स जो पिछले वर्ष नवम्बर में लगभग 20 प्रतिशत पहुंच गया था वह इस वर्ष सितम्बर के महीने में तीन प्रतिशत पर आ गया था। जैसे होलसेल प्राइस इंडेक्स दो प्रतिशत के नीचे था, उसी प्रकार इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए जो कंजूमर प्राइस इंडेक्स है, वह घट कर तीन प्रतिशत पर आ गया है। इससे कीमतों में कमी हुई है। कोई यह कहे कि हम बाजार में गये और टिण्डा खरीदने लगे तो टिण्डे का भाव ज्यादा लगा, हो सकता है कि टिण्डे की कीमत किसी शहर में ज्यादा हो और उन्हें यह अनुभव हो, लेकिन आंकड़े जो बात कह रहे हैं और जो पिछली सरकारों में कहते रहे हैं, उन्हीं आंकड़ों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि मुद्रास्फीति, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंजूमर प्राइस इंडेक्स को नियंत्रण में लाने के लिए हमने जो कदम उठाये थे, उनका यह नतीजा निकला।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष जब हम शासन में आए थे तो हमारे सामने अनेक चुनौतियां थी। अब जब हम आर्थिक स्थिति की चर्चा करते हैं तो अक्सर उन चुनौतियों के बारे में भूल जाते हैं। जब हम शासन में आये थे तो इस देश की अर्थव्यवस्था रीसैशन में फंसी हुई थी, इसमें एक मंदी का दौर चल रहा था और वह मंदी का दौर हमने नहीं बनाया था, वह मंदी का दौर 1996 के मध्य से इस देश में शुरू हुआ था जो हमारे सामने एक चुनौती के रूप में मुंह बाये खड़ा था। पिछले वर्ष मार्च के महीने में जब मैं वित्त मंत्री बना तो सारे लोग मुझसे यही सवाल पूछते थे कि हम मंदी के इस दौर से देश को कैसे निकाल रहे हैं, हम क्या उपाय करने जा रहे हैं। उसके बाद जब हमने इस चुनौती से जूझने का प्रयास किया था तो उपाध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि उसके बाद जो परमाणु परीक्षण इस सरकार ने किये, उसके तत्काल बाद कई महत्वपूर्ण देशों ने जिसमें संयुक्त राज्य अमरीका भी शामिल था, उन्होंने हमारे ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाने का काम किया। हमें इस बात की प्रसन्नता और संतोष है कि अब उन्हें सद्बुद्धि आ गई है और उन्होंने बहुत सारे प्रतिबंधों को वापस लेने की घोषणा की है। लेकिन जो आर्थिक प्रतिबंध इस देश के ऊपर लगाये गये, उनका नतीजा क्या हुआ — विश्व में जो क्रैडिट रेटिंग एजेन्सीज हैं, उन सबने भारत को डाउन ग्रेड कर दिया और कहा कि इन्वेस्टमेंट के लिए भारत अब उतना उपयुक्त और सुरक्षित स्थान नहीं है, जितना पहले था। जब हम इन सब समस्याओं से जूझ रहे थे तो उसके साथ ही साथ विश्व भर में एक आंधी चल रही थी — दक्षिण एशिया का संकट। हमने सोचा था कि शायद वह दक्षिण एशिया तक ही सीमित रह जाए, लेकिन वह आंधी दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं रही। वहां से चलकर रूस पहुंची और रूस के बाद ब्राजील पहुंच गई। दुनिया के कई देश उस आंधी, उस टरमॉइल की चपेट में आये। आज मैं संतोष के साथ इस बात को कह सकता हूं कि हमारे पड़ोस में यह घटनाएं घटी, लेकिन उन घटनाओं, उस आंधी से भारत अछूता रहा। क्योंकि हमने अपना आर्थिक प्रबंधन सही ढंग से किया था। लेकिन उसके बाद जब हम इन चुनौतियों का मुकाबला कर रहे थे, हम सब जानते हैं जो 12वीं लोक सभा में थे कि इस देश में एक वोट से सरकार गिर गई और कुछ लोगों के कारनामों के चलते यह देश एक राजनीतिक अस्थिरता के दौर में फंस गया।

अपराह्न 5.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय, राजनीतिक अस्थिरता का आर्थिक विश्वास के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और वह एक बिलकुल इनस्टेबिलिटी का दौर शुरू हुआ। हम चाहते थे कि चुनाव जल्दी हो जाएं, लेकिन चुनाव टल गए। सितम्बर एवं अक्तूबर के महीने में चुनाव हुए। इस देश में छः महीने तक अस्थिरता का वातावरण फैला रहा। जैसे यही अपने आप में पर्याप्त नहीं था, हमारे पड़ोसी देश ने हमारे ऊपर एक आक्रमण कर दिया, युद्ध थोप दिया और कारगिल की समस्या हमारे सामने आई। उससे सारा देश भलीभांति परिचित है। इस प्रकार हमारे सामने छः-सात महत्वपूर्ण चुनौतियां आई। अगर किसी सरकार के सामने इनमें से एक भी चुनौती आ जाती, तो वह कहती कि इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना हमने किया। हमने इतनी सारी चुनौतियों का एक साथ मुकाबला किया।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष 1997-98 में सकल घरेलू दर 6 प्रतिशत रही और मुझे यह कहने में सन्तोष है कि दुनिया के सारे देशों में अगर किसी देश की आर्थिक प्रगति 6 प्रतिशत आगे बढ़ी, तो उन देशों में भारत और चीन का आज विश्व के पैमाने पर नाम हो रहा है। हमने उसमें सफलता पाई और उसके बाद जो हमारे सारे आंकड़े आ रहे हैं, वे इस बात को सिद्ध करते हैं कि 1998-99 का जो वर्ष था, सारी चुनौतियों के बावजूद हम सफलतापूर्वक आगे बढ़े हैं। वर्ष 1999-2000 में जो हम मंदी के दौर में फंसे हुए थे। अब चारों तरफ से जो आंकड़े आ रहे हैं, चाहे वे कृषि के क्षेत्र में उत्पादन के आंकड़े हों, चाहे वे सेवा के क्षेत्र में बढ़त के आंकड़े हों, सारे आंकड़े यही सिद्ध कर रहे हैं कि देश अब मन्दी के दौर से निकल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी संगमा जी जो बात कह रहे थे, मैं आपके माध्यम से सदन को विश्वास दिलाता हूं कि आंकड़े कभी-कभी गलत हो सकते हैं, सही हो सकते हैं, लेकिन यदि अर्थव्यवस्था में आर्थिक विश्वास का संकट पैदा हो जाता है, तो आंकड़े धरे के धरे रह जाते हैं और विश्वास नहीं जमता। इसलिए हमारे लिए यह संतोष का विषय है। विशेष कर इस वर्ष जब 27 फरवरी को मैंने जो बजट रखा था, उससे जो "फील गुड फैक्टर" का माहौल बना था, वह विश्वास लौट आया है और आज न केवल इस देश में बल्कि जो बाहर के देशों के लोग हैं, वे सारे विश्वास के साथ भारत के ऊपर अपनी नजर डाल रहे हैं और उनका यह निश्चित मत है कि आने वाले दिनों में भारत तेजी से विकास करेगा और हम प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति जी ने 12वें नंबर के अपने अभिभाषण के पैराग्राफ में एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। हम सब अभी-अभी अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों से लौट कर आए हैं और हर उम्मीदवार का एक ही अनुभव रहा है और वह अनुभव यह रहा है कि जनता की जो समस्याएं हैं, उनका इन 52 वर्षों की आजादी में कोई समाधान नहीं निकला है। जब राष्ट्रपति जी, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की बात करते हैं, जब वे बात करते हैं रीजनेबल शैल्टर की, जब वे बात करते हैं प्राइमरी एजूकेशन की, जब वे बात करते हैं हैल्थ सैंटर्स की, सड़कों की और इसी के साथ जोड़ दिया जाए सिंचाई और बिजली की आपूर्ति को,

[श्री यशवन्त सिन्हा]

तो जो हमारी बेसिक मिनीमम नीड्स हैं, जिनको आज तक हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आ जाना चाहिए था, नहीं आईं। क्या हम सब लोगों के लिए सम्मिलित रूप से यह शर्म का विषय नहीं है कि 52 वर्ष की आजादी के बाद भी हमने इन मूलभूत सुविधाओं की अभी तक व्यवस्था नहीं की है ? क्योंकि हमारी जितनी भी नीतियां रही हैं उनके ऊपर कोई सफल कार्यान्वयन नहीं हुआ है क्योंकि जब हम वोट मांगने के लिए लोगों के बीच में गए, तो लोगों ने कहा कि हमारे गांव में सड़क नहीं है।

लोगों ने कहा कि हमारे यहां चिकित्सालय नहीं है, अन्य सारी बातें रखी गयीं और हम सब इस बात को जानते हैं कि कई टेलीविजन चैनल्स ने इस देश में जनता के जो मुद्दे हैं, पब्लिक एजेंडा है, उसके बारे में कार्यक्रम चलाये और क्षेत्रवार हर क्षेत्र से एक ही आवाज उठी, शहरों से वही आवाज उठी, गांवों से वही आवाज उठी कि इस देश की जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं, उनका समाधान अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए राष्ट्रपति जी ने इस पैराग्राफ में उसका उल्लेख किया है। मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने जब देश की समस्याओं का सम्बोधन किया था तो स्पष्ट तौर पर कहा था कि जो विकास की नीति है, उस नीति को हमें परिवर्तित करना पड़ेगा और परिवर्तन लाकर यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि कम से कम समय में और निश्चित तौर पर अगले पांच वर्षों में जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं, उन समस्याओं का हम समाधान करें, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करें।

मैं आज कहना चाहता हूं कि हमने उन नीतियों में कुछ परिवर्तन किया है। हमने ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत की है। हमने कहा है कि पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से इन सुविधाओं को हम जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। हमारा जो काम करने का तरीका है, लक्ष्य है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि सरकार की घोषित नीति है कि अगले पांच वर्षों में हमारे लोगों की जो मूलभूत आवश्यकतायें हैं, उनकी तत्काल पूर्ति की जाये। हो सकता है कि संगमा जी को यह बात पसंद न हो कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए, पेय जल के लिए हमने अलग विभाग क्यों बनाया ? हमने पेय जल के लिए अलग विभाग इसलिए बनाया, जिस तरह से ट्राइबल वेल्फेयर के लिए अलग विभाग बनाया, क्या यह हम सबके के लिए शर्म की बात नहीं है कि आज 52 वर्षों की आजादी के बाद भी सवा लाख गांव इस देश में ऐसे हैं जहां नियमित पेय जल की व्यवस्था नहीं है। इसके लिए अगर हम अलग विभाग बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि विशेष योजना के तहत हम इस कार्यक्रम को अंजाम दें और पांच वर्षों के भीतर यह सुनिश्चित करें कि हर गांव और हर गांव के टोले में हम पेय जल की व्यवस्था करेंगे तो इसमें किसी को क्या एतराज हो सकता है ?

मैं कहना चाहता हूं कि हमारी जो आर्थिक नीति है जिसमें आर्थिक सुधारों का बहुत बड़ा अंश है, उसके मूल में, उसकी तह में, हमारे दिल में जो बात है, वह यह है कि इन आर्थिक सुधारों के कार्यक्रमों के माध्यम से आम जनता की जो मूलभूत आवश्यकतायें हैं उसकी हम जल्दी से जल्दी पूर्ति करें, जल्दी से जल्दी हम उन समस्याओं से उनको मुक्ति दिलायें, यह हमारा लक्ष्य नम्बर वन है।

अभी सोमनाथ जी ने फास्टर ग्रोथ विद इम्पलायमैंट एंड इक्विटी की बात की। मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि हमारे आर्थिक विकास का जो मॉडल है, जो रूपरेखा हमारे मन के अंदर है, जिसका हमने कई दस्तावेजों में उल्लेख किया है, उस आर्थिक विकास का केन्द्र-बिन्दु रोजगार के अवसरों का सृजन करना होगा। हम सब जानते हैं कि दुनिया के कई देशों का और पिछले वर्ष में इस देश का यही अनुभव रहा है कि उत्पादन तो बढ़ता है, प्रगति तो होती है, आर्थिक विकास तो होता है लेकिन रोजगार के अवसर नहीं बढ़ते। अभी एक अध्ययन हुआ जिसमें कहा गया कि 90 के दशक में जो कि अभी तक बहुत अच्छा दशक था, उसके कई वर्षों में बहुत तेजी से प्रगति हुई लेकिन जहां तक रोजगार के अवसर हैं उसमें प्रगति नहीं हुई — यह एक कड़वा सच हमारे समाने है। इसलिए इस सरकार ने तय किया कि हम विकास का जो मॉडल बनायेंगे, उस विकास के मॉडल में हम इम्पलायमैंट को, रोजगार सृजन को केन्द्र में रखेंगे। यहां पर मजाक उड़ाया जा सकता है कि हम एक करोड़ नये जॉब की बात कर रहे हैं। कहां से एक करोड़ नये जॉब देंगे ? क्या पिछले वर्ष आपने एक करोड़ जॉब सृजन किये ? किसी भी बात का मजाक उड़ा देना तो आसान है लेकिन मैं गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं कि जितनी बातें राष्ट्रपति महोदय द्वारा कही गयी हैं चाहे वह कृषि का क्षेत्र हो, ग्रामीण उद्योग का क्षेत्र हो, लघु उद्योग का क्षेत्र हो, स्वरोजगार का क्षेत्र हो, सड़कें बनाने का क्षेत्र हो, आवास बनाने का क्षेत्र हो या नॉलेज बैस्ड इंडस्ट्री, ज्ञान पर आधारित हमारे नये उद्योग हैं, जिसको फ्रंटियर साइंस बोल रहे हैं, इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी, कैमिकल्स टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम जिस तरह आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो क्वालिटी इम्पलायमैंट इस देश में दे रहे हैं, उसमें अगर बढ़त होती है तो निश्चित रूप से एक ही करोड़ नहीं अनेक करोड़ नये रोजगार के अवसरों का हम सृजन कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ जब तक आर्थिक विकास की दर तीव्र नहीं होगी, जब तक हम आर्थिक विकास की दर को आठ-नौ प्रतिशत तक नहीं ले जाते हैं, तब तक हम इस देश को अनइम्प्लॉयमैंट की समस्या से निजात नहीं दे सकते — यह हमारा मानना है। इसलिए राष्ट्रपति जी ने आठ-नौ प्रतिशत विकास की दर की चर्चा की है।

आठ-नौ प्रतिशत विकास की दर हम कैसे हासिल करेंगे — आठ-नौ प्रतिशत विकास की दर हासिल करने के लिए हमने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि जो हमारी घरेलू बचत है, उसे हमें 30 प्रतिशत तक ले जाना पड़ेगा जो वर्तमान में 24 प्रतिशत है, हमें उसमें 6 प्रतिशत की और वृद्धि करनी पड़ेगी। उसके साथ ही साथ विदेशी पूंजी निवेश को भी आमंत्रित करना पड़ेगा ताकि वह हमारी मदद करे, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां पर हम विदेशी पूंजी की आवश्यकता महसूस करते हैं। जब दोनों का सम्मिश्रण होगा, मुख्यत: हमें घरेलू बचत, राष्ट्रीय बचत से सहायता मिलेगी, थोड़ी-बहुत विदेशी पूंजी, ऐसा करके जब हम इतनी पूंजी लगाएंगे, इन्वैस्टमैंट करेंगे तब हमारे लिए संभव होगा कि हम आठ-नौ प्रतिशत विकास दर हासिल कर सकें। उस विकास दर को हासिल करने के बाद हमारे लिए संभव होगा कि हम गरीबी और बेरोजगारी की समस्या पर काबू पा सकें।

यहां पर कई बातें कही गईं। फिस्कल डैफीसिट की बात बहुत आती है, मैं उस पर आऊंगा। श्री सोमनाथ चटर्जी चले गए। उन्होंने कहा कि आप इस्पात उद्योग के लिए क्या कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि पिछले अठारह महीनों में इस सरकार ने इस्पात उद्योग

को बचाने के लिए जितने कारगर कदम उठाए हैं उतने पहले किसी दूसरी सरकार ने नहीं उठाए। मैं इस बात को कुछ संतोष के साथ कह रहा हूं कि हमने बार-बार इस्तपात मंत्री के साथ बैठकर इस विषय पर चर्चा की है। हाल में हमारे सहयोगी मंत्री श्री दिलीप राय मुझसे मिलने आए थे। हमने उनके साथ सेल पर चर्चा की है और उनसे कहा है कि आप हमारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए पेपर लाएं। हम उसे मंत्री परिषद के सामने लाएंगे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमारी एक बहुत प्रीमियर संस्था है, पब्लिक सैक्टर है और देश के उद्योगों में स्टील अथॉरिटी का अपना एक स्थान है, विश्वभर में उसकी अपनी एक पहचान है। मैं इस सदन में पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि हम किसी भी हालत में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जमीन के नीचे नहीं धंसने देंगे, हम उसे बराबर उन्नति करते हुए देखेंगे, यह हमारी मंशा है। स्टील उद्योग, विशेषकर सेल को बचाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा, यह सरकार निश्चित रूप से करेगी। उन्होंने 'इसको' के बारे में कहा, हमने 'इसको' की चिन्ता की है। हम जिस दिन से सरकार में आए हैं, उस दिन से इंडियन आयरन एंड स्टील के बारे में चिन्ता कर रहे हैं कि वह रिवाइव हो। उसके बारे में हमारी रूस के साथ चर्चा चल रही है। जब ज्वाइंट कमीशन की मीटिंग हुई थी, मैं मॉस्को गया था। उसके बाद जब रूस के मंत्री यहां आए थे, उनके साथ हमने चर्चा की। जब उनके प्रधानमंत्री श्री प्रिमीकोव पिछले साल दिसम्बर के महीने में यहां आए थे, हमने उनके साथ चर्चा की थी। मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें भी हमें जल्दी सफलता मिलेगी और हम 'इसको' को फिर से पटरी पर लाने में सफल होंगे। हर क्षेत्र में हमारा प्रयास यही है कि एक तो हमारी मैक्रो इकोनौमिक पॉलिसीज सही हों और वे देश की आर्थिक गति को बढ़ाने में मददगार हों और दूसरे यह कि कहीं-कहीं किसी विशेष सैक्टर में यदि कोई समस्या है तो एक सैक्टोरल ऐप्रोच लेकर उस क्षेत्र के लिए एक विशेष योजना बने। हम चाहते हैं कि वह भी आगे बढ़े। आज अगर सीमेंट उद्योग आगे बढ़ रहा है, कमर्शियल वैहीकल्स सैक्टर आगे बढ़ रहा है, स्टील आगे बढ़ रहा है, अगर इन क्षेत्रों में मंदी करीब-करीब समाप्त हो गई है तो उसका मुख्य कारण यही है कि हमने इस प्रकार की नीतियां बनाईं। जिससे हाउसिंग सैक्टर को, रोड सैक्टर को आगे बढ़ने का, उसमें और अधिक काम करने का मौका मिले और जिसके चलते इन उद्योग-धंधों में तरक्की हो। आप कुछ कहना चाहते हैं क्या ?

श्री नारायण दत्त तिवारी (नैनीताल) : श्रीमन, मैं केवल यह जानना चाह रहा था कि सेल और टिस्को के बारे में माननीय वित्त मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से घोषणा की है। लेकिन जो इसके साथ दूसरे यूनिट्स जुड़े हुए हैं, जिन्हें हमने इसी सदन में नवरत्न कहकर सम्बोधित किया, जो पब्लिक सैक्टर के दूसरे महत्वपूर्ण यूनिट्स हैं, उनका क्या हाल है, उनके लिए क्या नीति है, यह स्पष्ट नहीं हुआ है ? चाहे वह बी०एच०ई०एल० हो, चाहे एच०एम०टी० हो, चाहे एच०पी०सी०एल० हो, जितने बड़े दूसरे नवरत्न हैं, वे भी आज बीमार होते चले जा रहे हैं। पब्लिक सैक्टर की महत्वपूर्ण यूनिटें ही नहीं, राज्यों के पब्लिक सैक्टर यूनिट्स के हाल भी बिगड़ रहे हैं। कई महीनों से एच०एम०टी० जैसे महत्वपूर्ण रत्न की फाइलें फाइनेंस मिनिस्ट्री में पड़ी हुई हैं। स्वीकृति नहीं मिली। इसलिए सब मिलाकर पब्लिक सैक्टर के लिए वित्त मंत्री जी की नीति क्या है, जो इस राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में झलकती है ?

श्री यशवन्त सिन्हा : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक लोक उपक्रमों का सवाल है, पिछले 18 महीनों में इस सरकार ने विशेष योजना बनाकर हर उस लोक उपक्रम को, जिसको दोबारा मुनाफे में चलाया जा सकता था, विशेष सहायता दी है ताकि वह ठीक ढंग से चले। लेकिन हम समझते हैं, नारायण दत्त तिवारी जी इस बात से अवगत हैं कि हमारे देश में अनेक ऐसे लोक उपक्रम हैं, जो वर्षों से बन्द पड़े हैं और जहां पर मजदूरों को बिठाकर हम हर महीने वेतन देते रहे हैं। इन उपक्रमों के बारे में हमें विशेष रूप से सोचना पड़ेगा। अगर स्टडी आफ्टर स्टडी, समय-समय पर, वर्ष दर वर्ष यह देखा गया है कि उपक्रम अब किसी भी हालत में नहीं चल सकते हैं तो मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि ऐसे उपक्रमों के बारे में हमारी नीति यह होगी कि उन उपक्रमों में जो स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति होती है, वह उनके कर्मचारियों को देकर ऐसे उपक्रमों को बन्द करें और उनसे जो कुछ बनता है, जो कुछ हासिल होता है, उससे हम बाकी उद्योगों को आगे बढ़ाने में उनकी मदद करें। जो हमारे लोक उपक्रम सही ढंग से चल रहे हैं, वे और सही ढंग से चलें, यह हमारी नीति है। इसलिए जो पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उसकी नीति के बारे में इस सरकार में तनिक भी कहीं भी कोई कन्फ्यूजन, कोई भ्रम की स्थिति नहीं है।

हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम अपने पब्लिक सैक्टर को, जिसने इस देश के औद्योगिक विकास में एक अहम भूमिका निभाई है, बरकरार रखें। लेकिन साथ ही साथ मैंने पिछले साल के बजट में कहा था, शायद तिवारी जी को याद होगा कि जो नॉन स्ट्रेटेजिक हमारे पब्लिक सैक्टर यूनिट्स हैं, उनमें 74 परसेंट तक हम डिसइन्वैस्टमेंट करेंगे। यह भी मैंने पिछले साल के बजट में कहा था। उस कार्यक्रम के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। ... *(व्यवधान)*

एक मिनट में मैं कम्पलीट कर लेता हूं, उसके बाद आप कह लें।

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : महोदय, ये नवरत्न महत्वपूर्ण केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं। वे लाभ कमाते हैं। वे एक तरह के हैं। सामान्यतः, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम रुग्ण माने जाते हैं। विनिवेश के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है, जिसके बारे में हम बहुत चिंतित हैं, किन्तु नवरत्न परियोजनाओं के लिए चिन्तित नहीं हैं। ये भारत सरकार की आस्तियां हैं।

जहां तक पश्चिम बंगाल के केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का संबंध है, प्रधानमंत्री ने लिखित आश्वासन दिया था कि इनके पुनरूद्धार पर विचार किया जाएगा। इस सुअवसर पर मैं वित्त मंत्री से जानना चाहूंगा कि उनके पुनरूद्धार के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। माननीय प्रधानमंत्री ने कुमारी ममता बैनर्जी को स्पष्ट रूप से लिखित आश्वासन दिया है कि इन उपक्रमों को बंद नहीं किया जायेगा और उनके पुनरूद्धार के लिए हर प्रकार के कदम उठाये जाएंगे।

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि उन सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों के संबंध में जिनका कि पुनरूद्धार किया जा सकता है हमने पहले ही कई कदम उठाये हैं। ऐसे उपक्रम भी हैं जिनका पुनरूद्धार नहीं किया जा सकता। विभिन्न अध्ययनों से यह

[श्री यशवन्त सिन्हा]

सिद्ध हो गया है कि किसी भी प्रकार से ये इकाइयां नहीं चल सकती और लाभ पर तो बिल्कुल नहीं चल सकती। ऐसे मामले में मैं बिल्कुल निष्पक्ष रूप से कह रहा हूं कि हमें ऐसी इकाईयों को बंद करने के लिए कदम उठाने होंगे। माननीय सदस्य ने जो बात कही है और श्री तिवारी ने जिस बात का उल्लेख किया है वह नवरत्नों के बारे में है। मेरे सहकर्मी वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने अभी हाल ही में बड़े स्पष्ट रूप में वक्तव्य दिया है कि हम नवरत्नों को मजबूत बनाएंगे। हम लघु नवरत्नों को भी मजबूत करेंगे। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्री द्वारा दिया गया नीतिगत वक्तव्य है। जिन आठ इकाइयों का सदस्य ने उल्लेख किया है उनके विषय में प्रधान मंत्री ने आश्वासन दिया है कि हम एक बार फिर उनके पुनरूद्धार की सम्भावनाओं का अध्ययन करेंगे। वह अध्ययन अभी चल रहा है। जब भी हमारे पास उन अध्ययनों के निष्कर्ष प्राप्त होंगे तो हम इस संबंध में समुचित निर्णय ले सकेंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी : मैं इस समय एक लम्बी बहस शुरू नहीं करना चाहता। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि ऐसी कई इकाइयों जैसे कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स और कई अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पुनर्गठन सम्बंधी कई रिपोर्टें व्यय विभाग के पास विचारार्थ लम्बित हैं। मैं वित्त मंत्री से उन सरकारी क्षेत्र की उन इकाइयों पर विस्तार से विचार करने का अनुरोध करता हूं जिनके पुनर्गठन के प्रस्ताव उनके मंत्रालय में लम्बित हैं।

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं ऐसे सभी प्रस्तावों पर मैं गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहा हूं। जब मैंने भारतीय इस्पात प्राधिकरण के बारे में बात की थी तो मेरा यही मतलब था। मैंने भारतीय इस्पात प्राधिकरण के विषय में बात क्यों की ? ऐसा इसलिए क्योंकि हमने इस पर चर्चा की थी और क्योंकि यह वह प्रस्ताव था जो कि लम्बित था। ऐसे सभी प्रस्तावों पर हम ध्यान देंगे।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर चर्चा करते हुए वर्ल्ड ट्रेड आर्गेनाइजेशन का भी उल्लेख आया। यह कहा गया कि राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में इसके बारे बहुत संक्षेप में चर्चा की गई है कि हम देश के हितों की रक्षा करेंगे। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण देश का नेगोशिएटिंग डाक्युमेंट नहीं हो सकता है। इसमें सामान्य बातें ही कही जाएंगी और वह यह है कि हम अपने देश के हितों की रक्षा करेंगे। ज्यादा मजबूती के साथ करेंगे, जितनी पूर्व में नहीं हुई है, उससे आगे बढ़कर अपने देश के हितों को रक्षा करेंगे।

30 नवम्बर से सिएटल में ट्रेड मिनिस्टर्स की मीटिंग होने जा रही है। हमारे उद्योग और वाणिज्य मंत्री भी वहां जाएंगे। उन्होंने इसको हल्के ढंग से नहीं लिया है। सारा सदन इस बात से अवगत होगा कि वर्ल्ड ट्रेड आर्गेनाइजेशन में हमारी नेगोशिएटिंग पोजिशन क्या हो। इस संदर्भ में आदरणीय प्रधानमंत्री ने अपने स्तर पर पिछले सप्ताह बैठक बुलाई थी। उसमें उसने कुछ बातें तय की हैं, लेकिन हम स्वयं तय नहीं करना चाहते। वर्ल्ड ट्रेड आर्गेनाइजेशन हमारे लिए कोई दलगत मुद्दा नहीं है। भारत के हितों की रक्षा कैसे हो, यह सिर्फ सरकारी पक्ष की बात नहीं है। इसीलिए हमारे उद्योग और वाणिज्य मंत्री जी ने कहा है कि हम सारे दलों के साथ मिलकर इस पर विचार करेंगे।

[अनुवाद]

हम विश्व व्यापार संगठन के संबंध में भारत की स्थिति तय करने के लिए संसद में सभी राजनीतिक दलों से विचार-विमर्श करेंगे।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ मैं सदन को यह भी कहना चाहूंगा कि जितने विकासशील देश हैं, जितने मित्र देश हैं, उन सबके साथ हम सम्पर्क में हैं। उनके साथ मिलकर हम एक सम्मिलित योजना बनाएं, ताकि न केवल भारत के हितों की रक्षा हो सके, बल्कि साथ ही साथ दुनिया में जितने विकासशील देश हैं उनके हितों की भी रक्षा हो सके, यह भी हमने किया है। जी 15 देशों के ट्रेड मिनिस्टर्स की मीटिंग पिछले सितम्बर में बंगलौर में हुई थी। आगे भी हम इस कार्यक्रम को बढ़ा रहे हैं। वर्ल्ड ट्रेड आर्गेनाइजेशन के बारे में सरकार क्या करेगी, इस बारे में किसी के मन में संदेह न हो, सबके साथ विचार-विमर्श करके हम अपनी नीति तय करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं एक बिन्दु की ओर सदन का ध्यान बहुत गम्भीरता से खींचना चाहता हूं। वह यह है कि हम फिसकल डेफिसिट का क्या करें। साधारण शब्दों में फिसकल डेफिसिट का मतलब यह है कि हमारी जितनी आय है, खर्चा उससे ज्यादा है। उसके बीच में संतुलन कैसे बनाया जाए। मैं अक्सर मजाक में कहता हूं कि मेरी वही स्थिति है जैसे कोई नई बहू उस घर में जाए, जिस खानदान में बजट कभी बैलेंस नहीं किया गया, जिसमें आमदनी कम रहे और खर्च ज्यादा होता हो। मैं वित्त मंत्री बना, मुझसे कहा जा रहा है कि आप बैलेंस करके दिखाओ। कितनी बड़ी चुनौती है ? पिछले दो दशकों में, बीस वर्षों में, हमने इस समस्या के ऊपर काबू नहीं पाया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। बजट-एट-ए-ग्लान्स को उठाकर देखा जाए, तो 88 हजार करोड़ रुपया प्रतिवर्ष हम किसके ऊपर खर्च कर रहे हैं ? 88 हजार करोड़ रुपया हम पिछले वर्षों में लिए गए ऋणों के सूद की अदायगी में खर्च कर रहे हैं। आप देखें, आंकड़े बताते हैं। ये गम्भीर आंकड़े हैं, मैं चाहता हूं कि सदन इसके ऊपर गम्भीरता से विचार करे। 88 हजार करोड़ रुपया सिर्फ सूद पर, 46 हजार करोड़ रुपया प्रतिरक्षा के ऊपर जो अब बढ़ने वाला है। बजट में फीगर 46 हजार करोड़ रुपए का है। मैं राउन्ड फीगर्स बता रहा हूं। फूड एंड फर्टिलाइजर की सब्सिडी पर 24 हजार करोड़ रुपए, पैंशन पर 10 हजार करोड़ रुपए, ग्रान्ट्स-टू-स्टेट्स इन-टर्म्स-आफ फाइनेंस कमीशन 8 हजार करोड़ रुपए — ये राशि कुल मिलाकर 178 हजार करोड़ रुपए हुई। हमारी आमदनी कितनी है ? टैक्स एंड नान-टैक्स रिवेन्यु, जो सैन्ट्रल गवर्नमेंट का है, मिलाकर एक लाख 82 हजार करोड़ रुपए। जो पांच मदें मैंने अभी बताई, इनमें एक लाख 82 हजार करोड़ के अगेन्स्ट 178 हजार करोड़ रुपए इनमें चले गए। 77 हजार करोड़ रुपए हमारा एन्युअल प्लान है, जो स्टेट्स और सैन्टर का है। यह पैसा कहां से आ रहा है ? 80 हजार करोड़ रुपया हम बजट के अनुसार मार्केट से बोरोइंग कर रहे हैं। हम मार्केट में चले जायेंगे, हमें कोई फर्क

नहीं पड़ता है। मैं आज वित्त मंत्री हूं, कल नहीं रहूंगा, लेकिन मैं देश की बात कह रहा हूं। अभी डीजल प्राइस की चर्चा हो रही थी, ठीक है नहीं बढ़ायेंगे। इस पर 10 हजार करोड़ रुपए खर्च है, उसको भी मैं अपने खाते में जोड़ लेता हूं। यह इसलिए कि आई०ओ०सी० या एच०पी०सी०एल० या दूसरी जो अन्य कंपनिया हैं, यह घाटा उनके ऊपर क्यों जाये, उनका तो कोई कसूर नहीं है। हम आदेश देते हैं कि तुम कीमत मत बढ़ाओ, तो वे कहेंगे कि हमारा 10 हजार करोड़ रुपए का घाटा तुम अपने बजट में ले लो और मैं अपने बजट में ले लूंगा। इसके अलावा जो सब्सिडीज की बात है, जब मैं रिवाइज्ड एस्टीमेट लेकर सदन में आऊंगा, तो सदन को बताऊंगा कि कहां-कहां बढ़त हो रही है, क्या-क्या इन्क्रीज हो रहा है। यह सब होगा तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैं जाकर 80 हजार करोड़ रुपया नेट-बोरो करने के बदले एक लाख करोड़ रुपया नेट-बोरो कर लूंगा या एक लाख 20 हजार करोड़ रुपया नेट-बोरो कर लूंगा। मैं तो इस वर्ष अपना काम चला लूंगा, लेकिन इसके साथ दो महत्वपूर्ण सवाल जुड़े हैं। एक सवाल यह है, क्या आज की पीढ़ी को यह अधिकार है कि आने वाली पढ़ियों को वह ऋण के जाल में फंसा दे ? हम 88-90 हजार करोड़ रुपया सिर्फ सूद में चुका रहे हैं — क्या हमारा हक बनता है कि हम आज की पीढ़ी को कह दें कि तुम दो लाख करोड़ रुपए अगले दस वर्षों में सूद के चुकाओगे ? मैं पूछना चाहता हूं, आखिर इस देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा और इस देश के बजट का क्या होगा और भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के साथ हम क्या सलूक करना चाहते हैं ? मैं कहना चाहता हूं कि 80 हजार करोड़ रुपया अपने आप में बहुत खराब है, लेकिन उसके बाद एक लाख करोड़ रुपया या एक लाख दस हजार करोड़ रुपया या एक लाख 20 हजार करोड़ रुपया हम मार्केट में बोरो करने जाते हैं, तो मार्केट में फिर किसी निजी उद्योग धन्धे के लिए, लोक उपक्रम में कोई पैसा नहीं बचता है, क्योंकि मार्केट में जितनी सरप्लस सब्सिडी है, हम सरकार में उस पैसे को खर्च करने के लिए हम अपने पास इकट्ठा कर रहे हैं। अगर मार्केट में इतना पैसा बोरो करने के लिए जाते हैं, तो इन्टर-स्टेट पर उसका क्या असर पड़ेगा ? सूद की दर क्या होगी ? इस देश के उद्योग धन्धे हमसे कह रहे हैं, रिजर्व बैंक आफ इंडिया हमसे कह रहा है कि सूद की दर कम करो। सूद की दर कैसे कम होगी ? क्या हम इतनी बड़ी राशि बार-बार मार्केट में जाकर बोरो कर सकते हैं ? जब मैं फिसकल डैफिसिट की बात करता हूं, तो इस समस्या को हमें ध्यान में रखना होगा कि हम कहां से कटौती करें। यह सब मिलाकर नान-प्लान्ड एक्सपैंडीचर में, क्योंकि प्लान्ड एक्सपैंडीचर में काटना नहीं चाहते हैं, कुल मिलाकर 31 हजार करोड़ रुपया पूरे बजट में बचता है। 31 हजार करोड़ रुपए का कोई फीगर होगा। मैं समझता हूं कि 15 या 20 हजार करोड़ रुपए का फीगर सिर्फ नॉन प्लान सैलेरी का खर्च होगा, तो बाकी 10-15 हजार करोड़ रुपए बचे। आपको जितनी कटौती करनी है, लोग कहते हैं सरकारी खर्च को, फिजूलखर्ची को क्यों कम करते हो, जितनी इकोनोमी करनी है, 10-15 हजार करोड़ रुपए में से कर लीजिए, क्योंकि बाकी जगह आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी आर्थिक स्थिति अति विषम है। आप सूद चुकता नहीं करेंगे तो विदेशों में बदनामी होगी। आप डिफेंस को कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम सुरक्षा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम सब्सिडी कम नहीं कर सकते, क्योंकि इसी सदन में बहुत जोर से हल्ला होगा कि सब्सिडी को किसी हालत में कम न करो। हम पेंशन को कम नहीं कर सकते, क्योंकि बेचारे बूढ़े सरकारी रिटायर्ड पदाधिकारी कहां जाएं। हम ग्रांट्स टू स्टेट को कैसे कम कर दें, क्योंकि ग्रांट्स टू स्टेट हमारा कांस्टीट्यूशनल ऑब्लीगेशन है। वह पैसे हमने फाइनेंस कमीशन के तहत राज्यों को देने ही हैं। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप अब समाप्त करिए।

(व्यवधान)

श्री यशवंत सिन्हा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो समाप्त कर दूंगा लेकिन मेरी चिन्ता यह है। बस एक मिनट। मुझे समाप्त करने दें। मैं समाप्त करने ही वाला हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें बाधा न पहुंचायें।

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं पूर्ण गम्भीरता के साथ ये आंकड़े सदन में रख रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि यह सदन भारत सरकार के बजट संतुलन की समस्या को समझे। राज्य सरकारों के बजट संतुलन की भांति ही भारत सरकार का बजट संतुलन भी पूर्णतया आवश्यक तथा अपरिहार्य है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम उस जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं जो कि लोगों ने हमे सौंपी है और हम उन जिम्मेदारियों को नहीं निभा रहे हैं। मैं कोई हल नहीं सुझा रहा हूं। मेरे दिमाग में कुछ हल हैं। जब मैं इस सदन में अपने संशोधित प्राक्कलन प्रस्तुत करूंगा तो संभवत: मैं उनकी विस्तार से व्याख्या करूंगा। मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि यह एक ऐसी समस्या है कि सम्पूर्ण सदन को इस पर चिंतन करना चाहिए और सम्पूर्ण राष्ट्र को चिंता होनी चाहिए ताकि हम इससे बाहर निकल सकें। इसीलिए एक्सपेंडीचर कंट्रोल और एक्सपेंडीचर कमीशन की बात हो रही है।

जब तक कोई ढांचागत समायोजन न हो, जब तक हम अपने बजट का भार कम नहीं करते तब तक हमारे लिए राजकोषीय संशुद्धि संस्थापित करना सम्भव नहीं होगा। इसीलिए हमने अपने राजग के घोषणा-पत्र में राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम, की बात कही है। मैं आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूं कि हम राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम के विभिन्न तत्वों को एकत्र कर रहे हैं ताकि हम सदन के सामने आ सकें, इस देश के लोगों के सामने आ सकें, और उनके समक्ष सारे तथ्य रख सकें और यदि हम चाहते हैं कि भविष्य की पीढ़िया शांति तथा सम्पन्नता के साथ रहें तो हमें वे सभी कठिन कदम उठाने होंगे जो एक राष्ट्र की भांति इस राष्ट्र को उठाने चाहिए। यही समस्या है।

इसके अलावा जैसाकि मैंने कहा राष्ट्रपति जी को इतना अच्छा अभिभाषण देने हेतु धन्यवाद दिया जाना चाहिए जो उन्होंने सभा के दोनों सदनों को दिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्री विजय कुमार मल्होत्रा द्वारा पेश किया गया यह प्रस्ताव साधुवाद के साथ पारित किया जाएगा।

श्री त्रिलोचन कानूनगो (जगतसिंहपुर) : मेरा एक छोटा सा प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बाद में मंत्री जी से स्पष्टीकरण पूछ सकते हैं।

श्री त्रिलोचन कानूनगो : उन्होंने मुझे बताया है कि वे बाद में उत्तर देंगे।

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी (अमरोहा) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हमारी लीडर बहुजन समाज पार्टी की मोहतरमा मायावती जी यहां मौजूद नहीं हैं, मैं उनकी तरफ से मोशन ऑफ थैंक्स पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सर, अगर किसी भी कौम का करेक्टर देखना हो, मुल्क के बारे में अंदाजा करना हो, किसी भी इंसान का करेक्टर देखना हो तो उसका माज़ी तलाश करना चाहिए। उसका जब तक माज़ी तलाश नहीं किया जाएगा कि उसने अपने माज़ी के अन्दर क्या किया है, उसके मुस्तकबिल के बारे में अन्दाजा नहीं किया जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने प्रेजिडैंट एड्रैस को बहुत गौर से सुना और पढ़ा। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इसमें कौम से किए गए वायदे सिर्फ वायदों की हद तक हैं। पिछले 13 महीने जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, इस एड्रेस को पढ़ने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि उस 13 महीने की सरकार ने क्या काम किया ?

मेरे दोस्त यशवन्त सिन्हा जी ने अभी कहा कि हमारी सरकार सिर्फ कुछ लोगों ने गिरायी जिसकी वजह से देश की इकॉनौमी खराब हुई और देश के ऊपर बहुत भारी भार पड़ा। मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि वे लोग जो इलैक्शन में आपके साथ चले गए, जनता दल यूनाइटिड के श्री राम विलास पासवान अगर इलैक्शन से पहले आपके पास आ जाते तो इलैक्शन की नौबत नहीं आती। यह कैसी जम्हूरियत है ? कैसी डैमोक्रेसी है कि वे इलैक्शन से पहले कुछ और करते हैं और इलैक्शन के बाद कहीं और जाते हैं। पार्लियामैंट हाउस की दरो-दीवार बड़ी खामोशी के साथ सारी बात सुनती है। अच्छा है खुदा ने इन पत्थरों को आवाज नहीं दी है। अगर इन पत्थरों को आवाज दे दी जाती तो न जाने कितने लोग इस देश की पब्लिक के सामने बरहना हो जाते। इस एड्रेस के पैरा 12 में देश की स्थिति के बारे में कहा गया है :

[अनुवाद]

> "करोड़ो लोग, विशेषकर गांव में, ऐसे हैं जिन्हें अभी भी पीने का साफ पानी, उपयुक्त आवास, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं तथा सड़कों जैसी मूलभूत सेवाएं अभी भी प्रदान की जानी हैं। निरक्षरता अभी भी विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों तथा ग्रामीण महिलाओं के लिए अभिशाप बनी हुई है।"

[हिन्दी]

इसके बावजूद जो देश की स्थिति बनायी गयी है, उसके बारे में कोई कनक्रीट प्रोग्राम नहीं है। माईनॉरिटीज, शेड्यूल्ड कास्ट्स के बारे में इस पूरे एड्रेस में सिर्फ एक जगह तजकरा किया गया है कि यह सरकार उनके इंटरस्ट को लुकआफ्टर करेगी। इस एड्रेस में माइनॉरिटिज, शेडयूल्ड कास्ट्स और ओ०बी०सी० के बारे में कोई बात नहीं कही गई है। इस एड्रेस में जूडिशियल रिफार्म्स, इलैक्ट्रोल रिफार्न्स, इकॉनोमी, सैकुलरिज्म और कारगिल के बारे में जिक्र किया गया है। इसमें शहरों को साफ-सथुरा रखने के बारे में जिक्र किया गया है। मैं तजबजूब में मुबक्तला हूं कि किस बात का पहले जिक्र करूं, किस बात का जिक्र बाद में करूं ?

> जख्म कोई एक नहीं जिस्म है सारा छलनी,
>
> दर्द बेचारा परेशां है कहां से उठे ?"

मैं अपना तजकरा सैकुलरिज्म की बात से शुरू करता हूं जिस का पैरा 6 में जिक्र किया गया है। उसमें इस बात का इजहार किया गया है कि हमारा सैकुलरिज्म में मुकम्मल यकीन है। मुझे बहुत तकलीफ से कहना पड़ता है कि सैकुलरिज्म की कौन सी डैफिनीशन है ? किस सैकुलरिज्म का जिक्र किया जाता है ? जिस आदमी को, जिस सैकुलरिज्म की वजह से फायदा होता है, वह उस सैकुलरिज्म का जिक्र करने लगता है। कितने ऐसे चेहरे हैं जो मुझे यहां नजर आते हैं ? यशवन्त सिन्हा साहब उठ कर चले गए। एक जमाने में इधर बैठते थे। बाबरी मस्जिद डैमोलिश हुई, मैंने उस समय उनकी तकरीर सुनी। मुझे लगा था कि हमारे दिलों की आवाज यशवन्त सिन्हा साहब अपनी जुबान से अदा कर रहे हैं। उनकी जुबान में कितनी तकलीफ और दर्द था ? वही आज उन लोगों के साथ बैठे हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद को तोड़ा। इसके बावजूद सैकुलरिज्म का जिक्र किया जा रहा है।

अपराह्न 5.39 बजे

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

जार्ज फर्नान्डीज साहब यहां मौजूद नहीं हैं। वह सैकुलरिज्म के बारे में बड़े-बड़े भाषण देते थे। वह माइनॉरिटीज के बारे में बड़े-बड़े भाषण देते थे। आज सिर्फ चंद वजूहात की बिना पर वे उधर बैठे हुये है। यह कौन सा सैकुलरिज्म है कि जिस पर जब जरूरत पड़ती है तो उसका जिक्र करना शुरू कर दिया जाता है और जब जरूरत पड़ती है तो सैकुलरिज्म के खिलाफ एक लम्हा भी नहीं लगाते, उसकी मुखालफत करने लग जाते हैं। जो लोग सैकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, उन्होंने इस जम्हूरी मुल्क के अंदर अकलियतों का दिल दुखाया, बाबरी मस्जिद को डिमौलिश किया और आज वे इस बात को कहते हैं कि वहां पर मंदिर बनायेंगे जबकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर वह केस पैंडिंग है। ये वे लोग हैं जो 50 साल से राम राज्य की बात करते रहे हैं।

मैं सोचता था कि अगर प्रेजीडेंट अड्रेस पढ़ूंगा तो उसमें यकीनन इस बात का जिक्र होगा कि 50 सालों से हम जिस राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं, उसकी तरफ एक कदम ये लोग जरूर आगे बढ़ायेंगे। मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं और मुझे याद है कि भगवान श्री राम ने एक धोबी को सैटिसफाई करने के लिये अपनी पत्नी सीता को त्याग दिया था। इस 100 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में 17 करोड़ मुसलमान हैं जो सरकारी बैंचों पर बैठने वाले नेताओं के चेहरे अगर टी०वी० के पर्दे पर देख ले तो कांपने लगते हैं, डरने लगते हैं, खौफज़दा हो जाते हैं। अब तो अखबारात में पढ़ा था और इसी सरकारी बैंचों पर बैठने वाले नेता, जो मुम्बई के अंदर रहते हैं, उन्होंने कहा कि अगर श्रीकृष्ण आयोग की रिपोर्ट पर कोई फैसला किया गया तो सारी मुम्बई में आग लग जायेगी। मैं सरकारी बैंचों पर बैठने वालों से अदब के साथ पूछना चाहता हूं कि क्या उन लोगों ने कभी यह पूछने का काम किया कि यह स्टेटमेंट सही है या गलत है। चलिये, मैं मान लेता हूं कि वह गलत है, अखबारों में छपे हुये बयानात गलत

हो सकते हैं। यहां होम मिनिस्टर बैठे हुये हैं, क्या उन्होंने इस बारे में पूछा। मुझे याद है कि पिछली मर्तबा जब इस देश में प्राब्लम क्रिएट करने की कोशिश की गई थी तो इस मुल्क की 100 करोड़ आबादी के खुद होम मिनिस्टर चलकर मुम्बई गये थे और बात करके आये थे। मैं उन से पूछना चाहता हूं कि

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, वहां किसी एक मुसलमान को हाथ नहीं लगाया गया।

एक माननीय सदस्य : आपकी हुकूमत गलत काम नहीं कर सकती। माइनौरटीज की प्रोटैक्शन कांस्टीट्यूशन में की गयी है। कोई भी हुकूमत उन्हें न मार सकती है और न ही जला सकती है।

श्री राशिद अलवी : मैं कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहता। मैं बहुत ही अदब के साथ कहना चाहता हूं कि ...

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, समाज के एक वर्ग विशेष का नाम लेकर और बी०जे०पी० तथा शिवसेना के खिलाफ जो भी कहा गया है, वह संसदीय मर्यादा के खिलाफ है, विपरीत है।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें।

श्री राशिद अलवी : मैं जानता हूं कि आप अकसरियत में हैं और हम अकलियत में हैं।

प्रो० रासा सिंह रावत : यह अकसरियत का सवाल नहीं है। देश में अन्य लोग भी रहते हैं।

श्री राशिद अलवी : मैं सच कहूंगा मगर फिर भी हार जाऊंगा, वे झूठ बोलेंगे और लाजवाब कर देंगे। मैं इस बात को जानता हूं।

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, ये अनपार्लियामेंटरी वर्ड्स हैं।

श्री राशिद अलवी : मैं अर्ज करना चाहता हूं कि क्या कभी यह पूछा गया कि अगर श्रीकृष्ण आयोग रिपोर्ट पर कोई कदम उठाया जाता है, उसके ऊपर आपका क्या कदम होगा — क्या मुम्बई के अंदर आग लगा दी जायेगी या पूरे मुल्क के अंदर आग लगा दी जायेगी ? क्या वह हिन्दुस्तान के कानून से बालातर है ?

सर, इसके बाद मैं कारगिल पर अपनी बात कहना चाहता हूं। मैं वे बातें रिपीट नहीं करना चाहता जिन्हें यहां पहले कह दिया गया है लेकिन जो कुछ यहां कहा गया है, उसकी ताईद करता हूं। इसके साथ यह भी जरूर कहना चाहता हूं कि कारगिल के अंदर मांओं ने अपने जवान बेटों को इस देश की सरहद पर कुरबान कर दिया। कितनी माँए हैं जिन्होंने यह बयान दिया था, जब उनसे पूछा गया था कि उनका एक बेटा शहीद हो गया, उस पर क्या रिऐक्शन है तो उन बूढ़ी मांओं ने, जिनके जवान बेटे शहीद हुए थे, उन्होंने कहा था कि अगर मेरा दूसरा बेटा होता तो मैं उसको भी सरहद पर शहीद कर देती, लेकिन मैंने अपने आप सुना भारतीय जनता पार्टी के एक स्पोक्सपरसन ने इलेक्शन के दौरान कहा कि कारगिल के मुद्दे से हमें फायदा होगा। *(व्यवधान)*

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा) : भारतीय जनता पार्टी के किसी स्पोक्सपरसन ने ऐसा नहीं कहा है। ... *(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवा निवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, एवीएसएम (गढ़वाल) : किसी ने ऐसा नहीं कहा है। ... *(व्यवधान)*

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया) : आप लोग बार-बार कह रहे हैं कि हम लोग कारगिल का फायदा उठाना चाहते हैं। हमारी तरफ से किसी ने कारगिल के बारे में नहीं कहा है। आप लोगों ने इस मामले को उठाया है और हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। ... *(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : आप लोग सही बात नहीं कह रहे हैं। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले, मैं यह देख रहा हूं कि आप लगातार सभा के काम में विघ्न डाल रहे हैं। अब तो आप दूसरी बार इस सभा के सदस्य बने हैं। कृपया ठीक से व्यवहार कीजिए।

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी : स्पीकर साहब, सरहद से जब जवान बेटे की लाश गांव जाती है और पूरा गांव उसको कंधा देने का काम करता है और उसकी मां की आंखों से आंसू निकलते हैं, अगर उस मां ने सोच लिया कि उसके बेटे की लाश पर राजनीति हो रही है तो इस देश की कोई मां अपने बेटे को सेना में नहीं भेजेगी।

अध्यक्ष महोदय : अब समाप्त करें।

श्री राशिद अलवी : अभी बहुत समय है। अभी तो मैंने शुरू ही किया है। जितना समय आपने दूसरों को दिया है उतना ही समय हमें भी दें और बी०एस०पी० की तरफ से तो सिर्फ मैं ही बोलूंगा, कोई दूसरा सदस्य नहीं बोलेगा।

स्पीकर साहब, इस प्रेजिडेण्ट्स ऐड्रेस में कारगिल के मुद्दे पर जो फायदा उठाने की दोबारा कोशिश की जा रही है, उससे इस देश की जनता को मिसलीड करने का काम ये लोग कर रहे हैं।

प्रो० रासा सिंह रावत : राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कारगिल में हमारी सेना की विजय का ही उल्लेख किया गया है और ये कह रहे हैं कि फायदा उठा रहे हैं। ... *(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी : तीसरी बात, मैं ज्यूडीशियल रिफॉर्म्स के बारे में कहना चाहता हूं। इस देश की ज्यूडीशियरी पर लोगों का भरोसा कम होता जा रहा है। यह न देश के लिए अच्छा है और न देश की डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है। मैं चाहूंगा सरकारी लोगों से कि मेरी बात को सुनें और सिर्फ यह न समझें कि एक अपोजीशन का सदस्य खड़ा होकर बोल रहा है। मैं दिल की आवाज से कहना चाहता हूं कि जब तक इस देश का ज्यूडीशियल सिस्टम ठीक नहीं होगा, गरीब आदमी को इंसाफ नहीं मिल सकता है। मैं सुप्रीम कोर्ट में वकालत भी करता हूं। 1993 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया जो 1863 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल किया गया था। 18 एकड़ जमीन का झगड़ा था जो 1863 में फाइल हुआ और 1993 में सुप्रीम कोर्ट में आया। 1993 में सुप्रीम कोर्ट के जजेज ने बात सुनकर फैसला किया कि इसे हाई कोर्ट को दोबारा सुनना चाहिए और सुनने के बाद

[श्री राशिद अलवी]

इसे दोबारा सुप्रीम कोर्ट भेजना चाहिए। यहां पर अरुण जेटली नहीं बैठे, राम जेठमलानी नहीं बैठे। वह सच्चाई को जानते हैं और निचली सतह पर ज्यूडीशियरी में क्या कुछ हो रहा है, वह मैं इस सदन में नहीं कहना चाहता, वह कहना नामुनासिब है, लेकिन इस सदन का हर आदमी इस बात को जानता है। मेरी राय है कि सरकार को बहुत वाज़ेह तौर पर इस रिफॉर्म पर यहां डिसकस करना चाहिए। जिस तरह से हाई कोर्ट के जजेज बनते हैं, अगर कोई भी पोलिटिकल केस हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जजेज़ के सामने जाता है, उसका फैसला देखकर यह बताया जा सकता है कि यह जज कांग्रेस के रिज़ीम में बना था या दूसरे रिज़ीम में बना था इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। जो सिस्टम हाई कोर्ट में जजेज़ का बना है, वह सारे का सारा पोलिटिकल सिस्टम है, पोलिटिकल लोगों को बनाया जाता है। हम सभी मनुष्य हैं। हम सब कमजोरियों के अंदर हैं, चाहे पार्लियामेंट के मैम्बर हों और चाहे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ हों। जो बनायेगा उसके लिए यकीनन उन लोगों को सॉफ्ट कॉर्नर होगा। मेरी इस बारे में बहुत वाजेह राय है कि जूडीशियल सिस्टम के अंदर सिर्फ एक एग्जामिनेशन होना चाहिए और एक जूडीशियल सर्विसेज होनी चाहिए। जो आदमी सबसे नीचे मुंसिफ बने, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट बने, वही प्रोमोट होकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए, उसी को प्रोमोशन मिलना चाहिए। उसकी काबलियत के एतबार पर, उसकी एजूकेशन के एतबार पर, उसके द्वारा दिये गये जजमैंट्स के आधार पर वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने — तभी ईमानदारी के साथ हमारे यहां इंसाफ हो सकता है। हमारे यहां इस कदर महंगा इंसाफ है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक-एक हीयरिंग के एक-एक लाख रुपये लग जाते हैं। एक आम आदमी, एक मामूली आदमी सुप्रीम कोर्ट जाने की सोच भी नहीं सकता है।

अध्यक्ष महोदय : आपने 20 मिनट का समय लिया है जबकि आपकी पार्टी को बारह मिनट का समय दिया गया है।

श्री राशिद अलवी : सर, मैं पांच मिनट और लूंगा, उसके बाद अपनी बात खत्म करूंगा। मैं कोई ईर्रेलेवेन्ट बात नहीं कह रहा हूं, देश के इंटरेस्ट की बात कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : ईर्रेलेवेन्ट बात का सवाल नहीं है, मुझे सबको बोलने का मौका देना है।

श्री राशिद अलवी : जूडीशियल इंटरेस्ट के बारे में मुझे यही कहना था।

अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात इकोनोमिक रिफॉर्म्स के बारे में यहां कही गई। अभी श्री यशवंत सिन्हा जी ने सारी बातें कहीं कि देश को कैसी स्थिति में पिछली सरकार ने छोड़ा और उनके लिए आज देश को संभालना मुश्किल हो गया है। अध्यक्ष महोदय, पिछले पचास सालों में मुख्तलिफ फाइनैन्स मिनिस्टर्स ने जो स्पीचिज इस सदन में दी हैं, उन सभी को मैंने पढ़ा है और जब भी सरकार बदली है हर नये फाइनैन्स मिनिस्टर की तकरीर के पहले पैराग्राफ में यही होता है कि पिछली सरकार ने हमें इस हालत में छोड़ा है, हमारे लिए आगे चलना बहुत मुश्किल हो गया है, संभव नहीं रहा है *(व्यवधान)* उससे भी ज्यादा उसकी हालत को बिगाड़ देता है। मेरा कहना यह है कि डीजल की कीमतें बढ़ाने से इकोनोमी ठीक नहीं हो सकती। एक तरफ आप कह रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर गुरबत बढ़ रही है, एक तरफ आप पैरा 20 के अंदर कह रहे हैं कि इस देश की स्थिति खराब है, इस देश के अंदर एजूकेशन नहीं है, इस देश के अंदर लोग भुखमरी से मर रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरीके से आंखें बंद करके डीजल की कीमतें बढ़ा रहे हैं। जब अगले दिन चुनाव का नतीजा आने वाला था और जिस तरह डीजल की कीमतें बढ़ाई गई, उसी से पता चल जाता है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। वह ईमानदारी के साथ कोई काम नहीं करना चाहती है। आप इलेक्शन के पहले बढ़ाते, पोलिंग के पहले बढ़ाते तो इस देश के लोग फैसला कर सकते थे कि आप कितने सही या गलत हैं। आपने सोचा कि अगले दिन चुनाव का नतीजा आने वाला है, लोग काउंटिंग में बिजी होंगे, इसलिए डीजल की कीमत को इस आवाज के अंदर दबा दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय, चौथी और आखिरी बात मैं इलैक्टोरल रिफॉर्म के बारे में कहना चाहता हूं। इलैक्टोरल रिफॉर्म के बारे में कितनी नीयत साफ है, वह मैं बतलाता हूं। मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आया हूं, वहां मेरे खिलाफ बी०जे०पी० का उम्मीदवार जिस कास्ट का था, वहां का कोई पुलिस स्टेशन ऐसा नहीं था, जिसका इंचार्ज उस कास्ट का न हो। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इनकी नीयत और इन पर यकीन किया जा सकता है कि ये इलैक्टोरल रिफॉर्म करेंगे। यह कैसे मुमकिन है कि हर पुलिस स्टेशन का इंचार्ज उसी कास्ट का हो जिस कास्ट का कंडीडेट बी०जे०पी० का वहां से लड़ रहा हो। हमारी लीडर कु० मायावती जी के यहां, आर०एस०एस० और तमाम तरह की ताकतें इन्होंने झोंक दी, सारा एडमिनिस्ट्रेशन उनके खिलाफ था, पूरी सरकार उनके खिलाफ थी और वे चाहते थे कि उन्हें हरा दिया जाए। एक गरीब परिवार में पैदा हुई शेड्यूल्ड कास्ट की लड़की को ये गले से उतारना नहीं चाहते।

आखिर में मैं सरकारी बैंचों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हम इस सदन को अमन के साथ चलाना चाहते हैं। हमारी पार्टी बी०एस०पी० ने यहां कभी कोई हंगामा नहीं किया। हम कोऑपरेट करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि जब हमारी लीडर बोलें तो आपको उन्हें खामोशी के साथ सुनना चाहिए। इस सदन में उपद्रव हुआ तो — हंगामा करोगे तो हंगामा करेंगे, करम करोगे तो करम करेंगे, सितम करोगे तो सितम करेंगे, वफा करोगे तो वफा करेंगे, जफा करोगे तो जफा करेंगे, हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वही हम करेंगे।

[अनुवाद]

श्री पी०एच० पांडियन (तिरूनेलवेली) **:** अध्यक्ष महोदय, मैं इसे अपने लिए एक विशेषाधिकार समझता हूं और इस स्वीकृत किये जाने वाले तथा राष्ट्रपति को प्रस्तुत किये जाने वाले धन्यवाद प्रस्ताव में भाग लेने पर मुझे खुशी है।

राष्ट्रपति द्वारा इस माननीय सभा को प्रस्तुत किए गए अभिभाषण को मैंने पढ़ा। इस अभिभाषण के पैरा तीन में सम्माननीय राष्ट्रपति ने कहना शुरू किया है कि "हम, भारत के लोग"। मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि 26 नवम्बर, 1949 को भारत के संविधान को यह कहते हुए स्वीकार किया गया था कि :—

"हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा और अवसर को समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़संकल्प होते हैं।"

इसे 26.11.1949 को स्वीकार किया गया था। इसकी संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह संविधान सभा में पुष्टि नहीं कराई गई थी। डा० अम्बेडकर सहित संविधान सभा के सदस्यों ने इसे 1949 के समय की परिस्थितियों के अनुसार इस संविधान का प्रारूप तैयार किया था विगत पचास सालों से इसका अनुसरण किया जा रहा है। जैसा कि राष्ट्रपति ने कहा है, इसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है।

विगत पचास वर्षों में बहुत कुछ घटित हो चुका है और पैरा 27 में माननीय राष्ट्रपति ने कहा है कि :—

"सरकार न्याय देने में होने वाली लगातार देरी को दूर करने के लिए प्रभावी उपाय करेगी ताकि न्यायपीठ के लिए सर्वोत्तम प्रतिभा को आकर्षित किया जा सके।"

मैं सभा का ध्यान वर्ष 1998 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गए एक निर्णय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसके द्वारा उन्होंने उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कार्यपालिका से सलाह लेने की प्रक्रिया को पूरी तरह से हटा दिया है। अब उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में या उसकी सिफारिश के मामले में कार्यपालिका की कोई भूमिका नहीं है। केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश को ही उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को अपनी सिफारिश प्रस्तुत करने का आधिपत्य है। केवल उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों वाली अधिशासी समिति ही उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सिफारिश और नियुक्ति कर सकती है तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों वाली अधिशासी समिति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकती है।

अत: राष्ट्रपति अथवा कार्यपालिका से विचार-विमर्श करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को न्यायपीठ की ओर किस प्रकार आकर्षित करेंगे ? यह भारत के मुख्य न्यायाधीश पर निर्भर करता है। यह संसदीय कार्यपालिका इस निर्णय की सिफारिश करने का विरोध करने का अपना प्रभुत्व खो चुकी है।

कुछ वर्षों पूर्व 1993 में एडवोकेट-आन-रिकार्ड एसोसिएशन मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसा ही एक निर्णय दिया गया था जिसमें उन्होंने कहा है कि "यदि किसी कार्यपालिका को इस मामले में कुछ कहना है या विरोध करना है तो वह उच्चतम न्यायालय में आएं और विरोध करें।" परन्तु किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। अत: अनुच्छेद 124 अब उच्चतम न्यायालय के हाथ में पड़ा है। इस मामले में राष्ट्रपति अथवा प्रधानमंत्री या गृहमंत्री की कोई भूमिका नहीं है। इस निर्णय के आधार पर उन्होंने नियुक्ति के मामले में अपने अधिकार उच्चतम न्यायालय को समर्पित कर दिए हैं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी प्रत्याशी की प्रतिभा के मूल्यांकन में वरिष्ठतम न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहायता करेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में योग्यता पर ही प्रमुख रूप से विचार किया जायेगा।

अपराह्न 6.00 बजे

अब हम मण्डल आयोग के बारे में बात करते हैं; अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व के बारे में बात करते हैं। इस निर्णय ने आपके सभी अधिकार छीन लिए हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में केवल योग्यता पर ही विचार किया जायेगा। इस निर्णय के कारण अब उच्चतम न्यायालय में अनुसूचित जाति का कोई भी न्यायाधीश नहीं है। इसे सभा के ध्यान में नहीं लाया गया और विगत वर्ष यह निर्णय दिए जाने के तुरन्त बाद किसी भी सदस्य ने सभा में इसका जोरदार विरोध नहीं किया। पिछले साल मैं इस सभा में नहीं था। महोदय, इस निर्णय पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। यदि सरकार उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के हित की रक्षा करने में रुचि ले रही हो, तो इस संबंध में समीक्षा की आवश्यकता है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण के पैरा 41 में कहा गया है :

"भ्रष्टाचार का रोग हमारे राष्ट्र की प्रत्येक संस्था में प्रवेश कर रहा है। सरकार सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। ..."

मैं सोचता हूं कि गृह मंत्रालय को 18 दिसम्बर, 1997 को पारित *हवाला* मामले के संबंध में दिये गए निर्णय की जानकारी होगी। पिछले एक वर्ष से सरकार द्वारा इस फैसले को महत्व नहीं दिया गया था। इसका बिल्कुल भी मूल्यांकन नहीं हुआ, निर्धारण और जांच भी नहीं की गयी। उस निर्णय में, उच्चतम न्यायालय ने सार्वजनिक जीवन के सात सिद्धांत निर्धारित किए थे। उनमें से एक स्वार्थहीनता है। सरकारी कार्यालय के पदाधिकारियों को सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए ही कोई निर्णय करना चाहिए। उन्हें स्वयं, अपने परिवार या अपने मित्रों के वित्तीय या अन्य भौतिक लाभ के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। अन्य सिद्धांत हैं : सत्यनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता, जवाबदेही, निष्कपटता और ईमानदारी।

मैं एक अन्य दूसरी बात पर जोर देना चाहता हूं। उसी निर्णय में, इस बात का उल्लेख किया गया है कि केन्द्र सरकार को केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त की तुरन्त नियुक्ति करनी चाहिए ताकि वह सी०बी०आई० निदेशक या प्रवर्तन निदेशक की नियुक्ति की सिफारिश कर सके। इस निर्णय पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। अत:, मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 13 महीनों से इस सरकार ने, चाहे वह कानूनन तौर पर कार्य कर रही हो या लोगों के शासन के अधीन कार्य कर रही हो, उसने इस निर्णय को नहीं देखा था। इन मामलों को सदन के समक्ष रखा जाना चाहिए था। उसके बाद ही, समग्र जनता को लाभ पहुंच सकता था।

जहां तक अस्पृश्यता का संबंध है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों ने यह मामला उठाया कि हरिजनों पर अत्याचार गांवों में ज्यादा किया जाता है। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत 1950 में ही

[श्री पी०एच० पांडियन]

अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया था, परन्तु व्यवहाररूप में इसका अस्तित्व बना हुआ है। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया, परन्तु इसका व्यवहार हो रहा है।

अब, मंत्रीमंडलीय प्रकार की सरकार में, संसदीय कार्यकारी को प्रशासन चलाने के मामले में राष्ट्रपति की सहायता करनी पड़ती है। सभी आदेश और निर्देश राष्ट्रपति के नाम से जारी किए जाते हैं। अनुच्छेद 75 के खण्ड 3 के अंतर्गत, यह एक सामूहिक जिम्मेदारी है। मामलों के निपटारे में होने वाले विलंब से अन्याय का रास्ता खुलता है। किसी गरीब वादकारी के लिए कन्याकुमारी से दिल्ली तक की यात्रा करना ही न्याय के मामले में निराशाजनक होगा। अनुच्छेद 130 के अंतर्गत, उच्चतम न्यायालय दिल्ली में या अन्य स्थानों में कार्य करेगा जैसा कि राष्ट्रपति समय-समय पर निर्धारित करेंगे।

मैं लोक सभा से इस पर विचार करने का आग्रह करता हूं। गृह मंत्री यहां हैं। उन्हें दक्षिण में बंगलौर या चेन्नई में उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से करनी चाहिए ताकि उच्चतम न्यायालय तक सहज पहुंच प्राप्त हो सके। किसी गरीब वादकारी को कोई छोटा स्थगन आदेश लेने या आपत्ति सूचना या जमानत संबंधी आवेदन हेतु कन्याकुमारी से दिल्ली तक की यात्रा करनी क्यों आवश्यक है ? पिछले 13 महीनों से, यह एक प्रश्न है कि क्या सरकार ने संविधान के अनुसार कार्य किया या कानून के तहत कार्य किया। जब मैंने इन दो फैसलों का उल्लेख किया है तो मैं मंत्री द्वारा ली जाने वाली शपथ के बारे में याद दिलाना चाहता हूं। वे इस प्रकार शपथ लेते हैं, ''मैं भय या पक्षपात अथवा स्नेह या दुर्भावना के बिना अपने कर्तव्यों का निर्वाह करूंगा। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और भक्ति रखूंगा।'' परंतु जहां तक न्यायाधीश का संबंध है, शपथ इस प्रकार होगी, ''मैं संविधान और कानून की मर्यादा बनाए रखूंगा।'' यह जोड़ा हुआ वाक्य है। क्या आपने देखा कि उन्होंने अनुच्छेद 270 की मर्यादा बनाए रखी है ? क्या आपने देखा कि उन्होंने इन फैसलों को पारित करते समय संवैधानिक विधियों को यथावत् रखते हुए अनुच्छेद 124 की मर्यादा बनाए रखी ? यह बात राष्ट्रपति पर है कि वह कानून और संविधान की रक्षा करें। उन्हें यह देखना है कि क्या न्यायाधीश कानून और संविधान की रक्षा कर रहे हैं।

अतः, इन दो फैसलों के अलावा 1975 में, संत जेवियर कॉलेज के मामले में, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की गई। नौ-सदस्यीय न्यायपीठ ने जो निर्णय सुनाया, उसमें अल्पसंख्यकों के लिए गारंटी का विश्वास दिलाया गया। क्या न्यायालयों एवं विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा इन निर्णयों का पालन किया जा रहा है ? नहीं, प्रत्येक उच्च न्यायालय भिन्न-भिन्न तरीके से आदेश पारित कर रहे हैं। नौ-सदस्यीय न्यायपीठ के निर्णय की समीक्षा करने की आवश्यकता है। एक बार इसकी समीक्षा करने की मांग की गयी थी। यह कार्य उच्चतम न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश को सौंपा गया था। वे सेवानिवृत्त हो गए। तब, इस कार्य की जिम्मेदारी न्यायाधीश आनन्द को दी गई। किसी न किसी कारण से इस कार्य में विलंब हो रहा है। नौ-सदस्यीय न्यायपीठ के निर्णय की समीक्षा करने की आवश्यकता है। इस कार्य के लिए आप के पास विधि अधिकारी, महान्यायवादी, सोलिसिटर-जनरल तथा एक अतिरिक्त सोलिसिटर-जनरल हैं। इसके अतिरिक्त आपके पास मंत्री के रूप में एक अतिरिक्त सोलिसिटर-जनरल हैं। अतः, कम से कम अब, सामान्य जनता के हितों की रक्षा के लिए आप इन मामलों को उच्चतम न्यायालय के समक्ष ले जाएं अन्यथा, सामान्य जनता का संसद पर से विश्वास उठ जाएगा। यह संसद एक ऐसा दर्पण है जो लोगों की आकांक्षाओं को प्रतिबिम्बित करता है। इसका स्थान सर्वोच्च है।

उच्चतम न्यायालय ने एक बार यह निर्णय दिया था कि संविधान सर्वोपरि है। संसद सर्वोपरि है। हाथ जोड़कर आप निर्वाचित हुए; हाथ जोड़कर आपने मत प्राप्त किए और अब आप इस संसद में हैं। मैं संप्रभुता के सिद्धांत पर जोर देना चाहता हूं। ... *(व्यवधान)* मैं पांच मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा। इस संबंध में कोई निजी बात नहीं है। यह बात सिद्धांत के संबंध में है।

अध्यक्ष महोदय : आपने 12 मिनट ले लिए हैं। आपके दल को आठ मिनट का समय दिया गया है।

श्री पी०एच० पांडियन : हमारी सदस्य संख्या 10 है। इसमें तमिलनाडु के 69 लाख मत शामिल हैं। कोई दूसरा सदस्य नहीं बोल रहा है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसी अन्य पार्टियां भी हैं जिनके सदस्य आपकी पार्टी के सदस्यों से अधिक हैं।

श्री पी०एच० पांडियन : हमारे मतों की संख्या 69 लाख है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात पूरी कीजिए।

श्री पी०एच० पांडियन : मैं आस्टिन के संप्रभुता संबंधी सिद्धांत पर जोर देना चाहता हूं। ''यदि कोई दृढ़निश्चय मानव श्रेष्ठ'' — अर्थात् सरकार — ''समान श्रेष्ठ मानव के आज्ञापालन का आदी नहीं है'' — आप किसी की भी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं — ''समाज के बड़े समूह — जो भारत की समस्त जनता है — का स्वाभाविक आज्ञापालन स्वीकार करता हो'' — ''उस समाज का संप्रभु है।'' अतः, किसी भी स्थिति में इस संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। जनता की संप्रभुता संसद में निहित है। जनता की संप्रभुता कार्यपालिका में निहित नहीं है। आप एक संसदीय कार्यकारी हो सकते हैं परंतु आप संसदीय नियंत्रण में ही कार्य कर सकते हैं। अतः, मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि गृह मंत्री सामान्य जनता की सभी समस्याओं के समाधान के लिए इन सभी मामलों को उच्चतम न्यायालय के समक्ष उठाएं। मैंने इन निर्णयों का उल्लेख किया है। मैं सोचता हूं कि आप भी इनकी जानकारी रखते हैं।

अब मैं केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति की बात करता हूं। राष्ट्रपति ने पैरा 41 में इसका जिक्र किया है। विधेयक को पुरःस्थापित किया जाना है। इसे पहले ही पुरःस्थापित किया जा चुका है। इसे पिछले ही वर्ष पुरःस्थापित किया जाना चाहिए था। पिछले एक वर्ष से सी०बी०आई० ने किस तरह कार्य किया है ? सी०बी०आई० सत्ता पक्ष की पार्टी का एक शक्तिशाली हथियार है।

मैं फिर से यह कहना चाहता हूं कि एक अवसर पर प्रधान मंत्री ने कहा था : 'मैं सभी मंत्रियों को सदन के समक्ष अपनी सम्पत्ति की घोषणा करने को कहूंगा।' क्या ऐसा पिछली बार किया गया ? सभी

मंत्रियों ने ऐसा नहीं किया। इसे प्रकाशित नहीं किया गया। यह आपके उपयोग के लिए नहीं है। मुझे अपने मंत्रियों के बारे में जानने का अधिकार है; आपको अपने मंत्रियों के बारे में जानने का अधिकार है तथा भारत की जनता को प्रत्येक मंत्री की सम्पत्ति के बारे में जानने का अधिकार होना चाहिए। अतः, इस स्थिति में, मैं इस बात पर जोर देता हूं कि सरकार को कानून के अनुसार अपने मंत्रियों को ऐसा करने का निर्देश देना चाहिए।

अंत में, मौलिक अधिकार पर बल देने के लिए किसी व्यक्ति को दिल्ली आना पड़ता है। यही कारण है कि मैंने भारत के दक्षिणी भाग में बंगलौर या चेन्नई में उच्चतम न्यायालय की एक न्यायपीठ स्थापित करने की मांग की। इस बीच, संसद को एक अन्य शक्ति भी प्राप्त है। अनुच्छेद 32 (1) में इसकी व्यवस्था है। अनुच्छेद 32 के खण्ड (तीन) में यह व्यवस्था है कि संसद, विधि द्वारा, किसी अन्य न्यायालय को शक्ति प्रदान कर सकती है। संसद किसी मुंसिफ के न्यायालय अथवा जिला न्यायालय को यह शक्ति प्रदान कर सकती है कि वह उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी या किसी भी शक्ति का प्रयोग अपने अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत कर सके। परंतु पिछले 50 वर्षों से ऐसा नहीं किया गया। कम से कम किसी बंदी प्रत्यक्षीकरण के मामले में क्यों किसी व्यक्ति को कन्याकुमारी से दिल्ली आना चाहिए ? अनुच्छेद 32 के खंड (तीन) में इसकी व्यवस्था है। यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है। अतः, सरकार स्थानीय न्यायालयों को अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने संबंधी शक्ति प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 32 के खंड (तीन) के संशोधन हेतु संविधान संशोधन विधेयक तुरंत ला सकती है।

इसके अतिरिक्त, यदि नियमों में दिए गए अविश्वास संबंधी खंड को हटाकर विपक्षी पार्टियों की शक्ति छीन ली जाती है, तो ऐसी स्थिति में लोकतंत्र कायम नहीं रह सकता है। अब, आप इतनी अधिक पार्टियों के साथ इस सदन में आए हैं। आपने कोई भी विश्वास मत प्राप्त नहीं किया है और आप यहां बैठे हैं। आप विश्वास मत तुरंत नहीं रख सकते क्योंकि प्रक्रिया में इसकी व्यवस्था नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी पार्टियों का ऐसा विशेषाधिकार है जिसके अंतर्गत वे कम से कम प्रत्येक छः महीने में सरकार की कमियों को सदन में रखने के लिए अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं। अतः, उस रूप में, यह विपक्षी पार्टियों को शान्त करने का कार्य करेगा। यदि विश्वास प्रस्ताव की व्यवस्था है, तो सरकार का अस्तित्व बना रह सकता है। विपक्षी पार्टियों को सरकार या किसी अन्य की दया पर निर्भर रहना पड़ता है।

तत्पश्चात् मैं पांच वर्षों की निर्धारित अवधि की बात करता हूं। संविधान में यह व्यवस्था है कि 'संसद जब तक या शीघ्र भंग न हो, पांच वर्षों तक बनी रहेगी।' अतः, 'जब तक या शीघ्र न भंग हो' के खंड की व्यवस्था है। यदि वापस बुलाने के अधिकार का प्रावधान हो और यदि उसे लागू किया जाता है तो आप पांच वर्षों की निश्चित अवधि की व्यवस्था प्राप्त कर सकते हैं अन्यथा सरकार से पूछताछ नहीं की जा सकती, संसद सदस्यों से पूछताछ नहीं की जा सकती तथा लोग कठिनाई में फंस जाएंगे। अतः, उस रूप में, ससंद को पांच वर्षों की निर्धारित अवधि को संशोधित करने की आवश्यकता नहीं है।

तत्पश्चात् बीमा विधेयक को प्राथमिकता के आधार पर लाने के लिए मैं सरकार को उत्तरदायी ठहराता हूं। उन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया है। आज सुबह, हमने अधिक समय लिया है। कल, हमने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के संबंध में बोलते हुए अधिक समय लिया था। क्या वे हमारे मतदाता हैं ? क्या वे हमारे निर्वाचकगण हैं ? हम यहां झगड़ रहे हैं। सरकार बहुराष्ट्रीय कंपनियों को समर्थन देने के लिए विपक्षी पार्टियों से भी वाद-विवाद कर रही है।

यह विधेयक अगले सत्र में लाया जा सकता था। उन्होंने कोई अन्य विधेयक पेश नहीं किया। वर्ष 1999 में लोक सभा के लिए प्राप्त जनादेश लोगों की जरूरी समस्याओं को समाप्त करने के लिए है, न कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए है। आई०आर०डी०ए० विधेयक, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को हमारे देश में प्रवेश की अनुमति देने की दिशा में एक स्पष्ट और गंभीर प्रयास है। इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री पी०एच० पांडियन : महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं आपको परेशानी की स्थिति में नहीं डालना चाहता हूं।

महोदय, मैं सरकार को उन कमियों के लिए उत्तरदायी ठहराता हूं जब बारहवीं लोक सभा के दौरान वे सत्ता में थे। यू०टी०आई० की कीमतें बढ़ाई गईं, इस्पात के मूल्य अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों से अधिक बढ़ाए गए। वित्त मंत्री को इसकी जानकारी होनी चाहिए। मुझे इन सबकी जानकारी समाचारपत्रों से मिली।

श्री यशवन्त सिन्हा : आपकी पार्टी भी सरकार में शामिल थी।

श्री पी०एच० पांडियन : उस समय मैं सदस्य नहीं था अन्यथा मुझे प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त हो जाती। उन्होंने इस वृद्धि से क्या किया ? क्या कोई दलाली ली गई ? यू०टी०आई० के मूल्यों को क्यों बढ़ाया जाना चाहिए ? मारूति के बारे में क्या बात है जिसे सुजुकी ने अपने अधिकार में ले लिया है ? इसके पीछे कौन है ? कौन पूरे देश को जोड़ रहा है ? दक्षिण के राज्यों को जोड़ा जा रहा है। कौन उन्हें जोड़ रहा है ? राजनीति में कोई जोड़ने वाली बात नहीं हो सकती है। आंध्र को जोड़ा जा रहा है, तमिलनाडु को जोड़ा जा रहा है, केरल को जोड़ा जा रहा है। संसद में इस प्रकार का जोड़ना नहीं चल सकता है।

अध्यक्ष महोदय : पांडियन जी, कृपया समझने की कोशिश कीजिए। अन्य सदस्यों को भी बोलना है।

श्री पी०एच० पांडियन : महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

जहां तक कारगिल युद्ध का संबंध है, मैं अपनी पार्टी की ओर से शहीदों का अभिनन्दन करता हूं।

श्री के० येरननायडू : सरकार को नहीं।

श्री पी०एच० पांडियन : मैं उस बात पर आऊंगा। यदि प्रधान मंत्री या गृह मंत्री या विदेश मंत्री या रक्षा मंत्री 'जनरल' हैं,

[श्री पी०एच० पांडियन]

तो मैं उनका अभिनंदन करूंगा। परंतु वे संसद सदस्य हैं। उन्हीं के कारण कारगिल युद्ध अनाधिकारिक रूप से घोषित किया गया। आपको उस बात की जानकारी होनी चाहिए। क्या उन्होंने किसी भूखंड को जीतकर अपने अधीन किया ? वे भूखंड को पुन: प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने पाकिस्तानियों को अपने क्षेत्र में प्रवेश करने दिया। वे दस महीने तक सोए रहे। उन्होंने सैनिक खुफिया तंत्र की परवाह नहीं की। उन्होंने लोगों के लिए कार्य नहीं किया। उन्होंने देश के लिए काम नहीं किया। उन्होंने पार्टी के लिए कार्य किया। इस सदन में प्रवेश करने के बाद उन्हें देश के लिए काम करना चाहिए। लॉबी में वे पार्टी के लिए काम कर सकते हैं, परंतु सदन में उन्हें देश के लिए काम करना चाहिए। यदि उन्होंने देश के लिए काम किया होता, यदि वे जागरूक रहते, तो कारगिल युद्ध की अनाधिकारिक रूप से घोषणा नहीं की गई होती।

अध्यक्ष महोदय : अब, कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री पी०एच० पांडियन : धन्यवाद, महोदय।

श्री त्रिलोचन कानूनगो (जगतसिंहपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसे समय में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन व्यक्त कर रहा हूं, जब उड़ीसा का समुद्री तट इस सहस्राब्दि के भयंकर तूफान से पूरी तरह बर्बाद हो गया है और संभवत: मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, सर्वाधिक बर्बादी हुई है। विमान आज भुवनेश्वर में नहीं उतर सका। इस समय मुझे बहुत चिन्ता हो रही है। परन्तु जब मैं धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने जा रहा हूं, तो मैं सभा का अधिक समय नहीं लूंगा। मैं अपना ध्यान एक क्षेत्र पर ही केन्द्रित करूंगा। मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के पैरा 48 तथा 4 से बहुत अधिक प्रेरित और प्रभावित हुआ हूं।

अभिभाषण के पैरा 48 में राष्ट्रपति ने कहा है :—

"जिन लोगो ने आपको निर्वाचित किया है, उन्होंने आप सबसे बहुत आशाएं लगा रखी हैं।"

मुझे विश्वास है कि अफसरशाह और राजनीतिक सरकारें दोनों, सदस्यों को अपने निर्वाचन-क्षेत्रों तथा राज्यों, जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं, के लोगों के प्रति अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में उनके उत्तरदायित्वों के संबंध में पूरी तरह जवाबदेह होंगे।

दूसरे, राष्ट्रपति ने, अपने अभिभाषण के पैरा 4 में गांधी जी के विचार उद्धृत किए हैं :—

"मैं उस भारत के निर्माण के लिए कार्य करूंगा जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति भी यह महसूस करेगा कि यह उसका देश है और इसके निर्माण के लिए उसे प्रभावी भूमिका निभानी है।"

महोदय, स्वतन्त्रता प्राप्ति के 52 वर्ष के पश्चात् ही, हमारे गणतन्त्र के बनने के 50 वर्ष बाद भी, नौ पंचवर्षीय योजनाएं पूरी होने के बावजूद गरीबी को अभी तक समाप्त नहीं किया गया है। जब श्री जोशी बोल रहे थे, तो श्री शुक्ला ने कहा कि गरीबी में कमी आई है और वह इसका प्रतिशत जानना चाहते थे।

जी हां, इसका प्रतिशत तो कम हो गया है, किन्तु गरीबों की कुल संख्या के बारे में आपको क्या कहना है ? इसमें तो वृद्धि हो गई है। न केवल यह कि गरीबी बढ़ी है, अपितु गरीबी की अवधारणा और गरीबी मापने की प्रक्रिया भी दोषपूर्ण है। जिस आधार पर गरीबी की रेखा निर्धारित होती है, वही दोषपूर्ण है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि गरीबी को पुन: परिभाषित किया जाए और यह भी देखा जाए, कि जिस मापदण्ड से गरीबी को परिभाषा निर्धारित होती है, उसे बदला जाए ये दो बातें दोषपूर्ण हैं। हम हमेशा यही कहते हैं कि इतने लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं अथवा इस-इस राज्य में इतने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि इन दो बातों का अध्ययन किया जाए और इन्हें पुन: परिभाषित किया जाए तथा प्रक्रिया को ठीक किया जाए।

मुझे यह कहना है कि गरीबी का उन्मूलन तभी हो सकेगा, जब क्षेत्रीय असमानताएं दूर की जायेंगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इन क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया। मैं इसी बात का उल्लेख करना चाहता हूं। विगत पचास-बावन वर्षों के दौरान, 45 वर्षों तक, देश कांग्रेस पार्टी के शासन के अधीन रहा, किन्तु क्षेत्रीय असमानताएं कम नहीं हुई अपितु बढ़ती ही चली गई हैं। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं ऐसे भी राज्य हैं जो वर्ष दर वर्ष गरीब होते गए हैं। उड़ीसा एक ऐसा ही पिछड़ा हुआ राज्य है।

यह एक विरोधाभास ही है कि पर्याप्त प्राकृतिक संसाधनों के होते हुए भी, उड़ीसा राज्य घोर गरीबी के जाल में फंसा हुआ है जबकि यहां देश में मिलने वाले क्रोमाइट का 98 प्रतिशत, निकॅल अयस्क 88 प्रतिशत, बाक्साइट 78 प्रतिशत, ग्रेफाइट 33 प्रतिशत, विरल मृदा 31 प्रतिशत, मैंगनीज 28 प्रतिशत, लौह अयस्क 25 प्रतिशत, कोयला 24 प्रतिशत, जिसमें 56,000 वर्ग किलोमीटर जंगल है, 450 किलोमीटर का समुद्री तट है तथा देश के पांच प्रतिशत भूमि क्षेत्र और चार प्रतिशत मानव संसाधनों के लिए 10 प्रतिशत जल संसाधन उपलब्ध हैं। इससे अनेक लोग अचंभित से हैं कि इतने प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद, उड़ीसा राज्य घोर गरीबी की स्थिति में क्यों फंसा हुआ है। महोदय, राष्ट्रपति ने गांधी जी के भावी भारत के सपनों का उल्लेख किया है।

गांधी जी ने 1921 में उड़ीसा का दौरा किया और तत्पश्चात् उन्होंने लिखा था :

"भगवान जगन्नाथ की छत्रछाया में, नरकंकाल-से दिखने वाले पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की भीड़ की तस्वीर अभी भी मेरे मन में कौंधती रहती है। मैं आलोचकों को इस बात के लिए आमंत्रित करता हूं कि वे उड़ीसा में जाएं और वहां के गांवों की दशा को झांक कर देखें और फिर जानें कि भारत की स्थिति क्या है। उड़ीसा भारत की गरीबी का प्रतीक बन गया है।"

लगभग 80 वर्ष पहले जब गांधी जी ने दौरा किया था और लिखा था, तब से हालात बदले नहीं हैं। लोग भूख से मर रहे हैं, मां-बाप अपने बच्चों को अपनी भूख मिटाने के लिए बेच रहे हैं।

जैसा कि पहले 1912 में लार्ड कर्जन ने हाउस ऑफ लार्ड्स में ठीक कहा था - मैं माननीय गृह मंत्री से ध्यान देने का अनुरोध करता हूं :

"यदि उड़ीसा के लोग आंदोलनकारी होते, जैसा कि वे नहीं हैं, तो उनकी बातें बहुत पहले ही सुन ली गई होती।"

आज तक उड़ीसा के लोग वास्तव में आंदोलनकारी नहीं हैं और इसीलिये उनकी मांगे मानी नहीं गई हैं।

महोदय, मैं महसूस करता हूं कि स्वतंत्र भारत में, सिद्धांत ऐसे बनाए गए हैं, योजना ऐसी बनाई गई है, वित्त को ऐसे वितरित किया गया है, संसाधनों का ऐसे उपयोग किया गया है, संविधान ऐसे बनाया गया है, उसके अधीन कानून ऐसे बनाए गए हैं, और प्रशासन का ऐसा नजरिया रहा है कि उसने अमीरों को और अमीर बनने तथा गरीब क्षेत्रों, गरीब राज्यों को और गरीब बनने में सहायता की है। स्वतंत्रता के 52 वर्षों के बाद राष्ट्र की शासन व्यवस्था में उड़ीसा की तुलनात्मक स्थिति भयानक और संकटपूर्ण रही है। इसकी आधी से अधिक आबादी अशिक्षित है। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 पर 100 से भी अधिक है, जो कि देश में सबसे अधिक है। उड़ीसा में कुल खेती योग्य क्षेत्र का 30 प्रतिशत ही सिंचित है और कृषि भूमि के प्रति हैक्टेयर में 22 किलोग्राम उर्वरक का उपयोग किया जा रहा है, जो कि अन्य राज्यों की तुलना में सबसे कम है। प्रति हैक्टेयर खाद्य उत्पादन केवल 10.42 क्विंटल है, जोकि अन्य राज्यों की तुलना में सबसे कम है। प्रति व्यक्ति बिजली की खपत प्रतिवर्ष केवल 226 किलोवाट आवर है, जिससे पता चलता है कि वहां के लोग कितना निम्नस्तरीय जीवन जी रहे हैं। राज्य के सत्तर प्रतिशत गांवों को अभी विद्युतिकृत किया जाना है जबकि बहुत से राज्य अपने शत प्रतिशत गांवों में विद्युतीकरण करने का लक्ष्य पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। 1000 प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में केवल 13 किलोमीटर रेलवे लाइन है, जोकि गैर विशेष वर्ग के राज्यों में सबसे कम है। केवल दस प्रतिशत सड़कें पक्की हैं और आठ बड़े पत्तनों में पाराद्वीप पत्तन में नौवहन कार्गो का कारोबार सबसे कम है।

महोदय, संविधान के निर्माण के समय संविधान सभा में पंडित हृदयनाथ कुंजरू ने जोर देकर कहा था :

"यदि संघ का अर्थ कुछ भी है, तो इसका अर्थ है कि धन का अंतरण अमीर प्रांतों से गरीब प्रांतों को होना चाहिए। समाज कल्याण की अवधारणा में ही यह निहित है कि धन का धनवान से निर्धन को अंतरण किया जाना चाहिए। अत: संघ की अवधारणा; राष्ट्रीय एकता की अवधारणा में यह निहित है कि संपन्न प्रांतों को अपने धन का कुछ भाग अनिवार्यत: कम विकसित प्रांतों की उन्नति के लिए, प्रदान करना चाहिए ताकि वे उन्नत प्रांतों के स्तर तक आ सकें। फिर भी यह गारंटी देना संभव नहीं है कि कम विकसित प्रांतों में समाज सेवाएं अपने न्यूनतम स्तर तक पहुंच ही जाएंगी।"

उन्होंने आगे कहा था :—

"असम, उड़ीसा, बिहार और सी०पी० (अब मध्य प्रदेश) जैसे प्रांत जिनमें निधियों की भारी कमी है और जिनकी स्थिति ऐसी है कि जिनके प्रति निष्पक्ष लोगों की सहानुभूति स्वयं ही मिलती है, वे हमेशा ऐसी पिछड़ी स्थिति में रहेंगे, जैसी स्थिति में अब हैं। नि:संदेह ये शब्द सच साबित हुए हैं। पिछले 52 वर्षों के दौरान असम, बिहार, उड़ीसा और मध्यप्रदेश की स्थिति में कोई अच्छा बदलाव नहीं आया है।"

अब, मैं कुछ गरीब, पिछड़े राज्यों की ऋण स्थिति पर आता हूं। उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश का ऋण भार ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि उन्हें अपने राजस्व का 70 प्रतिशत से भी अधिक ब्याज के भुगतान और ऋण के पुनर्भुगतान पर खर्च करना पड़ता है। वे अब अपने पहले के ऋणों का भुगतान करने के लिए ऋण ले रहे हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 के अंतर्गत कोई भी राज्य किसी भी स्रोत से केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना एक रुपये का भी ऋण नहीं ले सकता।

यही स्थिति है। 70 प्रतिशत ऋण और 30 प्रतिशत अनुदान के साथ राज्यों को योजनागत सहायता के लिए केन्द्र सरकार के निर्णय ने इन पिछड़े राज्यों को ऋण जाल में धकेल दिया है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के योग्य नेतृत्व में केन्द्र सरकार को प्राकृतिक संसाधनों के साथ स्थायी पिछड़ेपन के क्षेत्र का गहन अध्ययन करने में अवश्य ही सहायता करनी चाहिए और पांच वर्षों की अवधि के भीतर इन्हें कम से कम राष्ट्रीय औसत स्तर तक लाने के लिए उपचारात्मक उपायों का पता लगाना चाहिए। हम 52 वर्ष गंवा चुके हैं, अब, पांच वर्षों के भीतर हम चाहते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न इन पिछड़े राज्यों को कम से कम राष्ट्रीय औसत के स्तर तक लाया जाना चाहिए। पिछले 50 वर्ष के दौरान कोई गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया गया है, इस तथ्य के बावजूद कि हम एक केन्द्रीयकृत आयोजना का पालन करते आ रहे हैं।

महोदय, माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकारिया आयोग का संदर्भ दिया गया है। सरकारिया आयोग के अनुसार खनिजों, कोयला और तेलों पर रॉयल्टी को प्रत्येक दो वर्षों में अवश्य ही संशोधित किया जाना चाहिए। कोयले पर रॉयल्टी का संशोधन हुए पांच वर्ष से भी अधिक बीत गए हैं। अभी तक कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। और उड़ीसा जैसा राज्य वित्त की कमी से जूझ रहा है और उसे दिन-प्रति-दिन खर्च को पूरा करने के लिए भारी ओवर ड्राफ्ट लेना पड़ रहा है। इसलिए रॉयल्टी में बढ़ोतरी उचित रूप से शीघ्र ही की जानी चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि उचित संघीय सद्भावना के लिए पिछड़े राज्यों, जिनके विकसित हो जाने की संभावना है, उन पर क्षेत्रीय असमानताओं को मिटाने हेतु समयबद्ध कार्यक्रम के साथ गंभीरतापूर्वक और निष्ठापूर्वक ध्यान दिया जाना चाहिए।

मैं आपका और अधिक समय नहीं लेना चाहता। मेरा मत है और मुझे यकीन है (यह तथ्य है) कि यदि हम गरीबी को मिटाना चाहते हैं, तो हमारा पहला कदम क्षेत्रीय असमानता को मिटाना होगा। यह अभी तक नहीं किया गया है। अत:, सरकार से मेरा अनुरोध है कि सामाजिक-आर्थिक, ढांचागत सुविधाएं और शिक्षा के क्षेत्र में क्षेत्रीय असंतुलन अथवा क्षेत्रीय असमानताएं दूर करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए। यदि यह नहीं किया जाता, तो मैं आपसे कहता हूं कि ऐसे में संघीय सद्भावना बिल्कुल नहीं होगी। अत:, मेरा अनुरोध है कि इसपर ध्यान दिया जाना चाहिए। मुझे आपको यह बताते हुए अफसोस है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस संबंध में कोई बात नहीं कही गई है।

मैं बीजू जनता दल से संबंध रखता हूं, मैं नया सदस्य हूं और यह मेरा पहला भाषण है। मैं अपने विचार व्यक्त किए जाने का अवसर दिए जाने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। अब वित्त मंत्री उत्तर

[श्री त्रिलोचन कानूनगो]

दे रहे थे, तो मैंने उनका भाषण बड़े ध्यान से सुना है, किन्तु क्षेत्रीय असमानता के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है और कि उनका क्या कार्यक्रम है। मुझे विश्वास है कि गृह मंत्री अपने उत्तर में इस पर कोई ठोस बात कहेंगे, वह ठोस उत्तर देंगे कि कैसे और किस तरीके से सरकार द्वारा क्षेत्रीय असमानताओं को दूर किया जाएगा, और यह बहुत जरूरी है। सरकार का भागीदार होने के नाते मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि यह उड़ीसा के साढ़े तीन करोड़ लोगों की मांग है जो भूखों मर रहे हैं और अपनी प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने बच्चों को बेच रहे हैं। वहां यह हालात है। मुझे विश्वास है कि इस पर पूरा ध्यान दिया जाएगा।

श्री के०पी० सिंह देव (ढेंकानाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी कृपादृष्टि चाहता हूं। मैंने माननीय सदस्य जो कालेज में मेरे अध्यक्ष रहे थे, को परेशान नहीं करना चाहा, क्योंकि यह उनका पहला भाषण थां हमें अभी एक बहुत ही कष्टदायी समाचार मिला था कि टी-70 के पैमाने के एक भीषण तूफान ने भुवनेश्वर में आतंक मचाया है।

महोदय, हम भुवनेश्वर में सम्पर्क बनाने में असमर्थ हैं, क्योंकि वहां सब कुछ बर्बाद हो चुका है। पाराद्वीप स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का रडार भी टूट चुका है। अब माननीय गृह मंत्री जी यहां हैं और महोदय मैं आपके माध्यम से उनसे अनुरोध करना चाहता हूं, कि क्या हमें इसके बारे में जानकारी मिल सकती है। क्योंकि पूरा उड़ीसा राज्य 240 किलोमीटर की गति वाले भीषण तूफान को झेल रहा है जैसा भारत में पहले कभी नहीं आया।

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : महोदय, पहले श्री माधवराव सिंधिया ने इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया था और अब उड़ीसा से माननीय वरिष्ठ सदस्य ने भी इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया है। हम संपर्क में रहे हैं और जो कुछ जानकारी हमारे पास है वह बासी और पुरानी है। कुछ समय पहले मुझे बताया गया था कि उड़ीसा के सभी नौ जिले इस तूफान से प्रभावित हुए हैं *(व्यवधान)*

श्री त्रिलोचन कानूनगो : महोदय, तूफान आज ही उड़ीसा में पहुंचा है ···*(व्यवधान)*

श्री के०पी० सिंह देव : सब कुछ बर्बाद हो गया है ··· *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : इसीलिए, अभी-अभी हमने तय किया है, चूंकि प्रधान मंत्री जी स्वस्थ नहीं हैं; मैं और रक्षा मंत्री हम दोनों कल सुबह वहां जाएंगे और जो कुछ हो सकेगा, किया जाएगा। अभी तक स्वयं जार्ज साहब उसे देख रहे हैं। जो भी आर्मी की सहायता होगी, वे देंगे और उसमें लगे हुए हैं। जब तक हाउस एडजर्न होगा, कुछ न कुछ हो जाएगा।

[अनुवाद]

श्री के०पी० सिंह देव : महोदय, इस समय कैबिनेट सचिव एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और क्या माननीय मंत्री जी इसके बारे में कुछ जानकारी दे सकेंगे ···*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मुझे जो कुछ सूचना दी गई है, वह मैं ···*(व्यवधान)*

श्री के०पी० सिंह देव : महोदय, हमें पूरे उड़ीसा से बहुत भयानक संकेत मिल रहे हैं। माननीय मंत्री जी यहां है ···*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने आपको वह सूचना दे दी है, जो उनके पास थी।

(व्यवधान)

श्री के०पी० सिंह देव : महोदय, इस समय कैबिनेट सचिव एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी हमें कुछ सूचना देने की स्थिति में हैं। ···*(व्यवधान)* महोदय, यह लोगों के दुखों और कष्टों का सवाल है ···*(व्यवधान)* यह साधारण मामला नहीं है ···*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वह भी इसे गंभीरता से ले रहे हैं।

अब श्रीमती कान्ति सिंह ।

[हिन्दी]

श्रीमती कान्ति सिंह (बिक्रमगंज) : अध्यक्ष महोदय, आपने मेरी पार्टी को जो समय दिया, उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं।

मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के प्रति अत्यधिक सम्मान प्रकट करते हुये कहना चाहती हूं कि जो अभिभावण दिया गया है उसमें सरकार के द्वारा किये गये कार्यों और जो भावी कार्यक्रम हैं, उनकी एक रूपरेखा है। उसमें शब्दों के जाल से एक सुन्दर चीज की रचना की गई है। मैं समझती हूं कि तमाम लोगों को हरियाली दिखाकर, सब्ज़-बाग दिखाकर गुमराह करने की बात की जा रही है। इसका कारण यह है कि हमारे देश में करोड़ों लोग दबे-कुचले और उपेक्षित हैं। उनके लिये सही तरीके का कोई कार्यक्रम होना चाहिये था लेकिन इसके बारे में कोई योजना नहीं बताई गई है, सिर्फ उन्हें छूने का काम किया गया है ताकि लोग दिग्भ्रमित हो जायें और केवल सपने ही देखते रहें।

अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने राष्ट्रपति जी से भाषण दिलवाकर अपनी 13 महीने की सरकार द्वारा किये गये कार्यों और आगामी कार्यक्रम की जानकारी दी है और कहा है कि यह सरकार अगले पांच साल तक रहेगी लेकिन आज देश के दबे-कुचले लोग इनसे सशंकित हैं। इसका कारण यह है कि गत 13 महीनों में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि गरीब तो गरीब, मध्यमवर्गीय लोगों के लिये भी दो वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया है। हम अभी-अभी चुनाव से यहां आये हैं जहां हमें गरीबों के मोहल्लों में जाने का अवसर मिला है। बार-बार वहां दबी जुबान से यह बात उठती है कि यह महंगाई क्यों बढ़ती जा रही है ? गरीब लोग, खेती और मजदूरी करने वाले लोग आखिर किस तरह से अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय, पैरा 4 में इन्होंने गांधी जी के सपनों के भारत का जिक्र किया है, लेकिन इसमें यह नहीं बताया गया है कि गांधी जी के सपनों का वह अंतिम व्यक्ति, जोकि विकास की सीढ़ियों पर चढ़ने को आतुर है और सीढ़ियों पर हर कदम आगे बढ़ने का

प्रयास करता है, लेकिन उसे यह नहीं दिखाई देता है कि कौन उसे रोशनी दिखलाने का काम करेगा। कोई भी समयबद्ध कार्यक्रम उसके लिए तय नहीं किया है। गांधी जी ने कहा था कि सभी समुदायों के लोग मिलकर काम करेंगे और हर गरीब महसूस करेगा, अहसास करेगा कि देश के विकास में उसकी भी भागीदारी है। लेकिन आज अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाटने का काम किसी ने नहीं किया। अमीर ऐशो-आराम की ओर बढ़ते जा रहे हैं और गरीब गरीबी की मार सहने के लिए विवश हो रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, आज हमारा देश बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। देश का आर्थिक विकास करने के लिए, देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए और पूरे विश्व में अपना स्थान बनाने के लिए कार्य करना तभी संभव है जब सारे लोग एकजुट होकर इसके लिए कार्य करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के 36वें पैरा में केन्द्र और राज्य सरकार के सौहार्दपूर्ण संबंधों की बात कहीं गई है लेकिन इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। यह मैं इसलिए बता रही हूं कि हमारा बिहार बहुत बड़ा प्रदेश है। वहां हर साल नेपाल से छोड़ा गया पानी कोसी, गंडक और कमला नदियों में आता है जिससे उत्तरी बिहार में साल भर में दो-तीन बार बाढ़ आ जाती है। कल भी इसका जिक्र किया गया था, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए, आजादी के 50 साल बाद भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। हर साल जो बाढ़ आती है, वह जितने भी विकास के कार्य हुए हैं, उनको बहाकर ले जाने का काम करती है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां खनिज संपदाएं भरपूर मात्रा में हैं लेकिन हमारी खनिज संपदाओं की रॉयल्टी बढ़ाने का काम नहीं किया जाता। चूंकि मैं भी एक समय यहां मंत्री थी और मैंने कोयले की रॉयल्टी, जो कीमत के आधार पर दी जाती है, उसकी रॉयल्टी के मामले को कैबिनेट में ले जाने का काम किया था, लेकिन उसपर अभी तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो सकी है और जो रॉयल्टी है, वह वजन के आधार पर ही अभी भी दी जाती है।

अपराह्न 6.43 बजे

[उपाध्यक्ष **महोदय** *पीठासीन हुए*]

हमारे बिहार के पैसे से जहां देश में विकास के कार्य होते हैं, उससे हमारे बिहार का विकास अछूता रह जाता है और वहां का विकास नहीं हो पाता है। केन्द्र के लोग चाहते हैं कि हम केन्द्र और राज्य के सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने में उनकी मदद करें। केन्द्र की सरकार अगर चाहती है कि हम उन्हें सहयोग करें तो जो हमारा वाजिब हक है, अगर वह हमें मिलेगा तभी हम देश के हित के लिए या समाज के हित के लिए सहयोग देंगे, लेकिन अगर वह चाहेंगे कि हमें हर तरह से दबाया जाए और किसी बात पर निर्णय नहीं लेंगे तो वाकई में हम उन्हें सहयोग नहीं करेंगे। विपक्ष होता ही इसलिए है कि अगर कोई सरकार गलत कार्य करती है तो हम तलवार की तरह उसके सिर पर लटकने का काम करें ताकि वह कोई गलत कार्य न कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, चुनाव के समय बिहार को इस कदर बदनाम किया गया कि बैलट बॉक्सेज़ वहां बनाए जा रहे हैं, बैलट पेपर वहां तैयार किये जाते हैं। पूरे देश में हमारे बिहार को अपमानित करने का कार्य किया गया। आखिर में मैं यह पूछना चाहती हूं कि आखिर क्यों हमारे बिहार को इस तरह से अपमानित किया जाता है। क्या कारगिल के युद्ध में बिहार की कोई भागीदारी नहीं रही या हमारे देश को आजादी दिलाने में बिहार की कोई भागीदारी नहीं रहीं। क्या हमारे प्रदेश के प्रतिभाशाली व्यक्ति पूरे देश में पदाधिकारी बनकर या किसी भी तरह से कार्य नहीं कर रहे हैं ? फिर क्यों हमारे बिहार को इस तरह से बदनाम करने की साजिश की जाती है ?

उपाध्यक्ष महोदय, आज बिहार में संवैधानिक तरीके से चुनी हुई बिहार की मुख्य मंत्री पिछड़ी जाति की एक महिला हैं। लेकिन केन्द्र सरकार बार-बार यह कहती है कि वहां माफिया राज, जंगल राज कहकर हमारी सरकार को अपमानित करना चाहती है। क्या यह यही दर्शाता है कि हम केन्द्र के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार करें और उनकी हां में हां मिलाने का कार्य करे। साथ ही हम सारे लोग कहते हैं कि चुनाव प्रक्रिया में सुधार होना चाहिए। लेकिन आज जब हम चुनाव के दौर से गुजर कर इस सदन में आये हैं तो मैं बताना चाहती हूं कि चुनाव में गांवों में क्या परिस्थिति पैदा हो जाती है। गांवों के गरीब लोग चुनाव के बूथों तक जा नहीं पाते हैं। क्या सरकार द्वारा इस तरह का कोई नियम या कार्यक्रम तैयार किया जाएगा, जिससे कि हमारी गरीब जनता बूथों तक जा सके। आज हम कहते हैं कि बाबासाहेब अम्बेडकर जी ने हमें मत देने का अधिकार देकर एक शक्ति प्रदान की है। लेकिन आज गरीब लोग मत देने से वंचित रह जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, कारगिल के युद्ध के बारे में सदन के तमाम हमारी साथियों ने बहुत सारी बातें विस्तार से कही हैं। लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि आज हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को बड़ी-बड़ी चुनौतियां मिल रही हैं। 1972 के शिमला समझौते के 27 साल के बाद पाकिस्तान ने भारत की सीमा में घुसपैठ करने का दुस्साहस किया। इतने सालों तक पाकिस्तान की यह हिम्मत नहीं हो सकी थी कि वह हमारी सीमाओं में प्रवेश कर सके। लेकिन उसने हमारी सीमाओं में लगभग तीस किलोमीटर तक प्रवेश किया ...*(व्यवधान)* हमारी सीमाओं में घुसपैठियों का प्रवेश कराया और हमारे भाल हिमालय को रक्त से लाल कर देने का कार्य किया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिहार की बात कहना चाहती हूं कि जिन सैनिकों ने कारगिल में अपने देश की आन-बान और शान की रक्षा करते हुए शहादत देने का कार्य किया, उनमें से कुछ सैनिकों के शव हमारे प्रदेश में भी आये थे। हम लोगों ने उनके परिवारों में जाने का कार्य किया। वे कोई बड़े घरों के बच्चे नहीं थे। वे सैनिक बहुत छोटे परिवारों से थे जो अपने परिवारों का भरण-पोषण भी नहीं कर सकते थे, ऐसे परिवारों के वे सदस्य थे।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

श्रीमती कान्ति सिंह : जिन सैनिकों ने कारगिल में शहादत दी है मैं उन्हें शत-शत बार नमन करना चाहती हूं और सैनिकों ने जो विजय हासिल की है, उसके लिए उन्हें और उनके अधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहती हूं। साथ ही मैं यह भी कहना चाहती हूं कि जो गुमनामी में हैं, जिन सैनिकों ने देश की आजादी की लड़ाई में शहादत दी थी, आज उनके परिवारों को कोई पूछने वाला भी नहीं

[श्रीमती कान्ति सिंह]

है कि आज वे किस तरह से एक अंधेरी कोठरी में बंद पड़े हैं। आज वे यह कहने की हिम्मत भी नहीं कर सकते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में हम लोगों ने हिस्सा लिया था।

उपाध्यक्ष महोदय : कांति सिंह जी, अब आप समाप्त कीजिए।

श्रीमती कांति सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक महिलाओं को आरक्षण देने का सवाल है, हमें सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक लाने के लिए लुभावने सपने दिखाये जाते हैं कि तुम्हें 33 परसेंट आरक्षण मिलेगा। लेकिन हमें केवल लुभावने सपने ही दिखाये जाते हैं और जो हमारी पचास फीसदी आबादी है, उनसे सिर्फ मत लेने का ही कार्य किया जाता है और कभी भी महिलाओं को किसी पार्टी, विपक्ष या किसी भी ओर से आरक्षण देने की व्यवस्था नहीं की जाती है। वे नहीं चाहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण मिल सके। उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहती हूं कि महिलाओं को आरक्षण मिले और ओ०बी०सी०, एस०सी० तथा एस०टी० की महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाए। इसके साथ ही मैं महिलाओं को आरक्षण देने से लेकर ग्रामीण इलाकों की महिलाओं की ओर भी आपका ध्यान मुखातिब करना चाहती हूं. ... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण महिलाओं की जो बुनियादी जरूरतें हैं उनको पूरा किया जाए क्योंकि अगर हम देहात में जाते हैं, तो देखते हैं कि 50 फीसदी महिलाएं अभी भी सड़कों पर शौच करने के लिए बैठती हैं और यदि रात में कोई मोटरगाड़ी लाइट जलाकर निकलती है, तो वे अपना मुंह घूंघट से ढक लेती हैं। देश में ऐसी हालत है। देहातों में महिलाएं अपने कंधों पर बोझ लादती हैं और जो कुछ मजदूरी मिलती है उससे अपने परिवार का भरण-पोषण करती हैं। अभी तक उनके लिए कोई कार्यक्रम लागू नहीं हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने कहा है कि 20 लाख मकान बनाए जाएंगे लेकिन क्या हमारे देश में केवल 20 लाख मकानों की ही जरूरत है ? हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास आज भी शैल्टर नहीं है और वे पेड़ों के नीचे अपना जीवन गुजारते हैं। जाड़े में जहां हम यहां हीटर जलाकर रहते हैं वहां गांवों में जाड़े के दिनों में पेड़ों के नीचे ठिठुरते हुए लोग अपना जीवन गुजारते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि गरीबों को लुभावने सपनों में न रखा जाए। उनका विकास सही तरीके से हो, उनको ठीक प्रकार से जीवन-यापन की सुविधाएं मिलें और सही मायने में वे वस्त्र, रोजी और रोटी प्राप्त कर सकें, ऐसी व्यवस्था की जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन में एक बात कहना चाहती हूं और इस बात को सारे लोग कहते हैं कि देश में सबको सामाजिक न्याय मिले और देश में साम्प्रदायिक सद्भाव हो। आज हमारे देश में ईसाई धर्म गुरू पोप जॉन पॉल आ रहे हैं, लेकिन झाबुआ जिले में विश्व हिन्दू परिषद् के लोगों ने जुलूस निकालने का काम किया था। इसके कारण जो ईसाई लोग हैं, या आदिवासी लोग हैं, वे डरे हुए हैं, सशंकित हैं। हमारे यहां क्या हो रहा है, यह सबको पता है। उड़ीसा की बात ले लीजिए कितनी नन्स के साथ अत्याचार किया गया और हमारे जो ईसाई लोग थे उनकी हत्याएं की गईं, ये बातें सारे सदन को विदित हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में, मैं कहना चाहती हूं कि यह सरकार जो इस बात को कह रही है कि हमें जनादेश स्थायित्व के लिए मिला है, वह ठीक नहीं है। जो दल और जो लोग हमेशा स्थायित्व की बात कहते थे और इस सरकार का विरोध करते थे, जो लोग हर बार इनको साम्प्रदायिक कह कर लोगों को गुमराह करते थे, वे लोग ही आज इस सरकार के साथ मिलकर स्थायित्व की बात करते हैं। इसलिए यह नहीं हो सकता है कि ये 23-24 पार्टियों ने मिलकर जो सरकार बनाई है वह स्थायी रहे। क्योंकि अभी भी इनकी पार्टी के लोग मंत्री बनने की होड़ में लगे हुए हैं। इनकी पार्टी के लोग ही इनसे गुस्साए हुए हैं। वे कहते हैं कि जो पार्टी के पुराने लोग हैं, हमको मंत्री नहीं बनाया और जो एलाइंस के लोग हैं, उनको मंत्री बनाने का काम किया है। जिस पार्टी के लोगों में ऐसी भावना हो, वहां स्थायित्व की बात नहीं की जा सकती है। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि यह सरकार अधिक दिनों तक नहीं रह सकती। इनकी पार्टी के लोगों के मन में इस सरकार के प्रति दुर्भावना भरी हुई है, उनके मन में मंत्री पद पाने की जो लालसा है, वह इस सरकार को समाप्त कर देगी। इनकी सरकार पांच साल तक नहीं चल सकती। यह सरकार स्थायित्व प्रदान नहीं कर सकती है। अगर यह सरकार पांच साल चल गई, तो यह पक्की बात है कि कोई भी नेता गरीब के दरवाजे पर जाने का काम नहीं करेगा और जब कोई नेता गरीब के दरवाजे पर नहीं जाएगा, उनके दुख दर्द नहीं सुनेगा, तो उनके दुख-दर्द कैसे दूर होंगे। इसलिए मैं यही चाहूंगी कि हर साल चुनाव हों ताकि नेता गरीब के दरवाजे पर जाएं और उनके दुख-दर्द दूर हों।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करती हूं और आपने मुझे बोलने के लिए जो समय दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं।

सायं 6.54 बजे

विदेशी मुद्रा प्रबन्धन विधेयक के बारे में

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : आज का कार्य राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करना था। इसके साथ ही यह कार्य समाप्त हो जायेगा। कल, जब हमने कार्यमंत्रणा समिति में चर्चा की थी, तो हमने कहा था कि हम पूर्व में प्रस्तुत किए गए सभी विधेयकों को पारित कराने में सहयोग देंगे। सभी की बैठक समाप्त होने के सामान्य समय 6 बजे से केवल पांच मिनट पहले अब 5.55 बजे कुछ अतिरिक्त और अनुपूरक कार्यसूची, वह फेमा विधेयक, जो एक महत्वपूर्ण आर्थिक विधान है, परिचालित किया गया है।

महोदय, सभी दलों से परामर्श किए बिना अंतिम क्षण इस तरीके से कार्य करना उचित नहीं है। मैं इसका सख्ती से विरोध करता हूं। अब, धन्यवाद प्रस्ताव के अलावा कोई अन्य कार्य नहीं लिया जाना चाहिए। यह कोई तरीका नहीं है। उन्होंने सभा की सामान्य बैठक समाप्त

होने से केवल 5 मिनट पूर्व इस विधेयक को परिचालित किया है और हमें महत्व नहीं दिया गया है ... *(व्यवधान)*। यह उचित नहीं है। माननीय मंत्री महोदय अगले सत्र में इस विधेयक को पुर:स्थापित कर सकते हैं। सभा की बैठक समाप्त होने से पांच मिनट पूर्व इसे सभापटल पर रखकर कार्य करने का कोई तरीका नहीं है ... *(व्यवधान)*

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : महोदय, यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है ... *(व्यवधान)*

श्री पी०सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : इसे पहले क्यों नहीं परिचालित किया गया था ... *(व्यवधान)* विदेशी मुद्रा प्रबंधन विधेयक को पुर:-स्थापित करने के संबंध में 21.10.1999 को ही निर्णय लिया गया था, किन्तु इसे पहले परिचालित नहीं किया गया ... *(व्यवधान)* यदि ऐसा है, तो हमें विधेयक को पहले पुर:स्थापित करने से वंचित रखा गया है। हमें इसका अध्ययन करने से भी वंचित रखा गया है। हमारा यह कहना है कि इसे पुर:स्थापित करने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए ... *(व्यवधान)*

श्री सुरेश कुरूप : महोदय, इस विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस सभा के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए ... *(व्यवधान)* यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है। उन्होंने कोई पूर्व सूचना दिए बिना अब, इसे परिचालित किया है और ये इसे तत्काल पुर:स्थापित करना चाहते हैं ... *(व्यवधान)*

प्रो० ए०के० प्रेमाजम (बडागरा) : इसे अत्यन्त अनौपचारिक तरीके से लिया गया है। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विधान है ... *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, विदेशी मुद्रा प्रबन्धन विधेयक जैसे महत्वपूर्ण विधेयक को सभा की बैठक समाप्त होने से केवल पांच मिनट पहले पुर:स्थापित किया जा रहा है ... *(व्यवधान)*

प्रो० ए०के० प्रेमाजम : महोदय, वे यह मानकर चल रहे हैं कि हम उनका समर्थन करेंगे ही ... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि माननीय अध्यक्ष महोदय निदेश 19-ख को हटाने के लिए सहमत हो गए हैं, मेरे विचार से इन्हें अनुमति दी जा सकती है।

(व्यवधान)

श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार) : यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है ... *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : आप कोई विधेयक इस प्रकार कैसे पुर:स्थापित कर सकते हैं ? इसे 5.55 बजे ही परिचालित किया गया था और 6 बजे सभा की सामान्य बैठक समाप्त होने का समय है ... *(व्यवधान)*

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : महोदय, सरकार का इरादा इस सभा में अस्पष्ट तरीके से और गुप चुप रूप से कोई कार्य कराने का नहीं है। हमारा इरादा ऐसा नहीं है ... *(व्यवधान)*

कुछ प्रक्रियात्मक विलम्ब हुआ था। इस सभा के विभिन्न वर्गों की यह मांग थी कि धन संशोधन निवारण विधेयक और विदेशी मुद्रा प्रबन्धन विधेयक को एक साथ लिया जाना चाहिए तथा इसीलिए जब प्रक्रिया समाप्त हो गयी थी, तो इसे अनुपूरक कार्य सूची में सम्मिलित किया गया। मैं इसे पूर्णतया माननीय उपाध्यक्ष महोदय के निर्णय पर छोड़ता हूं कि वे इस मामले के निपटान के लिए जो तरीका अपनाना चाहें, अपना सकते हैं।

श्री शरद पवार (बारामती) : आप इस मामले को माननीय उपाध्यक्ष के निर्णय पर क्यों छोड़ना चाहते हैं ? आप इसे वापिस क्यों नहीं ले लेते ?

श्री यशवन्त सिन्हा : इसका कारण यह है कि अनुपूरक कार्य सूची परिचालित कर दी गयी है।

श्री शरद पवार : आप इसे अब वापिस ले सकते हैं ? आप अगले सत्र तक इस मामले को स्थगित रख सकते हैं।

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं सरकार की ओर से यह कह रहा हूं कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हम इसे अगले सत्र में इसे पुर:स्थापित कर सकते हैं, किन्तु हम इसे इस समय ला रहे हैं क्योंकि ऐसी मांग है कि दो विधेयकों को एक-साथ लिया जाना चाहिए।

श्री शरद पवार : किसने यह मांग की है ? ऐसी कोई मांग नहीं की गयी थी।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : यह विधेयक अगले सत्र में लिया जा सकता है ... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इस सम्मानित सभा को मैं यह बताना चाहता हूं कि चूंकि यह अनुपूरक कार्यसूची में सम्मिलित है और माननीय अध्यक्ष ने निदेश 19-ख को आस्थागित कर दिया है, इसलिए इस विधेयक को पुर:स्थापित किया जा सकता है।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह उचित नहीं है। विरोधी दल के रूप में हमें इस विधेयक की उचित जांच पड़ताल करने के लिए कैसे समय मिल जाएगा और हम अपनी आपत्तियां कैसे व्यक्त कर सकते हैं। यह कोई छोटा विधेयक नहीं है। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयक है ... *(व्यवधान)* हमें विश्वास में नहीं लिया गया है। हमसे परामर्श नहीं किया गया है। विरोधी दलों को बुलाया नहीं गया है ... *(व्यवधान)*

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : सभा की इच्छा का सम्मान करते हुए मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इसे अगले सत्र में पुर:स्थापित करें।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : बहुत अच्छी बात है।

उपाध्यक्ष महोदय : अत: इस मामले को बन्द किया जाता है।

सायं 7.00 बजे

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव — *जारी*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पलानीमनिक्कम, आप संक्षेप में बोलें। हमें जल्दी करनी होगी।

श्री एस०एस० पलानीमनिक्कम (तंजाबूर) : मैं अपने सीमित दस मिनट के समय में ही समाप्त कर दूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने मुझे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने दल, डी०एम०के० की ओर से बोलने का अवसर प्रदान किया है। मैं इस अवसर के लिए अपने नेता डा० कलेगनर और अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तंजाबूर के मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं।

मैं भारत के लोगों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश दिया है। यह भारत के लोगों के लिए एक नजराना है — उनका सिर गौरव से ऊंचा है। यहां पर हम अपने एक अरब देशवासियों की शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए प्रशंसा करनी चाहिए। लोग स्वीकार करते हैं कि "रा०ज०ग० नया है; रा०ज०ग० भविष्य है और रा०ज०ग० प्रगति तथा न्याय के लिए व्यापक आंदोलन है।" हमें इस बात का गर्व है कि रा०ज०ग० राष्ट्रीय हितों और क्षेत्रीय आशाओं, दोनों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। कुल मिलाकर, रा०ज०ग० और कुछ नहीं है बल्कि हमारे राष्ट्र की बहुमुखी विविधता में एकता, प्रचुर बहुलवाद और संघवाद को प्रतिबिम्बित करने वाला दर्पण है। यह ऐसी सरकार है, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक और महाराष्ट्र से अरूणाचल प्रदेश तक के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही है।

यहां इस देश में सदैव विचारों की स्वतंत्रता दी गयी है। देश में किसी एक दल के शासन का समय समाप्त हो चुका है और अब यह गठबंधन सरकार का युग है। किसी एक दल, जिसमें सदस्य भिन्न-भिन्न दिशाओं में चलने वाले हों, की सरकार बनाने से विभिन्न दलों की सरकार बनाना बेहतर है। यह युग गठबंधन सरकार का युग है और यह सरकार बनी रहेगी।

मेरा किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाने का इरादा नहीं है, किन्तु साथ ही यदि मैं यह सच्चाई नहीं बताता, तो यह मेरे कर्तव्य में असफलता होगी कि इतना पुराना राष्ट्रीय दल किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका कि उसे गठबंधन सरकार बनानी चाहिए अथवा नहीं तथा यह उसके सदस्यों के लिए बहस का विषय बन गया है। हमारे देश के लोगों ने उन लोगों के स्वार्थपूर्ण व्यक्तिगत एजेंडा को अस्वीकार कर दिया है, जिन्होंने सरकार गिराने के लिए दूसरों को उकसाया था। सभी राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दल बन गए हैं क्योंकि वे सभी राज्यों का प्रति-निधित्व नहीं कर रहे हैं।

रा०ज०ग० अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों की भावनाओं का आदर करने के लिए सरकार में आयी है। अल्पसंख्यक लोगों ने हमें स्पष्ट रूप से समझा है और हमें स्वीकार किया है तथा हमारे लिए मतदान किया है।

पिछली लोक सभा के भंग होने तथा तेरहवीं लोक सभा के लिए चुनाव के बीच लम्बा अन्तराल, जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति विकट और गंभीर चुनौती का साक्षी रहा है, अब समाप्त हो गया है। पाकिस्तान द्वारा कारगिल में किए गए सशस्त्र आक्रमण को हमारे बहादुर जवानों, वायुसैनिकों, अधिकारियों और उस क्षेत्र के लोगों द्वारा निर्णायक रूप से विफल कर दिया गया। हम उनका नमन करते हैं। पाकिस्तान की दोहरी हार हुई थी — युद्ध के मोर्चे पर और राजनयिक मोर्चे पर, दोनों पर हार हुई। हमारी सरकार ने हमारे बहादुर जवानों, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया था, के परिवारों के कल्याण के लिए और उन जवानों, जो चोटल होने के कारण अशक्त या अक्षम हो गये थे, को भी सहायता पैकेज दिए थे।

हमारी सरकार केन्द्र-राज्यों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों के लिए वचनबद्ध है जो कि स्वस्थ संघीय नीति और संतुलित सामाजिक- आर्थिक विकास का मूलाधार है। हमारे स्वर्गीय अन्ना और हमारे प्यारे नेता डा० कलेगनर का स्वप्न अब सत्य हो गया है।

यदि कुछ राज्यों में अ०जा०, अ०ज०जा० या अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रतिशत 50 प्रतिशत से अधिक हो जाता है, तो विधायी उपाय करके इसे अनुमोदित कर दिया जाएगा। किन्तु, इन श्रेणियों के लिए 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण देने वाला पहला राज्य तमिलनाडु है। इसने डा० कलेगनर के नेतृत्व में इन श्रेणियों के लिए 69 प्रतिशत आरक्षण दिया है।

हमारी सरकार कावेरी के साथ गंगा को जोड़ने के लिए समयबद्ध कदम उठाने की इच्छुक है। हमारे किसानों की ओर से, मैं अपनी सरकार से अनुरोध करता हूं कि प्रारंभ में, वह दक्षिण की सभी नदियों को जोड़ने हेतु कदम उठाये।

राष्ट्र के प्रति हमारी वचनबद्धता स्पष्ट हो जायेगी, यदि संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी 19 भाषाओं को राजभाषा बना दिया जाता है ताकि सभी लोगों की भावनाओं को सम्मान मिल सके।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में बताया गया है कि भारत को गौरवशाली और समृद्ध बनाने के लिए कृषि और कृषि-आधारित लघु उद्योगों, रोजगार के अवसरों का सर्जन; सुनिश्चित स्वास्थ्य देखभाल दूर-दराज स्थित गांवों को भी स्वच्छ और पेयजल, महिला साक्षरता, प्राथमिक शिक्षा तथा 'सभी के लिए आवास' नामक व्यापक कार्यक्रम को अधिक महत्व दिया जायेगा।

हम सुधारों को अधिक महत्व दे रहे हैं। सुधारों का मतलब कम मुद्रास्फीति तथा प्राथमिक विद्यालयों, अस्पतालों और आवासों के लिए अधिक व्यय करना है। जैसाकि चीन में किया जाता है।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ, मैं प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री जोआकिम बखला (अलपुरद्वारस) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मेरा अनुभव कहता है कि स्वाधीनता के 52 वर्ष पूरे होने के बाद भी राष्ट्रपति के अभिभाषण में जिन मुद्दों का उल्लेख किया गया

है, उन मुद्दों पर जब हम नजर डालते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे देश की उन्नति जिस गति से होनी चाहिए थी, उसको वह गति हम नहीं दे पाये हैं। मुझे मालूम है कि समाज व्यवस्था में गरीबों को जो मिलना चाहिए, उनकी उन्नति का जो रास्ता हम दिखाने का दावा करते हैं, उसमें हम कामयाब नहीं होंगे। हम देखते हैं कि स्वाधीनता के बाद से ही कांग्रेस सत्ता में रही, करीब 45 साल तक कांग्रेस सत्तारूढ़ थी। उन्होंने भी इसी तरह के वायदे किये थे, इसी तरह की आर्थिक नीतियों का उल्लेख उन्होंने भी विभिन्न अभिभाषणों में, विभिन्न कार्यक्रमों में किया था, लेकिन आज स्थिति को जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे देश में जो अधिकांश आबादी गांवों में रहती है, उनकी जो उन्नति होनी चाहिए थी, उनका जो विकास होना चाहिए था, वह नहीं हुआ।

आज आर०एस०पी० यह विश्वास करती है कि कांग्रेस की जो सरकारें थीं और बी०जे०पी० गठबंधन की जो सरकार है, उसमें कोई विशेष अन्तर नहीं है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए जितना भी नीतियों का बखान इस अभिभाषण में क्यों न हो, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों का इससे भला होगा। भले ही उनके लिए 10 साल के आरक्षण की जो समय सीमा थी, उसमें वृद्धि की गई है। उससे हम बहुत खुश हैं, उसके लिए हम इस सदन के हर सदस्य को धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन अगर हम असलियत की ओर जायें तो आज भी गांवों के लोगों को शुद्ध पीने का पानी हम नहीं दे पाये हैं। आज भी किसान, जिसे हम कहते हैं कि ग्रीन रिवोल्यूशन हमारे देश में लाया है, उसे आज दो वक्त की रोटी नहीं मिलती है।

इसलिए नीतियों का, कार्यक्रमों का जो उल्लेख इस अभिभाषण में किया गया है, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उसे सही ढंग से प्रयोग में लाने की कोशिश करे। विशेषकर आज जैसे भुवनेश्वर और उड़ीसा के बारे में कहा गया कि प्राकृतिक आपदा की वजह से वहां की जनता तबाह हो रही है। प्राकृतिक आपदा का किस तरह से हम लोग सामना करेंगे, किस तरह से इस समस्या का समाधान करेंगे, इस पर किसी तरह का उल्लेख इस अभिभाषण में नहीं है। इस तरह की जो प्राकृतिक आपदा, विशेषकर कहीं बाढ़ की वजह से चाहे उद्योग नष्ट होता है, कहीं तूफान की वजह से हमारे गरीब लोगों की हालत खराब हो जाती है, घर उजड़ जाते हैं, नदियों में बाढ़ आती है और जिसकी वजह से खेत उजड़ जाते हैं, घर उजड़ जाते हैं, उद्योग नष्ट हो जाते हैं। इस समस्या का अगर हम समाधान करना चाहते हैं तो इसके लिए एक मास्टर प्लान की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि एक मास्टर प्लान बनाया जाये ताकि इन प्राकृतिक आपदाओं का सामना हम सही तरीके से कर सकें। इसी तरह इसके और भी कारण हैं। नेपाल, भूटान और हिन्दुस्तान तीनों राष्ट्रों को, मिलकर रीवर कमीशन का गठन करना चाहिए। इससे हम जरूर उस कारण तक पहुंच सकते हैं, जिस वजह से बाढ़ से हमारे लोगों को क्षति होती है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस प्राकृतिक आपदा का सही तरीके से सामना करने के लिए कोई उपाय ढूंढें। मंत्रिमंडल में नए-नए मंत्री बनाए गए हैं एक नया पोर्टफोलिया बनाया जाए जिससे प्राकृतिक आपदा का सामना सही तरीके से किया जा सके।

सत्तारूढ़ दल के सहयोगी संगठन बजरंग दल और विश्व हिन्दू परिषद एक स्टेट के हैड पोप जॉन पाल द्वितीय के भारत आगमन का विरोध कर रहे हैं। उसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं और चाहते हैं कि सरकार की ओर से ऐसे उपाय किए जाएं कि पोप का इस देश में सही ढंग से स्वागत हो। जो लोग विरोध कर रहे हैं, वे ऐसा न कर पाएं और उनकी यात्रा सफल हो। इस तरह की कामना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपने जो मुझे समय दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

सायं 7.11 बजे

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, आप समय बता दें कि आप घण्टी कब बजाएंगे ताकि मैं उससे पहले अपना भाषण समाप्त कर सकूं।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले मैं आपको ध्यान दिलाने हेतु घण्टी बजाऊंगा।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के संबंध में श्री प्रमोद महाजन द्वारा रखे गए और श्री मल्होत्रा द्वारा समर्थन किए गए धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष में बोल रहा हूं।

प्रारम्भ में, तृणमूल कांग्रेस पार्टी की ओर से हम कारगिल के उन बहादुर जवानों का अभिनंदन करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। हम निश्चय ही प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का भी अभिनंदन करते हैं जिन्होंने अत्यंत सावधानी से इस स्थिति का सामना किया। संभवतः, ऐसा पहली बार हुआ है जब पाकिस्तान शेष विश्व से अलग-थलग पड़ गया। उसे कहीं से भी मदद नहीं मिल सकी। परंतु यह बात अपमानजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष द्वारा सरकार से निरन्तर यह पूछा जा रहा है कि क्यों खुफिया तंत्र असफल रहा; कैसे पाकिस्तान ने हमारे भू-भाग में प्रवेश किया या भारत के भू-भाग पर अधिकार किया और इसी संबंध में अन्य बातें पूछी जा रही हैं। विपक्ष के एक भी सदस्य ने कभी भी पाकिस्तान के दृष्टिकोण और आक्रामक रुख तथा आई०एस०आई० एजेंसी से उन्हें मिल रही मदद या उस दुष्टतापूर्ण तरीके के बारे में कोई बात नहीं की, जिसे अपनाकर उसकी सेना ने नियंत्रण रेखा पार की और इस प्रकार भारत को युद्ध करने के लिए बाध्य किया। इसकी कभी निन्दा नहीं की गई। मैं अपनी पार्टी की ओर से पाकिस्तान के रवैये की निन्दा करता हूं।

इससे पहले, श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर की ऐतिहासिक बस यात्रा की थी तथा वहां लाहौर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस पृष्ठभूमि में, हम पाकिस्तान द्वारा किए गए विश्वासघात की स्पष्ट तौर पर निन्दा करते हैं। हम सबको कम से कम इस विषय पर एकमत होना चाहिए, अन्यथा, जिन जवानों ने कारगिल युद्ध के दौरान अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी।

मैं विशिष्ट रूप से बेरोजगारी की समस्या के बारे में बोलना चाहता हूं। माननीय राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में यह आश्वासन दिया है कि अगले वित्तीय वर्ष में एक करोड़ नौकरियों का सृजन किया जाएगा। श्री सोमनाथ चटर्जी ने इस संबंध में मामला उठाया और माननीय वित्त मंत्री उसका उत्तर देना चाहते थे। हमारे राज्य में, बेरोजगार युवक वास्तव में हताश हैं, निराश हैं और उनका मोह भंग हो चुका है। हमारे राज्य में, पंजीकृत बेरोजगार युवकों की संख्या शायद भारत में सबसे अधिक है। यह संख्या 58 लाख से अधिक हो गई है।

[श्री सुदीप बंद्योपाध्याय]

वे नौकरी एवं रोजगार के अवसर प्राप्त करना नहीं जानते हैं। एक अध्ययन के अनुसार, बेरोजगार युवकों की संख्या 50 लाख से बढ़कर एक करोड़ तक पहुंच सकती है। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह एक श्वेत पत्र जारी करे ताकि बेरोजगार युवकों को कोई दिशा मिल सके और वे यह जान सकें कि उन्हें किस प्रकार रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। मैं केन्द्र सरकार से यह भी अनुरोध करता हूं कि वह विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक आयोजित करे। यदि केन्द्र सरकार की पहल पर मुख्य मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाती है और यदि इस मामले को सार्वधिक प्राथमिकता के साथ उठाया जाता है और इसे इस समय देश की एक ज्वलंत समस्या भी माना जाता है, तो देश के युवाओं को कोई दिशा मिल सकती है। इस संबंध में स्थितियां इस प्रकार की हैं कि भूखे बेरोजगार युवा संसदीय प्रणाली में अपना विश्वास खो सकते हैं।

जब हम चुनाव लड़ते हैं, तो युवा इस रूप में प्रमुख जिम्मेदारी निभाते हैं कि उनके उम्मीदवार चुनाव जीत जाएं। उनका यह विश्वास है कि यदि अमुक पार्टी सत्ता में आती है, तो वे इस संबंध में कुछ करने की कोशिश करेंगे। अतः, इस सरकार से, जिसमें हम भी शामिल हैं, मेरा विनम्र निवेदन है कि सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए सभी तरह की पहल करनी चाहिए ताकि बेरोजगारी की समस्या पर सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ ध्यान दिया जा सके।

थोड़ी देर पहले उड़ीसा के मेरे सहयोगी बोल रहे थे। हम यह अवश्य कहते हैं कि जहां तक केन्द्र सरकार से मिलने वाली सहायता का संबंध है, क्षेत्रीय असंतुलन के मामले में पूर्वी क्षेत्र की स्थिति सबसे अधिक चिंताजनक है। स्वतंत्रता के 50 वर्षों के बाद भी, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम और उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों को वांछित वित्तीय सहायता वस्तुतः प्राप्त नहीं हो रही है। यह हमारे लिए बड़ी कष्टदायक है कि आजादी के 50 वर्षों के बाद भी, पूर्वी क्षेत्र को क्षेत्रीय असंतुलन का सामना करना पड़ रहा है। हमारा आग्रह होगा कि पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के संपूर्ण विकास के लिए केन्द्रीय सहायता, केन्द्रीय परियोजनाएं और केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

महोदय, हम मूल्य विधि के बारे में अत्यधिक चिंतित हैं। आप यह बेहतर जानते हैं कि चुनावों के समय राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां औद्योगिक घरानों और बड़े व्यापारिक घरानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करती हैं। चुनाव के बाद, ये औद्योगिक घराने मूल्य बढ़ाने का कार्य करते हैं तथा बड़े पैमाने पर मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। अब, चुनाव हो चुके हैं। सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक जागरूक रहना चाहिए कि मूल्यों में वृद्धि न हो तथा इस संबंध में सभी प्रकार के सकारात्मक प्रयास किए जायें।

महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण में चुनाव संबंधी सुधार का प्रस्ताव किया गया है। हमारी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, का अब भी यह मानना है कि पहचान पत्रों की व्यवस्था, जो पहले शुरू की गई थी, की दिशा में कार्यवाही की जानी चाहिए। फोटोग्राफ तैयार करने तथा पहचान पत्रों के वितरण के कार्य में अत्यधिक धन खर्च किया गया। पूरे देश में सत्तर से अस्सी प्रतिशत लोगों ने पहचान पत्र प्राप्त किया। हम सरकार से यह अनुरोध करते हैं कि वह भविष्य में होने वाले चुनावों के लिए पहचान पत्र की व्यवस्था लागू करने के संबंध में और आगे पहल करें। इसपर ध्यान दिया जाना चाहिए। महोदय, अब भी हमारे देश में चुनाव प्रक्रिया को उचित लोकतांत्रिक पहचान-नहीं मिल रही है। मान लीजिए कि कोई उम्मीदवार पांच या छः विधान सभा क्षेत्रों में हार गया है परंतु एक विधान सभा क्षेत्र में उसे 65,000 या 70,000 से अधिक वोट प्राप्त होते हैं, तो इस स्थिति में क्या होगा ?

कोई उम्मीदवार जिसने एक विधानसभा क्षेत्र में 80,000 तक वोट प्राप्त किया हो, परंतु जो पांच-छः अन्य विधानसभा क्षेत्रों में हार गया हो, उसे 10,000 से 12,000 वोटों के अंतर से निर्वाचित घोषित किया जाता है। क्या यह संसदीय लोकतंत्र है ? क्या इसी तरीके से संसदीय लोकतंत्र कार्य करेगा ? अतः, यह हमारा जोरदार अनुरोध है कि चुनाव सुधार सम्बंधी कार्य प्राथमिकता के आधार पर किए जाएं। यह मामला राष्ट्रपति के अभिभाषण तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। इस मामले पर अत्यधिक सकारात्मक रूप से ध्यान ही दिया जाना चाहिए।

लोकपाल विधेयक को पुरःस्थापित करने की भी आवश्यकता है। प्रधानमंत्री का कार्यालय भी लोकपाल के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आना चाहिए। क्या आप यह कल्पना कर सकते हैं कि किसी राज्य के मुख्य मंत्री, जो पिछले 23 वर्षों से इस पद पर हैं, विदेश जाते हैं और वहां लगातार दो-तीन महीनों के लम्बे समय तक रहते हैं ? राज्य के राजकोष पर कितना खर्च आया है, इसकी रिपोर्ट राज्य विधानसभा में कभी नहीं की जाती है। वे कौन लोग हैं जो उन्हें सुविधाएं प्रदान करते हैं; कि होटलों में मुख्य मंत्री ठहरते हैं ? इन मामलों की उचित ढंग से जांच क्यों नहीं की जाती है ? ये ही वे प्रश्न हैं जो हमारे राज्य के लोग हर समय उठाते रहते हैं। अतः, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप यह सुनिश्चित करें कि लोकपाल विधेयक के उपबंधों को उचित रूप से कार्यान्वित किया जाये। विदेश जाने वाले विभिन्न मुख्य मंत्रियों और केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा किए गए व्यय की जांच की जानी चाहिए। वे विदेश में कितने दिन ठहरते हैं और वे भारत सरकार से कौन सी विदेशी मुद्रा प्राप्त कर रहे हैं, उसकी भी जांच की जानी चाहिए। इस उद्देश्य से यह जांच शुरू की जानी चाहिए, जिसकी हम अत्यंत दृढ़ता के साथ मांग करते हैं।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का उल्लेख किया गया है। हम उन्हें निगमों और नगरपालिकाओं में भी अधिकार देना चाहते हैं। महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था नगरपालिका और निगम क्षेत्रों में भी की जानी चाहिए।

श्री शरद पवार : इस संबंध में पहले ही एक संविधान संशोधन लाया गया है।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : परंतु उसे राज्य सरकारों द्वारा अधिनियमित किया जाना है।

मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि कार्य-संस्कृति सब जगह प्रारंभ की जानी चाहिए। इस नारे और इस विचार को केन्द्र सरकार द्वारा सभी राज्यों में लागू किया जाना चाहिए क्योंकि कार्य-संस्कृति एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न-भिन्न हो जाती है। महाराष्ट्र में एक अच्छी कार्य संस्कृति है; आंध्र प्रदेश में एक अच्छी कार्य-संस्कृति है; दिल्ली की अपनी कार्य-संस्कृति है और बंगलौर की अपनी कार्य-संस्कृति है। परंतु पश्चिम बंगाल में हमारी ऐसी कार्य-संस्कृति नहीं है। ऐसा इसलिए है कि जो पार्टी उस राज्य में पिछले 23 वर्षों से शासन कर रही है, उसने वहां कार्य-संस्कृति प्रणाली को नष्ट कर दिया है। इसलिए, यह एक ऐसा मामला है जिसपर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

केन्द्र सरकार को उत्पादन को प्रोत्साहित करने और बढ़ाने से संबंधित नारा देना चाहिए। वह नारा समाज के निचले स्तरों तक भी पहुंचना चाहिए। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें बाधा मत पहुंचाइए।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : उत्पादन बढ़ाने से संबंधित नारा किसानों और मजदूरों तक पहुंचना चाहिए। इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर देखा जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आपको अपनी बात समाप्त करनी होगी।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं।

जहां तक हमारे देश की शिक्षा प्रणाली का संबंध है क्या आप यह कल्पना कर सकते हैं कि कलकत्ता शहर में किसी विश्वविद्यालय के कुलपति ने अपने पद से इस्तीफा दिया और संसदीय चुनाव लड़ा, 2.5 लाख वोट के अंतर से हारने के वाद पुन: उसी विश्वविद्यालय के कुलपति पद का कार्यभार ग्रहण किया ? क्या यह उचित है ? क्या इस तरीके से देश में शिक्षा का विकास हो सकता है ? इस बात को और स्पष्ट करते हुए मैं बता रहा हूं कि ऐसा दक्षिण कलकत्ता निर्वाचन क्षेत्र में हुआ जहां से कुमारी ममता बनर्जी ने चुनाव लड़ा था।

इस विश्वविद्यालय के कुलपति ने फिर से अपना पद ग्रहण कर लिया है और पश्चिम बंगाल के लोगों ने इसकी कड़ी निंदा की है।

मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं अपनी पार्टी की ओर से माननीय राष्ट्रपति महोदय को संसद के दोनों सदनों को दिए अभिभाषण के लिए धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री अली मोहम्मद नायक (अनन्तनाग) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, यह बात सही है कि कश्मीर दिल्ली से फासले के हिसाब से दूर है लेकिन मेहरबानी करके हमें अपने दिल से दूर मत रखिए, यह मेरी हाउस से गुजारिश है। हमने पहले ही काफी कष्ट सह लिए हैं तथा अब हम और कष्ट सहना नहीं चाहते।

मुझे वह दिन याद है जब आठ साल की मिलिटेंसी की तबाही के बाद नेशनल कांफ्रेस के मुख्यमंत्री डाक्टर फारूख अब्दुल्ला ने श्रीनगर में कामयाबी हासिल की और उन्हें टू थर्ड मैजोरिटी मिली। उस समय दिल्ली में जो सरकार थी और उसमें जितने दल थे उनके लीडर ओथ के समय वहां मौजूद थे। वहां कांग्रेस के सदर भी आए। डाक्टर फारूख अब्दुल्ला ने जिस समय ओथ ली, उस समय उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वह इस कारण बह रहे थे कि उन्हें लग रहा था कि एक तबाही के बाद महाज पर भेजा जा रहा है और क्या वह इस महाज को कामयाबी से फतह कर पाएंगे या नहीं ? जितने लीडर्स दिल्ली से आए थे उन्होंने फारूख साहब को यह यकीन दहानी की कि आप अपनी जंग नहीं लड़ रहे हैं, आप मुल्क की जंग लड़ रहे हैं, सारा मुल्क आपकी जमात के पीछे खड़ा है। मैं यह बात इसलिए याद कराना चाहता हूं क्योंकि उस वक्त यह कहा गया था कि सारे नुकसान की भरपाई की जाएगी। कहा गया था कि जो पुल जल गए हैं, जो स्कूल की बिल्डिंगें जल गई हैं, जो कालेज जल गए हैं और बाकी जो कुछ भी नुकसान हुआ है, उसके लिए पूरी मदद दी जाएगी लेकिन आज तक वे वायदे पूरे नहीं किए गए। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि प्रेजिडेंट साहब के एड्रेस में कहा गया है कि कश्मीर की हुकूमत को पूरा सहयोग और मदद दी जाएगी।

एक माननीय सदस्य : आपकी पार्टी को एक मिनिस्ट्री मिल गई है।

श्री अली मोहम्मद नायक : मिनिस्ट्री मिलना अलग बात है। यह मसला आपका नहीं, मेरा नहीं, सारे मुल्क का है। मैं जिस इलाके से आता हूं, वह सारे मुल्क का मसला है। हमारा सबसे बड़ा मसला यह है कि हमारी छोटी रियासत है। 1991 से पहले हमें 70 परसैंट लोन मिलता था और 30 परसैंट ग्रान्ट मिलती थी। यह अपने तौर पर दिल्ली में फैसला हुआ था जबकि जम्मू-कश्मीर रियासत उस कैटेगिरी में आती थी जहां हमें 10 परसैंट लोन और 90 परसैंट ग्रान्ट मिलनी चाहिए लेकिन हमारी किसी ने बात नहीं सुनी। 1991 में जो मरकज की सरकार थी उन्होंने माना कि यह कहना ठीक है कि हमें 10 परसैंट लोन और 90 परसैंट ग्रान्ट मिलनी चाहिए। हमारे साथ यह नाइंसाफी 1991 में दूर हुई जबकि उससे पहले हम इसके हकदार थे। और हमारे हिसाब से मरकज़ सरकार के पास हमारा जो पैसा रह जाता है, वह 1275 करोड़ रुपये की रकम बनती है, उसकी अदायगी की जाये ताकि हम वहां डेवलेपमेंट के काम कर सकें। हमारा दूसरा मसला सिक्यूरिटी रिलेटेड एक्सपैंडिचर्स से है जो स्टेट गवर्नमेंट खर्च कर चुकी है, लेकिन मरकज़ सरकार के साथ यह मसला हल नहीं हुआ है कि इस मद में कितना पैसा है हमारे हिसाब से करोड़ों रुपया मरकज सरकार के पास है। यह 1996 की बात है, अब 1999 चल रहा है और फिर 2000 भी आने वाला है। मेरी गुज़ारिश है कि यह मसला फौरी तौर पर हल होना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि कश्मीर में मिलिटेंसी के बाद जो तबाही हुई है, उसके चलते रियासत को इन्फ्रास्ट्रक्चर पैकेज मिलना चाहिये था, लेकिन नहीं मिला है। हमारी गुजारिश है कि यह मसला भी हल किया जावे।

[अनुवाद]

तीसरा मसला यह है, जिसकी तरफ मरकज़ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारा राज्य प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों से सम्पन्न है। इस नैसर्गिक सम्पत्ति के सर्वोत्तम इस्तेमाल से 15000 से अधिक मेगावाट बिजली उत्पन्न की जा सकती है, जिसे, केन्द्र के वित्तीय और तकनीकी सहयोग से राज्य में औद्योगिक क्रांति लाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जहां तक इंडस वाटर ट्रीटी की बात है, हिन्दुस्तान और पाकिस्तान सरकार के बीच में एक मुहायिदा हुआ था जिसमें हम पार्टी नहीं थे। उसके हिसाब से भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी के जल संबंधी संधि (इंडस वाटर ट्रीटी) के कारण चेनाव और झेलम नदियों से न मिलने वाले जल के फलस्वरूप राज्य की सिंचाई क्षमता के हिस्से पर उस स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जो 1947 में लागू था। हम न तो इन नदियों का पानी अपनी सिंचाई क्षमता को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और न ही नयी विद्युत परियोजनाएं तैयार करने के लिए जलाशय बना सकते हैं। हमारे देश को रावी और सतलुज नदियों के पानी पर समान अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार हमारा राज्य एक दैवी उपहार से वंचित रह गया है जिसके लिए हमें अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ रहा है।

[श्री अली मोहम्मद नायक]

[हिन्दी]

हम यह कहते हैं कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो मुहायिदा हुआ था, हमारी दरियाओं का पानी पाकिस्तान को दिया गया, हम उसके इस्तेमाल से महरूम किये गये इससे तो और डिफिकल्टी पैदा हो गई। हमारी गुजारिश है कि हमें इन सब का मुआवज़ा दिलाया जाये। अफसोसजनक बात तो यह है कि कश्मीर में मिलिटेंसी की वजह से तीन लाख कश्मीरी पंडित रियासत से बाहर आये और अभी तक उनके रि-हैब्लिटेशन के लिये, उनकी घर वापसी के लिये फाइनल फैसला नहीं हो रहा है। मैं इस ताल्लुक से कश्मीरी पंडितों के बारे में बताना चाहता हूं कि वे जम्मू एवं कश्मीर के अनिवार्य अंग हैं। वे कश्मीर के अभिन्न अंग हैं तथा कश्मीरी पंडितों के बिना कश्मीरी सभ्यता बनी नहीं रह सकती।

[हिन्दी]

इस सिलसिले में दिल्ली सरकार का एक पैकेज जाना चाहिये कि उन कश्मीरी पंडितों को वापस लाने के लिये क्या किया जाना चाहिये। यह मेरी गुजारिश है कि इस बारे में जल्दी ही कोई फैसला किया जाये।

डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे 2-4 मसले हैं जिस पर मैं इस ऐवान में सारे लोगों की सपोर्ट चाहता हूं। इनमें एक अन-एम्प्लायमेंट का मसला है।

[अनुवाद]

बेरोजगारी का जो ग्राफ पिछले 7-8 वर्षों में खतरनाक ढंग से ऊपर आया था, उसे हमारी सरकार ने कुछ हद तक रोक लिया है। परंतु निर्णायक उपाय के लिए, हमें केन्द्रीय एजेंसियों, उसके सार्वजनिक क्षेत्रों और निजी क्षेत्र के उपक्रमों में भी नौकरियों का हमारा हिस्सा प्राप्त करना होगा। केन्द्रीय एजेंसियां प्रत्येक वर्ष हजारों युवा लोगों को भर्ती करती हैं, लेकिन हमारे राज्य को इस कोटे में से नगण्य हिस्सा प्राप्त है। हमारी मांग है कि इस संबंध में जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लिए एक आरक्षित कोटा दस वर्षों के लिए बनाया जाए ताकि इस समस्या का कुछ हद तक समाधान हो सके। और एक मसला हमारा यह है कि केन्द्र द्वारा हमारे राज्य के औद्योगिक सेक्टरों की सामान्यत: उपेक्षा की गई है। केन्द्र को इस तथ्य पर ध्यान देना चाहिए और यह देखना चाहिए कि जम्मू एवं कश्मीर में किस प्रकार के उद्योग शुरू किए जा सकते हैं तथा मैं यह अनुरोध करता हूं कि उन्हें इस पहलू पर तुरंत ध्यान देना चाहिए।

[हिन्दी]

एक और हमारा मसला यह है कि सेन्टर ने ऐलान किया

[अनुवाद]

कि ऋण, विशेषकर 50,000 रुपयों तक के कृषि ऋण रद्द कर दिए जाएंगे।

[हिन्दी]

हिन्दुस्तान के वज़ीरे आज़म जम्मू आए और पब्लिक जलसे में ऐलान किया लेकिन ऑर्डर कहीं से इश्यू नहीं हुए।

[अनुवाद]

परिणामस्वरूप, लोग राज्य सरकार के पीछे पड़े हैं और यह कह रहे हैं कि भारत सरकार ने ऋण को पहले ही बट्टे खाते में डाल दिया था।

[हिन्दी]

आप हमसे क्यों वसूली कर रहे हैं ? यह बहुत बड़ा मसला हमारे लिए है। हमारे यहां इस साल ड्राउट की सिचुएशन हुई और जम्मू के कुछ जिले भी उसमें शामिल हैं। एक मरकज़ी टीम जम्मू कश्मीर आई और उसको तीन महीने हो गए, स्टेट गवर्नमेंट ने एक 250 करोड़ रुपये का पैकेज भेजा लेकिन दिल्ली से उस बारे में कोई फैसला नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि उस पर जल्दी फैसला किया जाए। हमारी रियासत में 50 साल में कोई ऑल्टरनेटिव रोड़ नहीं दी गई। एक ही जम्मू-श्रीनगर रास्ता है जो महीने में 15 दिन बंद रहता है।

फिर भी केन्द्र सरकार ने अभी तक वैकल्पिक मार्ग के निर्माण के बारे में विचार नहीं किया है।

[हिन्दी]

इतना ही नहीं, एक और मुश्किल है जिसके लिए मैं उस वक्त मंत्री से भी मिला। हमारे यहां टी०वी० भी चलता है तो मैंने कई बार देखा है कि कश्मीर में दिल्ली या श्रीनगर का टी०वी० नहीं देखा जाता।

[अनुवाद]

कुछ तकनीकी कठिनाईयां रही हैं और इस वजह से जम्मू और कश्मीर के लोग पाकिस्तानी टी०वी० देखना पसन्द करते हैं। हमने केन्द्र सरकार का ध्यान इस मामले की ओर आकर्षित किया है और उनसे अनुरोध किया है कि इस संबंध में उत्पन्न हुई सभी बाधाओं को दूर किया जाना चाहिए ताकि वे लोग श्रीनगर और नई दिल्ली से प्रसारित किए जा रहे टी०वी० कार्यक्रम देख पायें।

[हिन्दी]

इंदिरा जी जब वजीरे आज़म थी, तो उन्होंने कहा कि हम जम्मू से श्रीनगर तक रेल ले जाएंगे। तब से आज तक 15 किलोमीटर रेल ट्रैक बना है और पिछली बार वजीरे आजम श्रीनगर आए तो उन्होंने बारामूला में पत्थर रखा, काज़ीगुडे में पत्थर रखा, लेकिन रेल का कोई अता-पता नहीं है। न पटरी है न कुछ और है।

इससे कश्मीर के लोगों को गलत सन्देश मिलता है।

इससे लगता है कि यह कोई मज़ाक में बात हो रही है: एक प्रधानमंत्री आए, उन्होंने कहा कि मैं ऐसा करने जा रहा हूं और तब भी वह नहीं होता है। एक मुसीबत पाकिस्तान की तरफ से लाई गई है। सीज़फायर लाइन पर उसने कारगिल में आक्रमण कर दिया। जम्मू में हजारों लोग, जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर हैं, पाकिस्तान वहां रोज़ फायरिंग करता है जिससे वे अपने घरों से उजड़े हैं और उनको हमने कैंपों में रखा है, स्कूल बिल्डिंग्स में रखा है। कारगिल में जो लोग उजड़े हैं उनके रीहैबिलिटेशन के लिए आज तक कुछ भी नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि इस बारे में हकूमत फौजी तौर से पाकिस्तान से बात करें ...*(व्यवधान)*।

[**جناب علی محمد نائک**(اننت ناگ) : جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، یہ بات صحیح ہے کہ کشمیر دہلی سے فاصلے کے حساب سے دور ہے لیکن مہربانی کر کے ہمیں اپنے دل سے دور مت رکھیئے۔ یہ میری ہاؤس سے گذارش ہے۔

We have already suffered a lot and we do not want to suffer more.

مجھے وہ دن یاد ہے جب آٹھ سال کی ملیٹینسی کی تباہی کے بعد نیشنل کانفرنس کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے سرینگر میں کامیابی حاصل کی اور انہیں ایک تہائی سبقت ملی۔ اس وقت دہلی میں جو سرکار تھی اور اس میں جتنے دل تھے انکے لیڈر حلف کے وقت وہاں موجود تھے۔ وہاں کانگریس کے صدر بھی آئے۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے جس وقت حلف لیا، اس وقت ان کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ وہ اس وجہ سے بہہ رہے تھے کہ انہیں لگ رہا تھا کہ ایک تباہی کے بعد محاذ پر بھیجا جا رہا ہے اور کیا وہ اس محاذ کو کامیابی سے فتح کر پائیں گے یا نہیں؟ جتنے لیڈرس دہلی سے آئے تھے انہوں نے فاروق صاحب کو یہ یقین دہانی کی کہ آپ اپنی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں، آپ ملک کی جنگ لڑ رہے ہیں، سارا ملک آپ کی جماعت کے پیچھے کھڑا ہے۔ میں یہ بات اسلئے یاد کرانا چاہتا ہوں کہ یہ کہا گیا تھا کہ سارے نقصان کی بھرپائی کی جائیگی۔ کہا گیا تھا کہ جو پُل جل گئے ہیں، جو اسکول کی بلڈنگ جل گئی ہے، جو کالج جل گئے ہیں اور باقی جو کچھ بھی نقصان ہوا ہے، اسکے لئے پوری مدد دی جائیگی لیکن آج تک وہ وعدے پورے نہیں کئے گئے۔ میں یہ بات اسلئے کہہ رہا ہوں کہ پریذیڈینٹس صاحب کے ایڈریس میں یہ کہا گیا ہے کہ کشمیر کی حکومت کو پورا سہیوگ اور مدد دی جائیگی۔

ایک معزز ممبر: آپ کی پارٹی کو ایک منسٹری مل گئی ہے۔

جناب علی محمد نائک(اننت ناگ) : منسٹری ملنا الگ بات ہے۔ یہ مسئلہ آپ کا نہیں، میرا نہیں، سارے ملک کا ہے۔ میں جس علاقے سے آتا ہوں، وہ سارے ملک کا مسئلہ ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری چھوٹی ریاست ہے۔ ۱۹۹۱ء سے پہلے ہمیں ۷۰ فیصد قرض ملتا تھا اور ۳۰ فیصد گرانٹ ملتی تھی۔ یہ اپنے طور پر دہلی میں فیصلہ ہوا تھا جبکہ جموں و کشمیر ریاست اس کیٹیگری میں آتی تھی جہاں ہمیں ۱۰ فیصد قرض اور ۹۰ فیصد گرانٹ ملنی چاہیئے لیکن ہماری کسی نے بات نہیں سنی۔ ۱۹۹۱ء میں جو مرکزی سرکار تھی انہوں نے مانا کہ یہ کہنا ٹھیک ہے کہ ہمیں ۱۰ فیصد قرض اور ۹۰ فیصد گرانٹ ملنی چاہیئے۔ ہمارے ساتھ یہ ناانصافی ۱۹۹۱ء میں دور ہوئی جبکہ اس سے پہلے ہم اس کے حقدار تھے اور آج حساب سے مرکزی سرکار کے پاس ہمارا پیسہ رہ جاتا ہے، ہمارے حساب سے ۱۲۷۵ کروڑ

روپے کی رقم بنتی ہے، ادائیگی کی جائے تاکہ ہم وہاں ڈیولپمنٹ کے کام کر سکیں۔ ہمارا دوسرا مسئلہ سیکوریٹی ریلیٹڈ ایکسپنڈیچرس سے ہے جو اسٹیٹ گورنمنٹ خرچ کر چکی ہے، لیکن مرکزی سرکار کے ساتھ یہ مسئلہ حل نہیں ہوا ہے کہ اس مد میں کتنا پیسہ ہے۔ ہمارے حساب سے کروڑوں روپیہ مرکزی سرکار کے پاس ہے۔ یہ ۱۹۹٦ء کی بات ہے، پھر ۱۹۹۹ء چل رہا ہے اور پھر ۲۰۰۰ء بھی آنے والا ہے۔ میری گذارش ہے کہ یہ مسئلہ فوری طور پر حل ہونا چاہیئے۔

دوسری بات یہ ہے کہ کشمیر میں ملیٹنسی کے بعد جو تباہی ہوئی ہے، اسکے چلتے ریاست کو انفراسٹرکچر پیکیج ملنا چاہیئے تھا لیکن نہیں ملا ہے۔ ہماری گذارش ہے کہ یہ مسئلہ بھی حل کیا جائے۔

تیسرا مسئلہ یہ ہے جسکی طرف مرکزی سرکار کا دھیان دلانا چاہتا ہوں۔

Our State has been endowed by nature with plentiful resources. More than 15000 mega watts of power can be generated by the optimum use of this endowment, which, in turn, can be used to create an industrial revolution in the State, with the financial and technical support of the Centre.

جہاں تک انڈس واٹر ٹریٹی کی بات ہے، ہندوستان اور پاکستان سرکار کے بیچ میں ایک معاہدہ ہوا تھا جس میں ہم پارٹی نہیں تھے۔ اس کے حساب سے:

The Indus Water Treaty between Indian and Pakistan has frozen the share of the State's irrigation potential from the Chenab and Jhelum rivers at the level which was in force in 1947. We neither can use the waters of these rivers to extend our irrigation potential nor make reservoirs for generation of new power project. Our country enjoys the same rights over the waters of Ravi and Sutluj rivers. Our State has thus been deprived of a divine gift for which we are suffering immensely.

تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے بیچ معاہدہ ہوا تھا، ہمارے دریاروں کا پانی پاکستان کو دیا گیا۔ ہم اسکے استعمال سے محروم کئے گئے۔ اس سے تو اور پریشانی پیدا ہو گئی۔ ہماری گذارش ہے کہ ہمیں ان سب کا معاوضہ دلایا جائے۔ افسوسناک بات تو یہ ہے کہ کشمیر میں میلیٹنسی کی وجہ سے تین لاکھ کشمیری پنڈت ریاست سے باہر آئے اور ابھی تک ان کے ریہیبلیٹیشن کے لئے، ان کے گھر واپسی کے لئے فائنل فیصلہ نہیں ہو رہا ہے۔ میں اس تعلق سے کشمیری پنڈتوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ:

They are part and parcel of Jammu and Kashmir. They are flesh and blood of Kashmir and there can be no Kashmiri civilization without the Kashmiri Pandits.

تو اس سلسلے میں دہلی سرکار کا ایک پیکیج جانا چاہئے کہ ان کشمیری پنڈتوں کو واپس لانے کے لئے کیا کیا جانا چاہئے۔ یہ میری گذارش ہے کہ اس بارے میں جلدی ہی کوئی فیصلہ کیا جائے۔

ڈپٹی اسپیکر صاحب، میرے ۴۔ ۲ مسئلے ہیں جس پر اس ایوان میں سارے لوگوں کی سپورٹ چاہتا ہوں۔ ان میں ایک انا یمپلائمنٹ کا مسئلہ ہے:

The unemployment graph which rose alarmingly in the last 7-8 years, has been contained by our Governmnet, to some extent. But to make a decisive dent, we will have to secure our share of jobs from the Central agencies, its public sector and even private sector friends. The Central agencies recruit thousands of young men every year, but our State has got a negligible share out of this quota. We seek that a reserved quota in this behalf be made for ten years for Jammu and Kashmir State so that this problem is, to some extent, solved.

ایک مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ:

Our State has generally been neglected in industrial sectors by the Centre. The Centre should take note of this fact and see what kind of industries can be started in Jammu and Kashmir and I would request that they should pay immediate attention to this aspect.

ایک اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ سینٹر نے اعلان کیا that loans, especially agricultural loans upto Rs. 50,000/- will be revoked. ہندوستان کے وزیر آعظم جموں آئے اور پبلک جلسے میں اعلان کیا لیکن آرڈر کہیں سے ایشو نہیں ہوئے۔

With the result, the people are after the State Government and are saying that the Government of India had already written offf the lons. آپ ہم سے کیوں وصولی کر رہے ہیں؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہمارے لئے ہے۔ ہمارے یہاں اس سال سیلاب کی سچویشن ہوئی اور جموں کے کچھ ضلع بھی اس میں شامل ہیں۔ ایک مرکزی ٹیم جموں و کشمیر آئی اور اسکو تین مہینے ہو گئے، اسٹیٹ گورنمنٹ نے ایک ۲۵۰ کروڑ روپے کا پیکیج بھیجا لیکن دہلی سے اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس پر جلدی فیصلہ کیا جائے۔ ہماری ریاست میں ۵۰ سال میں کوئی آر ٹرنیٹیو روڈ نہیں دی گئی۔ ایک ہی جموں۔ سرینگر راستہ ہے جو مہینے میں ۱۵ دن بند رہتا ہے۔

Then, constucting of an alternative road has not been thought of till date by the Central Government.

اتنا ہی نہیں، ایک اور مشکل ہے جسکے لئے میں اس وقت منتری سے بھی ملا۔ ہمارے یہاں ٹی۔ وی۔ بھی

چلتا ہے تو میں نے کئی بار دیکھا ہے کہ کشمیر میں دہلی یا سرینگر کا ٹی۔وی۔ نہیں دیکھا جاتا۔"

There are some technical difficulties and with the result, the people of Jammu and Kashmir tune to Pakistan T.V. We have brought this matter to the notice of the Central Government and requested that all the technical difficulties in this regard should be removed, so that the people will be in a position to see the television programmes telecast from Srinagar and New Delhi.

اندرا جی جب وزیر اعظم تھیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم جموں سے سرینگر تک ریل لے جائیں گے۔ تب سے آج تک ۱۵ کلو میٹر اس ریل ٹرک کے بنے ہیں اور پچھلی بار وزیر اعظم سرینگر آئے تو انہوں نے بارہ مولہ میں پتھر رکھا، قاضی کنڈ میں پتھر رکھا۔ لیکن اب ریل کا کوئی اتا پتا نہیں ہے۔ نہ پٹری ہے، نہ کچھ اور ہے۔ These things give a wrong signal in Kashmir. اس سے لگتا ہے کہ یہ کوئی مذاق میں بات ہو رہی ہے۔ ایک پردھان منتری آئے، انہوں نے کہا کہ میں ایسا کرنے جا رہا ہوں اور تب بھی وہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک مصیبت پاکستان کی طرف سے لائی گئی ہے۔ سیز فائر لائن پر کارگل میں حملہ کر دیا۔ جموں میں ہزاروں لوگ جو انٹرنیشنل بارڈر پر ہیں، پاکستان وہاں روز فائرنگ کرتا ہے اور وہ اپنے گھروں سے اُجڑے ہیں اور انکو ہم نے کیمپوں میں رکھا ہے، انکو بلڈنگ میں رکھا ہے۔ کارگل میں جو لوگ اُجڑے ہیں، انکے ری ہیبلیٹیشن کے لئے آج تک کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس بارے میں حکومت فوری طور سے پاکستان سے بات کرے۔۔۔(مداخلت)"

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अली मोहम्मद नायक, कृपया कब अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री अमर राय प्रधान।

(व्यवधान)

श्री अली मोहम्मद नायक : इस राज्य के लोगों ने पूर्ण स्वायत्ता स्थापित करने का जो वायदा गणतंत्र के संस्थापक सदस्यों ने किया था उसके बारे में स्वपन देखा था। हम राज्य और केन्द्र सरकार से संवैधानिक बंदोबस्त के लिए विश्वसनीय गारंटी चाहते हैं ताकि विगत में हुई गलतियों की पुनरावृत्ति न हो।

श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राष्ट्रपति को धन्यवाद देते हुए मैं उनके अभिभाषण में कही गयी बातों के बारे में कहना चाहूंगा। अपने अभिभाषण के पहले ही पृष्ठ में, उन्होंने कहा है कि अभी-अभी सम्पन्न हुए संसदीय चुनाव इस शताब्दी के अंतिम चुनाव थे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय तथा अन्य माननीय सदस्य निर्वाचित हुए। परन्तु मुझे यह कहते हुए खेद है कि हमारे देश का एक हिस्सा ऐसा है जो भारतीय त्रिदेशी अत: क्षेत्र है। वहां कोई एक या दो या तीन व्यक्ति नहीं रहते हैं अपितु एक लाख से अधिक भारतीय नागरिक रह रहे हैं। वे बंगलादेश से घिरे हैं। वे इस चुनाव में हिस्सा नहीं ले सके जोकि इस शताब्दी का अंतिम चुनाव था और इक्कीसवीं सदी का पहला था। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। यह हम सबके लिए शर्मनाक है। गृह मंत्री ने उस स्थल का दौरा किया तो उन्होंने इसकी स्थिति के बारे में जोर-शोर से कहा। वे वहां पिछले बीस महीनों से जा रहे हैं। उन्होंने इन लोगों के लिए क्या किया है ? वे जंगली जानवरों सा जीवन व्यतीत कर रहे हैं इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? वहां कोई प्रशासन नहीं है। कोई पुलिस नहीं है। रक्षा का कोई प्रबंध नहीं है। वहां कोई पंचायत नहीं है। वहां कोई विधायक नहीं है। वहां कोई अस्पताल नहीं है। कोई प्राथमिक संस्थान भी वहां नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है ? कांग्रेस पार्टी भी इसके लिए जिम्मेदार है।

पिछले पचास वर्षों के दौरान, वे अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाए हैं ? क्या यह लोकतन्त्र है ? जबकि बंगलादेश के साथ हमारे सम्बन्ध अच्छे हैं। हमने बस 'यात्रा' की है। प्रधान मंत्री वहां गये थे। इस बस 'यात्रा' के समय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री श्री ज्योति बसु और श्रीमती गीता मुखर्जी वहीं थी। अब हमारे सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण हैं। फिर भी, इन लोगों को अनुमति क्यों नहीं दी जा सकती है ?

मुझे प्रसन्नता है कि आप लोगों को कश्मीरी पंडितों के मत मिले। वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। आपने उनके लिए प्रबन्ध किए हैं। हमारे बंगलादेश के साथ अच्छे सम्बन्ध हैं। आप गे इन्तजाम वहां क्यों नहीं कर सकते हैं ? क्या आपने इसके लिए प्रयास किया है ? आप ने कभी इसके बारे में नहीं सोचा। आपने उन दो लाख भारतीय नागरिकों की उपेक्षा की है। यही दृष्टिकोण रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपके क्षेत्र की कुल जनसंख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मेरे विचार से यह उस क्षेत्र से कहीं अधिक है। वे पिछले 50 वर्षों से इसकी उपेक्षा क्यों करते आ रहे हैं ?

दूसरे भूमि सुधारों का कोई उल्लेख नहीं हुआ है। यह खेद का विषय है। हम ग्रामीण विकास चाहते हैं। वहां ग्रमीण विकास कैसे होगा ? वे इसके पक्ष में नहीं थे। पहली पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक राज्य में भूमि सुधार लागू किए गए थे। परंतु मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान अर्थात छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान भूमि सुधारों का कोई उल्लेख नहीं किया गया। आपने जानबूझ कर इससे किनारा किया। जो लोग आज सत्ता में हैं, वे इन्हें पंसद नहीं करते। वे तो केवल जमींदारों को चाहते हैं।

हमारे देश में भूमि सुधार के संबंध में कुछ नहीं किया गया। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : पश्चिम बंगाल में जमींदारी प्रथा लागू थी। हमने भूमि सुधार कानून पुरःस्थापित किया है। हम भूमि सुधार कानून लाये हैं।

श्री अमर राय प्रधान : नहीं, नहीं ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मुझे लगता है कि आप यह भूल गए हैं ...*(व्यवधान)* आप अपने बड़े पार्टनर भा०क०पा० (मार्क्सवादी) से पूछ सकते हैं।

श्री अमर राय प्रधान : 1955 में भूमि सुधार लागू किए गए। परन्तु आपने उसके लिए कुछ नहीं किया। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि अब तक आपके शासनकाल के अन्तर्गत कितने एकड़ भूमि वितरित की जा चुकी है। क्या आप आंकड़े दे सकते है ?

श्री अमर राय प्रधान : जी, हां।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या आपके पास इसके आंकड़े विद्यमान हैं ?

श्री अमर राय प्रधान : जी, हां।

अध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी, कृपया अब आप व्यवधान मत डालिए।

श्री अमर राय प्रधान : अतिरिक्त भूमि वितरित की जा चुकी है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : हमारे पास समय नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अमर राय प्रधान : जी नहीं, हम त्यागपत्र नहीं दे रहे हैं हम समर्थन कर रहे हैं। यह पश्चिम बंगाल की सरकार है। सदस्य बता सकते हैं कि वह कार्य संस्कृति और इन सब बातों के बारे में क्या चाहते हैं। किन्तु यहां भू-संस्कृति है। हमने किसानों को भूमि दी है अर्थात भूमिहीन लोगों को भूमि दी है। हमने भूमि वितरित की है। इस रिपोर्ट में. केन्द्रीय सरकार ने ही इसकी प्रशंसा की है ...*(व्यवधान)* मुझे खेद है, नाम 'बैनर्जी' है

अभिभाषण के पृष्ठ 11 पर पैरा 39 में यह कहा गया है:

"हम अ०जा०, अ०ज०जा०, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध हैं ..."

मैं मुख्य रूप से अ०ज० तथा अ०ज०जा० के लोगों के लिए बोल रहा हूं, इसका कारण यह है कि यहां दिल्ली में एक जाति अ०ज० या अ०ज०जा० के अधीन आ सकती है किन्तु अन्य राज्यों में अ०ज० या अ०ज०जा० के अधीन यह जाति नहीं आती है। इस प्रयोजन के लिए इस माननीय सभा में बार-बार यह बताया जाता रहा है और मेरी जानकारी के अनुसार हमने इस मुद्दे को किसी न किसी रूप में उठाया है, हमें बताया गया था कि एक व्यापक विधेयक लाया जायेगा। किन्तु इसे लाया नहीं गया है।

हम पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेष रूप से असम के बारे में बात कर रहे हैं, वहां सदैव आतंकवाद चलता रहता है। असम में क्या हुआ? आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सन्थाल, मुंडा, उरांव आदि जैसी ये जनजातियां पूरे देश में जनजातियों के रूप में मानी जाती है, यदि आप असम जायें तो आप देखेंगे कि वे जनजातियां नहीं हैं। चाय बागान में काम करने वाले लोग जो वहां रह रहे हैं, वे एक या दो नहीं हैं बल्कि उनकी संख्या लगभग 80 लाख है, उन्हें भी जनजातीय नहीं माना जाता है।

आठवीं लोक सभा में एक प्रवर समिति बनी थी और निःसंदेह इसका सभापति मैं था। उस समिति ने सिफारिश की थी कि उस क्षेत्र की अ०ज० और अ०ज०जा० को इस सूची के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए। पिछली सरकार इस संबंध में कोई विधेयक नहीं लायी थी और मैं नहीं जानता कि यह सरकार विधेयक लायेगी अथवा नहीं। किन्तु यह बात सच है कि यदि आप उस क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं और उस राज्य में विद्रोह रोकना चाहते हैं तो आपको सर्वप्रथम सभी जनजातीय लोगों को भारत के संविधान के अंतर्गत अ०ज०जा० के रूप में मान्यता प्राप्त कराने की आवश्यकता है। किन्तु ऐसा नहीं किया गया है क्योंकि उन्हें इस बात का भय है कि उल्फा विद्रोही कभी अ०ज०जा० के साथ रहते हैं और कभी कांग्रेस के साथ ...*(व्यवधान)*

श्री तरुण गोगोई (कलियाबोर) : जी नहीं, यह सही नहीं है ...*(व्यवधान)*

श्री अमर राय प्रधान : जी हां, अब, वे अ०ज०जा० के साथ हैं और वे फिर आगे आयेंगे ...*(व्यवधान)* उन्होंने वहां 1990 में आपरेशन बजरंग, 1991 में आपरेशन रिहनो जैसे और इसी प्रकार के अनेक सैनिक आपरेशन चलाये हैं ? किन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि इसका क्या परिणाम रहा। उल्फा का रवैया कैसा है ? उसे यह विश्वास है कि ब्रिटिश द्वारा असम को हड़पे जाने से पूर्व असम कभी भी भारत का अंग नहीं रहा है। यह उनका रवैया है ...*(व्यवधान)* महोदय, आप इस बात की आसानी से कल्पना कर सकते हैं कि असम में क्या हो रहा है ?

हमारे देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में यही स्थिति है। मैं जानता हूं कि इसका एक मुख्य कारण यह है कि यदि आप उस देश के जनजातीय लोगों को अ०ज०जा० के रूप में घोषित कर देंगे तो यह स्वतः ही एक जनजातीय राज्य बन जायेगा और ऐसा न करने पर चाहे यह कांग्रेस, भा०ज०पा० या जनता दल की सरकार हो तो ये लोग यह प्रयास करते रहेंगे कि ऐसा न हो, इसलिए कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं यदि आप अपने देश के उस भाग मे विद्रोह और गड़बड़ी तथा आई०एस०आई० कार्यकलापों को बन्द कराना चाहते हैं तो आपको एक व्यापक विधेयक लाना चाहिए कि इन जनजातीय लोगों को भारत के संविधान के अंतर्गत अ०ज०जा० के रूप में माना जाये।

श्री सिमरनजीत सिंह मान (संगरूर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने शिरोमणि अकाली दल के एक सिख

[श्री सिमरनजीत सिंह मान]

प्रतिनिधि को कुछ समय दिया है। मुझे आशा है कि आप मेरे साथ थोड़ी उदारता बरतेंगे क्योंकि केन्द्रीय मंत्रिमंडल में कोई सिख मंत्री नहीं है और मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपनी राष्ट्रीयता निरुपित करने का प्रयास करूंगा।

मैं आपका ध्यान 1984 की घटना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जब भारत सरकार ने अपने पूर्ण सैन्य बल के साथ स्वर्ण मंदिर को मटियामेट कर दिया था तथा हजारों निर्दोष तीर्थ यात्रियों को मार दिया था। भारत सरकार ने कहा था कि वे आतंकवादियों से स्वर्ण मंदिर को मुक्त कर रहे हैं। यह एक बेकार का बहाना है तथा मैं इससे सहमत नहीं हूं ना ही सिख लोग इससे सहमत हैं।

मैं बाबरी मस्जिद का मामला लेता हूं। क्या उस समय बाबरी मस्जिद में आतंकवादी थे, जब इसे मटियामेट कर दिया गया था ? ईसाई ननों के साथ बलात्कार किया जा रहा है। क्या वे आतंकवादी हैं कि उनके साथ भी सिख महिलाओं के समान बलत्कार किया जाना चाहिए जैसा कि आपरेशन 'ब्लू स्टार' के दौरान किया गया था ? पोप को भारत नहीं आने दिया जा रहा है और उनके मार्ग में रुकावटें डाली जा रही हैं। क्या पोप एक आतंकवादी है ? पांडिचेरी में चर्चों को जला दिया गया और उन्हें मटियामेट कर दिया गया। क्या उनमें आतंकवादी रह रहे थे ?

राष्ट्रपति का अभिभाषण अत्यन्त सावधानीपूर्वक दिया गया है तथा इसमें कहा गया है कि आतंकवाद को समाप्त किया जाना है। जब कोई कार्यवाही होती है और प्रतिकार्यवाही होती है तभी आतंकवाद को समाप्त किया जा सकता है। इससे अनेक प्रकार की आतंकवादी समस्यायें उत्पन्न होती हैं। मैं अल्पसंख्यकों को आतंकित करने और उन्हें मृत्यु के मुख में पहुंचाने के लिए भारत सरकार को दोषी मानता हूं। मैं स्वयं सात वर्षों तक जेल में रहा हूं। मुझे भी यातनायें दी गयी हैं और इन सबसे बड़ी बात यह है कि यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 21 में हमें जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, किन्तु राजीव गांधी की सरकार द्वारा 59वां संविधान संशोधन विधेयक पुर:स्थापित करके इसे वापिस ले लिया गया था। जिसमें यह घोषणा की गयी थी कि उपयुक्त कानूनी प्रक्रिया के बिना ही इन्हें समाप्त कर दिया जाये। अब, इस प्रकार के कानून बन गये हैं जिन्हें इस देश में प्रख्यापित कर दिया गया है।

सैकड़ों सिख 1984 से जेल में बंद हैं। टाडा को ऊपरी तौर पर निरस्त कर दिया गया है किन्तु मैं टाडा न्यायालयों में जा रहा हूं। मैं स्वयं भी टाडा कैदी हूं। इस प्रकार का न्याय कब तक चलता रहेगा ? अपने स्वर्णिम स्वप्न को साकार करने में कितना समय लगेगा, जो श्री जवाहर लाल नेहरू जी ने वायदा किया था कि हमे भारत में एक क्षेत्र मिलेगा जहां हम स्वतंत्रता की आशा महसूस कर सकेंगे। हम स्वतंत्रता महसूस नहीं करते हैं। हमारे पासपोर्ट जब्त कर लिए गए हैं। हमें विदेश जाने की अनुमति नहीं है, यहां तक कि मुझे भी अनुमति नहीं है यद्यपि, मैं संसद सदस्य बन गया हूं। राजनयिक पासपोर्ट प्राप्त करना एक संसद सदस्य का एक विशेषाधिकार है। किन्तु हमें इन सब बातों से वंचित रखा जा रहा है।

पंजाब के नदी जल का क्या हुआ ? संविधान बिल्कुल स्पष्ट है कि नदी जल का विषय राज्य सूची में है किन्तु पंजाब की नदी का सारा पानी नई दिल्ली द्वारा लिया जाता रहा है। नई दिल्ली नदी जल का वितरण करती है। हमारे प्राकृतिक संसाधनों को भारत सरकार द्वारा लूट लिया जाता है। पंजाब में हमारे साथ जो कुछ हो रहा है उससे हम अत्यन्त दुखी हैं।

कोई स्वतन्त्रता नहीं है। सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए कोई धनराशि नहीं है। यह राज्य इतना दिवालिया हो गया है कि यह ऐसा राज्य बन गया है जो कंगाली की कगार पर है। यही स्थिति अधिकांश राज्यों की है। मैंने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के बारे में सुना है। उनके पास कोई धनराशि नहीं है। इसलिए हम क्या करने जा रहे हैं ? केन्द्र इन सभी राज्यों को किस प्रकार धनराशि मुहैया कराने जा रहा है ? मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्योंकि यदि केन्द्र पूर्ण धनराशि मुहैया कराता है तो वह कठोरता बरतेगा जो कि हम नहीं चाहते कि केन्द्र ऐसा करे।

मृत्यु दंड के संबंध में मैं कहता हूं कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या की गयी थी तो आरोपी हत्यारों को मृत्यु दण्ड दिया गया था। जब राजीव गांधी के हत्यारों का पता चला तो उन्हें मृत्यु दण्ड दिया जा रहा है। किन्तु सिख लोगों के 1984 में कत्लेआम के बारे में क्या हुआ ? राष्ट्र ने हत्यारों के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की *** और उनके सहयोगी ? वे अभी भी खुले घूम रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री सन्तोष मोहन देव : उन्हें न्यायालय द्वारा बरी किया गया है। उसे न्यायालय द्वारा बरी किया गया है ...*(व्यवधान)* यह कार्यवाही सारांश में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : इसे निकाल दिया जाये।

श्री सिमरनजीत सिंह मान : ये बेंच सिख लोगों की जाति संहार के लिए वचनबद्ध हैं और वे मुझे शान्त करना चाहते हैं। यदि वे हमसे मुकाबला करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है और वे कहीं भी हमसे मुकाबला कर सकते हैं। किन्तु वे हमें चुप नहीं कर सकते हैं। यह असंभव है। संसद में कुछ प्रदर्शनकारियों द्वारा प्रदर्शन करने से मैं चुप नहीं रहूंगा। सभा में विचार व्यक्त किए जाते हैं। मैंने उनकी बात शान्तिपूर्वक सुनी थी। उन्हें भी हमारी बात शान्तिपूर्वक सुननी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमान, वे सभी शांतिपूर्वक सुन रहे हैं। उन्होंने कुछ विचार व्यक्त किए हैं जिन्हें कार्यवाही सारांश में शामिल नहीं किया गया है। अत: मैंने उन्हें कार्यवाही सारांश से निकाल दिया है।

श्री सिमरनजीत सिंह मान : उपाध्यक्ष महोदय, जिन लोगों की हत्या हुई थी, उन्होंने इन लोगों का नाम लिया था। मैं आपको बताऊंगा, कि काश्मीर में क्या हो रहा है ?

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ही अपना ध्यान केन्द्रित रखें।

श्री सिमरनजीत सिंह मान : जी हां, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ही ध्यान केन्द्रित कर रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि आतंकवाद

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

अपना सिर क्यों उठा रहा है। इसके कारण हैं। राज्य ने स्वयं आतंकवादी अधिनियमों की शुरूवात की है। 1984 के उपद्रव, कत्लेआम के किसी भी अपराधी को सजा नहीं दी गयी है। कितने शर्म की बात है। मैं कहता हूं कि इन राजनैतिक हत्याओं का लेखा-जोखा रखा जाना चाहिए। मैं अपने अनुभव से आपको बताऊंगा कि जब मकबूल भट्ट को कश्मीर में फांसी लगायी गयी थी। जब सतवन्त सिंह और केहर सिंह को फांसी दी गयी थी, तो सिख उग्रवादी बन गये। अब मैं नहीं चाहता कि तमिल लोग उग्रवादी बन जायें। तमिलनाडु से चार लोगों को मृत्युदण्ड दिया जाने वाला है। एक महिला है। यदि ये मृत्युदण्ड भी दिए गए तो मुझे डर है कि यह तमिल राष्ट्रवाद उत्पन्न करेगा। ... *(व्यवधान)*

श्री शरद पवार : वह किस प्रकार ऐसा कह सकते हैं? ... *(व्यवधान)*

श्री सिमरनजीत सिंह मान : हमने आपकी बात सुनी थी। कृपया आप बैठ जायें।

श्री जे०एस० बराड़ : वह इस प्रकार बात नहीं कर सकते हैं। बहुत हो गया। *(व्यवधान)*

श्री सिमरनजीत सिंह मान : यह बहुत अधिक नहीं हैं। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमान, उन वक्तव्यों को कार्यवाही सारांश से निकाल दिया गया है। उन सभी को निकाल दिया गया है। इस प्रकार की बातें कार्यवाही सारांश में शामिल नहीं की जा सकती हैं।

श्री राजेश पायलट : हम जानते हैं कि ये सदस्य सभा में पहली बार आये हैं किन्तु उन्हें सभा में भाषा के शिष्टाचार को समझना चाहिए। उन्हें नियन्त्रित रहना चाहिए। कुछ ऐसे वक्तव्य हैं जो देश में अत्यधिक समस्या उत्पन्न करते हैं। उन्हें यह ध्यान में रखना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : इसीलिए, मैं उनसे कह रहा हूं।

(व्यवधान)

रात्रि 8.00 बजे

श्री सिमरनजीत सिंह मान : महोदय, सिख लोगों के बारे में बोलना चाहता हूं। कोई केन्द्रीय मंत्री या उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश सिख नहीं है। इस सरकार द्वारा ऐसा भेदभाव क्यों बरता जा रहा है, यह सरकार दृढ़तापूर्वक यह कहती है कि यह सरकार सिखों और अल्पसंख्यकों के लिए है। आज, इसाई डरे हुए हैं, मुसलमान डरे हुए हैं और सिख डरे हुए हैं। क्या भारत में हम इस प्रकार का राज्य चाहते हैं जहां अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं? स्टेन के कातिलों का क्या हुआ? उस व्यक्ति को अभी तक पकड़ा नहीं गया है। अन्य लोगों का क्या हुआ? गुजरात में, इसाइयों के साथ क्या हुआ? क्या हम यह समझें कि भारत सरकार का प्राधिकार उन राज्यों तक नहीं पहुंचता है, जहां कातिलों को नहीं पकड़ा और दंडित किया जा सका है। यह सब इस माननीय सभा के समक्ष हो रहा है। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शीशराम ओला (झुंझुनू) : आप बैठ जाइये।

[अनुवाद]

श्री सिमरनजीत सिंह मान : जब उपाध्यक्ष महोदय, मुझसे बैठने के लिए कहेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा। आप जब अध्यक्ष बने तब आप मुझसे बैठने के लिए कहें। ... *(व्यवधान)*

महोदय, कृपया अपनी कांग्रेस बैंचों को नियन्त्रित करें। उन्होंने अल्पसंख्यकों और सिखों का जनसंहार किया है। यह सच है कि उन्होंने जनसंहार किया है। बल्कि मैं यह कहूंगा कि नई दिल्ली को नये सिरे से पहल करनी होगी। हम भारतीय संविधान का सर्जिकल आपरेशन कराना चाहते हैं ताकि यह पंजाब और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सिख विचाराधारा को संतुष्ट कर सके। मैं शांतिप्रिय व्यक्ति हूं और मैं यह कहूंगा कि सभी सिख शांतिप्रिय हैं। यही समय है कि हमें सिखों की समस्याओं के बारे में सोचना है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमान, कृपया अपना वक्तव्य समाप्त करें।

श्री सिमरनजीत सिंह मान : महोदय, धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा का समय बढ़ाना होगा। अब 8 बजे है। सात या आठ वक्ता शेष हैं। इसलिए, हमें लगभग 40 मिनट के लिए सभा की बैठक का समय बढ़ाना होगा। हमें सभी वक्ताओं को दो या तीन मिनट देने होंगे।

क्या समय 8.45 बजे तक बढ़ाने के लिए सभा सहमत है।

एक माननीय सदस्य : कृपया 9 बजे तक समय बढ़ा दें।

उपाध्यक्ष महोदय : इसलिए, सभा का समय 9 बजे तक बढ़ाया जाता है।

श्री सन्तोष मोहन देव : महोदय, कृपया प्रत्येक वक्ता को पांच मिनट का समय दें।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक व्यक्ति अपने मामले में दलील पेश करेगा। जब उनकी बारी आयेगी तो वह दस मिनट का समय लेगा। यही मैंने देखा है?

श्री पी०सी० थामस, अब यदि आप अपना वक्तव्य पांच मिनट में समाप्त कर सकते हैं तो कृपया आप ऐसा करें।

श्री पी०सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, मैं जानता हूं कि समय की कमी है। इसलिए, मैं कुछ ही मुद्दों तक सीमित रहूंगा। कुछ मूलभूत नीतियों के आधार पर राष्ट्रपति के अभिभाषण का विश्लेषण करना चाहता हूं किन्तु चूंकि समय बहुत सीमित है। अतः मैं केवल केरल राज्य तक सीमित रहूंगा, क्योंकि अब तक हुई इस चर्चा में केरल राज्य के बारे में ज्यादा नहीं कहा गया है।

हमारा राज्य मूलतः एक कृषि राज्य है।

यहां उगाई जा रही फसलों में एक अंतर है। ये मुख्यतः नगदी फसलें हैं जैसे नारियल आदि। मुझे यह जानकर बहुत दुःख है कि नगदी फसलों के बारे में कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया है। इसमें उन किसानों, जो रबड़, नारियल और अन्य बागवानी साथ ही बड़ी मात्रा में नकद फसलों की खेती कर रहे हैं, उनको किसी भी तरह के प्रोत्साहन का उल्लेख नहीं किया गया है।

[श्री पी०सी० थामस]

जहां तक रबड़ का संबंध है, मैं माननीय वित्त मंत्री तथा अन्य माननीय मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पिछली बार, श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार ने रबड़ का न्यूनतम मूल्य 34.05 रुपये करने का निर्णय लिया था। मैं केवल यह पूछना चाहता हूं कि क्या वे किसानों को न्यूनतम मूल्य, समर्थन मूल्य, जो उन्होंने घोषित किया है, देने के लिए कर्त्तव्यबद्ध नहीं हैं। मैं समझता हूं कि मुझे यह पूछने का अधिकार है। मूल्य तो निर्धारित किया गया है, किन्तु दिया नहीं गया है। तीन वर्ष पहले जब इस ओर के सदस्य सत्ता पक्ष की ओर बैठे हुए थे, तब मूल्य 70 रुपये था। वह मूल्य 25 रु०, 22 रु० तक नीचे आ गया है। आज मूल्य 28 रुपये है। कोई भी किसान रबड़ की खेती करने में समर्थ नहीं है। आगे इसकी खेती करने में कोई लाभ नहीं है। इसलिए, मैं सरकार से इसे कम-से-कम न्यूनतम मूल्य 34.05 रुपये निर्धारित करने और रबड़ को इस मूल्य पर क्रय करने का अनुरोध करता हूं। इस मूल्य का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यदि आप इस मूल्य पर क्रय करते हैं, जो मुझे विश्वास है कि आपको अधिक क्रय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बड़े उद्योगपति और टायर निर्माता इसके खरीददार हैं। उन्हें आना पड़ेगा और किसानों को यह मूल्य देना पड़ेगा और खरीदना पड़ेगा। इसलिए, आपको केवल इस तंत्र को कार्य पर लगाना पड़ेगा। 28 हजार टन रबड़ की खरीद होनी थी। अब वह अवधि बीत चुकी है। अब आगे एक आदेश तत्काल अनिवार्य है। चूंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, मैं मंत्रालय से इस पर विशेष ध्यान देने का अनुरोध करता हूं। वित्त मंत्री जी कल से बजट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं। इसलिए, मैं वित्त मंत्री जी से कृत्रिम रबड़ के साथ-साथ प्राकृतिक रबड़ के सभी तरह का आयात रोकने के लिए अनुरोध करूंगा। चूंकि प्राकृतिक रबड़ का उस रूप में आयात नहीं किया जा रहा है, जैसा उद्योगपति चाहते हैं, वे कृत्रिम रबड़ का आयात करने में लगे हुए हैं। पॉलीयूरेथेन ऐसी मद है, जो अधिक मात्रा में आयात की जा रही है। इसलिए, रबड़ उत्पादन करने वाले गरीब किसानों को कठिनाई में डाल दिया गया है। मैं सरकार से इस संबंध में कड़ी कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं। यदि कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, तो मैं समझता हूं कि हमें भी वही कहना पड़ेगा, जो श्री मान ने कहा है। मैं श्री मान से पूरी तरह सहमत नहीं हूं, किन्तु जो श्री मान ने कहा है, वह हमें इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि हमें भी हाशिये पर डाला जा रहा है। केरल के लोगों को भी हाशिये पर किया गया है, क्योंकि यह खेती मुख्यत: केरल राज्य में होती है। किन्तु, यह ऐसी खेती है, जो राष्ट्र को बहुत अधिक राजस्व देती है। बहुत सा राजस्व और बहुत सी विदेशी मुद्रा दस लाख गरीब लोगों के कड़े श्रम के कारण बचाई गई है, उनमें से लगभग आठ लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। अत:, यह एक मुद्दा है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में एक अन्य उल्लेख नारियल के संबंध में आया है। यह लक्षद्वीप में है, यह आठ राज्यों में है, यह सब जगह है। किन्तु जहां तक केरल का संबंध है, एक बहुत गंभीर बीमारी ने नारियल को प्रभावित किया है। संपूर्ण खेती बरबाद हो रही है। यह लगभग उस चक्रवात की तरह है जो हमारे पश्चिमी क्षेत्रों को प्रभावित कर रहे हैं। मुझे सुनकर वास्तव में दु:ख हुआ है कि चक्रवात बहुत ही गंभीर स्तर तक पहुंच गया है। मैं सरकार से इस देश में नारियल की खेती के संबंध में कुछ गंभीर कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं।

महोदय, मैं बहुत छोटा भाषण दे रहा हूं। जब भी चक्रवात आया है, प्राकृतिक आपदाओं ने न केवल केरल, बल्कि बहुत-से अन्य राज्यों को भी प्रभावित किया है।

महोदय, मैं समझता हूं कि भुगतान करने के लिए कोई स्पष्ट सूत्र प्रतिपादित किया जाना चाहिए। दसवें वित्त आयोग ने, जिसने कुछ विनियम बनाए हैं, उस वास्तविक नुकसान को ध्यान में नहीं रख रही है, जिनसे किसान और सामान्य नागरिक परेशान हो रहे हैं। केरल में, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, पिछले तीन चार दिनों के दौरान भूस्खलन हुआ है और भारी वर्षा हुई है। केन्द्र से कोई सहायता नहीं मिल पा रही है।

जहां तक केन्द्र-राज्य संबंधों का प्रश्न है, हमारे दल को इस संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहनी है। किन्तु, समय की कमी के कारण, मुझे अपना भाषण समाप्त करना है।

राज्यों को उनकी भौगोलिक स्थिति और अन्य विशेषताओं को देखकर और अधिक धन दिया जाना चाहिए। कुछ राज्यों को अधिक धन की आवश्यकता है। धन की जो मात्रा दी जाती है, वह केवल क्षेत्र अथवा जनसंख्या के आधार पर नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि मेरा निवेदन है कि जनसंख्या के घनत्व पर भी विचार किया जाना चाहिए। यदि जनसंख्या के घनत्व पर विचार किया जाता है, तो मुझे विश्वास है कि अधिक धन आएगा। केरल सहित बहुत से राज्यों को किनारे कर दिया गया है। मैं माननीय वित्त मंत्री से इन मामलों को बहुत गम्भीरता से लेने का अनुरोध करता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और यह अवसर दिए जाने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती जयश्री बैनर्जी (जबलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रपति जी के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव, जिसे श्री वैको द्वारा अनुमोदन किया गया है, का मैं समर्थन करती हूं।

माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में गांधी जी का उदाहरण देकर और बाबासाहेब अम्बेडकर, समाज के आखिरी व्यक्ति को आजादी का लाभ मिले, यहां से शुरूआत हुई है। मैं इसका भी स्वागत करती हूं। राष्ट्रीय लोकतान्त्रिक गठबंधन इसी ढांचे के आधार पर बना है। मैं इसका भी समर्थन करती हूं।

अभी बहुत सारी बातें कही गई हैं। कारगिल के युद्ध की सफलता के बारे में बहादुर सेना के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। जिसका सारा श्रेय प्रधान मंत्री जी और उनके मंत्रिमंडल को जाता है। संसार में हमारी सरकार को मान्यता और सफलता मिली है। इसका श्रेय भी हमारे प्रधान मंत्री जी को जाता है।

महंगाई के बारे में बहुत सी बातें कही गई हैं। इतने बड़े युद्ध के बाद भी सारे देश में कोई महंगाई नहीं हुई। अभी जो बातें कही गई, मुझे आश्चर्य है कि इतने बड़े युद्ध के बाद भी महंगाई नहीं हुई,

लेकिन महंगाई की बात कही जा रही है। मैं आपको बताना चाहती हूं, मध्य प्रदेश में प्रोबेशन टैक्स बिजली पर बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से कर्मचारियों पर इसका काफी बोझ बढ़ा है। इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया है। मैं आशा करती हूं कि इस दिशा में सरकार कदम उठाएगी।

मैं सरकार की अच्छाइयों के बारे में बताना चाहती हूं। हमारी सरकार ने पिछले 13 महीनों में जो काम किए हैं, वे पिछले पचास सालों में भी नहीं हुए हैं। इन तेरह महीनों में हमारी सरकार ने जो काम किए हैं, उनके लिए मैं सरकार को बधाई देती हूं। जहां तक 33 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षण की बात है, उसके लिए मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहती हूं कि आप भी समर्थन दें, ताकि यह बिल पास हो सके। पिछली बार भी यह बिल पास नहीं हो सका था। इस बिल को पास करने के बारे में आपको विचार करना चाहिए।

अभी माननीय सदस्य सरकार द्वारा किए कामों के बारे में कह रहे थे कि सरकार ने कौन-कौन से काम किए हैं। कावेरी जल विवाद जो पिछले कई सालों से चल रहा था, उस विवाद को प्रधान मंत्री जी की सूझबूझ से खत्म किया गया। नर्मदा जल विवाद भी इसी तरह से हल किया जाएगा और बांध सागर योजना शुरू होगी। इस योजना से मध्य प्रदेश को ही नहीं, उत्तर प्रदेश बिहार राज्यों का सिंचाई के क्षेत्र में लाभ होगा। इससे किसानों को लाभ होगा। इसी प्रकार मध्य प्रदेश की 340 सिंचाई योजनायें केन्द्र के पास वन अधिनियम, 1980 के तहत लम्बित पड़ी हुई हैं, उन योजनाओं को क्लीयरेंस दिया जाए, ताकि सिंचाई हो सके और गरीब किसानों को उसका लाभ मिल सके। आज हमारी सरकार ने 20 लाख मकान बनाने का वायदा किया है, इसके लिए मैं बहुत-बहुत बधाई देती हूं। ये 20 लाख मकान कितने गरीब लोगों को मिलेंगे। आज गरीब और पिछड़े वर्ग की दुहाई देने वाले लोग इस बारे में सोचते नहीं हैं। इसमें कितने लोगों को काम मिलेगा। इसमें बहुत सारे बेरोजगारों को काम मिलेगा, इसके लिए भी मैं इन्हें बधाई देती हूं।

आप लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में बहुत लम्बी-चौड़ी बातें की हैं। मैं केवल प्वाइंट्स पर बोल रही हूं, क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल से बोलने का मौका मिला है। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना के बारे में जो हमारी सरकार ने अपना मत बनाया है, उसके लिए मैं इन्हें बधाई देती हूं। जो नार्थ साउथ, ईस्ट-वैस्ट राजमार्ग जोड़ने की व्यवस्था की जा रही है इसमें मैं सिर्फ यह कहना चाहती हूं कि केन्द्र में मध्य प्रदेश के अंदर से जो नेशनल हाईवे जाता है उसकी हालत बहुत जर्जर है, उस पर भी निगरानी रखी जाए। केन्द्र जो पैसा देता है उसका सदुपयोग हो। जो वृद्धा निराश्रित पेंशन राशि दी जाती है वह उन लोगों को नहीं मिलती है। मुझे जब गांव में जाने का मौका मिला तो मैंने वहां देखा कि यह पेंशन उनको छः-छः महीने तक नहीं मिलती है। प्रदेश वाले बांटते ही नहीं है। मेरे पास एक जगह का उदाहरण है, जहां एक विधवा महिला को छः महीने से पेंशन नहीं मिली और आखिर में उसकी मौत हो गई। सरकार जो पीने के पानी की व्यवस्था कर रही है वह सराहनीय है। इसी तरह जबलपुर, कटनी तथा उसके पास के कई अन्य जगहों पर जल योजना पूरी हो जाए तो वहां जल का संकट दूर हो सकता है। जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सर्वांगीण कल्याण का एक डिवीजन तैयार किया है उसका मैं स्वागत करती हूं, जिसके कारण पिछड़े वर्ग के लोगों को सहयोग मिलेगा और वे आगे बढ़ेंगे। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चार दिन से चर्चा हो रही है। सत्ताधारी पार्टी के लोग बहुत बड़ी-बड़ी बातें करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हम यह करेंगे, वह करेंगे। कुछ इस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। पहले 13 दिन सरकार चली, उसके बाद 13 महीने चली और इस सरकार ने 13 तारीख को शपथ ली। 18 पार्टियों की सरकार 13 महीने चली और यह जो 24 पार्टियों की सरकार है यह नौ महीने से ज्यादा नहीं चलेगी, ऐसा हमें लगता है। ...*(व्यवधान)* अगर चलेगी तो अच्छा है, मगर आपको कोई चलने नहीं देगा। यहां तो ये बातें हो रही हैं कि हम यह करेंगे, वह करेंगे। आप यह करना चाहेंगे तो वे इकट्ठे हो जाएंगे और अगर आप वह करने का प्रयत्न करेंगे तो ये इकट्ठे नहीं आएंगे। आपको कोई कुछ भी करने के लिए मौका नहीं देने वाला है। अगर आप पांच साल तक रहते हैं तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। हमने आपकी सरकार को गिराने का कभी प्रयत्न नहीं किया और बाद में भी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जो खुद गिरते हैं उन्हें गिराने की क्या आवश्यकता है। अगर हमें अपने देश से जातिवाद को हटाना है तो हमें सेक्यूलर सरकार चाहिए और अगर देश से जातिवाद को बढ़ाना है तो बी०जे०पी० की सरकार चाहिए। अटल जी का सामना करने के लिए शरद पवार जी चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश में जाकर आपको कल्याण सिंह जी का सामाना करना है तो मुलायम सिंह जी चाहिए और अगर शरद पावर जी का सामना करना है तो लालू प्रसाद जी चाहिए। आप लोगों ने बहुत सी बातें की हैं, आप लोगों ने बताया कि जो बाबासाहेब अम्बेडकर जी का संविधान है, उस संविधान का आप कुछ उपयोग करने वाले हैं। इसके लिए आप एक आयोग का भी निर्माण करने वाले हैं। मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूं कि बाबासाहेब अम्बेडकर जी का संविधान सेक्यूलर है, हरेक जाति और हरेक धर्म के आदमी को समान न्याय देने वाला है। आपकी सरकार संविधान को बदलने की कोशिश करेगी तो इस देश के दलित सड़कों पर आ जाएंगे। हम आपको संविधान बदलने का मौका देने वाले नहीं हैं। अगर आप संविधान को बदलने की कोशिश करेंगे तो हम आप को सत्ता में आने का मौका देने वाले नहीं हैं। आप जिन लोगों को इस कमीशन में लेने वाले हैं, अरुण शौरी जैसे लोगों को इसमें लेने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिन्होंने बाबासाहेब अम्बेडकर जी के बारे में लिखने का प्रयत्न किया। उन्हें लिखने की स्वतंत्रता है लेकिन वह अगर कुछ भी गलत लिखने का प्रयत्न करेंगे तो ठीक नहीं होगा। सैकुलरिज्म का जो ढांचा है, अगर उसे बदलने की कोशिश की जाएगी तो हम इसका विरोध करेंगे। कमीशन स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। अगर इसमें अमैंडमैंट करना है तो संसद में जरूरी सवालों को लेकर आइए, हम आपको सपोर्ट करेंगे अन्यथा हम आपकी सरकार को सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर आप रिजर्वेशन के लिए संविधान में अमैंडमैंट या डिसकशन करना चाहते हैं तो उसके लिए सपोर्ट करेंगे। अच्छी चीजें करने के लिए आप बिल लेकर आइए और उसमें अमैंडमैंट करने का प्रयत्न करिए। टू थर्ड मैजोरिटी के लिए कांग्रेस है, हम हैं, एन०सी०पी० है, सी०पी०आई० है, सी०पी०एम० है, फारवर्ड ब्लाक है, समाजवादी पार्टी है और आर०जे०डी० है। हमारे थामस जी हैं। हम सब लोग आपको अच्छा

[श्री रामदास आठवले]

सपोर्ट करने वाले हैं मगर ज्यादा दिन नहीं, नौ महीने तक सपोर्ट करने वाले हैं।

आपको ऐसा लगता होगा कि हमने बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया है, इसलिए रामराज्य आ जाएगा। अगर आप बाबरी मस्जिद को तोड़कर रामराज्य की कल्पना करते हैं तो भूल होगी। राम सैकुलर थे लेकिन आप लोग सैकुलर नहीं हैं। आप राम के दुश्मन हैं और उनके खिलाफ काम करना चाहते हैं। इसलिए अपने देश में अभी रामराज्य आने वाला नहीं है। रामराज्य अभी आएगा नहीं। इस देश में भीमराज आएगा। रामराज्य की कल्पना दिमाग से निकालें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री रामदास आठवले : सैकुलरवाद लाने का प्रयत्न करना चाहिए। *(व्यवधान)* महोदय, मैं बोलूं या नहीं बोलूं ? मैं बोलने के लिए आया हूं। हमारा पंढरपुर क्षेत्र है। आप जिस तरह कुम्भ मेले के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करते हैं उसी तरह हमारे क्षेत्र के लिए कम से कम 200 करोड़ रुपया देने की आवश्यकता है। आने वाले बजट में उसका प्रावीजन होना चाहिए। पंढरपुर में विट्ठल और रुक्मणि जी का मंदिर है। *(व्यवधान)*

मेरी दूसरी मांग यह है कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम पर नेशनल मैमोरियल बनाने की आवश्यकता है। दिल्ली में 26, अलीपुर रोड पर जहां बाबा साहेब अम्बेडकर जी का देहान्त हुआ था, वहां नेशनल मैमेरियल बनाने की आवश्यकता है। उसके लिए 400-500 करोड़ रुपए की योजना बनाने की आवश्यकता है। आप कहते हैं कि पैसा नहीं है। *(व्यवधान)* बेरोजगारी के बारे में सरकार ने बहुत अच्छा आश्वासन दिया है। राष्ट्रपति साहब का अभिभाषण सरकार ने लिख कर महामहिम राष्ट्रपति साहब को दिया और उन्होंने इसे पेश किया। उन्होंने बेरोजगारी को हटाने की बात कह कर अच्छी बात की है। आप बेरोजगारी कैसे हटाने वाले हैं ? इसे दूर करने के लिए आपके पास कोई योजना है या नहीं ? मेरा सुझाव है कि सभी कम्पनियों में जो आठ घंटे की डयूटी होती है, वित्त मंत्री जी से आग्रह है कि वे इसे 6 घंटे के हिसाब से बनायें, इसमें जो तीन शिफ्ट होती है, उनको चार शिफ्ट में कर दिया जाये ताकि बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। इससे काफी लोगों को नौकरी मिल सकती है। इस बारे में आपको सोचने की आवश्यकता है। मेरे पास कहने के लिये काफी कुछ है लेकिन समय कम होने के कारण, उन्हें मैं बाद में बताऊंगा। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि आप सरकार ठीक से चलायेंगे और आपस में झगड़ने का प्रयत्न नहीं करेंगे। आप एक साथ रहें जिससे सरकार चलती रहे। यदि हम एक साथ होते तो आप इधर होते और जब हम एक साथ नहीं हैं तभी आप उधर हैं। मेरा आग्रह है कि आप मिलकर सरकार चलाने का प्रयत्न करें।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जनता दल (एस) की तरफ से अपने विचार रखने के लिये खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, उसके लिये आभारी हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी प्रारम्भ में प्रभु राम चन्द जी को बाजार में लाई। इतना ही नहीं, महात्मा गांधी की विचार-धारा को उन्होंने साथ लिया लेकिन इंदिरा कांग्रेस हवा में चली गई, गर्व से टूट गई। विरोधी शक्ति और कारगिल की हो गई लड़ाई, इसलिये 24 पार्टियों की सरकार बन गई। उपाध्यक्ष महोदय, आपके दाहिने हाथ की तरफ ये सरकार में बैठे हैं, मेरे पेट में दर्द नहीं है। मैं बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाला हूं लेकिन मैं लोकशाही का स्वागत करता हूं। जहां मेरे फर्ज हैं, वहां इस सरकार का भी फर्ज है कि वह देश की रक्षा करे और विघटनकारी शक्तियों का नाश करें। हमें किसान, संगठित और असंगठित कामगार, महिला, बेरोजगार, दबे हुये समाज का उत्थान करना होगा। ये सब सरकार के फर्ज हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जब भी घर में चोरी होती है तो खटखट होती है लेकिन कारगिल की लड़ाई हो गई, सरकार को मालूम नहीं पड़ा— यह कैसे हो सकता है ? मैं रक्षा मंत्री को राजहंस पक्षी की तरह मानता हूं। जैसे राजहंस दूध और पानी मिला होने पर भी खाली दूध पीता है, मुझे आशा है कि रक्षा मंत्री इसी तरह से दूध ही पीयेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के पास गुजरात में डांग जिला पड़ता है। पंथ प्रधान वहां गये थे। वहां पर ईसाइयों पर हमला किया गया था। ऐसा कांड मेरे क्षेत्र में हुआ। मैं और श्री आठवले साहब भी वहां गये। विघटनकारी शक्तियों का नाश करने के लिये जहां सरकार की जिम्मेदारी है लेकिन उसके साथ-साथ यह भी सरकार को करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले साल किसानों का प्याज व्यापारियों के पास चला गया लेकिन जिस समय किसानों के पास प्याज आया तो आपने निर्यात बंद कर दिया। अभी किसान रो रहे हैं। इस काम चलाऊ सरकार ने क्या-क्या काम किये, कारगिल में 480 जवानों को बिना किसी कारण से गंवा दिया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रभु रामचन्द्र जी का नाम लिये बिना सोता नहीं और उठता नहीं। मैं हिन्दू हूं और जो खुद को हिन्दू समझता है वह दूसरे धर्मों का आदर भी करता है, चाहे ईसाई धर्म हो या इस्लाम हो। लेकिन ये लोग जो बैठे हैं, ये आधे हिन्दू हैं और सचमुच हिन्दू नहीं हैं। मैं तो प्रभु रामचन्द्र जी का हमेशा नाम लेता हूं। मेरे गांव में प्रभु रामचन्द्र जी का मंदिर है। आर०एस०एस० वाले और भारतीय जनता पार्टी वाले कभी भी दर्शन करने के लिए वहां नहीं जाते हैं। हम लोग वहां जाते हैं। बाली जो आदिम जाति के थे, उनके साथ भी प्रभु रामचन्द्र जी ने कपट किया था। बाली बहुत बलवान था। मैं भी आदिम जाति का हूं। बाली को रामचन्द्र जी ने कपट से मारा, वैसे ही इस सरकार ने आदिम जाति के लोगों की नौकरियों को बढ़ाने के बारे में, उच्च शिक्षा के बारे में, न्यायपालिका से नहीं, सामने नहीं मारा, डीजल की कीमतें बढ़ा दीं। देवगौडा साहब जब प्रधान मंत्री थे, तो उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ गईं। इस सरकार ने जान-बूझकर यह बात नहीं बताई और किसानों की हालत और देश की हालत बहुत खराब कर दी। इसलिए मैं कहता हूं कि अपनी नीयत और नीति साफ-साफ रखिये। नीति की बात तो आप करते है पर नीयत भी सही रखिये। इतना कहकर ही मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

[अनुवाद]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार) : उपाध्यक्ष महोदय, और यहां उपस्थित मेरे विद्वान दोस्तों, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर

धन्यवाद प्रस्ताव पर कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूं, जिसमें मैं कुछ बहुत ही असली मुद्दों पर आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करूंगा। इस संबंध में, सबसे पहले मैं देश के विकासात्मक पहलुओं से संबंधित बहुत से मुद्दे उठाने के लिए भारत के राष्ट्रपति को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। आज, मैं असमी भाषा में बोलना चाहता हूं, ताकि असम के लोग दलितों की वास्तविक भावनाएं और असम के बोडो लोगों के संघर्ष को समझ सके।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया जारी रखें।

***श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं अपना भाषण असमिया में देना चाहता हूं। मैं बहुत ही भारी मन से बोडोलैंड के लोगों की मनोव्यथा व्यक्त कर रहा हूं। मुझे बहुत ही खुशी होती यदि मुझे बोडो भाषा, मेरी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जाती। भारत और विदेशों में रह रहे बोडो लोग बहुत सम्मानित महसूस करते, यदि मुझे बोडो भाषा में बोलने की अनुमति दी जाती। बोडो भाषा एक बहुत समृद्ध भाषा है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी स्वतंत्रता के 52 वर्षों के बाद भी, बोडो भाषा को हमारे संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। यह हमारी लम्बे समय से की जा रही एक सही मांग है और मैं भारत सरकार से भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में बोडो भाषा को सम्मिलित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का अनुरोध करता हूं।

यहां, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के पैरा 36 का उल्लेख करना चाहता हूं, जहां यह बताया गया है कि नये राज्यों, उतरांचल, वनांचल और छतीसगढ के गठन के लिए शीघ्र ही आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इस संबंध में, मैं अपनी और बोडोलैंड के लोगों की ओर से इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। इस संबंध में यह बड़े खेद और दुर्भाग्य का विषय है कि अलग बोडोलैंड राज्य के गठन के संबंध में कोई नीति नहीं बनाई गई है, जो हमारी उचित और जायज मांग है। यह 13वीं लोक सभा के इतिहास में दिल तोड़ने वाली घटना है। हम, बोडो लोग असम के मूल निवासी हैं, हम कई शताब्दियों तक असम के शासक रहे हैं। हम शासन करने वाले बोडो राजवंश से संबंध रखते हैं और इसलिए कहना चाहते हैं कि मैं भी उस राजवंश का शाही प्रतिनिधि हूं। यह भाग्य की विडम्बना है कि आज हमारे साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया जा रहा है।

स्वतंत्रता के बाद, 52 वर्षों के लम्बे समय के दौरान असम की सरकार ने हमें हमारे तर्कसंगत और जायज अधिकारों से वंचित रखा है। बोडोलैंड क्षेत्र में विकास के नाम पर कुछ नहीं किया गया है। बोडोलैंड में बहुत अधिक विकास किया जाना चाहिए। केन्द्र सरकार भी बोडोलैंड में विकास के क्षेत्र में और बोडो लोगों को सुरक्षा और संरक्षा प्रदान करने में असफल रही है। यही कारण है कि 1960 और 1970 के दशक के दौरान आज के नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल और हमारे गारो, खासी तथा जयन्तिया पहाड़ी भाइयों को भी असम से बाहर जाने को मजबूर किया गया। इसी आधार और समानता पर, बोडो लोग अलग बोडोलैंड राज्य की मांग करते रहे हैं और यह उनकी बिल्कुल जायज और तर्कसंगत मांग है। अतः, मैं मांग करता हूं कि उत्तरांचल, वनांचल और छत्तीसगढ़ के साथ-साथ बोडोलैंड का गठन भी तत्काल प्रभाव से होना चाहिए। अन्यथा, बोडो लोगों और उनकी भाषा, संस्कृति, प्रथाओं तथा रिवाजों की पहचान को सुरक्षित रखना संभव नहीं होगा। असम के सभी जातीय समूहों की संरक्षा और सुरक्षा दांव पर लगी हुई है। श्री प्रफुल्ल कुमार महन्त के नेतृत्व में असम गण परिषद् सरकार विभिन्न जातिय समूहों को सुरक्षा देने में बुरी तरह असफल रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त करें।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : बोडोलैंड क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है। चाहे जैसे भी हो और चाहे जो भी परिस्थिति हो, इस वर्तमान सरकार को अलग बोडोलैंड राज्य के गठन के लिए ठोस नीतिगत निर्णय लेना चाहिए। यह बहुत ही जायज और तर्कसंगत मांग है, और यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है।

महोदय, अलग बोडोलैंड का गठन हमारी अपनी विशेष जातीय पहचान, भाषा, संस्कृति, रिवाज और परम्पराओं को सुरक्षित रखने के प्रश्न से अधिक जुड़ा है, और इसीलिए यह जरूरी हो गया है।

मुझे खुशी है कि जनजातीय मामलों की देखभाल के लिए एक नए मंत्रालय का गठन किया गया है। हम इसका स्वागत करते हैं, किन्तु इस समय हमारे मन में नए मंत्रालय द्वारा शक्तियों और प्राधिकारों का प्रयोग किए जाने को लेकर आशंका है अथवा सभी अधिकार गृह मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के पास रहेंगे। जनजातीय मामलों के मंत्रालय को गृह मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दोनों के चंगुल से मुक्त होना चाहिए। गृह मंत्रालय और सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय का जनजातीय मामलों के मंत्रालय के मामले में कोई दखल नहीं होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : अगला मुद्दा, जो मैं उठाना चाहता हूं, वह यह है कि महामहिम राष्ट्रपति ने पूर्वोत्तर परिषद के बारे में अपने अभिभाषण में उल्लेख किया है कि पूर्वोत्तर राज्यों के शीघ्र सामाजिक आर्थिक विकास हेतु पूर्वोत्तर परिषद का शीघ्र पुनर्गठन करेगी, किन्तु इसकी योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।

असम की दूसरी ज्वलंत समस्या वहां बड़ी संख्या में विदेशी नागरिकों का अवैध प्रवेश है। इससे राज्य में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। मैं यह नहीं जानता कि सरकार विदेशी नागरिकों की समस्या का कैसे समाधान करेगी तथा माननीय राष्ट्रपति का अभिभाषण इस महत्वपूर्ण मामले पर मौन है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपनी बात पूरी कीजिए। कृपया भाषण समाप्त कीजिए।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : मैं अपना भाषण समाप्त करने जा रहा हूं। यह मेरा पहला भाषण है। कृपया मुझे बोलने की अनुमति दीजिए।

---

*मूलतः असमिया में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

उपाध्यक्ष महोदय : यह आपका पहला भाषण नहीं है। आपने यहां कुछ समय व्यतीत कर लिया है।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में वर्तमान भारत सरकार द्वारा अलग बोडोलैंड राज्य का गठन किए जाने के संबंध में पुनः अपनी पुरजोर मांग दुहराता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बैसीमुथियारी, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : येन-केन प्रकारेण और चाहे जो भी परिस्थिति हो, इस वर्तमान एन०डी०ए० (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) सरकार को अलग बोडोलैंड राज्य के गठन के संबंध में ठोस नीतिगत निर्णय लेना चाहिए।

महोदय, अलग बोडोलैंड राज्य का गठन हमारी अपनी विशिष्ट जातीय पहचान, भाषा, संस्कृति, परम्परा और रीति-रिवाज के संरक्षण के प्रश्न से पूरी तरह जुड़ा हुआ है तथा कई मिलियन स्थानीय बोडो लोगों के जीवन और अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए वस्तुतः ऐसा करना आवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : मैं वर्तमान भारत सरकार को एक अलग जनजातीय कार्य मंत्रालय सृजित करने के लिए धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपनी बात पूरी कीजिए। कृपया भाषण समाप्त कीजिए।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : मैं अपना भाषण समाप्त करने जा रहा हूं। यह मेरा पहला भाषण है। कृपया मुझे बोलने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यह आपका पहला भाषण नहीं है। आपने यहां कुछ समय व्यतीत कर लिया है।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में वर्तमान भारत सरकार द्वारा अलग बोडोलैंड राज्य का गठन किए जाने के संबंध में पुनः जोरदार मांग करता हूं। ... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कोई भी बात कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जाएगी। अब श्री प्रभुनाथ सिंह बोलेंगे।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज) : उपाध्यक्ष जी, महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा जो अभिभाषण दिया गया और उसके ऊपर विजय कुमार मल्होत्रा जी द्वारा धन्यवाद ज्ञापित करने का जो प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में जहां सरकार के भावी कार्यक्रम, सरकार की नीति, सरकार के अगुवा यानी सदन के नेता श्री अटल बिहारी जी की मंशा और नीयत की साफ झलक दिखाई है, वहीं पर अभिभाषण में गांधी जी के शब्दों का वर्णन कर के यह दर्शाया गया है कि सरकार की नीति क्या है, इस सरकार की मंशा क्या है, यह सरकार चाहती क्या है।

उपाध्यक्ष महोदय, गांधी जी ने कहा था :—

> "मैं एक ऐसे संविधान के लिए संघर्ष करूंगा जो भारत को सभी बंधनों और आश्रयों से मुक्ति दिलाए। मैं एक ऐसे भारत के लिए कार्य करूंगा जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति यह महसूस करे, कि यह उसका देश है जिसके निर्माण में उसकी प्रभावशाली भूमिका रही है; एक ऐसा भारत जिसमें न कोई उच्च वर्ग होगा और न कोई निम्न वर्ग; एक ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय पूरी तरह मिल-जुल कर रहेंगे ..."

यह उनका उल्लेख था। सरकार ने उनकी मंशा को अभिभाषण में लाकर अपनी मंशा को बताया है। सरकार को यह विश्वास है कि पिछली बार जो सरकार इस देश में बनी, वह गांधी जी के अरमानों को पूरा करने में कामयाब नहीं हुई। पिछली सरकार गांधी जी के विचारों का भारत नहीं बना पाई। इसलिए अटल बिहारी जी के नेतृत्व में इस सरकार का संकल्प है कि इस देश में गांधी की भावनाओं का कार्यक्रम चलाया जाएगा। उसमें गांधी जी के सपनों को साकार किया जाएगा। गांधी जी के विचारों का देश बनाया जाएगा। गांधी जी की कल्पना के अनुसार समता मूलक समाज बनाने की कार्रवाई की जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण के पैराग्राफ 5 में यह लिखा है कि :

> "... मतदाताओं ने सरकार को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश देकर केन्द्र में अस्थायित्व के चरण को समाप्त कर दिया है। ..."

यह ठीक है।

रात्रि 8.45 बजे

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

जहां पिछले लगभग 18 महीने केन्द्र में श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार अपने कार्यक्रमों से देश की जनता का विश्वास जीतने का प्रयास कर रही थी, जनता का विश्वास अर्जित करने का प्रयास कर रही थी वहीं विपक्ष की भूमिका तिकड़म और साजिश के माध्यम से सत्ता पर काबिज होने की चल रही थी। उसी क्रम में, देश की जनता को नाखुशी हुई और देश की जनता ने यह बताया कि आप तिकड़म और साजिश की बदौलत देश में शासन नहीं कर सकते। देश की जनता ने यह बताया कि देश में वही आदमी शासन कर सकता है जो जनता का विश्वास अर्जित करेगा और इसका परिणाम यह हुआ कि आज श्री अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधान मंत्री हुए।

हम आपको बताना चाहते हैं कि कारगिल युद्ध की चर्चा यहां बहुत जोरों पर चली है। मैं इस संबंध में विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि बहुत से वक्ताओं ने इस संबंध में काफी कहा है लेकिन निश्चित

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

तौर पर हमारे जो जवान मारे गये हैं, उनके लिए पूरा देश दुखी है और इस मामले में पूरे देश तथा गांव के लोगों ने आर्थिक माध्यम या अन्य माध्यम से अपनी सहानुभूति प्रकट की है।

अध्यक्ष महोदय, देश में यह कोई पहला युद्ध नहीं है। इस देश ने पहले भी कई युद्ध देखे हैं। कभी एक युद्ध में 38,700 वर्ग हैक्टेयर जमीन हमने गंवाने का काम किया है तो कभी 5,700 वर्ग हैक्टेयर जमीन हमने गंवाने का काम किया है। किसी युद्ध में हमने कोई जमीन जीती भी है तो उस जमीन को हमने राष्ट्रसंघ में ले जाकर गंवाने का काम किया है लेकिन यह पहला युद्ध का अवसर है जबकि हमने अपनी धरती को गंवाया नहीं है बल्कि हमने अपने देश के मान और सम्मान को बढ़ाया है। हमने अपने देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। देश के लोगों की अजीब स्थिति है। हम कोई राजनीतिक बात नहीं बोल रहे लेकिन देश के लोगों ने इस मामले में श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त की है। इसका कारण यह है कि जिस समय इस देश के जवान सरहद की रक्षा के लिए दुश्मन की गोली को अपने सीने में झेल रहे थे वहीं इस देश में एक ऐसा भी रक्षा मंत्री हुआ जिसने तोप के गोलों के बीच में जाकर उन जवानों का मनोबल बढ़ाने का काम किया। इस मामले में किसी ने भी अपने विचार व्यक्त नहीं किये और दूसरी तरफ विपक्ष के लोग जिस समय देश की सीमा की सुरक्षा का सवाल खड़ा था, उस समय ये लोग राज्य सभा का सत्र बुलाने की मांग कर रहे थे इसीलिए देश की जनता ने यह निर्णय किया। ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त करिये।

श्री प्रभुनाथ सिंह : इसलिए देश की जनता ने यह निर्णय किया और श्री अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधान मंत्री बने।

हम आपको बताना चाहते हैं कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के पैरा 12 में लिखा गया है कि उपलब्धियों के बावजूद हम गरीबी पर काबू नहीं पा सके, स्वच्छ पेयजल, आवास, प्राईमरी शिक्षा एवं समाज सेवा तथा सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, वहीं यह भी लिखा गया है कि अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग और ग्रामीण महिलाओं के लिए निरक्षरता अभिशाप है। लाखों युवक-युवतियां बेरोजगार हैं। जनसंख्या विस्फोट को रोकने की जरूरत है। हम यह भी बताना चाहते हैं कि निश्चित तौर पर इसमें जो कार्यक्रम लिखे गये हैं, वे बहुत ही उचित हैं लेकिन लाखों युवकों को जहां रोजगार देने की बात है, उसके बारे में स्पष्ट नहीं लिखा गया है। इसलिए हम चाहेंगे कि सरकार कोई स्पष्ट नीति का निर्धारण करे ताकि जो युवक रोजगार के अभाव में रास्ता भटक रहे हैं, वे न भटकने पायें। उन्हें सही रास्ते पर ले जाने के लिए कोई स्पष्ट नीति बननी चाहिए।

जहां तक इसमें विकास की चर्चा की गई है। हम आपसे बताना चाहते हैं कि विकास के लिए केन्द्र सरकार राज्यों को पैसा देती है। हम किसी राज्य पर टीका-टिप्पणी नहीं करना चाहते लेकिन जिस ढंग से राज्यों का संचालन होता है, उसी ढंग से विकास की गति चलती है। जहां तक हमारे बिहार राज्य का सवाल है, हम अन्य किसी योजना पर नहीं कहना चाहते लेकिन स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से या सांसदों के माध्यम से जो दो करोड़ रुपए क्षेत्र में खर्च किये जाते हैं, उनमें 25 परसेंट की कटौती सरकारी पदाधिकारी कर लेते हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, आप हमें कल से बैठाकर रख हुए हैं और हम एक अनुशासित विद्यार्थी की तरह बैठे हुए हैं। आप हमें कम से कम बोलने तो दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त करिये।

श्री प्रभुनाथ सिंह : हम बताना चाहते हैं कि उस पैसे का सही ढंग से उपयोग नहीं हो पाता है। इसलिए यदि केन्द्र सरकार विकास के लिए चिन्तित है तो उसे कोई स्पष्ट नीति बनानी पड़ेगी जिससे विकास की गति बढ़ सके और गावों का विकास हो सके।

किसानों के लिए बंजर भूमि विकास, कृषि ऋण पद्धति आदि की बहुत चर्चा की गई है। हम बताना चाहते हैं कि गावों में किसानों को जो ऋण मुहैया कराया जाता है, उसमें उन्हें बहुत परेशानी होती है। किसानों को उरर्वक, बीज सही समय पर नहीं मिल पाते। इसलिए किसानों के हित में एक मजबूत कानून बनाना चाहिए। आज किसान काफी परेशान हैं। सरकार ने खास तौर से डीजल का दाम बढ़ाया है, हमने उस दिन सदन में कहा था कि डीजल के दाम बढ़ाने से छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों और मजदूरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हम आज भी मानते हैं कि वह परेशानी दूर होने वाली नहीं है। इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि वह इस पर गंभीरता से चिंतन करे और डीजल के दाम घटाए ताकि किसान परेशानी से बच सके।

श्री राजेश पायलट (दौसा) : महोदय, कल जब मैंने यह मामला उठाया कि मंत्री ने सदन को यह वचन दिया है कि वे सदन में जाएंगे, तब आपने कहा था कि आप आज इस पर निर्णय देंगे।

अध्यक्ष महोदय : कल मैंने कहा था कि मैं कार्यवाही वृत्तांत देखूंगा।

श्री राजेश पायलट : महोदय, आज इस सत्र का अंतिम दिन है। आपने कल वचन दिया था। मैं नियमों से बाहर नहीं जा रहा हूं। आपने कहा है कि आपको समय चाहिए और आप आज निर्णय देंगे। आप कार्यवाही वृत्तांत देख सकते हैं। जब, आप सरकार से आज वक्तव्य देने के लिए कह सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : कल, मैंने कहा था कि मैं कार्यवाही वृत्तांत देखूंगा।

श्री राजेश पायलट : वह भी उसी बात की प्रार्थना कर रहे हैं।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अभिभाषण के पैरा 37 में, संविधान में संशोधन के संबंध में लिखा गया है। हम कहना चाहते हैं कि जिस दिन संविधान बना था, उस दिन की परिस्थिति के अनुरूप बना था। आज उसमें निश्चित तौर पर संशोधन की आवश्यकता आ गई है। इसलिए राष्ट्रीय पैमाने पर अच्छे लोगों की एक कमेटी, जिसमें सिर्फ एयर कंडीशन कमरों में बैठने वाले लोग न हों बल्कि ऐसे लोग भी हों जो गांव की पीड़ा को महसूस करते हों, बनाकर निश्चित रूप से संविधान में संशोधन की आवश्यकता आ पड़ी है।

बहुत से सदस्यों ने कहा है कि यह सदन पांच वर्षों के लिए चले ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब समाप्त कीजिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह : कुछ सवाल आए हैं, हम उन सवालों का जवाब देंगे। ... *(व्यवधान)*

हम चाहते हैं कि सदन की अवधि पांच साल तक निश्चित तौर पर फिक्स करनी चाहिए।

पैरा 40 में चुनाव सुधारों की चर्चा की गई है। चुनाव में बहुत लोग उम्मीदवार हुए हैं और कहीं न कहीं से जीतकर आते हैं। जिन राज्यों में उम्मीदवार के पक्ष में सरकार होती है, वे तो आनन्द से दिल्ली तक पहुंच जाते हैं लेकिन जिन उम्मीदवारों के विपरीत सरकार होती है, सच पूछिए, उसकी चुनाव लड़ने में रीढ़ की हड्डी भी टूट जाती है। हम बिहार से चुनाव लड़कर आए हैं। चुनाव आयोग की भूमिका चुनाव में उसी तरह की हो जाती है जैसे हमारे यहां फुहार के महीने में जब पिंड दान होता है तो जो पूर्वज मरते हैं उनके लिए उस समय कौवे को खिलाने के लिए कटोरी में दूध और भात ले जाते हैं लेकिन अन्य दिनों में यदि कौवा सिर के सामने बोले तो लोग ईंट उठाकर मारते हैं। उसी तरह चुनाव आयोग की भूमिका होती है। चुनाव के दिनों में हम टेलीफोन करते हैं, फैक्स करते हैं लेकिन कोई उठाने वाला नहीं होता। चुनाव आयोग मनमानी करता है और मनमाने निर्देश जारी करता है। इसलिए चुनाव आयोग पर भी अंकुश लगाने की जरूरत होगी। ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त कीजिए। बहुत समय हो गया है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : भ्रष्टाचार के संबंध में लिखा गया है कि भ्रष्टाचार के लिए सी०बी०आई० को संवैधानिक दर्जा देने हेतु एक विधेयक बनाया जाएगा। हम कहना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में सरकार समझौता नहीं करेगी, यह बात तय है लेकिन ... *(व्यवधान)* हम बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे हैं, कम से कम सुन लीजिए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब आपको समाप्त करना है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : बोफोर्स का मामला इस सदन में कई दिनों से चल रहा है। कहा जा रहा है कि पैरा 2 में राजीव गांधी जी का नाम जो डाल दिया गया है, उसे सरकार को निकाल देना चाहिए। हम बताना चाहते हैं कि पैरा 2 मृत या फरार अभियुक्तों के लिए ही बनाया गया है। सरकार को निकालने का अधिकार है, इसमें कोई दो मत नहीं है लेकिन यदि सरकार निकालेगी तो वहां-वहां जांच पदाधिकारियों का मनोबल गिरेगा वहीं न्यायालय में हस्तक्षेप की बात भी उठ जाएगी। मणि शंकर अय्यर जी ने एक बात उठाई थी। मृतक को न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। हम यह बता देना चाहते हैं कि न्यायालय में मृतक को भी अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार है। एक बार पटना उच्च न्यायालय ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्लीज आप बैठ जाइये। आप समाप्त करिये। आप समाप्त करेंगे कि नहीं करेंगे ?

*(व्यवधान)**

श्री प्रभुनाथ सिंह : हमारी बात सुनी तो जाये, हम बता रहे हैं।

एक बात हम यह बताना चाहते हैं कि एक बार पटना उच्च न्यायालय में एक मृतक के पुत्र ने मुकदमा किया, रिट याचिका दायर की और उसने कहा कि चूंकि हमारे पिता मर गये हैं और हमें कानूनी बात कहने में कठिनाई हो रही है, इसलिए हमको अधिकार दिया जाये, ताकि हम अपनी बात कोर्ट के सामने रख सकें। पटना उच्च न्यायालय ने अपना जजमेंट किया, जिसमें लिखा कि मृतक का निकट सम्बन्धी जो भी हो, वह एक हलफनामा देकर अपनी बात न्यायालय में कह सकता है। इस पर दूसरा पक्ष सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी उच्च न्यायालय के फैसले पर मोहर लगाई। यह मुकदमा पटना उच्च न्यायालय में वर्ष 1987-88 में दायर हुआ था।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये, प्लीज।

श्री प्रभुनाथ सिंह : इसलिए यह कहना कि मृतक को न्यायालय में अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है, यह बात गलत है। पटना उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट का इस सम्बन्ध में फैसला है। यदि आप चाहेंगे तो उस फैसले की कापी सदन में लाकर मैं प्रस्तुत कर दूंगा।

आप समय नहीं देते हैं, इसलिए हम बैठ जाते हैं। समय देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री जे०एस० बराड़ (फरीदकोट) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के ऊपर आए धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया है। मैं इसलिए भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जब इस उच्च पद पर अपना स्थान ग्रहण किया, उस दिन आपने अपने भाषण में कहा कि आने वाले समय में आप बैक-बैंचर्स के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देंगे। आपने उस पर अमल किया है, इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं सदन का थोड़ा समय ही लूंगा, क्योंकि हमारी लीडर हाउस में मौजूद हैं, उन्हें बोलना है।

सबसे पहले मैं जो कारगिल के मुद्दे के ऊपर राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में बात कही गई है, उससे अपनी बात की शुरूआत करना चाहता हूं। सारे देश में यह प्रभाव दिया गया कि कारगिल के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा शानदार रोल अदा करके मुल्क को जीत दिलवाई है। मुझे एक बात याद आती है। मुझे श्री अटल बिहारी वाजपेयी की किताब, जो उनके संसद में 40 वर्ष से सम्बन्धित है, मुझे पढ़ने का मौका मिला। उसमें एक वर्णन आया है कि 1971 की जंग में हिन्दुस्तान ने श्रीमती इन्दिरा गांधी की अगुवाई में देश, हिन्दुस्तान और दुनिया का एक बहुत बड़ा कार्य किया। श्री अटल बिहारी वाजपेयी की किताब लिखने वाले डा० एम०एम० घटाटे ने लिखा है कि हम वाजपेयी जी के साथ ग्वालियर जा रहे थे, उन्होंने वाजपेयी जी से कहा कि इन्दिरा गांधी अब जल्दी चुनाव करवाएंगी। उस वक्त तो वाजपेयी जी चुप रहे और जब ग्वालियर की आम सभा में प्रधान मंत्री जी बोले तो उन्होंने यह कहा कि शहीदों की चिताओं पर और उनकी कुर्बानियों पर किसी को रोटियां सेंकने की इजाजत नहीं दी जायेगी। इस सरकार ने कारगिल के मुद्दे पर राजनैतिक रोटियां सेकी हैं और शहीदों का अपमान किया है। ... *(व्यवधान)* अब सुन

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

लीजिए, हमने आप सब को सुना है। प्लीज बैठिये। ...*(व्यवधान)* आज इस सदन में उन परिवारों को, जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है, कारगिल और द्रास में शहादतें दी हैं, किसी उर्दू के शायर का कथन मुझे याद आता है :

> जिस घर से कोई मकतल में गया, वह शान सलामत रहती है,
> इस जां की तो कोई बात नहीं, यह जां तो आनी जानी है।

रात्रि 9.00 बजे

बहुत बड़ी कुर्बानियां उन्होंने की है और सारा मुल्क उनका आभारी है। होम मिनिस्टर जी यहां बैठे हैं, मैं दरख्वास्त करूंगा कि उन परिवारों को सिलाई मशीनें देने की राजनीति न करें, उच्च प्राथमिकता के ऊपर, जितनी भी प्राथमिकता और डिस्क्रिशन हिन्दुस्तान की सरकार के पास है, वह उन परिवारों को मिलना चाहिए। ...*(व्यवधान)* मुझे इस बात का अफसोस है कि एक तरफ प्रजातंत्र का जश्न मनाया जा रहा था, भारत की सरकार बन रही थी, दूसरी तरफ हमारे पड़ौसी देश पाकिस्तान में, जहां हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री लाहौर डिक्लेरेशन और बस लेकर गए और सारी दुनिया में यह प्रभाव देने की कोशिश की कि इन दोनों मुल्कों का डिस्टेंस कम हो गया है, लेकिन जब वहां लोकतंत्र और प्रजातंत्र का कत्ल हुआ, वहां के चुने हुए प्रधान मंत्री को गद्दी से उतार दिया गया, तब सारी दोस्ती को भुलाकर हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री ने और भारतीय जनता पार्टी ने वहां लोकतंत्र की बहाली के लिए कुछ नहीं कहा। इससे बड़ी शर्म की बात और कोई नहीं हो सकती।

मैं अब अहम मुद्दे पर आना चाहता हूं। इस देश को 21वीं सदी में ले जाने वाले आदरणीय नेता, स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जिनका नाम बोफोर्स के मुद्दे पर उछाला जाता रहा है, वह दुनिया से चले गए। दुनिया में शायद यह पहली सरकार होगी जिसने अपने महान सपूत, जिनको भारत रत्न मिला हो, उनका भी नाम चार्जशीट में डाल दिया है। मुझे याद है वाजपेयी जी ने इस सदन में जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी तो अपने आबीचुरी रेफरेंस में एक बात कही थी, जिसको मैं कोट करना चाहता हूं।

> "इससे बड़ा बलिदान इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता जो राजीव गांधी ने किया है। आने वाली पीढ़ियां इस बात के लिए गर्व करेंगी कि राज में होते हुए हम विपक्ष में थे। एक दिन मैं बड़ा बीमार था तो राजीव जी उसी वक्त मेरे घर आए और मेरे से पूछा तथा मेरे विदेश जाने का इंतजाम केवल एक दिन में कर दिया।"

एक तरफ तो सैंगेसिटी आफ पोलिटिक्स है और दूसरी तरफ जब इनसान न हो, उसका नाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजनीतिक कारणों से बोफोर्स की चार्जशीट में शामिल कर दिया, जिनका कि कहीं किसी करप्शन में नाम नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कहते थे—कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। आडवाणी जी, आपके नारे थे तलवार निकालो म्यान से, मंदिर बनेगा शान से। जो मांगेगा बाबरी, उसका दिन होगा आखिरी। हिन्दुओं को जगाओ, मुसलमानों को भगाओ। ये तकरीरें करके आपने इस देश की राजनीति में जहर घोला है। इस देश को कम्युनल पॉलिटिक्स में बांट दिया है। आज कहां है मंदिर, आज मंदिर को बनाने वाले कहां गए ? श्री एल०के० आडवाणी जी की दस हजार किलोमीटर की रथ यात्रा को मैंने देखा है। इस रथ यात्रा ने देश को बांट दिया। आने वाली पीढ़ियां कभी आपको मुआफ नहीं करेंगी।

अध्यक्ष जी, मैं एक बात और कहकर समाप्त करूंगा। पंजाब के मुद्दों पर मैं कुछ कहना चाहता हूं। वहां वित्तीय संकट है। भारतीय जनता पार्टी कभी कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगाती थी कि पंजाब को चंडीगढ़ दो, पानी दो। मेरे मित्र मान साहब ने यह मुद्दा तो उठाया है, लेकिन सही तरीके से नहीं उठाया। आपरेशन ब्लू स्टर के वक्त अकाली दल के नेता टोहरा और बादल इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस पर इसका इल्जाम लगा दिया है।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल राज्य बनाने की बात कही गई है। उत्तरांचल के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ऊधमसिंह नगर के लोगों की जो भावना है, वहां की 327 में से 300 पंचायतों ने प्रस्ताव पास करके कहा है कि उत्तर प्रदेश में ही रहना चाहते हैं, हम उधर नहीं जाना चाहते, इसको ध्यान में रखना चाहिए। यह एक अहम मुद्दा है।

इन्हीं लफ्जों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, श्रीमती सोनिया गांधी बोलेंगी। परंतु, उससे पहले, मैं सोचता हूं कि आज का कार्य समाप्त होने तक सदन का समय बढ़ाने के संबंध में सदन में सहमति बन जाएगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब, श्रीमती सोनिया गांधी बोलेंगी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानन्द मंडल (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। इस सदन में पिछड़ी जातियों के बारे में चर्चा नहीं हुई है। राष्ट्रपति जी के धन्यवाद प्रस्ताव में इसकी चर्चा नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है। कृपया आप बैठ जाइए। ऐसे अन्य सदस्य भी हैं जिन्हें बोलने का मौका नहीं मिला है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री मंडल, कृपया आप बैठ जाइए। इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, संसदीय कार्य मंत्री क्या कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : श्री मंडल, कृपया आप बैठ जाइए। इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वे एन०डी०ए० का प्रतिनिधित्व करते हैं ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मंडल जी, आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट : क्या हम जान सकते हैं कि उनका संबंध किस पार्टी से है ? क्या वे स्वतंत्र सदस्य हैं ? क्या उनकी कोई पार्टी है ?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : उनका संबंध किस पार्टी से है ? *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री मंडल, कृपया आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मंडल जी, यह अच्छी बात नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं। आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री के० फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति महोदय को धन्यवाद देता हूं, परंतु साथ ही मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव का स्पष्ट रूप से विरोध करता हूं क्योंकि राष्ट्रपति का अभिभाषण इस सरकार का नीतिगत वक्तव्य है। मैं केवल दो-तीन मुद्दों का ही जिक्र करना चाहता हूं।

जहां तक कृषि क्षेत्र का संबंध है, मैं इस सरकार द्वारा अपनाई जा रही नीतियों, पिछली सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों और कांग्रेस सरकार द्वारा 1991 में शुरू की गई नीतियों का उल्लेख करना चाहता हूं। तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री पी०वी० नरसिंह राव ने उदारवाद की नीति को आरंभ किया था। मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक केरल का संबंध है, मेरा राज्य रबड़ के गिरते मूल्य के कारण कठिनाई का सामना कर रहा है। राज्य की अर्थव्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। छोटे, मध्यम और अत्यंत छोटे किसान, विशेषकर रबड़ उत्पादक किसान, भीषण संकट का सामना कर रहे हैं।

यह सरकार स्वदेशी को आधार बनाकर सत्ता में आयी। परंतु, आज हम यह देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली यह सरकार आर्थिक नीतियों के संबंध में कांग्रेस पार्टी से आगे निकलने की कोशिश कर रही है। इससे केरल राज्य तथा केरल के छोटे किसान प्रत्यक्षत: प्रभावित हुए हैं।

श्री पी०सी० थामस ने केरल के रबड़ उत्पादक किसानों के बारे में कहा। 1991 से पहले की स्थिति ऐसी थी कि वित्त विभाग का लागत और लेखा अनुभाग रबड़ की खेती से संबंधित व्यय का अध्ययन करने तथा हर वर्ष न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने का कार्य किया करता था। परंतु, अब न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने की कोई व्यवस्था नहीं है। उसे वर्ष 1991 के बाद समाप्त कर दिया गया।

उस स्थिति को बहाल करना होगा। प्रत्येक वर्ष, वित्त विभाग को रबड़ की खेती और रोपाई में होने वाले व्यय और लागत का अध्ययन करना चाहिए। न्यूनतम मूल्य का निर्धारण किया जाना चाहिए। जब बाजार में मूल्य न्यूनतम मूल्य से कम हो जाता है, तब राज्य व्यापार निगम को इस संबंध में हस्तक्षेप करके न्यूनतम मूल्य पर रबड़ खरीदना चाहिए। अब, केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य की ही व्यवस्था है। वह अनिवार्य नहीं है। केन्द्र सरकार के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंदर खरीदारी करने का कोई शासनादेश नहीं है। परंतु यदि न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जाता है, तो केन्द्र सरकार न्यूनतम मूल्य के अंदर रबड़ खरीदने के लिए बाध्य है। केवल तब, इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। अत:, यह अत्यधिक आवश्यक और महत्वपूर्ण है कि केन्द्र सरकार रबड़ के संबंध में 1991 से पहले की स्थिति बहाल करे। राज्य की अर्थव्यवस्था को बचाना है और किसानों को संभालना है। मैं एक ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं जहां लगभग सभी नगदी फसलों की खेती की जा रही है। केन्द्र सरकर की नीतियों के कारण उन नगदी फसलों तथा उस क्षेत्र के किसानों को अत्यधिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। तत्कालीन वाणिज्य मंत्री श्री हेगड़े द्वारा घोषित की गई आयात-निर्यात नीति का सभी नगदी फसल उत्पादक किसानों पर सीधा प्रभाव पड़ने जा रहा है क्योंकि नगदी फसलों के खुले आयात से इलायची, काली मिर्च, चाय इत्यादि जैसी नगदी फसलों का मूल्य निश्चित रूप से कम होने जा रहा है। इन सभी फसलों पर प्रभाव पड़ने वाला है। इसलिए, जहां तक पिछली कांग्रेस सरकार और वर्तमान सरकार की आर्थिक नीतियों का संबंध है, मेरे निर्वाचन क्षेत्र और राज्य पर सबसे अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अत:, मैं यह मांग करता हूं कि इन नीतियों की समीक्षा की जाये।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अब, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू०टी०ओ०) का मंत्रिस्तरीय सम्मेलन नजदीक है और उन खंडों की समीक्षा की जानी चाहिए जिन पर हम सहमत हुए हैं तथा जिनका इस देश के कृषि क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। यदि यह किसी भी रूप में संभव है, तो हमें विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू०टी०ओ०) के साथ पुनः बातचीत करनी होगी और उन खंडों को समझौते से हटा लेना होगा।

अल्पसंख्यकों के संबंध में, मैं यह कहना चाहता हूं कि उन पर हमला किया गया है। आपको मालूम है कि हमला कब शुरू हुआ। अब, पोप पर हमला किया जा रहा है और हमारी देशभक्ति पर भी सवाल उठाया गया है। अब, मैं यह कहना चाहता हूं कि हम इस देश में समाज के किसी भी अन्य वर्ग की तुलना में किसी भी रूप में कम देशभक्त नहीं हैं। यदि रोम और नई दिल्ली के बीच कोई राजनीतिक कलह है, तो आपके विचार से हम किसका पक्ष लेंगे ? हम निश्चय ही नई दिल्ली का साथ देंगे, रोम का नहीं। इस संबंध में कोई संदेह नहीं क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं; हमारा जन्म यहां हुआ है; हम यहां रहते हैं और हमारा अंत भी यहीं होने जा रहा है। हम इस देश का एक हिस्सा हैं। इस बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए।

इसाई समुदाय में एक ऐसा वर्ग है जिसे दलित इसाई वर्ग कहा जाता है जिसके अंतर्गत धर्मान्तरित इसाई हैं। लाखों धर्मान्तरित इसाइयों को आरक्षण के लाभ से वंचित रखा गया है। क्या यह उचित है कि किसी व्यक्ति को केवल इस कारण से कि वह किसी विशेष धर्म को अपनाता है, आरक्षण के उन लाभों से वंचित रखा जाए जो इस देश के अन्य सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्रदान किए जा रहे हैं ? यह न्याय नहीं है। यह प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है। उस दिन, हम आरक्षण के बारे में चर्चा कर रहे थे। इन मामलों पर ध्यान दिया जाना चाहिए तथा समय की कमी के कारण, मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं।

मैं आशा करता हूं कि प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री और संबंधित मंत्रीगण इन सभी मामलों पर ध्यान देंगे *(व्यवधान)*

सभी ने कारगिल के बारे में कहा। इस देश के रक्षा मंत्री ने कहा कि इसकी सूचना एक गडेरिये से प्रापत हुई। यह शर्म की बात है कि इस महान देश में आई बी, रॉ जैसी अनेक गुप्तचर एजेंसियों तथा सशस्त्र बलों के विभिन्न गुप्तचर तंत्रों के रहते हुए भी एक गडेरिये से सूचना प्राप्त हुई। यह अत्यंत दुर्भाग्य की बात है। मुझे नहीं मालूम कि आपने उस गडेरिये के लिए क्या किया है। उसे कोई प्रशंसा पत्र या पदक या कोई अन्य पुरस्कार दिया जाना चाहिए क्योंकि उसकी जागरूकता और देशभक्ति के बिना देश गहरे संकट में फंस सकता था।

महोदय, आपने मुझे बोलने का जो अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्रीमती सोनिया गांधी (अमेठी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं डा० विजय कुमार मल्होत्रा द्वारा रखे गए तथा श्री वैको द्वारा समर्थन किए गए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ी हूं।

राष्ट्रपति ने अभिभाषण में अनेक महत्वपूर्ण आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मामलों को महत्व दिया गया है। परंतु, महोदय, इनमें से कुछ मामलों पर बोलने से पहले, मैं यह कहना चाहती हूं कि बोफोर्स आरोप-पत्र पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही तिरस्करणीय है। एक निर्दोष व्यक्ति को बिना किसी साक्ष्य के दोषी ठहराया गया है। प्रत्येक भारतीय को आरोपों से स्वयं को बचाने का जो अधिकार प्रदान किया गया है, वह अधिकार मेरे पति राजीव जी से छीन लिया गया है। इस सरकार ने सिर्फ राजनीतिक कारणों से ही ऐसा किया है। इस सरकार ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से यह कार्य किया है। इस सरकार ने प्रतिशोधात्मक रूप से कार्य किया है। मैं दुहराना चाहती हूं कि बोफोर्स जांच अवश्य चलनी चाहिए; दोषी व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें दण्डित किया जाना चाहिए; कानून को अपना कार्य करना ही चाहिए। परंतु, जो बात हम सहन नहीं करेंगे, वह एक ऐसे निर्दोष व्यक्ति पर आरोप लगाने से संबंधित है, जो आज अपना बचाव करने के लिए यहां उपस्थित नहीं है।

महोदय, हम अपने दिवंगत नेता के सम्मान के लिए संघर्ष करते रहेंगे। हम अपने पास उपलब्ध समस्त मंचों तथा अपने देश की जनता को साथ लेकर संघर्ष करेंगे। तथापि, हमारे देश का हित हमारी प्राथमिकताओं की सूची में सबसे ऊपर है। हम शासन में बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। जहां हमारा सहयोग मांगा जाएगा, वहां हम मुद्दों पर विचार-विमर्श करके सहयोग करेंगे। परंतु, मैं यह स्पष्ट रूप से कहती हूं कि आम सहमति तैयार करना और उसे बनाए रखना केवल विपक्ष की ही जिम्मेदारी नहीं है।

महोदय, कुछ ऐसे मामले हैं जिन्हें मैं विस्तार से बताना चाहती हूं। हम राष्ट्रपति के अभिभाषण में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों पर अधिक जोरदार और व्यापक चर्चा करना पसंद करते हैं। आर्थिक सुधार का मूलतत्व निर्धनता की शीघ्र समाप्ति और रोजगार का तेजी से सृजन है। निर्धनता-उन्मूलन तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में निवेश को सार्थक रूप से बढ़ाने की आवश्यकता है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा मानना है कि निर्धनता उपशमन और ग्रमीण विकास की सभी केन्द्रीय निधियों को बिना किसी और विलम्ब के निर्वाचित पंचायत निकायों को सीधे हस्तांतरित कर दिया जाना चाहिए।

महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण में जनसंख्या की समस्या के बारे में थोड़ी सी चर्चा की गई है। हमारी जनसंख्या विशेषकर उत्तर भारत की जनसंख्या की वृद्धि को व्यवस्थित करने के लिए सशक्त और दृढ़ प्रयास करने की आवश्यकता है। महिला साक्षरता में वृद्धि, महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने, जन वितरण प्रणाली के माध्यम से पोषण और खाद्य सुरक्षा के प्रावधान, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार तथा एक नवीन संचार अभियान प्रजनन में कमी करने के कार्य में महत्वपूर्ण योगदान करेंगे। इन पर पूर्ण ईमानदारी से अनुसरण किया जाना चाहिए।

महोदय, हमारा विश्वास है कि आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा हमारे सपनों के भारत का निर्माण करने का महत्वपूर्ण साधन है। मैं "आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक" शब्द पर जोर देती हूं। शिक्षा से हमें बीते समय का गुलाम नहीं बनना चाहिए। इससे कुप्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। इससे विरोध की प्रवृत्ति नहीं बढ़नी चाहिए। शिक्षा से बौद्धिक क्षमता बढ़नी चाहिए। इससे ज्ञान की

[श्रीमती सोनिया गांधी]

सीमा का विस्तार होना चाहिए। इसे व्यक्ति को संवेदनशील, उदार और निष्पक्ष बनाना चाहिए।

राजीव गांधी की 1986 की नयी शिक्षा नीति का भी यही उद्देश्य था। वह नीति आज भी प्रासंगिक है। हमारी चिन्ता इस बात की है कि प्रधान मंत्री के आश्वासनों के बावजूद हमारे शिक्षा संस्थाओं के भगवाकरण के प्रयास निर्बाध रूप से जारी हैं।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर (भीलवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या पढ़ने की अनुमति है? ... *(व्यवधान)*

श्रीमती सोनिया गांधी : महोदय, कांग्रेस सरकार ने 1995 में एक नवीन राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम शुरू किया था जो वृद्ध व्यक्तियों, विकलांगों और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों पर केन्द्रित था। हमारा आग्रह है कि सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रारंभ की गई इन योजनाओं और कार्यक्रमों को जारी रखा जाए तथा इनके लिए पर्याप्त निधियों की व्यवस्था की जाए।

महोदय, हमारे युवाओं को नयी दृष्टि प्रदान करने की आवश्यकता है। हमारे युवाओं को एक नयी उद्देश्यपरक भावना प्रदान करने की आवश्यकता है और मुझे यह देखकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस देश के युवाओं के संबंध में एक व्यापक कार्यक्रम की बात कही गई है। परंतु मुझे हमारे बच्चों, विशेषकर उन बच्चों के कल्याण की अत्यधिक चिन्ता है जिन्हें काम करने के लिए बाध्य किया जाता है, जो अनाथ हैं और जिनका शोषण किया जाता है।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर : महोदय, उन्हें इटालवी भाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, विपक्ष की नेता बोल रही हैं। बाधा उत्पन्न करना ठीक नहीं है। कृपया आप बैठ जाइये।

श्रीमती सोनिया गांधी : महोदय, बच्चों में किया जाने वाला निवेश भविष्य के लिए किया जाने वाला निवेश है। हमने अपने घोषणा-पत्र में उनके कल्याण के लिए कई कार्यक्रमों और योजनाओं को महत्व दिया है। मैं सरकार से इनपर विशेष ध्यान देने का आग्रह करती हूं।

महोदय, हम दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण को सर्वाधिक महत्व देते हैं। अनेक दलित संगठनों ने मुझसे मुलाकात की है और इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए वर्तमान आरक्षण का कार्यान्वियन प्रशासनिक परिपत्रों और व्याख्याओं के अध्यधीन है। इससे चिन्ता और संदेह की स्थिति उत्पन्न हुई है। अपने घोषणा-पत्र में, हमने एक अलग आरक्षण अधिनियम का सुझाव दिया है जो सभी वर्तमान आरक्षणों और उनके कार्यान्वियन को संहिता-बद्ध करेगा। पूर्व में, कांग्रेस सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों के लिए अनेक वित्त और विकास निगमों की शुरूआत की थी, परंतु हम पाते हैं कि इन निगमों के लिए निधियों के प्रावधान में अत्यन्त कमी कर दी गई है।

महोदय, हमें राष्ट्रपति के अभिभाषण में अल्पसंख्यकों के लिए कुछ कार्यक्रमों का उल्लेख किए जाने की आशा थी। यहां फिर से, हमारा मानना है कि शिक्षा उनकी स्थिति में सुधार करने तथा उन्हें शक्तियां प्रदान करने का महत्वपूर्ण साधन है। राष्ट्र इस संबंध में पुनः आश्वासन प्राप्त करना चाहता है कि सरकार उपासना स्थल अधिनियम, 1991 के प्रति वचनबद्ध है। सभी राजनीतिक दलों से मेरा यह भी आग्रह है कि वे सार्वजनिक जीवन के सभी क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के संबंध में आम सहमति तैयार करें।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस तथ्य पर गर्व किया गया है कि साम्प्रदायिक दंगों की घटनाओं में कमी हुई है।

एक दृष्टिकोण यह है कि ऐसी इसलिए होता है क्योंकि सर्वप्रथम जो उनके लिए जिम्मेदार हैं, वे ही सत्ता में हैं। परंतु हम उस बात को अलग रखें।

हम कुछ धर्मान्ध संगठनों द्वारा फूट डालने तथा आतंक फैलाने के बारे में चिंतित हैं, जिससे कि पार्टी सत्ता में बनी रहे। हम सरकार की इस बात के लिए निन्दा करते हैं कि उसने उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की।

महोदय, विविधता की वजह से ही हमारा अस्तित्व है। अब इसका उपयोग हमें विभाजित करने के लिए किया जा रहा है। *(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट : यह ठीक नहीं है। आडवाणी जी को इसे नोट करना चाहिए *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कृपया नहीं।

श्री राजेश पायलट : इस समय वह सभा के नेता हैं *(व्यवधान)* यह ठीक नहीं है। ... *(व्यवधान)*

श्रीमती सोनिया गांधी : हमारी कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी। हम अपनी धर्म-निरपेक्ष विरासत को नष्ट नहीं होने देंगे।

महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण में संविधान पर पुनर्विचार के लिए एक आयोग गठित करने के बारे में कहा गया है। मेरे विचार से 26 जनवरी 2000, संविधान को अपनाने की 50वीं वर्षगांठ है। इसलिए यह अवसर संविधान को बिगाड़ने का नहीं, बनाने का अवसर है। संविधान ने प्रतिनिधित्व प्रदान करने वाले लोकतंत्र की आधारशिला को मजबूत किया है। अतः हमें इस बहुमूल्य विरासत को गंवाना नहीं चाहिए। इस पुनरिक्षण को एक अन्य छिपी कार्य सूची के लिए नहीं बनने देना चाहिए।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में लोक सभा तथा विधान सभाओं के लम्बे कार्यकाल को सुनिश्चित करने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। हर तरह से इन्हीं प्रस्तावों पर बहस करें। आइए नहीं पर विचार करें परन्तु स्थिरता के नाम पर हमें अपने देश के लोगों के मूल लोकतान्त्रिक अधिकारों को नहीं छीनना चाहिए।

महोदय, इस तथ्य विशेष को जानकर मुझे और भी खुशी हुई है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में सूचना प्रौद्योगिकी पर इतना जोर दिया

गया है। मुझे याद आता है कि जब राजीव गांधी ने भारत को सर्वप्रथम कम्प्यूटर और सूचना युग में प्रवेश कराया तो उन्हें बहुत दुःख पहुंचा। उनका वाकई उपहास किया गया था और मज़ाक उड़ाया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि कल के आलोचक आज के विजेता बन गए हैं।

महोदय, हम आणविक और प्रक्षेपास्त्रों के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए अपने वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों को बधाई देते हैं। उतरोत्तर कांग्रेस सरकारें ही इसके लिए जिम्मेदार रही हैं और यही एक ऐसा तथ्य है जिसे सरकार को कम से कम एक बार तो मान लेना चाहिए।

महोदय, हमें अपने क्षेत्र में आणविक और प्रक्षेपास्त्र युद्ध के खतरों को कम करने के लिए विश्वास जगाने वाले आणविक सिद्धान्त पर अर्थात् आणविक शस्त्र रहित विश्व के निर्माण के प्रति भारत के दृष्टिकोण पर पूरी बहस कराने की आवश्यकता है। सी०टी०बी०टी० के संबंध में कोई निर्णय लेने से पहले एक राष्ट्रीय आम सहमति पर पहुंचना महत्वपूर्ण है। मुझे पूरी आशा है कि सरकार कारगिल पुनरीक्षण समिति के निष्कर्षों से हमें अवगत करायेगी। कारगिल से संबंधित ऐसे अनेक प्रश्न हैं जिनका उत्तर अभी मिलना बाकी है। देश को इस बारे में जानकारी प्राप्त करने का हक है।

सीमा पार होने वाले आतंकवाद से कड़ाई से निपटते हुए, मैं समझती हूं कि हमें पाकिस्तान के साथ शिमला समझौते के आधार पर बातचीत और कूटनीति करनी चाहिए।

महोदय, अंततः हम लोगों द्वारा दिए गए फैसले का आदर करते हैं। हम पूरी जिम्मेदारी और गरिमा सहित इसका निर्वाह करेंगे। जब कभी हमारे सहयोग की आवश्यकता होगी तो हम सरकार के साथ सहयोग करेंगे।

मैं इस अवसर पर आप सबको दीवाली मुबारक कहना चाहता हूं।

रात्रि 9.35 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

उड़ीसा के समुद्रतटीय जिलों में आये तूफान के कारण हुआ नुकसान

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि उड़ीसा में आए समुद्री तूफान के बारे में मैं पहले बोलूं या इस बहस का जवाब पहले दूं।

अनेक माननीय सदस्य : उड़ीसा में आए तूफान का मामला पहले लिया जाये।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, मुझे जो भी जानकारी मिली है वह मंत्रिमंडलीय सचिवालय से मिली है। आज सुबह 10.30 बजे से 12.30 के बीच उड़ीसा में एक भीषण समुद्री तूफान जिसे सुपर साइक्लोनिक स्टोर्म कहते हैं आया जिससे भारी क्षति हुई। भयंकर तीव्रता वाले इस तूफान का केन्द्र पाराद्वीप तट था। इस तूफान का क्षेत्र बहुत अधिक था और कुछ स्थानों में 260 किलोमीटर प्रति घण्टे की रफ्तार से हवाएं चली।

उड़ीसा के नौ तटीय जिले और तीन साथ जुड़े जिले बुरी तरह प्रभावित हुए। राज्य सरकार से प्राप्त प्रारंभिक रिपोर्टों के मुताबिक इस तूफान से भारी क्षति हुई। इसमें बहुत सी जानें जाने की आशंका है। लगभग डेढ़ करोड़ लोग प्रभावित हुए। इससे मकानों को हुई क्षति लाखों में जायेगी। इमारतों के क्षतिग्रस्त होने तथा पेड़ों के गिरने के कारण नगरों तथा ग्रामों में आना जाना लगभग मुश्किल हो गया। पुरी, जगतसिंहपुरा तथा केन्द्रपाड़ा जिलों का सम्पर्क टूट गया। उत्तर से पुरी तक कटक और भुवनेश्वर सहित सभी तटीय कस्बे अन्धकार में लीन हो गए। विद्युत की सप्लाई, पानी की आपूर्ति तथा दूरसंचार सुविधायें सब में गतिरोध उत्पन्न हुआ।

चूंकि सभी तटीय जिलों में तीव्र हवायें तथा भीषण वर्षा अभी भी हो रही है अतः हुई क्षति का पूरा मूल्यांकन सर्वेक्षणों के बाद ही सम्भव होगा जो कल से शुरू होंगे। भारत के मौसम-विज्ञान विभाग से 26 अक्टूबर को प्रथम सूचना प्राप्त होने पर कि चक्रवाती तूफान आने की आशंका है, राज्य अधिकारियों से मन्त्रिमंडलीय सचिव और कृषि सचिव जैसे उच्चतम स्तर तक एक नियमित रूप से और नजदीकी सम्पर्क बनाए रखा गया है। सेना और वायु सेना को सतर्क कर दिया गया है ताकि राज्य सरकार को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा सके। पिछले चार दिनों में आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार बुलेटिन, विशेष समाचार बुलेटिनों और एक-एक घण्टे के अन्तराल में प्रसारित होने वाले समाचार बुलेटिनों द्वारा लोगों को सूचना प्रदान की जाती रही हैं। हैलीकाप्टर तैयार रखे गए हैं और वे कल सबेरे से भोजन सामग्री और अन्य आवश्यक सामान गिराना शुरू कर देंगे।

राज्य सरकार ने अन्तिम तीन दिनों के दौरान कार्यवाही करते हुए लोगों को चेतावनी दी और उनकी सुरक्षित स्थानों पर जाने की व्यवस्था की तथा चुनिंदा स्थानों पर आवश्यक वस्तुओं का स्टाक बनाये रखा। खाने के पैकेटों की तैयारी की गयी। कई स्थानों पर सामूहिक रसोई तथा खाने के पैकेटों के वितरण की तैयारी की गई। भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि कृषि विभाग राज्य सरकार द्वारा बताई गई आवश्यकताओं के अनुसार खाद्य सामग्री, आवश्यक दवाओं, पोलिथीन रोल तथा डीजल उत्पादक सेटों की आपूर्ति करेगा।

पड़ोसी राज्यों से भी सहायता सामग्री जुटाई जा रही है। केन्द्रीय विद्युत विभाग को कहा गया है कि वह जितनी जल्दी संभव हो सके राज्य सरकार के अनुरोध प्राप्त होने का इंतजार किए बिना बिजली की आपूर्ति पुनः चालू करने के लिए अधिक से अधिक ई०आर०एस० दल भेजे। भारतीय रेलवे प्रभावित स्थानों तक भोजन और राहत सामग्री निःशुल्क भेजेगी।

हवाई जहाज से प्रभावित इलाकों तक आवश्यक दवाएं कल सुबह से पहुंचाई जाएंगी। सम्बद्ध सरकारी विभाग और सरकारी विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे दिल्ली से किसी औपचारिक अनुरोध प्राप्त होने का इंतजार किए बिना भी राज्य को आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाये। मंत्रिमंडलीय सचिव निरंतर स्थिति पर नजर रखे हुए

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

हैं और राज्य सरकार से निरंतर विचार-विमर्श कर रहे हैं। केन्द्रीय मंत्रीमंडल की भी इस स्थिति पर विचार करने के लिए कल बैठक होगी ताकि इस अभूतपूर्व आपदा द्वारा उत्पन्न चुनौती का मुकाबला करने हेतु पूरी सहायता उपलब्ध करवाई जा सके।

इस पूरी रिपोर्ट के अलावा रक्षा मंत्रालय ने थलसेना, वायुसेना तथा नौसेना से प्राप्त विशिष्ट रिपोर्टें भी मुझे दी हैं। सेना ने इस संपूर्ण कार्रवाई को आप्रेशन 'सहायता' का नाम दिया गया है। यदि सभा इसकी अनुमति दे तो मैं सारा विवरण पढ़ कर सुना सकता हूं। सशस्त्र बलों को, वायुसेना, उनके हैलीकाप्टरों को इसमें लगाया गया है। बहुत से हैलीकाप्टर तैयार रखे गए और इसके अतिरिक्त नौसेना ने बताया है कि उसने उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों के मछुआरों को सहायता उपलब्ध कराई है। तूफान राहत गतिविधि हेतु कई जहाज, अनेक पोत, दो डोरनियर, चार चीता, आई०एन०एस० घड़ियाल तैयार रखे गए हैं।

यह केन्द्रीय सरकार द्वारा अब तक की गई कार्रवाई का संक्षिप्त विवरण है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, इस तूफान से पश्चिम बंगाल भी कुछ हद तक प्रभावित हुआ है *(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मंत्रिमंडल की कल बैठक होगी *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम सरकार द्वारा तुरंत की गई कार्रवाही की प्रशंसा करते हैं। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं ... *(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने यह कहा है कि इस समय उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है। जब उन्हें आवश्यकता होगी, हम उन्हें देंगे ... *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, हमने दूरदर्शन पर सायं को सुना है कि जिला मिदनापुर और जिला 24 परगना प्रभावित हुए हैं परंतु सौभाग्यवश और तुलनात्मक रूप से पश्चिम बंगाल राज्य उड़ीसा जितना प्रभावित नहीं हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार इस दिशा में जो भी उन्होंने कहा है, पूरा प्रयास करेगी और हम इसकी प्रशंसा करते हैं।

श्री के० येरननायडू : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। आंध्र प्रदेश एक पड़ौसी राज्य है। मुख्य मंत्री श्री चन्द्रबाबू नायडू ने उड़ीसा को सभी आवश्यक वस्तुयें, दवाईयां भेजने का निर्णय लिया है। इसी तरह सभा को भी सभी राज्यों से अनुरोध करना चाहिए कि वे उड़ीसा सरकार को अपनी ओर से पूरी सहायता दें क्योंकि केवल केन्द्र या राज्य ही इस स्थिति से उबारने में सफल नहीं हो पायेंगे। इस सभा के माध्यम से हम राज्य सरकारों से अनुरोध करते हैं कि वे उड़ीसा को सहायता प्रदान करें। यही मेरा निवेदन है।

रात्रि 9.43 बजे

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव — *जारी*

[हिन्दी]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद प्रस्ताव की बहस का उत्तर दूं, उससे पहले मैं इस बात का जरूर खेद प्रकट करना चाहूंगा कि आज अस्वस्थ होने के कारण प्रधान मंत्री जी नहीं आ पाए। आज की बहस पर विशेष रूप से वही जवाब देते तो सबसे उपयुक्त होता। आखिर यह नई सरकार बनी है और उस सरकार को जो जनादेश प्राप्त हुआ है, उस जनादेश के प्राप्त होने के कई कारण होंगे। लेकिन इस बात से कोई इंकार नहीं करेगा कि विगत दिनों में देश में श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व के बारे में जो विश्वास पैदा हुआ, उन्होंने जिस प्रकार से पिछले डेढ़ साल में देश का संचालन किया, वह इस जनादेश को प्राप्त करने का प्रमुख कारण है। इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता। इस कारण शायद उपयुक्त होता कि वे ही इस चर्चा का उत्तर देते। आज जितनी बातें कहीं गयी हैं, शायद 30 से अधिक सदस्यों में इस चर्चा में भाग लिया है। स्वाभाविक है कि आलोचना का स्वर भी सुना गया लेकिन कुल मिलाकर मैं मानता हूं कि सारी बहस रचनात्मक थी। जो लोग यह मानते थे कि इतनी पार्टियों का यह समन्वय है, यह स्थिर नहीं होगा, वे भी कहते थे कि हम चाहते हैं कि यह सरकार चले लेकिन हमको लगता है कि नहीं चलेगी। हम चाहते हैं कि वह सरकार चले। मैं मानता हूं कि आम जानता की यही एक प्रमुख इच्छा रही जिस इच्छा के कारण ही यह सरकार बन पाई। मुझे याद है, जिस समय हम अपना घोषणा पत्र तैयार कर रहे थे तो उस घोषणा पत्र में हमने एन०डी०ए० क्यों बनी यह बताते हुए कहा कि :

[अनुवाद]

> "राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन इसलिए अस्तित्व में आया क्योंकि यह एक ऐतिहासिक आवश्यकता थी और हमने महसूस किया कि हमारे यहां लोकतन्त्र को अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है और यह बार-बार होने वाले चुनावों के झटके नहीं सह सकता है, इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों की आस्था खत्म हो जायेगी।"

[हिन्दी]

यह तेरहवां लोक सभा का चुनाव था जो अभी समाप्त हुआ है, भारत को आजाद हुए 50 साल से थोड़े अधिक हुए हैं। पहले चार दशकों में आठ चुनाव हुए। विगत चार दशकों में आठ बार चुनाव हुए जिसका मतलब हर दशक में दो चुनाव। एक दशक में दो चुनाव जो कि नार्मल संविधान की व्यवस्था है। लेकिन 1989 से 1999 तक इस आखिरी दशक में पांच चुनाव हुए। एक दशक में पांच चुनाव होना, स्वाभाविक रूप से इसके कारण भी लोगों के मन में थोड़ी-बहुत चिन्ता होती थी कि यह अस्थिरता कितने दिन चलेगी, क्या चलेगी। यही प्रमुख कारण है जिसकी वजह से उन्होंने इस बार तय किया, क्योंकि पांचों चुनाव में लोक सभा त्रिशंकु थी, जो सरकार बनी थी, वह अल्पमत की सरकार थी। इन पांच चुनावों में पहली बार देश

के मतदाताओं ने ऐसी लोक सभा बनाई है जो त्रिशंकु लोक सभा नहीं है।

संगमा जी यहां उपस्थित नहीं हैं। संगमा जी ने आंकड़े देते हुए समझाने की कोशिश की कि यह भी एक माईनौरिटी गवर्नमेंट है, जो सही नहीं है, वस्तुस्थिति नहीं है। टी०डी०पी० क्योंकि सरकार में नहीं है या लोक दल जो सरकार में नहीं है, उनको गिनकर बता रहे थे कि आपको बहुमत नहीं है। लेकिन उस गिनती में वे गलती कर गए कि अभी तक 543 मैम्बर नहीं चुने गए हैं, अभी तक केवल 538 चुने गए हैं क्योंकि पांच सीटों का चुनाव आज हो गया है लेकिन अभी परिणाम नहीं आए हैं। वे सदस्य हमारे बीच यहां नहीं हैं। जिन 538 सीटों का चुनाव हुआ है, उनमें यदि तेलगु देशम और लोक दल को न भी गिना जाए तो भी इस सरकार को बहुमत प्राप्त है। यह सरकार अल्पमत की सरकार नहीं है। 1998 की वाजपेयी जी की सरकार अल्पमत की सरकार थी। हमारे 252 सदस्य थे। उसके बाद टी०डी०पी० ने हमको पूरा समर्थन दिया। जब तक हमारे एक सहयोगी फरवरी-मार्च के महीने में हमसे अलग नहीं हुए, तब तक हमारी सरकार अनेक बार बहुमत प्रमाणित कर सकी। पिछली बार टी०डी०पी० हमारे सहयोगी थे ही नहीं, चुनाव में भी हम एक-दूसरे के खिलाफ लड़े थे। लेकिन इस बार चाहे टी०डी०पी० हो, चाहे लोकदल हो, वे चुनाव में भी गए तो हमारे सहयोगी दल के नाते और हम श्री वाजपेयी जी को देश का प्रधान मंत्री बनाएंगे, इस नाते गए। पिछले साल की स्थिति और इस बार की स्थिति में यह एक मौलिक अंतर है जिसको पहचानना चाहिए क्योंकि यह जो यदा-कदा चर्चा चलती रहती है कि यह स्थिर रहेगी या नहीं रहेगी, मुझे इसके विपरीत, जब से यानी 13 तारीख से यह सरकार बनी, उसके बाद जितने लोग सरकार के बनने पर बधाई देने आते हैं, वे सब कहते हैं कि यह सरकार पांच साल चलेगी। *(व्यवधान)* तेरह साल हमारे हाथ में नहीं है, चुनाव तो होगा, हम पांच साल बाद चुनाव करेंगे। ...*(व्यवधान)* बहुत धन्यवाद। मैंने इसलिए कहा कि सारी चर्चा में रचनात्मक पुट इतना था कि जो लोग आशंका प्रकट करते थे कि यह भी स्थिर प्रमाणित नहीं होगी, वे भी कहते थे कि हम चाहते हैं कि स्थिर हो, हम चाहते हैं कि पांच साल चले क्योंकि यह देश के हित में है। मैं इंकार नहीं करूंगा कि पिछले पांच सालों में हमको इस बारे जो सफलता मिली है, उसमें एक प्रमुख कारण यह है कि जनता की यह इच्छा है कि हमको स्थिर सरकार चाहिए।

श्री रामदास आठवले : आपके लोग चाहते हैं या नहीं, यह आपको मालूम नहीं है। *(व्यवधान)*

***श्री लाल कृष्ण आडवाणी* :** इस तथ्य को अगर राष्ट्रपति ने स्वीकार न किया होता तो आज हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा नहीं करते होते, हम तो विश्वास प्रस्ताव की चर्चा करते होते। यह एक उल्लेखनीय बात है, जिसका कि नोट होना चाहिए कि 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी प्रधान मंत्री बने और उनको पहले-पहल विश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। उसके बाद नरसिंह राव जी जब 1991 में प्रधान मंत्री बने, तब भी उनको विश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। उसके पश्चात् श्री वाजपेयी जी प्रधान मंत्री बने, उसके बाद श्री देवेगौड़ा जी बने, उसके बाद इन्द्र कुमार गुजराल जी बने। उसके बाद पिछले साल भी जब फिर से अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधान मंत्री बने तो इन सभी अवस्थाओं में चूंकि त्रिशंकु लोक सभा थी, चूंकि माइनोरिटी गवर्नमेंट थी, इसलिए राष्ट्रपति ने उनको कहा कि आपकी सरकार सदन में बहुमत प्राप्त है, यह मैं नहीं मानता हूं। यह आपको प्रमाणित करके दिखाना होगा कि सदन का बहुमत आपके साथ है। दस सालों के बाद पहली बार या कहा जाये कि 1984 के बाद पहली बार एक ऐसे प्रधान मंत्री को देश ने चुना है, एक ऐसी सरकार को इस देश ने चुना है, जिसको विश्वास मत लेने के लिए नहीं आना पड़ा।

संगमा जी ने उसी संदर्भ में मुझे समझाने की कोशिश की कि आपकी पार्टी को लाभ नहीं हुआ। आपकी पार्टी तो 181 पर थी, अब 182 पर है। किसी ने कहा कि आपने एक वोट मांगा था, एक वोट से हारे थे, इसलिए बी०जे०पी० को एक वोट मिल गया।

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : आडवाणी जी, आप उनका संकेत नहीं समझ रहे थे।

***श्री लाल कृष्ण आडवाणी* :** मैं समझ गया, मैं सब समझ गया हूं। मैं तो आपका संकेत 1996 में समझ गया कि 1996 तक भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर, जितनी ताकत बढ़ा सके, बढ़ाये, इस दिशा में लगी रही और 1996 में हम इस स्थान पर पहुंचे कि जहां 1984 में हम केवल दो सीटें प्राप्त कर सके थे, लेकिन 1984 के बाद 1996 तक पहुंचते-पहुंचते हम लोक सभा की सबसे बड़ी पार्टी बन गये। सबसे बड़ी पार्टी के नाते ही उस बार वाजपेयी जी को प्रधान मंत्री बनाया गया। इस नाते नहीं कि उनको बहुमत प्राप्त है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, इस नाते उनको राष्ट्रपति ने आमंत्रित किया और सरकार बनाई। सरकार बनाने के बाद शिव सेना, जो चुनाव में हमारी सहयोगी थी और अकाली दल जो चुनाव में हमारी सहयोगी नहीं थी, उसके तुरन्त बाद उन्होंने हमारा साथ दिया, लेकिन इससे आगे नहीं बढ़े और इसीलिए सरकार 13 दिन चली। वह संकेत उस समय आपने हमको दिया। उसके कारण 1996 के बाद हमारा पूरा जोर इस बात पर था कि लोगों को यह बात समझ में आये कि विचाराधारा भारतीय जनता पार्टी की, चाहे उससे हम सहमत न हो, लेकिन क्या आपको यह नहीं लगता है कि ये लोग देशभक्त हैं, राष्ट्रहित में काम करते हैं, ये लोग प्रामाणिक हैं, ईमानदार हैं, इनका नेतृत्व ऐसा है कि अगर शासन में आए तो अच्छा शासन देश को दे सकेगा और एक-एक करके जब पार्टियों ने सम्पर्क किया तो सब को धीरे-धीरे करके इस स्थान पर ले आये कि हम आपके नेतृत्व में काम करने को तैयार हैं, एक एग्रीड प्रोग्राम बना लीजिए। उस एग्रीड प्रोग्राम के आधार पर 1998 में पहली बार यह सरकार बनी।

श्री माधवराव सिंधिया : मेघालय में उनका ट्रायल चल रहा है। हम समझ रहे हैं, आप नहीं समझ रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

***श्री लाल कृष्ण आडवाणी* :** यह ट्रायल तो कई जगह चलता रहता है। ट्रायल तो इस समय महाराष्ट्र में भी चल रहा है। इसीलिए जिस समय संगमा जी बोल रहे थे तो उस समय मेरे पीछे लोगों के मन में यह बात आ रही थी कि हम भी महाराष्ट्र के बारे में कुछ पूछ लें ...

[अनुवाद]

हम एक दूसरे पर हावी होने का प्रयत्न न करें। आज मैं हावी होने का प्रयत्न नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत खुश हूं कि बहस

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

बहुत रचनात्मक रही है। मैं विपक्ष के नेता के विचारों और भावनाओं को समझता हूं, जिन्होंने पहले भाषण दिया है।

[हिन्दी]

लेकिन मैं उसकी बात करूंगा, चर्चा करूंगा।

किन्तु कुल मिलाकर यह बहुत रचनात्मक रहा है। सारी चर्चा बहुत रचनात्मक रही है इसलिए मुझे और विश्वास होता है कि जो एप्रोच हमने 1996 के बाद अपनाई है, उसमें से कई बातें निकलेंगी। उस एप्रोच का परिणाम भी निकला। मैं मोरारजी भाई सरकार का सदस्य था। मोरारजी भाई सरकार को बहुमत प्राप्त था। यह कम से कम एकल दल के रूप में कार्य कर रहा था। वह कोई अनेक पार्टियों का समूह नहीं था सिर्फ चार दल थे। चार विपक्षी दल इमर्जेंसी के बाद आकर इकट्ठा हुए और अपने को समाप्त करके जनता पार्टी का कम से कम बैनर अपना लिया, मन भले ही नहीं मिले होंगे, लेकिन बैनर एक था जनता पार्टी का। उस जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत लोक सभा में प्राप्त था। राज्य सभा में तो बिल्कुल ही नहीं था। आज की जो हमारी स्थिति है, उससे भी बदतर स्थिति उस वक्त थी। उस समय मैं राज्य सभा में था और अपने दल का नेता था इसलिए मुझे उसका अनुभव है। लेकिन मैं मानता हूं इस सरकार की सबसे बड़ी कमी थी। यह देश का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी। उनके पास बहुमत था। उनके पास बहुमत था, लेकिन देश का प्रतिनिधत्व वे नहीं करते थे, भौगोलिक भी नहीं करते थे, सामाजिक भी नहीं करते थे। ईस्ट में बहुत प्रतिनिधित्व हुआ, नार्थ में बहुत हुआ। प्रमुख रूप से नार्थ-वैस्ट और सेंटर। इसके विपरीत यह सरकार है, इसमें भले ही कोई कहे कि इतनी पार्टियां हैं, यही उसकी कमजोरी है, लेकिन मैं समझता हूं कि यही इसकी ताकत है। क्योंकि 20-25 दलों वाली सरकार लोग कहते हैं, प्रमुख रूप से तो चार-पांच दल ही हैं। दो अंकों से नीचे काफी दलों की संख्या है। नार्थ-ईस्ट में बहुत सी पार्टियां ऐसी ही हैं। लेकिन उनको यह नहीं कहा गया कि तुम जनता दल (यू) या बी०जे०पी० में मर्ज हो जाओ, नहीं तो हम तुम्हें कोई मंत्री पद नहीं देंगे, यह एप्रोच नहीं है। हम उनका अलग अस्तित्व स्वीकार करते हैं, मानते हैं। इसलिए संगमा जी ने हमारे लिए जो बात कही कि नेशनल पार्टियां नीचे जा रही हैं, सही बात नहीं है। उन्होंने छांट-छांटकर बताया कि केवल बी०एस०पी० बढ़ रही है, उसको नेशनल पार्टी किस कारण से रिकोग्नेशन मिला, यह आंकड़ों का मामला है। लेकिन कुल मिलाकर मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम जो इस गठबंधन सरकार में प्रमुख स्थान रखती है, वह 1984 के बाद लगातार बढ़ती गई है, कहीं नीचे नहीं गई है। पिछले दो-तीन वर्षों में हमारा ध्यान इस पर नहीं गया था कि हमारी संख्या कैसे बढ़े। लेकिन इस बार जब हम जनता के पास गए तो यही कहते थे कि त्रिशुंक लोक सभा नहीं होनी चाहिए, हमें स्पष्ट बहुमत प्राप्त होना चाहिए और वाजपेयी जी देश के प्रधान मंत्री बनने चाहिए। जब स्पष्ट बहुमत की बात हम अपने घर में करते थे तो हमेशा कहते थे हमें 300 का आंकड़ा पार करना चाहिए। हमें 300 का आंकड़ा पार करना चाहिए। मैं तो यह मानता हूं कि जो उत्तर प्रदेश में हमें सैटबैक प्राप्त हुआ, उसके बावजूद 300 की संख्या क्रास करना, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिसके लिए मैं इस अवसर का अवश्य उपयोग करूंगा, जब हम राष्ट्रपति जी को धन्यवाद दे रहे हैं, गठबंधन की ओर से देश की जनता के प्रति अंतःकरण से आभार प्रकट करता हूं।

किसी ने उस पर आपत्ति की, शायद मुलायम सिंह जी ने, कि कल ये दोनों प्रमुख दल इंश्योरेंस बिल पर साथ हो गए और उसको मिलकर पेश कर दिया। क्या यह अफसोस करने की बात है। उसमें हम दो अकेले नहीं थे, यह कोई बी०जे०पी० और कांग्रेस की सहमति नहीं है, ये जो इतनी सारी पार्टियां हैं, जिसको आप लोग 22-24 दल कहते हैं, उनकी प्रमुख विरोधी दल के साथ एकता है। इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। मुझे याद है, कोई संविधान सभा की डिबेट देखे, उसमें किसी ने इच्छा प्रकट की कि आज तो कांग्रेस पार्टी प्रमुख रूप से है, बाकी छोटी-छोटी पार्टियां हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि एक समय आएगा जब देश में जिस प्रकार से इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, यूरोप के कुछ देशों में है।

रात्रि 10.00 बजे

दो पार्टियां होती हैं और वे आल्टरनेट करती रहती हैं। कभी एक पार्टी पावर में और कभी दूसरी पार्टी पावर में। हिन्दुस्तान में वह स्थिति आए, तो बहुत अच्छा होगा। ये कहते थे, लेकिन हिन्दुस्तान में वह स्थिति नहीं आई। इंद्रजीत गुप्त जी सदन में उपस्थित नहीं हैं, उन्होंने प्रोपोर्शनल रिप्रजेंटेशन का सवाल उठाया था। मैं व्यक्तिगत रूप से उसका समर्थक रहा हूं। उसका समर्थन करता रहा हूं, लेकिन हिन्दुस्तान में उसके बारे में कन्सैन्सस नहीं बन पाया। जितनी कमेटीज बनीं, उन कमेटीज में कन्सैन्सस नहीं बन पाया। यद्यपि, सभी कमेटीज ने सिफारिश की कि इसे इलैक्टोरल सिस्टम के बारे में पुनर्विचार करने के लिए एक एक्सपर्ट बाडी बननी चाहिए। यह सिफारिश जाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने इलैक्टोरल रिफार्म्स के लिए की थी, जो शायद 1971 या 1972 में बनी थी, उस कमेटी में सोमनाथ जी भी थे, मैं भी था और इन्द्रजीत जी भी थे तथा जगन्नाथ राव जी हमारे ला-मिनिस्टर उसके सदस्य थे। उस कमेटी ने भी यह रिकमेंड किया था कि एक्सपर्ट कमेटी बनायें। लेकिन जिस समय संविधान सभा में हमने वर्तमान इलैक्टोरल सिस्टम स्वीकार किया, सब लोग कहते थे कि इस इलैक्टोरल सिस्टम में से दो पार्टी सिस्टम निकलेगा। प्रोपोर्शनल रिप्रजेंटेशन के सिस्टम में से मल्टी-पार्टी सिस्टम होगा। आप यह भूल गए कि हिन्दुस्तान में राजनीतिक विकास का स्तर अलग-अलग प्रान्तों में अलग-अलग है। क्षेत्रीय दल हैं। आप उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते।

कांग्रेस पार्टी के नेताओं का जो पंचमढ़ी का रिजोल्यूशन था। यह राजनैतिक स्थिति का सही विश्लेषण नहीं था। यह आपके लिए सही नीति थी। कांग्रेस वाले अगर उस पर चलते, तो हालत यह नहीं होती।

श्री राजेश पायलट : हमने कभी सोचा भी नहीं था कि रामविलास पासवान और शरद यादव आपके बराबर में बैठेंगे। इस देश ने कभी नहीं सोचा होगा।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : आप यह तो जाने कि रामविलास पासवान जी और शरद यादव जी, मैं जब जनता पार्टी में था, तब भी साथ थे। हमको अगर किसी चीज ने जोड़ा है ... *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : जार्ज फर्नान्डीज ने ड्यूअल पालिसी करके भगाया। ... *(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : जार्ज फर्नान्डीज साहब थे। ... *(व्यवधान)* हां, हम वहां गए थे। फर्क यह है कि हम लोग जयप्रकाश नारायण के कारण गए थे। जयप्रकाश नारायण जी से आन्दोलन ने हम सब को जोड़ा था। आपने सवाल ही उठाया है, तो मैं इसका जिक्र करूंगा। मेरी यह मान्यता रही है कि देश में पोलिटिकल पार्टीज के लिए जहां विचारधारा का अपना उपयोग है, महत्व है, उससे ज्यादा उपयोग हिन्दुस्तान में आदर्शवाद का है। आइडियलोजी से ज्यादा आइडियलिज्म का महत्व है। यह आदर्शवाद है, जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं के कारण सोशियलिस्ट पार्टी के लोग, जार्ज फर्नान्डीज साहब बैठे हैं, जिसके कारण कांग्रेस (ओ) के लोग, जिसके कारण और लोग, जनसंघ के लोग, हम साथ इकट्ठे हुए।

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : सत्ता के लिए वैसे भी भूलना पड़ता है। *(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : आप टैम्पटेशन मत दीजिए। क्योंकि कई बार हम जो कुछ कर रहे हैं, वह सही कर रहे हैं, इसको प्रमाणित करने के लिए बताना पड़ता है कि इन-इन लोगों ने कितना गलत किया और परिणाम यह हुआ। मैं वह नहीं करूंगा। मैं इतना ही कहूंगा, सोमनाथ जी ने शायद देखा नहीं, उन्होंने शिकायत इस बात की कि इन्द्रजीत कमेटी बनाई, लेकिन इन्द्रजीत कमेटी का उल्लेख राष्ट्रपति जी से अभिभाषण में नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि किसी कमेटी का उल्लेख नहीं है। इसमें केवल एक काम्प्रिहैंसिव इलेक्टोरल रोल की बात कही गई है। उल्लेख अगर है, तो हमारे मैनिफैस्टो में है। दोनों कमेटियों का है, जिस कमेटी में आप और मैं थे तथा जिस कमेटी में आप और इन्द्रजीत जी थे। इन दोनों का जिक्र करते हुए कहा है :

[अनुवाद]

> "हम गोस्वामी समिति, इन्द्रजीत गुप्त समिति और विधि आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर आवश्यक चुनाव सुधार लायेंगे ।" *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप कभी भी अपने घोषणा पत्र का पालन नहीं करते हैं। इसीलिए इसे नहीं पढ़े *(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं यह जानता हूं। यहां किसी समिति का उल्लेख नहीं किया गया है। *(व्यवधान)* यदि मैं केवल गोस्वामी समिति का उल्लेख करूं, तो यह मेरी गलती होगी। किन्तु मैंने किसी समिति का उल्लेख नहीं किया है। लेकिन मैंने यह निश्चित रूप से कहा है और हम उसके लिए प्रतिबद्ध है। मैंने समय नहीं गंवाया है *(व्यवधान)*

वास्तव में, इस सरकार के कार्यकाल के दौरान अथवा यूं कहें कि 1998 की वाजपेयी सरकार के शासनकाल के दौरान इन्द्रजीत गुप्त समिति गठित की गई और इसने कार्य आरम्भ कर दिया। हम निश्चित रूप से जो कुछ भी इस समिति ने कहा है कार्यान्वित करेंगे, और हम इसे अविलम्ब करने का प्रयत्न करेंगे।

[हिन्दी]

कोई डिले करने का सवाल नहीं है। यद्यपि कुछ मामले ऐसे हैं जो इलैक्टोरल रिफार्म के हिस्से होते हुए भी उन्हें हमें अलग से डील करना पड़ेगा – जैसे वूमेंस रिजर्वेशन, डिलिमिटेशन का ईश्यू है मैं समझता हूं कि संगमा जी ने बहुत वैलिड प्वाइंट रेज़ किया कि आपकी पापुलेशन पालिसी क्या होगी, कैसी होगी और उसका परिणाम क्या होगा। पिछले 30 सालों से कांस्टीट्यूएंसिस का डिलिमिटेशन नहीं हुआ है। यद्यपि कांस्टीट्यूशन कहता है कि डिलिमिटेशन होना चाहिए, लेकिन सन् 1971 की सेंसस के बाद जो डिलिमिटेशन हुआ उसके बाद उसे पास करना पड़ा कि सन् 2001 तक हम फिर से डिलिमिटेशन नहीं करेंगे। ऐसा क्यों करना पड़ा, उसका कारण यह था कि उस समय दक्षिण के प्रांत, खास कर तमिलनाडु, उन प्रांतों ने कहा कि हम जो राज्य परिवार नियोजन की नीति का ईमानदारी से पालन करते हैं, उनकी सीटों की संख्या लोक सभा में कम होती जाएगी और जो परिवार नियोजन का पालन नहीं करते, उनमें कुछ राज्य गिनाए जाते हैं जिसका नाम उन्होंने बीमारू राज्य कहा ... *(व्यवधान)* अतः ये बहुत ही अहम मुद्दे हैं ... *(व्यवधान)* अतः हमें ... *(व्यवधान)* नेता विपक्ष ने अपने भाषण में इस बात का उल्लेख किया कि 26 जनवरी, 1950 को देश का संविधान स्वीकार हुआ और कार्यान्वित हुआ। यह स्वीकार किया गया था। आने वाली 26 जनवरी एक महत्वपूर्ण तारीख होगी, संविधान की स्वर्ण जयंती होगी – संविधान को अपनाने की स्वर्ण जयंती। उस स्वर्ण जयंती के अवसर पर सोचना चाहिए, यह विचार यहां बैठे-बैठे, सुनते-सुनते आया है। मैं प्रधान मंत्री जी से भी बात करूंगा, लेकिन मेरा सुझाव होगा कि जिस प्रकार से आजादी की स्वर्ण जयंती के अवसर पर हमने एक विशेष अधिवेशन बुलाया था वैसे ही 26 जनवरी के आसपास, उससे दो-चार दिन पहले हो सकता है संसद का एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाए, जिसमें प्रमुख रूप से हम जनसंख्या के सवाल पर चर्चा करें और जनसंख्या के सवाल के आधार पर हम जो भी आगे की नीति बनाना चाहते हैं वह बनाएं, क्योंकि यह कॉमन सवाल है। हमारे शिवराज जी और संगमा जी ने भी उसका जिक्र किया, यहां से भी कई लोगों ने जिक्र किया। यह ऐसा मामला है, जिसे हमने अपने राष्ट्रपति के अभिभाषण में उसको महत्व दिया है। इतना महत्व दिया है और कहा कि हम जो राष्ट्रीय नीति बनाएंगे उसके दो प्रमुख लक्ष्य होंगे।

[अनुवाद]

पैरा 15 में कहा गया है :

> "राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति शीघ्र प्रस्तुत की जाएगी, जिसके दो लक्ष्य सभी नागरिकों को पर्याप्त प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं और जनसंख्या के स्थिरीकरण का प्रावधान करने के होंगे।"

[हिन्दी]

जनसंख्या की स्थिरता। उसे कोई कहता है पापुलेशन ग्रोथ को रोकना, कंटेन करना यह कहने का तरीका है। वह इस समय नहीं है। वह इस समय नहीं है। वह फील गुड फैक्टर ही नहीं है, मैं उनसे कहूंगा। सारा देश ठीक महसूस कर रहा है। उन्हें भी सुरक्षित महसूस करना चाहिए।

[हिन्दी]

यह सरकार पांच साल चलेगी, कोई चिन्ता की बात नहीं है।

[अनुवाद]

श्री माधव राव सिंधिया : क्या मैं अंत में कुछ समय बचाने के लिए एक सुझाव दे सकता हूं ? मैं केवल यह सुझाव दूंगा कि माननीय अध्यक्ष महोदय उड़ीसा में हुई तबाही पर दुःख और सहानुभूति दर्शाने वाले एक उचित संकल्प का प्रस्ताव रख सकते हैं, जिसे हम श्री आडवाणी के भाषण के बाद पारित कर सकते हैं। इसका सही प्रारूप तैयार किया जा सकता है और सम्पूर्ण सभा इसमें सम्मिलित हो सकती है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : इस पर कोई आपत्ति नहीं है, यद्यपि इस समय हमारे पास केवल एक प्रारम्भिक रिपोर्ट है।

[हिन्दी]

मैं सोमनाथ जी और इन्द्रजीत जी की बात सुन रहा था। इन्द्रजीत जी ने जब पैराग्राफ 37 की आलोचना की जिसमें कॉनस्टीट्यूशनल रिफार्म्स का जिक्र किया गया और खास तौर से इस बात का जिक्र किया गया :

[अनुवाद]

"कि सरकार इसकी भी जांच करेगी कि अविश्वास प्रस्ताव की वर्तमान प्रणाली को अविश्वास प्रस्ताव की सकारात्मक मत प्रणाली से बदला जाए और लोक सभा तथा विधान सभा का कार्यकाल नियत किया जाए ताकि केन्द्र और राज्यों दोनों में राजनैतिक अस्थिरता से बचा जा सके।" उसमें नियत अवधि की बात सरकार के लिए नहीं की गई, बल्कि विधानमंडलों के लिए की गई है।

[हिन्दी]

मैं इसे कम्बाईंड करूंगा जो इन्द्रजीत जी ने कहा कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अगर हम उस पर एग्री हो जाएं तो जैसे यूरोप के कंट्रीज में डैमोक्रेसी है, डैमोक्रेसी होते हुए भी वहां इलैक्टोरल सिस्टम दूसरा है, वहां सबका फिक्स्ड टर्म है चार साल-पांच साल। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह लोक सभा के प्रति मंत्री परिषद् की जवाबदेही है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं जानता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यही संसदीय लोकतंत्र का आधार है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : इसलिए, मूल आपत्ति के संबंध में, मुझे इस बात की निश्चित रूप से जांच करनी होगी कि क्या यह मूल ढांचागत सिद्धांत के विपरीत जाता है। उसकी जांच की जाएगी, किन्तु इस पर विचार करना गलत नहीं है।

[हिन्दी]

कमीशन के बारे में जो बात कही जा रही है ... *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्री आडवाणी, आप इसकी प्रशंसा करेंगे। मैंने कहा था, हमारे संविधान में यह बात कही गयी है कि सभा पांच वर्ष से पहले भंग की जा सकती है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : जी हां, यह मैं जानता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : किन परिस्थितियों में यह भंग की जाएगी, यह अनुच्छेद 83 में दिया गया है। इसमें कहा गया है 'सभा की अवधि पांच वर्ष होगी', बशर्ते कि पहले भंग नहीं की जाती है। अतः यह राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। सामान्यतः, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर यह किया जाएगा। जी हां, निश्चित रूप से यह हुआ है। अतः स्वयं संविधान में छोटे कार्यकाल की बात की गई है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : जब आप ऐसा संशोधन करते हैं, जो भारतीय लोकतंत्र को इंगलैंड के लोकतंत्र की तुलना में यूरोपीय लोकतंत्र के अधिक सदृश बनाता है; तो कुछ परिवर्तन तो स्वतः ही करने पड़ेंगे, और यह लाजमी है। अवधारणा यह है कि ...

[हिन्दी]

नेता प्रतिपक्ष ने जो बात कही, इसकी सरासर कल्पना नहीं की जा सकती।

[अनुवाद]

इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

संविधान सभा बुलाने की बात बड़े-बड़े लोग कई बार करते थे तो मैं उन्हें कहता था कि 1947 से 1950 तक भारत की संविधान सभा में लोग बहुत बुद्धिमान थे, बहुत प्रामाणिक लोग थे और बहुत ही राष्ट्रनिष्ठ लोग थे। उन्होंने जो संविधान निर्माण किया, वह संविधान उस समय के हिसाब से बहुत बढ़िया था। वह काफी समय तक बहुत बढ़िया माना गया, उसके बावजूद हमने बहुत से अमैंडमैंट्स किए हैं। क्या अमैंडमैंट्स करते समय हम उन्हें डिजेनरेट कर रहे हैं, उसे खत्म कर रहे हैं ? डाक्टर अम्बेडकर ने जो बुद्धिमानी दिखायी, क्या उसमें कमी दिखा रहे हैं ? नहीं, डाक्टर अम्बेडकर ने व्यवस्था दी थी कि धारा 368 होनी चाहिए जिससे संसद समझे कि ये संशोधन होने चाहिए। वे 1952 में नहीं किए गए थे, इसका मतलब कि 1999 में भी न किए जाएं। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। मैं इस बात से सहमत हूं कि इसके जो मूल तत्व हैं कि यह देश कभी मजहबी राज्य नहीं बनेगा, यह देश जिसे सैकुलर राज्य कहते हैं, वही रहेगा, इस देश में हमेशा लोकतंत्र रहेगा, यहां कोई नृपतंत्र बन जाए, ऐसा नहीं होगा। उस तरह की कोई बात नहीं होगी। यहां मूल तत्वों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह उनको निर्देश और आदेश होगा। जो कमीशन बनेगा, वह सोच-विचार कर सिफारिशें ही कर सकता है। निर्णय तो संसद को करना होगा और संसद भी लोक सभा और राज्य सभा, दोनों अगर मिल कर दो तिहाई बहुमत नहीं देंगे तो कहां परिवर्तन हो सकेगा ? इसलिए किसी को इसके बारे में आशंकित नहीं होना चाहिए। यह बात सही है, जो प्रभुनाथ सिंह जी और एक अन्य माननीय सदस्य ने कहा कि ऐसा आयोग गठित होना चाहिए जिस को आम जनता की पहचान हो, उसकी नब्ज पर हाथ हो, समझ हो, उसमें ऊपर-ऊपर के लोग, जैसे कानूनी विद्वान हों, इतना पर्याप्त नहीं है। मैं यह बात

मानता हूं और सच भी है लेकिन मूलत: जो कल्पना की गई है कि 50 साल के अनुभव के आधार पर पीस-मील अमैंडमैंट करने की बजाय कुल मिला कर विचार करके अमैंडमैंट्स किए जाएं। कितनी बार हमने कानून बनाया, दल-बदल विरोधी कानून बनाया। पहले तो कानून नहीं था और कानून बनाने के बाद क्या अनुभव हुआ ? अनुभव यह हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति डिफेक्ट करे, यदि वह अकेला डिफेक्टर है, वह अपराधी है सिंगुलर में डिफैक्ट करे तो अपराधी है, प्लूरल में डिफैक्ट करे तो ठीक। फिर स्पलिट है। एक बार जब श्री शिवराज पाटिल अध्यक्ष थे तो उन्होंने खासतौर पर सब लोगों को बुलाकर कहा था कि इसमें परिवर्तन करना चाहिये, परिवर्तन करो। इस बारे में बड़ी चर्चायें हुईं। बाद में आश्वासन भी दिये गये कि हम इस प्रकार का नया कानून लायेंगे लेकिन वह नहीं आया। मैं समझता हूं कि वह समय आ गया है। ऐसे समय सारे अनुभवों के आधार पर विचार करके एक आयोग अपनी सिफारिश करे और उस पर संसद विचार करे। उसी संदर्भ में इस पर भी विचार हो सकता है कि जर्मन का वह कंस्ट्रक्टिव नो-कांफिडेंस मोशन अच्छा है या अभी का है। वैसे अभी का न होता तो शायद ये परिणाम नहीं आते, इसमें कोई संदेह नहीं। अभी का जो परिणाम है, निश्चित रूप से उस दिन 17 अप्रैल को यहां पर मतदान हुआ, जिसे सौभाग्य से देश के करोड़ों लोगों ने देखा। मैं जानता हूं कि जिस समय इस विषय का ही उल्लेख होता था तो उस पर कितना रैस्पौंस होता कि सरकार एक वोट से चली गई और ऐसी सरकार, जिसने कुछ दिन पहले एक बहुत अच्छा बजट पेश किया था, उस सरकार को एक वोट से हटा दिया गया, और वह भी उड़ीसा के एक मुख्यमंत्री के वोट से गिर गई।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : राम विलास जी का वोट था, शरद यादव का वोट था उसमें चीफ मिनिस्टर, उड़ीसा का वोट था। जयललिता जी को आप नहीं मना पाये, इसमें कांग्रेस का क्या दोष है ?

[अनुवाद]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी (गढवाल) : श्री दासमुंशी, अब आप हस्तक्षेप कर रहे हैं। यह ठीक नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : श्री आडवाणी स्वयं ही देख सकते हैं। आप उनकी हिफाजत न करें।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, अनेक सदस्यों ने कारगिल का उल्लेख किया है, यह स्वाभाविक है और उचित है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कारगिल के बारे में काफी विस्तार से उल्लेख है और जो श्रद्धा और सम्मान राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में जवानों के प्रति प्रकट किया है, उसकी प्रतिध्वनि एक-एक सदस्य ने की, जिसने कारगिल का नाम लिया। अगर श्री इन्द्रजीत गुप्ता जैसे व्यक्ति अस्पताल में जाकर जवानों से मिले तो उनके मन में वे सारी स्मृतियां आ गईं कि किस प्रकार की स्थिति में जवानों ने युद्ध का सामना किया और उनके परिवारों की स्थिति क्या है। यह सब कुछ करने के बाद, जब मैंने किसी एक प्रमुख नेता से सुना कि यह विजय क्या हुई ? यह तो पाकिस्तान चला गया क्योंकि अमरीका ने उसे जाने के लिये मजबूर किया। मैं मानता हूं कि इस प्रकार का विश्लेषण न केवल गलत है बल्कि यह उन वीर जवानों की वीरता और बलिदान का अपमान है। यह बहुत गलत बात है कि अमरीका के प्रभाव में आकर वे चले गये, यह तथ्य नहीं बल्कि तथ्य यह है कि कारगिल का लगभग सारा क्षेत्र, जिस पर वे घुस आये थे, उसे हमारे जवानों ने खाली करा लिया है। जे लास्ट फेज़ था, जिस फेज़ पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अमरीका के राष्ट्रपति श्री क्लिंटन के बुलावे पर वाशिंगटन गये थे और उन्होंने जाकर वचन दिया कि हमारे बाकी बचे हुये लोग वापस आ जायेंगे। बाकी थोड़े बहुत बचे थे, सारे के सारे हमारे जवानों की वीरता से उन सब का क्लीयरेंस किया गया था। यह कितना कठिन मामला है। यह किसी ने सही बताया कि 16 हजार की ऊंचाई पर बैठे हुये व्यक्ति को वहां से उखाड़ना बहुत मुश्किल काम था।

अध्यक्ष महोदय, नार्मली जो युद्ध होता है, प्लेन्स में होता है और उसमें भी अगर कहीं कोई जमा हुआ बैठा है, उन्हें वहां से उखाड़ने के लिये 3:2:1 या 4:2:1 का रेशो चाहिये। इसके अतिरिक्त इतनी ऊंचाई पर बैठे हुए व्यक्ति को, जो इंफैंटरी दल है, इसी काम के लिये है, ट्रेंड है, उस एरिया का रहने वाला है और उसे भेजा गया है, यदि हमारे लोग नीचे से जाकर उखाड़ते हैं उपलब्धि थी; एक उत्कृष्ट कारनामा था। और इसके लिये यह मानना कि अमेरिका के हस्तक्षेप के कारण हमें आपरेशन विजय में सफलता हुई, मैं समझता हूं कि यह सरासर गलत निर्णय है।

हां, यह बात जरूर है कि जब कोई युद्ध होता है तो युद्ध का संचालन भी महत्व रखता है। युद्ध में जवानों की वीरता और उनके बलिदान का महत्व होता है तो संचालन का भी महत्व होता है। उन्होंने मुझसे पूछा कि कब सरकार को पता लगा। मेरी जानकारी है कि 8 मई को पता लगा कि इस प्रकार से घुसपैठ हुई थी और उसके तुरन्त बाद लगातार सरकार अपने निर्णय करती रही। मैं नहीं जानता कि पहले कभी कैबिनेट कमेटी ऑन सेक्यूरिटी इतनी बार मिली होगी जैसे इन डेढ़ महीनों में इस बार मिली। इतनी मीटिंग्ज़ होती थी कि इस बार तो कई बार दिन में दो बार भी मिले। उसमें केवल सेना के लोग नहीं थे, और भी लोग होते थे, सेना के तीनों अंगों के प्रमुख होते थे। लगातार उसमें चर्चा चलती थी और उसमें छोटे-छोटे निर्णयों ने भी कितना अच्छा परिणाम दिखाया। इससे पहले कभी कोई जवान शहीद होता था तो अगर वह हिन्दू है, सिख है तो उसका क्रिया-कर्म वहीं कर दिया जाता था और उसकी अस्थियों को उनके परिवारों तक पहुंचा देते थे। कोई मुसलमान या इसाई होता था तो उनको वहीं दफना दिया जाता था और उनका सामान उनके परिवारों को भेज दिया जाता था। पहली बार यह निर्णय हुआ कि अब जो भी शहीद होगा, उस शहीद को उनके गांव में भेजो और वहां पर सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार करो। शुरू-शुरू में लगा कि यह निर्णय ठीक नहीं हुआ, जब रोज टेलिविज़न पर दिखाया जाता था कि कॉफिन्स जा रहे हैं। किसी ने कहा कि टी०वी० पर दिखाओ तो मत, भेज भले ही दो। लेकिन मैं मानता हूं कि इस एक निर्णय ने देश भर में जिस प्रकार की राष्ट्रीयता जगाई, देश भर में जिस प्रकार की भारतीयता जगाई वह देश के लिए हितकर हुई। नागालैण्ड से, मेघालय से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, देश के कोने-कोने से, गांव-गांव से खबर आती थी कि यह हमारा भारतीय शहीद हुआ और वहां पर बैठे हुए जो हमारे जवान थे, यह जवान जब टेलीविजन पर देखते होंगे, तो उनके मन में आता होगा कि सारा देश उनके साथ है। यह बहुत महत्व

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

की बात है। छोटा निर्णय होते हुए भी इसके दूरगामी परिणाम हुए। मैं अपेक्षा करता हूं कि जिस प्रकार की राष्ट्रीयता हमने आपस में देखी, जिस प्रकार की देशभक्ति का भाव उस युद्धकाल में देखा, वैसा भाव अगर हमारे देश के जीवन का स्थायी हिस्सा बन सके तो बहुत लाभ होगा। मैं यह भी कहूंगा कि युद्ध के संचालन की जब मैंने बात की तो पहले भी कई युद्ध हुए हैं और हमेशा रणभूमि में पाकिस्तान हमारी सेना से हारा है। 1947 में हारा, 1965 में भी हारा, 1971 में भी हारा, लेकिन यह पहला अवसर है जब पाकिस्तान को दोहरी पराजय का सामना करना पड़ा। रणभूमि में सैनिक पराजय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कूटनीतिक पराजय का सामना करना पड़ा।

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट (दौसा) : इसकी 1971 के युद्ध से तुलना नहीं कीजिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं तुलना नहीं कर रहा हूं। मेरी बात का गलत अर्थ न निकालिए।

श्री राजेश पायलट : अब बहुत हो गया है। 1971 का युद्ध दोनों राष्ट्रों द्वारा एक युद्ध घोषित किया गया था।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : वह मैं जानता हूं। यद्यपि यह घोषित युद्ध नहीं था, लेकिन जिस परीक्षा से हमारी सेना को गुजरना पड़ा वह कुछ कम नहीं थी।

[हिन्दी]

दो हफ्ते में हम जीत गए और यह तो कितने दिन चला और इसलिए इंद्रजीत जी ने यह भी सही कहा कि वह सैनिक, जवान जो मुझे मिले, वह ज्यादा कॉनफिडेण्ट लगते थे हमारे बड़े अफसरों के मुकाबले। इसे कम आंकने का प्रत्यन न करिये, सिर्फ इसलिए कि यह घोषित युद्ध नहीं था।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जवानों ने अपनी भूमिका निभाई। हम सरकार की भूमिका के बारे में जानना चाहते हैं।

श्री मणि शंकर अय्यर (मयिलादुतुराई) : महोदय, क्या आप यह स्वीकार नहीं करेंगे कि यह शिमला समझौता था जिसने अन्तर्राष्ट्रीय सहमति पैदा की, जिसके आधार पर हम समर्थन हासिल कर पाए। कृपया केवल इसी मामले में अपने को सही न ठहराएं। इस बात को मान लीजिए कि यह केवल शिमला समझौतों की वजह से हम कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मंचों के बाहर रख पाए।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं इसको बिल्कुल स्वीकार करता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान ने कारगिल पर हमला किया तो उसका कारण था कि उन्होंने हमारी व्यवस्था को गलत आंका है।

[हिन्दी]

उनको लगा कि सरकार को तो अभी-अभी निकाला है इस अपोजीशन ने और ऐसी स्थिति में यह सरकार पूरी तरह अलग-थलग हो जाएगी।

[अनुवाद]

उन्होंने हमारी प्रणाली को समझने में गलती की; उन्होंने हमारे लोगों को गलत समझा और हमारी सरकार को समझने में भी गलती की।

[हिन्दी]

इसमें जो थ्री फोल्ड मिसजजमैंट हुआ है उसके कारण उन्होंने कारगिल की योजना बनाई। कई मित्रों ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी लाहौर यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्हें पता ही नहीं चला और उन्होंने पीछे से ऐसा कर दिया। मैं मानता हूं कि यह सब जो प्लानिंग हुई होगी, उस समय हुई होगी, इसमें कोई शक नहीं है और मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं। लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की लाहौर यात्रा ने एक बहुत बड़ा काम किया जो यह था कि पहले दुनिया भर में प्रचार होता था कि इस देश की बाकी पोलिटीकल पार्टीज पाकिस्तान से दोस्ती चाहती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दोस्ती नहीं चाहती है। यह पार्टी हमेशा पाकिस्तान के साथ तनाव बनाये रखना चाहती है — यह सही नहीं है।

महोदय, श्री अटल बिहारी वाजपेयी के इस निर्णय ने विश्व के लाखों लोगों, विश्व के बहुत से देशों का भ्रम दूर किया है। यदि भारत और पाकिस्तान के बीच में दोस्ती होती है तो यहां भारत में संपूर्ण देश में सभी देशवासी खुश होंगे।

[हिन्दी]

यहां सभी लोग चाहेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में दोस्ती हो और मैं यह भी मानता हूं कि वह लाहौर ट्रिप का परिणाम हुआ कि आगे चलकर कारगिल के युद्ध के समय हमें यह अनुभव हुआ, जो अनुभव हमें पहले कभी नहीं हुआ कि पाकिस्तान और भारत का युद्ध हो और उसमें कश्मीर का मसला कहीं बीच में उलझा हुआ हो तो सारी दुनिया के बहुत सारे लोग पाकिस्तान का साथ देते थे, हमारा साथ नहीं देते थे। हमारी जो भी विजय होती थी वह अपनी सेना के कारण होती थी, अपने नेतृत्व के कारण होती थी, नेतृत्व चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी का हो। हम विपक्ष में थे तो भी हमने उनकी तारीफ करने में कभी संकोच नहीं किया। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने श्रीमती इंदिरा गांधी की जितनी तारीफ की होगी, उतनी शायद कांग्रेस के मित्रों ने भी नहीं की होगी। उन्होंने उस समय उनकी इतनी तारीफ की थी, क्योंकि उस समय नेतृत्व कौन सा है कौन यह सब करता है। यह नेतृत्व ही है जो निर्णय लेता है कि आपको नियंत्रण रेखा पार नहीं करनी है। लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं करनी है, यह डिसीजन नेतृत्व करता है, यह आर्मी नहीं करती है। यह ठीक है कि जितने डिसीजंस हुए उसमें आर्मी सहमत थी, भागीदार थी, उनसे सलाह-मशविरा होता था, इन सभी बातों का महत्व है। लेकिन बार-बार यह कहना कि यह विजय वाजपेयी जी की नहीं है, यह विजय सेना की है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह विजय सेना की है। लेकिन उस समय जो नेतृत्व था, उस नेतृत्व ने जो कुछ किया, जिस ढंग से युद्ध का संचालन किया, उसे कम करने की कोशिश करके हम अपने को ही कम करते हैं, ऐसा मत करिये। हां, उसका जो फॉल आउट हुआ है उसे भी देख लीजिए। कारगिल के युद्ध का फॉल आउट देश के लिए यह हुआ है कि यहां लोकतंत्र और मजबूत हुआ है। जो सरकार बनी है वह और स्थिर सरकार बनी है। लेकिन पाकिस्तान

में क्या फॉल आउट हुआ है, वह बिल्कुल कंट्रास्ट है। पाकिस्तान में फॉल आउट यह हुआ है कि वहां डिमोक्रेसी अंडरमाइन हुई और वहां एक सैनिक शासन आ गया ...*(व्यवधान)*

श्री विलास मुत्तेमवार : आप खुश हैं ...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं खुश नहीं हूं। कृपया ये सब बातें न करें। वह मैं लाइक नहीं करूंगा, नहीं तो मैं बहुत खराब उदाहरण दे सकता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : ब्रिगेडियर सुरेन्द्र सिंह की चिट्ठी का क्या हुआ ?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं उसके बारे में इसलिए नहीं बोलता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि डा० सुब्रह्मण्यम के नेतृत्व में जो एक कमेटी बनाई है, उसकी कारगिल पर रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद हम जरूर उस पर डीटेल में चर्चा करेंगे और सब बातें पता चलेंगी।

श्री शिवराज बि० पाटील (लातूर) : इसके ऊपर इधर के लोगों ने सिर्फ दो सवाल उठाये थे एक सवाल यह था कि इन लोगों को कैसे आने दिया गया, कैसे मालूम नहीं हुआ, ये लोग कैसे आये और उसके बाद जो सब कुछ हुआ, उसका जवाब हमें मिलना चाहिए। दूसरा सवाल यह पूछा गया था कि उस समय लोक सभा नहीं थी, केयरटेकर गवर्नमेंट थी राज्य सभा चालू थी, राज्य सभा में इसके ऊपर डिस्कशन क्यों नहीं किया गया ? अगर सैकिंड वर्ल्ड वार में यह डिस्कशन हो सकता है, पाकिस्तान में हो सकता है तो यहां क्यों नहीं हुआ। यही दो सवाल थे, बाकी के बारे में किसी ने कोई आपत्ति नहीं उठाई।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : पहला सवाल जो आपने पूछा उसका उत्तर मैं तीन महीने पहले तक देता था कि मेरी जितनी जानकारी है, उसके आधार पर मेरा अंदाजा है। लेकिन कमेटी बनने के बाद सरकार की ओर से मैंने कहीं जवाब नहीं दिया और मैं समझता हूं कि वह उचित नहीं होगा कि एक कमेटी बना दे, तो कमेटी बनाने के बाद उसकी प्रतीक्षा करो कि वह क्या करती है। किसी ने यह कहा कि आपने रॉ के चीफ, जो इंटेलीजेन्स के प्रमुख हिस्से थे, को गवर्नर बनाकर भेज दिया।

अध्यक्ष महोदय, मैंने इसीलिए पूछ-ताछ की और मेरी जानकारी में है वे चाहे अब रॉ के चीफ नहीं रहे, तब रॉ के चीफ थे, वे भी कमेटी के सामने एपीयर हुए, उन्होंने भी जानकारी दी। आज जो रॉ के चीफ हैं, वे भी एपीयर हुए, उन्हें जो जानकारी थी, वह उन्होंने दी। ...*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट : आडवाणी जी, शायद आपको यह पता नहीं लगा कि हम क्या पूछना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : हां, मैं इतना जानता हूं *(व्यवधान)*

श्री राम दास आठवले : अगर सरकार चलानी है, तो जो शिवराज बि० पाटिल जी ने पूछा है, उसका जवाब आना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट : आपकी सूचना के लिए बता दें कि देश में एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था को बुरा नहीं कहें। यह सहन नहीं किया जाएगा। यहां स्थायी सेना भी है। गृह मंत्री जी इस व्यवस्था के बारे में जानते हैं।

अध्यक्ष महोदय : दोनों पूर्व रक्षा अधिकारी इस सभा में कारगिल के बाद एक और युद्ध शुरू कर रहे हैं, मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूरी और श्री राजेश पायलट इस सभा में एक और युद्ध शुरू कर रहे हैं।

[हिन्दी]

डा० विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, इनकी स्पीचेज को पाकिस्तान टी०वी० दिखाता था।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं तो इतना ही स्मरण दिलाना चाहूंगा ...

अध्यक्ष महोदय : आडवाणी जी, कितना समय और लगेगा।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं अभी कंपलीट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मोशन भी पास कराना है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं अभी खत्म करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं श्री लाल कृष्ण आडवाणी के कथन को समझ सकता हूं कि एक समिति इस मामले की यह पता लगाने के लिए जांच कर रही है, कि क्या घुसपैठ की जानकारी मिलने के बाद कोई चूक हुई थी। श्री आडवाणी कुछ भी कहना नहीं चाहते हैं जब तक कि समिति प्रतिवेदन न दे दें। हम नहीं जानते कि समिति प्रतिवेदन कब प्रस्तुत करेगी। सभा के सबसे पुराने सदस्य सहित माननीय सदस्यों ने ये सभी प्रश्न उठाए हैं क्योंकि बहुत सी जानें गई हैं। बहुत से जवानों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है।

[हिन्दी]

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : छः लड़ाइयां हुई हैं, श्रीलंका में इतने जवान मारे गए, वे जवाब दे रहे हैं और आप बीच में बोलना शुरू कर देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मल्होत्रा जी, आप बैठ जाइए।

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा): अध्यक्ष जी, बिना उत्सर्ग और बलिदान के कौन सी लड़ाई जीती गई है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : महोदया, अब आप मंत्री हैं। कृपया इसे समझें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि आज गृह मंत्री ढाल चाहते हैं, तो यह अलग बात है। गृह मंत्री स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैडम वर्मा, अब आप मंत्री हैं। बैठिए। *(व्यवधान)*

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : सर, जब हमारे यहां से लोग बोलते हैं, तो ये बीच में खड़े हो जाते हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : हम विशेषाधिकार प्राप्त लोग नहीं है *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, उन्होंने पूछा है कि जानकारी के दिन की क्या प्रासंगिक है। पहले कभी ऐसा प्रश्न नहीं उठाया गया। जानकारी की तारीख इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि उन्होंने राजनीतिक नेतृत्व की बात की है। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या राजनीतिक नेतृत्व का कोई दोष था। इसलिए तारीख प्रासंगिक हो गयी है। जब यह पूछा जा रहा है और जब इस विषय में स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है तो हमें शोर मचाकर दबाया जा रहा है। इसलिए उन्हें अकेले ही सदन की कार्यवाही चलाने दो।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति अभिभाषण में इन्फौर्मेशन टेक्नोलौजी के बारे में जो कहा गया है, जिसका विपक्ष के नेता ने स्वागत किया है। यद्यपि उन्होंने कहा कि कम्प्यूटर के क्षेत्र में प्रवेश श्री राजीव गांधी के समय में हुआ था, यह कुछ मात्रा में सही है लेकिन जो लोग सरकार में नहीं थे, बाहर थे, मेरे जैसे साधारण नागरिक थे, वे उस समय भी उसमें दिलचस्पी रखते थे और अपना-अपना काम करते थे। आज हमको समझना चाहिए कि एक नया आयाम आया है, खासकर इंटरनेट के बाद। कम्प्यूटर स्वयं में एक बड़ी चीज थी लेकिन इंटरनेट तो बहुत बड़ी चीज है। यह एक प्रकार की क्रांति है। जिसमें कामर्स भी बदल रहा है, लोग अब लाखों करोड़ों रुपये का व्यापार इंटरनेट से करते हैं। उस क्षेत्र में हमारी जो थोड़ी बहुत आरम्भिक सुपीरियौरिटी है, उसका कितना लाभ हो सकता है, मैं कल ही इंडियन एक्सप्रैस देख रहा था। उसे देखकर मैं हैरान हुआ। इंडियन एक्सप्रेस में कल ही एक न्यूज आइटम था कि प्रकाश-विज्ञान की प्रकृति को जानने वाला भारतीय धनी व्यक्तियों की सूची में शिखर पर पहुंचा (इंडियन विद् एन आई फोर फाइबर अप्टिक्स क्लाईम्ज टू टॉप आफ दि रिच लिस्ट) जो सबसे सम्पन्न लोग हैं और जो भारतीय सबसे रिच हैं, सबसे धनी भारतीय एक युवा व्यक्ति है। जिसका नाम भी किसी ने कभी सुना नहीं होगा। उसका नाम गुरू राज देशपांडे है।

[अनुवाद]

प्रो० आई०जी० सनदी (धारवाड़ दक्षिण) **:** वे हुबली के हैं।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यह कहते हैं कि महाराष्ट्र के हैं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे हर बात पर अनधिकार दावा करना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : कोई भी हो, लेकिन हमें तो गर्व होता है। मैं 1991 में सीयेटल में पहली बार माइक्रो सॉफ्ट देखने के लिए गया था तब मैंने वहां देखा कि सॉफ्टवेयर के सब इंजीनियर्स भारतीय हैं। कितनी खुशी हुई।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि आप सिलीकॉन वैली जाएंगे तो यही स्थिति वहां भी है।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : आज भी हिन्दुस्तान में जो बड़ी-बड़ी कम्पनियां हैं, उन कम्पनियों के बारे में हमें पहले पता ही नहीं था।

[अनुवाद]

विप्रो, इन्फोसिस, एन०आई०आई०टी० और सत्यम तथाकथित बड़े व्यापारिक घरानों के मुकाबले बहुत अधिक धनवान हैं इसका कारण मात्र यह है कि वे सूचना प्रौद्योगिकी के कारण, होने वाले परिवर्तन के बारे में सावधान थे।

पहली बार राष्ट्रपति के अभिभाषण में दो पैराग्राफ इस विशेष पहलू को समर्पित हैं और देश के समक्ष एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है।

[हिन्दी]

किसी ने कहा कि एक तरफ तो आप मिनिस्ट्री को डाउन साइन आफ गवर्नमेंट कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप मिनिस्ट्री बना रहे हैं, हमको लगा कि ये मिनिस्ट्री अलग बननी जरूरी है क्योंकि उसके लिए पर्सपेक्टिव चाहिए ? इसमें कहा है :

[अनुवाद]

> "यह मंत्रालय भारत को अगली शताब्दी के प्रारम्भ में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महाशक्ति बनाने के लिए एक व्यापक कार्य योजना का क्रार्यान्वियन करेगा सन् 2000 तक सॉफ्टवेयर के 50 बिलियन डालर के निर्यात का लक्ष्य प्राप्त करेगा।"

एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य अपने सामने रखकर कहा है क्योंकि मैने ही कामर्स का जिक्र किया। राष्ट्रपति जी ने कहा है :

> "ई कामर्स को बढ़ावा देने के लिए एक कानून शीघ्र ही लाया जाएगा। भारत को इस संबंध में एक विश्व का अग्रणी राष्ट्र बनाने के लिए औषधीय तथा अन्य ज्ञान आधारित उद्यमों के लिए एक कार्य दल गठित किया जाएगा।"

[हिन्दी]

जहां तक इसमें आर्थिक सवाल है, मैं समझता हूं कि हमारे वित्त मंत्री ने बड़े विस्तार से उनको डील किया। मैं उनका जिक्र नहीं करूंगा सिवाय यह कहने के लिए कि उसके आब्जेक्टिव्स् भी हमने अपने सामने रखे हैं कि कमजोर आदमी कैसे ऊपर आये। केवल मात्र उद्योग बढ़े, इसीलिए आईडैंटीफाई भी किया कि हम इम्प्लॉयमैंट कहां बढ़ाएंगे— ऐग्रीकल्चर सैक्टर, ऐग्रो इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और आई०टी०। मैं इंटरनैट के बारे में इतना ही कहूंगा कि इस समय इंटरनैट रैवोल्यूशन जो चल रहा है, जब औद्योगिक क्रान्ति हुई थी तब भारत कुछ पीछे रह गया। इंटरनैट क्रांति में भारत पीछे न रहे, यही हमारी सरकार का संकल्प है।

श्री अमर राय प्रधान ने आखिर में एक बात कही, जिसका जिक्र में जरूर करूंगा। वह है कि हमारी सरकारी कौशिस है कि बंगलादेश में बहुत सारे इनक्लेव्ज हैं जिनमें हमारे यहां से कोई जा भी नहीं पाता है और इसलिए वहां का विकास नहीं होता। इसीलिए वहां वोट नहीं दिये जा सकते। उसी प्रकार से उनके इनक्लेव्ज भी हमारे यहां हैं, हमारे इनक्लेव्ज ज्यादा हैं, उनके कम हैं। हमारे इनक्लेव्ज में, हमारी गणना के अनुसार जनसंख्या लगभग पचास हजार है और भारत और बंगलादेश का समझौता भी है। ... *(व्यवधान)*

श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार) : इतना तो अभी तक नहीं हुआ है। *(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : हमारा अनुमान है।

श्री अमर राय प्रधान : 1951 सैंसस में सैंतीस हजार था, अभी तक पचास हजार ही है। ... *(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं जानता हूं लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि यह हमारी सरकार के ध्यान में है और हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री लगातार टच में है।

विदेश मंत्रालय बंगलादेश के साथ निरंतर सम्पर्क बनाए हुए है और हम इस समझौते को शीघ्र पूर्ण करना चाहते हैं। ऐग्रीमैंट यह हुआ था कि हमारे वहां 111 इनक्लेव्ज हैं और उनके भी 70-75 इनक्लेव्ज हमारे यहां हैं, इन दोनों का एक्सचेंज हो जाये। जब उनका एक्सचेंज होगा तो वहां रहने वाले लोगों को यह ऑप्शन होगा कि वे भारतीय बनना चाहते हैं या बंगलादेशी बनना चाहते हैं — यही हमारा ऐग्रीमैंट है। उस ऐग्रीमैंट को इम्पलीमैंट करने की दिशा में आवश्यक कार्यवाही चल रही है।

मैं एक और बात कहकर समाप्त करूंगा। श्री मणि शंकर अय्यर जी ने कुछ बातें कही हैं। आपने ब्रीफली उसका जिक्र किया। हम इस भावना को ध्यान में रखकर, इसके सारे पहलुओं को जो भी उचित होगा, वह करेंगे।

[अनुवाद]

श्री सान्छुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : मैं माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के सामने आ रही समस्याओं के सम्बंध में वर्तमान राजग सरकार द्वारा अपनायी गई नीति के विषय में कुछ बतायें ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

श्रीमती सोनिया गांधी : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि वे प्रधान मंत्री जी को उनके जल्द स्वास्थ्य लाभ के लिए मेरी शुभकामनाएं दें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के लिए कई संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं। क्या मैं सभी संशोधनों को एकसाथ सदन में मतदान के लिए रख दूं अथवा कोई माननीय सदस्य किसी विशेष संशोधन को अलग से सदन में मतदान के लिए रखवाना चाहते हैं ?

श्री संतोष मोहन देव : नहीं, आप सभी संशोधनों को एक साथ सदन में मतदान के लिए रख सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं सभी संशोधनों को एकसाथ सदन में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए

अध्यक्ष महोदय : अब मैं मुख्य प्रस्ताव मतदान के लिए सदन के समक्ष रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए :—

"कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जो उन्होंने 25 अक्टूबर, 1999 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

रात्रि 10.44 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :—

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे आयकर (संशोधन) विधेयक, 1999 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 28 अक्टूबर, 1999 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और

[महासचिव]

यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।''

(दो) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे भारत की आकस्मिक निधि (संशोधन) विधेयक, 1999 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 28 अक्तूबर, 1999 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को इसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी है।''

(तीन) ''राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 29 अक्टूबर, 1999 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 28 अक्टूबर, 1999 को पारित किये गये जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1999 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।''

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : महोदय, जब भी सभा की बैठक 8 बजे के बाद तक होती है तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सायंकाल के भोजन की व्यवस्था करने की परम्परा का पालन करना चाहिए। यह भविष्य के लिए है।

रात्रि 10.46 बजे

उड़ीसा के समुद्र तटीय जिलों में हुई जान-माल की भारी क्षति पर गहरा शोक व्यक्त करने और प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने का अनुरोध किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगणों, मैं सदन की ओर से निम्नलिखित संकल्प स्वीकृति हेतु सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं :

''यह सभा उच्च तीव्रता वाले चक्रवात से हुई तबाही पर जिसमें उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों में लोगों के जान-मान की भारी हानि की सूचना मिली है, गहरा दुख व्यक्त करती है और इस त्रासदी से प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता देने के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों से आग्रह करती है। यह सभा इस त्रासदी में जान गंवाने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त करती है।''

मुझे आशा है कि सभा इससे सहमत होगी।

संकल्प स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : श्री राजेश पायलट ने तेल और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री राम नाईक द्वारा दिये गए वक्तव्य के विषय में एक प्रश्न उठाया है। पृष्ठ संख्या 324 पर दिनांक 26.10.1999 की कार्यवाही के अनुसार उन्होंने कहा है :

''मैंने पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ आश्वासन दिया था कि मैं यह मौके पर क्या कर सकता हूं कि इन मामलों को गंभीरता से लिया जाएगा और मैं उन्हें गंभीरता से ही मंत्रिमंडल के पास ले जाऊंगा। इस सबके बारे में मैं विश्वास दिला सकता हूं।''

यह माननीय मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य है।

श्री माधवराव सिंधिया : यह एक आश्वासन है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

श्री माधवराव सिंधिया : मुझे शक है कि इसका अर्थ आश्वासन ही है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने केवल यह कहा है कि वे इस मामले को मंत्रिमंडल के पास ले जाएंगे। यह आश्वासन नहीं है।

श्री राजेश पायलट : यह वैधता का प्रश्न नहीं है। इस मामले को उठाने के पीछे यह भावना थी कि चूंकि आज सत्र का अंतिम दिन है तो सरकार आज यह बता सकती है कि वह इसे कितना महत्व दे रही है।

अध्यक्ष महोदय : मैं सबको दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। अब वन्दे मातरम की धुन बजाई जाएगी।

रात्रि 10.48 बजे

राष्ट्र गीत
(राष्ट्र गीत की धुन बजाई गई)

अध्यक्ष महोदय : सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 10.50 बजे

तत्पश्चात लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)
शुक्रवार, 29 अक्तूबर, 1999/7 कार्तिक, 1921 (शक)
का
शुद्धि-पत्र
...

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
विषय-सूची (ii)	22	श्री सुदीप बंधोपाध्याय	श्री सुदीप बंद्योपाध्याय
35	31	शोधन	संशोधन
53	नीचे से 3	श्री मोहले रावले	श्री मोहन रावले
61	11	सभापित महोदय	सभापति महोदय
65	11	श्री मणि शंकर अय्यर (मिप्लादुतुरई)	श्री मणि शंकर अय्यर (मयिलादुतुराई)

पी०एल०एस०-48/1/8/99 (एन०)
280

© 1999 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।